सप्तम माला, खण्ड 50, अंक 14, गुरुवार, 9 अगस्त, 1984/ 18 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 9 अगस्त, 1984/18 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), अन्तिम पंक्ति 'शर्मा' के स्थान पर 'वर्मा' पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 7, 'पराद्वीप' के स्थान पर 'पाराद्वीप' पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 14, 'कुलनदईबेलु' के स्थान पर 'कुलनवइवेलु' पढ़िये।

विषय सूची- नीचे से पंक्ति 7, शीर्षक 'शु-चिकित्सा' के स्थान पर 'पशु-चिकित्सा' पढ़िये।

पृष्ठ 1, नीचे से पंक्ति 8, 'चोधरी' के स्थान पर 'चौधरी' पढ़िये।

पृष्ठ 3, पंक्ति 15, 'श्री' के स्थान पर 'प्रो०' पढ़िये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 6, 'ी' के स्थान पर 'श्री' पढ़िये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 8, 'डोघग वाले' के स्थान पर 'उद्योग वाले' पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 23, 'कूमदबेन' के स्थान पर 'कुमुदबेन' पढ़िये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 11, 'ता०प्र० संख्या' '*287' के स्थान पर '*278' पढ़िये।

पृष्ठ 20, अन्तिम पंक्ति, 'विज्ञापरम' के स्थार पर 'विज्ञापन' पढ़िये।

पृष्ठ 26, पक्ति 14, 'सांय' के स्थान पर 'संयंत्र' पढ़िये।

पृष्ठ 30, पंक्ति 24, 'ससयोग' के स्थान पर 'सहयोग' पढ़िये।

पृष्ठ 31, प्रथम पंक्ति, 'चेकोस्लोवक्रिया' के स्थान पर 'चेकोस्लोबाकिया' पढ़िये।

पृष्ठ 32, पंक्ति 4, 'समग्रत भारन' को पक्ति 5 में 'कुल' के साथ पढ़िये।

पृष्ठ 32, नीचे से पंक्ति 7, 'श्री मोसम्मद इस्माइल' के स्थान पर 'श्री मोहम्मद इस्माइल' पढ़िये।

पृष्ठ 35, पंक्ति 18, 'बदलणा' के स्थान पर 'बदलना' पढ़िये।

पृष्ठ 36, पंक्ति 13, 'कल्यण' के स्थान पर 'कल्याण' पढ़िये।

पृष्ठ 36, पंक्ति 14, 'एक विवरण संलग्न है' का लोप कीजिये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 10, शीर्षक में 'चिकत्सा' के स्थान पर 'चिकित्सा' पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 12, '1917' के स्थान पर '1971' पढ़िये।

पृष्ठ 38, पंक्ति 17, शीर्षक में 'कगोलेटर' के स्थान पर 'कोगुलेटर' पढ़िये।

पृष्ठ 41, पंक्ति 9, पृष्ठ 51 पक्ति 16, 'जियाउरंहमान' के स्थान पर 'जियाउर्रहमान' पढ़िये।

पृष्ठ 43, पंक्ति 14 व क्रमश: 16 क्रमशः 'विहार' एवं 'लिहार' के स्थान पर 'बिहार' पढ़िये।

पृष्ठ 50, पंक्ति 3, 'टर्मिलल' के स्थान पर 'टर्मिनल' पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 9, शीर्षक में 'ट्रेषिव्रियों' के स्थान पर 'प्रेषितियों' पढ़िये।

पृष्ठ 55, नीचे पंक्ति 7, 'श्री बाबासाहिब बिखे पाटिल' के स्थान पर 'श्री बालासाहिब बिखे पाटिल' पढ़िये।

पृष्ठ 58, नीचे पंक्ति 2 और पृष्ठ 59, पंक्ति 1, 'ठेकेदार व टेकटार' के स्थान पर 'टेकदार' पढ़िये।

पृ० 58, अन्तिम पंक्ति 'श्री भोगेन्द्र' के स्थान पर 'श्री भोगेन्द्र झा' पढ़िए।

पृ० 59, पंक्ति 8, 'कोरहिया' के स्थान पर 'कोरलिया' पढ़िए।

पृ० 62, पंक्ति 14, 'श्री आन्नद पाठक' के स्थान पर 'श्री आनन्द पाठक' पढ़िए।

पृ० 63, अन्तिम पंक्ति 'चांबे' के स्थान पर 'चौबे' पढ़िए।

पृ० 70, पंक्ति 5, अं० प्र० संख्या '5658' के स्थान पर '2658' पढ़िए।

पृ० 82, पंक्ति 4, '(डिटजाट)' के स्थान पर '(डिटर्जेन्ट)' पढ़िए।

पृ० 90, पंक्ति 19, 'श्री रामनाथ दूबे' के स्थान पर 'श्री राम नाथ दुबे' पढ़िए।

पृ० 91, पंक्ति 4, 'खम्ता हालत' के स्थान पर 'खस्ता हालत पढ़िए।

पृ० 93, पंक्ति 6, 'शोल्टर' के स्थान पर 'शेल्टर' पढ़िए।

पृ० 94, पंक्ति 13, 'प्रो० शिक्षा' के स्थान पर 'प्रौढ़ शिक्षा' पढ़िए।

पृ० 97, पंक्ति 3, 'अं० प्र० संख्या '2686' के स्थान पर '2689' पढ़िए।

पृ० 97, पंक्ति 14, 'चौयरी' के स्थान पर 'चौधरी' पढ़िये।

पृ० 98, पंक्ति 19, 'श्री बिलास मुस्तेमबार' के स्थान पर 'श्री बिलास मुत्तेमबार' पढ़िये।

पृ० 99, पंक्ति 10, 'धुम्रपान' के स्थान पर 'धूम्रपान' पढ़िये।

पृ० 107, पंक्ति 15, "दृष्थिहीनता" के स्थान पर दृष्टिहीनता" पढ़िये।

पृ० 111, अंतिम पक्ति; अ० प्र० संख्या '2705' के स्थान पर '2704' पढ़िए।

पृ० 113, प्रथम पंक्ति, चिकमंगलू' के स्थान पर 'चिकमंगलूर' पढ़िए।

पृ० 113, पंक्ति 2 'गौड़ा' के स्थान पर 'गौडा' पढ़िए।

पृ० 113, पंक्ति 7, 'रेल मन्नी' के स्थान पर 'रेल मन्त्री' पढ़िए।

पृ० 121, पंक्ति 9 'पंजाब्र नेशनल बैंक' के स्थान पर 'पंजाब नेशनल बैंक' पढ़िए।

पृ० 122, पंक्ति 13, 'श्री रमावतार शास्त्री' के स्थान पर 'श्री रामावतार शास्त्री' पढ़िए।

पृ० 142, अंतिम पंक्ति और पृष्ठ 144, पंक्ति 11, परिवार' के स्थान पर 'परिवहन' पढ़िए।

पृ० 149, पंक्ति 11, 'श्री सूरमभान' के स्थान पर 'श्री सूरजभान' पढ़िए।

पृ० 166, पंक्ति 11, 'प्रो० ए०एम० खुसरी' के स्थान पर 'प्रो० ए०एम० खुसरो' पढ़िए।

पृ० 172, पंक्ति 11, पृ० 173, पंक्ति 9, 'सुब्रह्मण्यम और सुब्रह्मण्यस' के स्थान पर सुब्रह्मण्यम' पढ़िए।

पृ० 174, प्रथम पंक्ति, 'रतनाम' के स्थान पर 'रतलाम' पढ़िए।

पृ० 176, पंक्ति 16, 'टूट-फूट/खोमी' के स्थान पर 'टूट-फूट या चोरी' पढ़िए।

पृ० 182, पंक्ति 8, श्री आन्नद सिंह' के स्थान पर 'श्री आनन्द सिंह' पढ़िए।

पृ० 183, पंक्ति 7, 'ब्हील' के स्थान पर 'व्हील' पढ़िये।

पृ० 186, पंक्ति 4, 'श्री कुमारी' के स्थान पर 'कुमारी' पढ़िये।

पृ० 187, पंक्ति 12, 'ीमती' के स्थान पर 'श्रीमती' पढ़िए।

पृ० 192, पंक्ति 6, 'ी' के स्थान पर 'श्री' पढ़िए।

पृ० 201, पंक्ति 19, 'चोवे' के स्थान पर 'चौबे' पढ़िए।

पृ० 204, पंक्ति 18, अं० प्र० संख्या '2813' के स्थान पर '2812' पढ़िए।

पृ० 208, पंक्ति 9 व 13, 'कोणार्कि' के स्थान पर 'कोणार्क' पढ़िए।

पृ० 208, पंक्ति 27, अं० प्र० संख्या '2830' के स्थान पर '2820' पढ़िए।

पृ० 209, पंक्ति 21, अं० प्र० संख्या '2831' के स्थान पर '2827' पढ़िए।

पृ० 215, नीचे से पंक्ति 2, विकलांक के स्थान पर 'विकलांग' पढ़िए।

पृ० 221, पंक्ति 18, 'श्री राम प्यारे पणिका' के स्थान पर 'श्री राम प्यारे पनि पढ़िए।

पृ० 238, दूसरे पाद-टिप्पण 'कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया' का कीजिए।

पृ० 242, पंक्ति नीचे से 2, 'अध्वक्ष' के स्थान पर 'अध्यक्ष' पढ़िए।

पृ० 247, पंक्ति 11, 'उपाद शुल्क' के स्थान पर 'उत्पाद शुल्क' पढ़िए।

पृ० 248, अंतिम पंक्ति के बाद पढ़िए—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप मद्रास क्यों नहीं गये ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं समझता हूं कि आपने समाचार पत्र में अवश्य पढ़ा होगा कि मैं मद्रास गया था। पिछले दिए गए वक्तव्य में मैंने इस बारे का जिक्र किया था, तब शायद आप यहां उपस्थित नहीं थे।

पृ० 254, पंक्ति 9 से 11, 'श्री रशीद मसूद:···विरोध नहीं किया' तक को पंक्ति 2 के बाद पढ़िये।

पृ० 254, पंक्ति 11, 'क्या' से पूर्व 'श्री रशीद मसूद' अन्त स्थापित करिये।

पृ० 255, पंक्ति 22—24, 'श्री रशीद मसूद:···सूचनार्थ है' तक को पंक्ति 15 के बा पढ़िये।

पृ० 255, पंक्ति 23, 'अध्य' के स्थान पर 'अन्य' पढ़िये।

पृ० 257, पंक्ति 24, 'म० प्र०' के स्थान पर 'म० प०' पढ़िये।

पृ० 267, पंक्ति 7, 'उपाध्य' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष' पढ़िये।

पृ० 269, पंक्ति 12, 'शिकायय' के स्थान पर 'शिकायत' पढ़िये।

पृ० 270, पंक्ति 18, 'उपाध्यक्षा के स्थान पर 'उपाध्यक्ष' पढ़िये।

पृ० 274, पंक्ति 7, 'खान' के स्थान पर 'खां' पढ़िये।

पृ० 274, पंक्ति 13, 'श्री खुर्शीद आलम खां' का लोप कीजिये।

पृ० 275, अंतिम पंक्ति '(रामचूर)' के स्थान पर '(रायचूर)' पढ़िए।

पृ० 299, पंक्ति 24, 'दरी' के स्थान पर 'दूरी' पढ़िए।

पृ० 302, पंक्ति 11, 'महोदय' का लोप कीजिए।

पृ० 304, नीचे से पंक्ति 3, 'श्री चिन्तामणि प्राणिग्रही' के स्थान पर 'श्री चिन्तामणि पाणिग्रही' पढ़िए।

पृ० 305, पंक्ति 11 के नीचे बांई ओर '4.07 म०प० अंत: स्थापित कीजिए।

पृ० 305, 'डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुई' को कोष्ठक में पंक्ति 11 के नीचे

पृ० 306, पंक्ति 22, 'हगली' के स्थान पर 'हुगली' पढ़िए।

पृ० 306, पंक्ति 24, 'प्राणिग्रही' के स्थान पर 'पाणिग्रही' पढ़िए।

पृ० 306, पंक्ति 26, 'श्री नारायण चोधरी' मिदानपुर' के स्थान पर 'श्री नारायण ाढ़िये।

पृ० 307, पंक्ति 4, (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) का लोप कीजिये।

पृ० 307, पंक्ति 6, 'श्री चितानमि पाणिग्रही' के स्थान पर 'श्री चितामणि पाणिग्रही'
।

पृ० 308, पंक्ति 18 के पश्चात् 'वह सभा में आत्मसमर्पण कर सकते हैं' अतः- स्थापित
।

पृ० 317, नीचे से पंक्ति 4, 'डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी' का लोप कीजिये।

पृ० 320, पंक्ति 22, 'बताता हूं' के स्थान पर 'बजाता हूं' पढ़िये।

पृ० 322, पंक्ति 25, 'उत्पादन शुस्क' के स्थान पर 'उत्पादन शुल्क' पढ़िये।

पृ० 333, नीचे से पंक्ति 5, 'अध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़िये।

पृ० 336, नीचे से पंक्ति 7, 'समय' के स्थान पर 'समक्ष' पढ़िये।

पृ० 342, नीचे से पंक्ति 3, 'बिस्कुल' के स्थान पर 'बिल्कुल' पढ़िये।

पृ० 344 प्रथम पंक्ति, 'सुनिल' के स्थान पर 'सुनील' पढ़िये।

पृ० 348, पंक्ति 3, (व्यवथान) के स्थान पर (व्यवधान) पढ़िये।

पृ० 348, पंक्ति 16, 'बैसे, के स्थान पर 'कैसे' पढ़िये।

पृ० 349, 16, 'पशिक्षम' के स्थान पर 'पश्चिम' पढ़िये।

पृ० 355, पंक्ति 13, 'है' का लोप कीजिये।

पृ० 356, पंक्ति 6, 'अध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़िये।

पृ० 358, पंक्ति 12, 'श्री योगेद्र मकवाना' के स्थान पर 'श्री योगेन्द्र मकवाना' पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 14, गुरुवार, 9 अगस्त, 1984/18 श्रावण, 1906 (शक)

	पृष्ठ
मौखिक उत्तर	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 271, 272, 274 से 276	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17—244
तारांकित प्रश्न संख्या : 269, 270, 273, 277 से 289	17—26
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2611 से 2671, 2673 से 2745, 2747, 2749 से 2764 और 2766 से 2840	26—235
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	244—247
राज्य सभा से सन्देश	247
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	248—277
मद्रास हवाई अड्डे पर कथित बम बिस्फोट, जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गए और हवाई अड्डे को क्षति पहुंची, से उत्पन्न स्थिति	
श्री रशीद मसूद	248
श्री खुर्शीद आलम खां	255
श्री सतीश अग्रवाल	257
श्री जैनुल बशर	267
प्रो० रूपचन्द पाल	271
श्री बी० वी० देसाई	27.
नियम 377 के अधीन मामले	277—284
(एक) सदारियाडिह कोयला खान में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या श्रमिक सहकारी समिति का किसी अन्य कानूनी एजेंसी द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री रीतलाल प्रसाद शर्मा	277

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
(दो)	गोवा और कुवैत के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने की मांग	278
	श्री एडुआर्डो फैलीरो	
(तीन)	गंगानगर रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	278
	श्री बीरबल	
(चार)	पराद्वीप में अन्वेषी मत्स्य-पालन परियोजना को पुनः शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता	279
	श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(पांच)	मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने की आवश्यकता	279
	श्री दिलीप सिंह भूरिया	
(छः)	भाखड़ा नहर के बन्द होने से प्रभावित हरियाणा के गांवों में पीने का शुद्ध पानी सप्लाई करने की आवश्यकता	280
	श्री मनीराम बागड़ी	
(सात)	निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्तियों को कारों के आयात के लिए अनुमति तथा आयात-शुल्क की अदायगी से छूट देना	280
	श्री भीमसिंह	
(आठ)	तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूम कर्मचारियों के वेतन पटना (बिहार) में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के समान करने की आवश्यकता	281
	डा० ए० कलानिधि	
(नौ)	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत धनबाद में बलिहारी कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच कराने की आवश्यकता	281
	श्री ए० के० राय	
(दस)	कोचीन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदलने की आवश्यकता	282
	श्री जेवियर अराकल	
(ग्यारह)	बारसोई और कुमेदपुर के बीच नदी के पुल को हुई क्षति के कारण उत्तरी और दक्षिणी बंगाल के बीच टूटे रेल सम्पर्क बहाल करने की आवश्यकता	283
	श्री आनन्द पाठक	

विषय	पृष्ठ
(बारह) सहारनपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	284
श्री जगपाल सिंह	
आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन के बारे में प्रस्ताव	284—359
श्री गुलशेर अहमद	284
श्री जगपाल सिंह	288
श्री वाई० एस० महाजन	291
श्री सतीश अग्रवाल	295
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	302
श्रीमती गीता मुखर्जी	308
प्रो० नारायण चन्द पराशर	312
डा० वी० कुलनदईबेलु	317
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	321
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	324
श्रीमती जयंती पटनायक	329
श्री चित्त बसु	331
श्री एस० टी० के० जक्कायन	334
श्री प्रणव मुखर्जी	336
भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक	353—359
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री योगेन्द्र मकवाना	353
खंड 2 से 67 तथा 1	
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री योगेन्द्र मकवाना	354
डा० ए० कलानिधि	356

लोक सभा

गुरुवार, 9 अगस्त, 1984/18 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नवजीवन एक्सप्रेस को अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम के बीच सप्ताह में तीन बार चलाने का प्रस्ताव

*271. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवजीवन एक्सप्रेस को अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम (वरास्ता बंगलौर) के बीच सप्ताह में तीन बार चलाने की मांग है ;

(ख) क्या यह भी मांग है कि उक्त गाड़ी को वरास्ता डौंड-कल्याण-दिवावसई मार्ग से चलाया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे का विचार उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित करने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चोधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नवजीवन एक्सप्रेस तिरुवनन्तापुरम और अहमदाबाद के बीच नहीं बल्कि अहमदाबाद और मद्रास के बीच चलती है। नवजीवन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने के लिए मांग की जाती रही है। अहमदाबाद और तिरुवतन्तपुरम के बीच एक गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता बंगलूर के रास्ते अहमदावाद-तिरुवतन्तपुरम एक्सप्रेस के चलाये जाने से पूरी हो गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण नवजीवन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। इस गाड़ी को धौंड-कल्याण और दीवा-वसई के रास्ते चलाना अभी परिचालिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग (ग) में कहा गया है "कि इस गाड़ी को डौंड-कल्याण और दीवा-वसई के रास्ते चलाना अभी परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है"। यह बहुत अस्पष्ट उत्तर है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्पष्ट करें कि परिचालनिक दृष्टि से यह व्यावहारिक क्यों नहीं है, समस्या क्या है, आधारभूत संरचना संबंधी समस्या है या संसाधन-समस्या है क्योंकि मांग बहुत गुरुतर है।

अध्यक्ष महोदय : गंभीर है या गुरुतर ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : अत्यधिक है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : पहली कठिनाई तो यह है कि लाइन क्षमता की मजबूरी है यानि सूरत से बम्बई और वहां से पूना के लिए। जहां तक वसई से दीवा तक का सम्बन्ध है, माल यातायात हेतु एक सेक्शन खोला गया है। यात्री सेवाएं चलाने के लिए आधारभूत ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता है जो अभी उपलब्ध नहीं हैं। संसाधनों की कमी के कारण यात्री सेवाएं चलाने के लिए अपेक्षित सुविधाएं विकसित करना इस समय रेलवे के लिए सम्भव नहीं है। साधनों के जुटते ही,-हालांकि मैं माननीय सदस्य से कोई वायदा नहीं कर सकता, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना मैं कह सकता हूं। इसके अलावा, यदि हम सूरत से दिवा तक विद्यमान सेवा में परिवर्तन करते हैं तो उस क्षेत्र में क्षोभ व्याप्त होगा कि हमने परिवर्तन क्यों किया है। इसलिए वर्तमान रेलगाड़ी को चालू रखना और अभीष्ट दिशा में एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाना बेहतर है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : माननीय मन्त्री जी इस बात को मानते हैं कि नवजीवन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने के लिए मांग की जाती रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी या सरकार नवजीवन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की सम्भावना के बारे में कोई आश्वासन दे सकती है।

श्री ए० बी० ए० गनी० खान चौधरी : माननीय सदस्य को पता है कि रेलगाड़ी संख्या 145 और 146 अहमदाबाद-मद्रास नवजीवन एक्सप्रेस सप्ताह में पहले एक बार चला करती थी, अब हमने इसे दो-बार कर दिया है। यात्री जनता की लगातार मांग के कारण हमने इस रेलगाड़ी के फेरे बढ़ा दिये हैं। किन्तु सवारी-डिब्बों की कमी के कारण हम इनमें हम समय और वृद्धि नहीं कर सकते।

श्री जेवियर अराकल : माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया है कि उन्होंने रेलगाड़ी के फेरे

बढ़ाकर हफ्ते में दो बार कर दिये है । उन्होंने यह भी कहा है कि संसाधन सीमित हैं । क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण विशेषकर त्रिवेन्द्रम जाने वाली रेलगाड़ियां अन्य क्षेत्रों की तुलना में रेलवे बोर्ड को सबसे अधिक राजस्व देती हैं । प्रो० मधु दंडवते और मैं इस सदन में कहते आ रहे हैं कि कि पश्चिमी घाट रेलवे का निर्माण करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक तथा अन्य प्रगति में वृद्धि की जा सके ।

पश्चिमी घाट लाइन को पूरा करने के लिए सरकार/मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से किसी तरह सम्बद्ध नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आपकी मेहरबानी से इसे सम्बद्ध किया जा सकता है ।

श्री जेवियर अराकल : डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी भी दक्षिण के ही हैं और उन्हें वहां की समस्याएं मालूम हैं । क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण विशेषकर केरल से प्राप्त राजस्व, राजस्व का एक बहुत बड़ा स्त्रोत होगा । इसके अलावा पश्चिमी घाट लाइन कार्य शीघ्र निष्पादन होने पर इस क्षेत्र का समुचित रूप से विकास होगा ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री पी० जे० कुरियन : नवजीवन एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

लघु उद्योगों में रुग्णता के कारण

*272. **श्री के० लकप्पा :**

श्री धर्म दास शास्त्री : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों में रुग्णता का कारण कार्य-पूंजी की कमी तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से अपर्याप्त और असामयिक सहायता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने रुग्ण औद्योगिक एककों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनका मन्त्रालय रुग्ण औद्योगिक एककों को किस प्रकार पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) औद्योगिक रुग्णता के आंतरिक और बाध्य दोनों प्रकार के अनेक कारण हैं जो संयुक्त रूप से कार्य करते हैं । औद्योगिक

रूग्णता के प्रमुख कारण कार्यशील पूंजी का अभाव/बैंकों से अपर्याप्त तथा असामयिक सहायता कच्ची सामग्री का अभाव मांग की कमी प्रबंध में कमियां आदि हैं।

(ख) और (ग) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा सहायता देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता का अध्ययन करने और लघु क्षेत्र के उपायों का सुझाव देने हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सीमांत धन योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः स्थापित करने के प्रयोजन से समान आधार पर राज्य सरकारों को ऋण दिए जाते हैं। लघु क्षेत्र के रूग्ण एककों की समस्याओं का पता लगाने तथा उनके पुन स्थापन के लिए सुधारात्मक अभ्युपाय सुझाने हेतु के लिए औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में स्थायी समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित और पुनः स्थापित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से आप के द्वारा पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, जब यह फाइनेंस मन्त्री होते हैं तो कुछ और बात कहते हैं और जब उद्योग मन्त्री होते हैं तो कुछ और बात कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, हमारा मतलब है सरकार से, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह यह बताएंगे कि मगरमच्छ और मछली का अन्तर वह जानते हैं या नहीं? यहां मछली और मगरमच्छ का मामला हैं। मैंने देखा है कि 7 तारीख को इण्डस्ट्रियल रिकांस्ट्रक्शन बैंकिंग बिल जो आया उस बिल के सम्बन्ध में वह कहते हैं कि सिक इण्डस्ट्रीज के लिए स्टडी ग्रूप बैठाएंगे और इधर उन्होंने कह दिया कि स्टैंडिंग कमेटी भी कायम कर दी, एक ग्रुप भी कायम कर दिया स्टडी करने के लिए, लेकिन स्टडी किस बात की कर रहे हैं? जब यह खुद मानते हैं कि इन के पास इण्डस्ट्री चलाने के लिए रनिंग कैपिटल नहीं है खुद मानते हैं सारी बातें, फिर कहते हैं कि टेकनालाजी का अभाव है, टाइमली बैंकिंग असिस्टेंस नहीं है उसके साथ-साथ रा मैटीरियल की कमी है, ये सारी बातें जब खुद स्वीकार कर लेतें हैं तो फिर स्टडी ग्रुप किस के लिए बैठा रहे हैं?

फिर इन्होंने स्वयं कहा उस बिल को पास करते समय कि यह जो बात है कि सिख यूनिट्स को ले लेना, यह इसका कोई हल नहीं है। पूंजीपति पूंजी का डाइवर्शन करते हैं। नये-नये लाइसेंस लेकर देश की एकोनामी को खराब करते हैं, एक तरफ तो यह कहते हैं और दूसरी तरफ उनको सहायता देने की बात करते हैं। अब पहले तो यह कहते हैं इस देश में 5, 58, 551 सिक यूनिट्स हैं। हैं। सिक यूनिट्स मान लेते हैं लेकिन उसमें यह नहीं बताते कि पब्लिक सेक्टर के कितने हैं और उसके साथ-साथ स्टेटत्राइज, कितने हैं? यह सवाल छोटे आदमी को बड़ा मगरमच्छ खा रहा है, उसका है,। ···(व्यवधान)··· स्माल स्केल इण्डस्ट्री चल रही हैं जब तक बड़े-बड़े बिग हाउसेज वही इण्डस्ट्री चलाएंगे, जब रैगरपुरा में जूता बनाने वाला जूता बनाता है और बाटा भी वही जूता बनाएगा······(व्यवधान)······

अध्यक्ष महोदय : अब आप तो लेक्चर देने लग गए ।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी बात है कि जब बड़े-बड़े मगरमच्छ छोटे लोगों को खाने लग जाएंगे और वही इण्डस्ट्री वह भी चलाते जाएंगे तो ये छोटे लोग कैसे जीवित रहेंगे ? ......(**व्यवधान**)......

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे बन्द करना पड़ेगा ।

श्री धर्मदास शास्त्री : रोग तो इन्होंने पकड़ लिया मगर इलाज करना नहीं चाहते । सवाल सीधा-सा है कि जो स्माल स्केल में इण्डस्ट्रीज चल रही हैं वह इण्डस्ट्रीज बड़े-बड़े उद्योग वाले भी चलाएंगे तो छोटे उद्यम वाले कैसे जीवित रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल सीधा है । जैसे जमीन पर सीलिंग लगाई है यहां पर भी लगाओ ।

श्री एस० एम० कृष्ण : लघु उद्योग के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता को सरकार समझती है । प्रश्न वास्तव में विचारणीय है । ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि हमारे लघु उद्योगों ग एकता नहीं है हाल ही वित्त मन्त्री ने औद्योगिक पुनर्गठन सम्बन्धी विधेयक का संचालन करते समय कहा था कि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक लघु अध्ययन दल बनायेंगे । किंतु रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग विकास आयुक्त के साथ परामर्श करके राज्य-स्तर अन्तर्संस्थागत समितियां स्थापित कर दी हैं । इस समय 15 समितियां हैं जिनका काम मुख्यतः किसी विशेष उद्योग में रुग्णता की स्थिति की निगरानी करना है । दूसरे शब्दों में उद्योग मंत्रालय ने रुग्णता के समूचे प्रश्न के सम्बन्ध में विश्लेषण दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है और सरकार इस दृष्टिकोण को और प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील रहेगी ।

दूसरी बात यह कि माननीय सदस्य बड़े-बड़े उद्योग और उद्योगपतियों आदि के बारे में बातें कर रहे थे । मैं समझता हूं प्रश्न का मुख्य आशय यही था कि बड़े उद्योग उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो विनिर्दिष्टतः लघु उद्योग के लिए आरक्षित हैं । सरकार ने हाल ही में एक निगरानी समिति स्थापित की है जो ऐसी सभी शिकायतों पर विचार करती है जो उसे समय-समय पर मिलती रहती हैं ।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं मंत्री, जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं । क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि जब सरकार चिन्ता का इजहार कर रही है तब जो उद्योग छोटी-छोटी यूनिट्स में चल रहे हैं उनके बारे में आप कब तक एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगा देंगे ताकि उन उद्योगों को वह बड़ी-बड़ी कम्पनियां न चला सकें ?

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं । एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० कम्पनियां उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकतीं जिन्हें पूर्णतः लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है ।

श्री सुनील मैत्रा : यह सच नहीं है, वे बड़े पैमाने पर खुल रही हैं। आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल में इस सम्बन्ध में किया गया अध्ययन काफी प्रकाश डालता है। उसमें बताया गया है कि एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० कम्पनियां बड़े पैमाने पर लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि लघु उद्योग क्षेत्र में 23,000 से अधिक एकक बन्द हो गये है क्योंकि छोटे क्षेत्र में उत्पादित माल के लिये कोई बाजार नहीं है। जब तक उत्पादन के दायरों का स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया जाता और कानूनन उनका संरक्षण नहीं किया जाता, तब तक आप लघु उद्योगों का संरक्षण नहीं कर सकते। क्या मैं जान सकता हूं सीमांकन की कानूनन जो व्यवस्था की गई है उसकी अब तक क्रियान्विति क्यों नहीं हुई है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : सरकार इस बात पर सहमत है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ कानूनी संरक्षण की व्यवस्था करनी जरूरी है और माननीय मंत्री जी ने इस सदन को बताया है कि इस संदर्भ में एक व्यापक विधेयक सरकार के सक्रिय विचाराधीन है जिस पर लघु उद्योग सम्बंधी सलाहाकार बोर्ड के साथ परामर्श चल रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुल कितने लघु उद्योग एकक बन्द हो गये हैं ?

श्री एस० एम० कृष्ण : लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों के बारे में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। दिसम्बर, 1982 में ऋण लेने वाले एककों की कुल संख्या 10,44,000 थी, उनमें से बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या 58,549 थी, ऋण लेने वाले एककों की संख्या में रुग्ण एस० एस० ए० एककों की प्रतिशतता 5.6% है।

श्री रास बिहारी बहेरा : क्या यह सच है कि आधारभूत विकास न होने के कारण कई उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ? दूसरी बात यह कि क्या सरकार वर्तमान नीति के बारे में पुनः विचार करेगी और लघु उद्योगों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देगी ?

श्री एस० एम० कृष्ण : सरकार नहीं सोचती कि नीति में कोई खामी है। सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देना है। किन्तु यहां हम त्रुटियां या कमियां देखते हैं। और किसी विशेष पहलू पर जोर देने की जरूरत होती है, वहां सरकार ने कभी कोई संकोच नहीं किया और न ही कभी संकोच करेगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमारे जैसे देश में लघु उद्योगों की भूमिका का बहुत अधिक महत्व है। वहां रोजगार के अवसर भी बहुत अधिक हैं और आज भारत में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योग एककों को कितनी प्रतिशत और बड़े उद्योगों को कितनी प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : इस प्रश्न की वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहा-

शता का लघु उद्योगों को कितना प्रतिशत और बड़े उद्योगों को कितना प्रतिशत दिया जाता है, उत्तर देने के लिए मुझे पृथक सूचना की आवश्यकता होगी। अपनी बात को रुग्ण उद्योगों तक ही सीमित रखते हुए, मुझे यह कहना है कि सरकार ने 86 लाख रुपये राज्य सरकारों को दिये है जिससे वे रुग्ण उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए मार्जिन मनी स्कीम को क्रियान्वित कर सकें। लघु उद्योगों का विवरण राज्यवार उपलब्ध हैं और इस प्रयोजन के लिए 1984-85 के दौरान अब तक 35.40 लाख रुपये मंजूर किये गये है। यह तो हमारी ओर से किया गया हैं और इसके अतिरिक्त बैंक, जो लघु उद्योगों के बैंकर हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वे इससे अलग है,

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह भारत का बुनियादी सवाल है। गांधी युग में आजादी के बाद गांधी जी की मान्यता इस देश के अन्दर मानी गई है। गांव के उद्योग, जूते बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, लोहार, बढ़ई, इन उद्योगों को गांधी जी की आत्मा चाहती थी कि बढ़े। छोटे उद्योग जिनको स्माल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे लाहौर आज टाटा लाहौर है। छोटे उद्योग बाटा-टाटा के बढ़े उद्योगों के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं। छोटे उद्योग बीमार ही नहीं बल्कि मर गये हैं। बीमार कहना सत्य नहीं है, मर गया है। मरी हुई लाश को उठाये फिरने का क्या कारण है ? कारण मैं आपको बताता हूं, इसका कारण यह है कि एक बच्चा···**(व्यवधान)**··· यह मजाक नहीं है।

अध्यक्ष जी, ये खामखाह छेड़ रहे हैं। मुझे छेड़ रहे हो कोई और नहीं मिलता ?

एक माननीय सदस्य : आपसे बढ़िया नहीं मिलता है।

श्री मनीराम बागड़ी : खामखाह क्यों ऐसा करते हो, बचकर चलो। एक बच्चे और जवान का जब मुकाबला करना चाहते हो, कुश्ती कराना चाहते हो और बच्चे के हाथ बांध कर और जवान को हथियार देकर लड़ाना चाहते हो, तो यह मुकाबला नहीं चल सकता। क्या सरकार बड़े उद्योगों पर पाबंदी लगाना चाहेगी कि इससे ज्यादा उसकी सम्पत्ति कुल मिलाकर देश में नहीं बढ़ सकती और जो छोटे उद्योग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग हैं उनकी मुकम्मिल मदद की जायेगी ? इस अन्तर को मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, इस बात को श्रेय लघु उद्योगों का है कि देश में कुल औद्योगिक उत्पादन की 50 प्रतिशत वस्तुएं लघु क्षेत्र में निर्मित की जाती हैं किसी भी दृष्टि से यह कोई कम सफलता नहीं है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। माननीय सदस्य रुग्ण उद्योगों का जिक्र किया है। यह जरूरी नहीं है कि रुग्णता केवल लघु उद्योगों तक ही सीमित है। रुग्ण उद्योगों के बारे में संसद में कई बार चर्चा होती रही है। इनमें से अधिकांश बड़े उद्योग वस्त्र उद्योग जैसे हैं जिसके बारे में हाल में चर्चा की गई है। अत: रुग्णता सर्वत्र है, चाहे वह लघु उद्योग, मध्यम उद्योग या बड़ा उद्योग है और चाहे वह पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश में स्थित है।

मध्य प्रदेश में "नारू" रोग के मामलों की सर्वाधिक संख्या

*274. डा० वसंत कुमार पंडित† :

श्री राम लाल राही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां "नारू" (गिनीवर्म) रोग के मामलों की सर्वाधिक संख्या है,

(ख) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने मध्य प्रदेश में इससे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का पता चलाया है जहां इस रोग के फैलने की सम्भावना बनी रहती है,

(ग) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने मध्य प्रदेश में "नारू" का उन्मूलन करने के लिए विशेष परियोजना शुरू की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है और शुरू किए गये कार्य का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मध्य प्रदेश में नारू (गिनी-कृमि) एक स्थानिक या प्रान्तिक रोग हो गया है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने मध्य प्रदेश में ऐसे बीस जिलों का पता लगाया है जहां पर नारू स्थानीय रोग के रूप में फैला हुआ है । इन जिलों में 121 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3243 ग्राम हैं ।

इस रोग से निपटने के लिये राष्ट्रीय नारू (गिनी-कृमि) उन्मूलन कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना ऐसे सात राज्यों में चलाई जा रही है जिनमें यह रोग स्थानीय रूप से फैला हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 से इस रोग से इस रोग से प्रभावित इलाकों में साल में दो बार रोगियों का पता लगाने का कार्य किया जाता है । पीने योग्य सुरक्षित पानी की व्यवस्था करने में इन इलाकों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए पीने के पानी के स्रोतों की पहिचान कर ली गई है । इसके अलावा, इन इलाकों में पीने के पानी को सुरक्षित बनाने के लिए रसायनों का उपयोग करते हुए फील्ड परिक्षण किये गये हैं । इस रोग का मुकाबला करने के लिए इन इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपकरण, तकनीकी डाकूमेण्टेशन और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री दी गई है ।

डा० वसंत कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि इक्कीसवीं शताब्दी आरम्भ

होने वाली है। यह बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में नारू रोग गत छह वर्षों से स्थानिक रूप से फैला हुआ है। मंत्री महोदय, द्वारा दिये गए आंकड़ों से पता चलता है कि यह रोग लगभग आधे मध्य प्रदेश, जिसमें 20 जिले, 121 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3243 ग्राम शामिल हैं, में फैला हुआ है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा बनाई गई योजना विभिन्न ग्रामों में अनियमित रूप से चलाई जा रही है अथवा एक कर्मी दल के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है? इस रोग का उन्मूलन बहुत पहले किया जा सकता था। ये निरीक्षक बहुत ही अनियमित रूप से आते हैं, कुंओं से नमूने भरते हैं और उनमें कुछ दवाईयाँ डाल कर चले जाते हैं, वे वर्ष भर में केवल एक बार गांव में आते हैं। अब मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास कोई स्कीम या योजना है जिसके अधीन ग्रामों में खुले कुओं को बन्द करके वहां पर नलकूपों का कार्यक्रम आरम्भ किया जा सके?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : महोदय, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस प्रकार के रोग ग्रामों में उपलब्ध पेय जल के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, इस स्थानिक रोग से कुल 3243 ग्राम प्रभावित हैं। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम आरम्भ किया है जिससे गिनी-कृमि रोग की रोकथाम की जा सके। मध्य प्रदेश में कुल 3243 ग्रामों में से लगभग 1070 ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की जा चुकी है और 1984-85 के दौरान एक हजार और ग्रामों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। अत: छठी योजना के अन्त तक 3243 ग्रामों में से केवल 1173 शेष रह जायेंगे जिनमें पेय जल की व्यवस्था सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर दी जाएगी। श्रीमान, सरकार को इस स्थिति की पूरी जानकारी है और वह बहुत ही अधिक चिंतित है। जहां तक इस रोग के उन्मूलन का सम्बन्ध है, इसके लिए शिक्षा भी अपेक्षित है। मैं इस रोग के कारणों का जिक्र तो नहीं करना चाहती, पर इतना माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं हमने उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है और इस क्षेत्र के ग्रामों में जागरुकता लाने तथा जानकारी और शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किये हैं। इसके अतिरिक्त हम पेय जल के सुरक्षित साधन भी उपलब्ध कर रहे हैं।

डा० वसंत कुमार पंडित : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार खुले कुओं, जो इस रोग का कारण हैं, को बन्द करने की व्यवस्था करेगी?

मैंने राजगढ़, गुना और विदिशा क्षेत्र में लगभग सभी ग्रामों का दौरा किया है और देखा है कि इनमें से कुछ ग्रामों में पेय जल के सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं। परन्तु प्रश्न यहीं समाप्त नहीं होता। कुएं गिनी-कृमियों से निरन्तर संक्रमित रहते हैं। दवाईयां डालने से कृमियों की सहन-शक्ति बढ़ जाती है और वे और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या सरकार ने इस मामले के बारे में कोई अनुसंधान किया है? सरकार इस समस्या की ओर कितनी असावधान है, यह इस बात से स्पष्ट है कि इन 3243 ग्रामों के लिए उनके पास केवल 131 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा किया जा रहा कार्य मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही कम है। इस रोग को दूर करने के लिए हमें इन केन्द्रों की संख्या बढ़ानी होगी।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : सरकार किसी भी समस्या के प्रति असावधान नहीं है। हम इस रोग का उन्मूलन करने के लिए बहुत चिंतित हैं। यह रोग केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि सात और राज्यों में भी फैला हुआ है। हमें इन सभी राज्यो की ओर ध्यान देना है। हमने विभिन्न ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए हैं और शेष ग्रामों में भी इसकी व्यवस्था सातवीं योजना में कर दी जायेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें इन सातों राज्यों की ओर ध्यान देना है और वहां पर पेय जल की व्यवस्था करनी है। इसके लिए हमें संसाधन चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इन ग्रामों में अभी 121 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

जहां तक पेय जल के वर्तमान स्रोतों का सम्बन्ध है, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों के द्वारा अपेक्षित दवाईयों की व्यवस्था करके पानी को पीने के योग्य बना रहे हैं। वे इन ग्रामों में नियमित रूप से जाते हैं और ग्रामवासियों की सहायता करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं।

श्री राम लाल राही : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो सभा पटल पर उत्तर रखा है, उसमें 'नारू' रोग के फैलने का जो मुख्य कारण बताया है, वह यह है कि गन्दा पानी लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया है कि 7 राज्यों में यह रोग फैला है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के बारे में तो बता दिया कि इतने लोग पीड़ित हैं और हम उपचार कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सात राज्यों में जो यह रोग फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए आपने क्या-क्या उपाय किये हैं। तीसरे, यह रोग कहां से आया और कब आया और जब यह रोग आया, तो क्या उस समय सरकार ने इसको रोकने के बारे में कोई ध्यान दिया था ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस रोग से केवल मनुष्य ही प्रभावित हो रहे हैं, अथवा जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। गन्दा पानी पीने के कारण जानवरों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और उन क्षेत्रों में जहां सीपेज के कारण पानी नहरों के किनारे भर जाता है, जानवर उस पानी को पीते हैं और जो घास वहां पैदा होती है, उसको खाने के कारण वे बीमार हो जाते हैं। क्या आपने इसके बारे में कोई सर्वे कराया है ? अगर सर्वे कराया है तो यह बताइये कि मनुष्यों और जानवरों पर इस रोग का किन-किन राज्यों में क्या-क्या प्रभाव हुआ है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नारू रोग की डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। नारू रोग क्यों होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। नारू रोग ऐसा नहीं जैसा कि आपने कहा है। अगर आदरणीय सदस्य इस बात को समझ लें तो बाकी सवाल नहीं उठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल को अलग से लगवा दें तो ठीक रहेगा।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : इसके बारे में एक सर्वे कराने के बाद सात राज्यों को आइडेन्टिफाई किया गया है। इन सात राज्यों में उन विलेजिज को आइडेन्टिफाई किया गया है जिनमें यह रोग है। उनमें एक नेशनल प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वच्छ पानी देने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह नारू रोग क्यों होता है, क्यों फैलता है, इसका एक साइन्टिफिक रीजन

है। ये साइक्लोस के साथ जर्म आते हैं। जिस पानी में ये जर्म होते हैं नारू रोग वहां फैलता है। साइक्लोस वाले पानी को जो कोई पियेगा उसके पेट में वे साइक्लोस जाएंगे। पेट में वे साइक्लोस बढ़ते रहते हैं। इससे नारू रोग फैलता है। ऐसा नहीं है सारे गन्दे पानी में नारू रोग होता है। इसीलिए इसको आईडेन्टिफाई किया गया है और इसको साइन्टिफिक ढंग से आइडेन्टिफाई किया गया है और इन विलेजिज में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह रोग कोई आज कल का नहीं है। यह मुद्दतों से चला आ रहा है। गवर्नमेंट इतनी जागरूक है, इसीलिए इसका हमने निराकरण ढूंढ़ निकाला है और उसका इलाज भी हम ढूंढ़ रहे हैं।

श्री राम लाल राही : श्रीमन् हमारे सवाल का पूरा उत्तर नहीं आया है। हमने पशुओं के बारे में भी पूछा था। कौन-कौन-सी कंट्रीज से आ रहा है, यह भी पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक ही प्रश्न का अधिकार है, आपने तीन प्रश्न कर दिये।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : कौन-कौन-सी कंट्री से आ रहा है—यह रोग एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के बहुत से देशों में फैला हुआ है। हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसमें इस रोग को दूर करने के लिए कड़े उपाय किए जा रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह : हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से यह गिनी वोर्म की बीमारी है, उसी तरह से वहां पर गोइटर, जिसको घेंघा रोग कहते है, फैल रहा है। मध्य प्रदेश के पांच-छः जिलों, खास कर आदिवासी क्षेत्रों जैसे शहडोल, सरगुजा, मांडला में यह बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। वहां केन्द्रीय शासन की ओर से एक्सपर्ट डाक्टरों की एक टीम गई थी और उसने बताया था कि यह आयोडीन की कमी की वजह से फैलता है जिससे छोटे-छोटे बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है और हज़ारों लोगों की मौत भी हो जाती है। उस टीम ने वहां पर आयोडाइज्ड साल्ट बांटने की सलाह दी थी। जो सामान्य साल्ट वहां बंटता था वह तो बंद कर दिया गया है लेकिन उसकी जगह पर अभी तक कोई आयोडाइज्ड साल्ट नहीं बांटा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में आयोडाइज्ड साल्ट वहां बंटवायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। आप इस प्रकार असम्बद्ध प्रश्न नही पूछ सकते।

श्री दौलत राम सारण : सरकार ने इस रोग के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है। मैं जानना चाहता हूं कि 37 वर्षों की आजादी के बाद भी गांव-गांव में नारू रोग है और गांवों की सेनिटेशन पर आप 0.1 परसेंट राशि खर्च कर रहे हैं, फिर कैसे माना जाए कि आपको इसके बारे में बड़ी चिंता है 37 वर्ष की आजादी के बाद भी लोगों को गांवों में पीने का पानी नहीं मिल

रहा है। लोग प्यासे मर रहे हैं और गन्दा पानी पीते हैं। पशुओं के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या यह सही नहीं है ?

(व्यवधान)

इसके अलावा आपने शुद्ध पानी देने के लिए जो रीजनल स्कीम, हैंड पंप स्कीम और गांव की स्कीम बनाई है, उनमें शामिल चौथाई गावों में भी पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या यह सही है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मैंने बताया है कि भारत सरकार पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए केवल चिंतित ही नहीं है बल्कि योजनाएं भी बनाई गई हैं। तीन प्रकार के गांवों को आईडिएंटीफाई किया गया है। जैसे वे गांव जहां 1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लाना होता है। दूसरे जहां पानी शुद्ध नहीं है। वहां पर कैमिकल्स हैं, उनको भी आईडिएंटीफाई किया गया है। तीसरे वे गांव हैं जहां पानी में गिनी और कालरा जैसी डिसीजज हैं। इन तीन प्रकार के विलेजेज को आईडिएंटीफाई किया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पैसा भी दिया है।

हमने एक लाख नब्बे हजार गांवों को सुविधाएं देने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1407.11 करोड़ रु० का बजट बनाया है। अब इन गांवों को पानी की सुविधाएं प्रदान करने का काम राज्य सरकार का है।

इसलिए भारत सरकार इसके लिए पूरी चिंतित है और कार्यवाही भी कर रही है।

औद्योगिक लाइसेंसों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण

*275. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योगों के विकास के हित में औद्योगिक लाइसेंस के क्रियान्वयन तथा आशय-पत्रों के लाइसेंस के बदले जाने संबंधी स्थिति का पुनरीक्षण करने का कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तथा (ख) जिनके लिए आशयपत्रं/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं उन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्यिवन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उत्सुक है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मानिटरिंग प्रणालियों का पुनर्गठन करें तथा उन्हें मजबूत बनाएं, परियोजनाओं के कार्यान्वियन में उद्यमियों की सहायता तथा मदद करें और जिनकी प्रगति असंतोषजमक हो उन आशय पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों को निरस्त कर दें।

श्री लक्ष्मण मलिक : उत्तर में कहा गया है कि सरकार सभी औद्योगिक परियोजनओं के शीघ्र कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों मे ऐसे लाइसेंसों के लिए कितने उद्यमियों ने आवेदन किया, कितनों को लाइसेंस दिये गए और गत छ: महीनों से कितने आवेदन विचाराधीन हैं। क्या सरकार विचाराधीन आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री एस० एम० कृष्ण : उद्योग स्वीकृति सचिवालय (सेक्रिटेरियर फार इण्डस्ट्रीयल अप्रूबल्स) के डाटा यूनिट द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार 1974 से 1979 के दौरान 4230 आशयपत्र मंजुर किए गए 1965 आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया और 1443 आशयपत्रों को व्ययगत या रद्द माना गया। अभी 805 आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया जाना है या उन्हें व्यपगत पर रद्द माना जाना है। दूसरे शब्दों में 805 आशयपत्रों पर विचार किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण मलिक : राज्यों में कुछ ऐसे पिछड़े जिले और आदिवासी जिले भी हैं जहां उद्योग नहीं हैं। क्या सरकार ने ऐसे उद्योग रहित जिलों में प्राथमिकता के आधार पर उद्योग लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? क्या कोई ऐसा नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया है ? ऐसे निर्णय लिए जाने के पश्चात कितने उद्योग रहित जिलों में उद्योग अब तक लगाए गए हैं ?

श्री एस० एम० कृष्ण : सभा इस बात को सराहेगी कि 1977 से 1984 के बीच भारत सरकार की औद्योगिक विकास नीति में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लगाने पर बल दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों से मेरे कथन की पुष्टि हो जाएगी। 1977 में कुल 533 आशय पत्र जारी किए गए जिनमें से 35.1 प्रतिशत आशय पत्र पिछड़े क्षेत्रों में दिए गए जबकि 1983 में कुल 1055 आशय पत्र जारी किए गए जिनमें से 61.5 प्रतिशत अर्थात् 649 आशयपत्र पिछड़े क्षेत्रों को दिए गए। 1984 में भी इसी प्रकार 500 आशय पत्र जारी किए गए जिनमें से 298 अर्थात् 60 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ निर्धारित किए गए।

श्री दयाराम शाक्य : अध्यक्ष जी, भारतवर्ष में छोटी कार बनाने के कारखाने बहुत कम हैं। एक या दो हो सकते हैं। सरकार आश्वासन देने के बाद मारुति कार सासदों को मुहैया नहीं कम पा रही है। लेकिन, सपना सुप्रीम को 1972 में आशय पत्र दिया गया था। वी० आर० डी० अहमदनगर में साढ़े अठाइस हजार किलोमीटर की टेस्टींग के बाद भी वह कार में कमी नहीं निकाल सके हैं। इतना सब कुछ होने बाद भी इस आशय पत्र को लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया गया, यह देखते हुए भी कि देश में छोटी कारों का निर्माण कम हो रहा है छोटी कार तो ज्यादातर लोग ले सकते हैं जबकि बड़ी कार सभी नहीं ले सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार सपना सुप्रीम कार के आशय पत्र को लाईसेंस में परिवर्तित करने पर विचार करेगी ?

श्री एस० एम० कृष्ण : जब भारत सरकार इस बात से आश्वस्त हो जाती है कि आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदलने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं तब वे व्यपगत या वे रद्द हो जाते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है।

श्री सी० पी० एन० सिंह : आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदलने में विलम्ब के मामले को सम्बन्धित व्यक्तियों पर थोपा जाता है या यह सम्बन्द्ध सरकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है ? दूसरी बात यह है कि हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने हाल में इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि उत्तरी भारत विशेष रूप से उ०प्र०, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास दक्षिण भारत के अपेक्षा बहुत कम हुआ है और इस दृष्टि से अब से बाद में इनमें से कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएयेंगे । क्या आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदलने की प्रक्रिया में भी इस सिद्धान्त का अनुसरण किया जा रहा है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : आशय-पत्रों के औद्योगिक लाइसेंसों में न बदले जाने के कई कारण हो सकते हैं । यह कारण उद्यमी की ओर से भी हो सकता है और आशय पत्रों के लिए आवेदन करने वाले प्रोमोटर की तरफ से भी हो सकता है । इसलिए हम इस बारे में जो छानबीन करते हैं उसके अनुसार आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलवाने की जिम्मेदारी वित्त पोषक उद्यमी पर होती है प्रोमोटर पर नहीं । अब माननीय सदस्य इससे अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोष किसका है । दूसरी बात पिछड़े क्षेत्रों के बारे में है । मैंने अभी कुछ आंकड़े दिए थे ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैंने "पिछड़े क्षेत्रों" का जिक्र नहीं किया । मैंने तो केवल प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की बात कही है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : आपने उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नाम लिए हैं ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैंने केवल उत्तरी राज्यों का उल्लेख किया हैं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : राज्यों की पूरी सूची मेरे पास है । 1974 से 1979 के बीच और बाद में 30.6.1984 तक उत्तर प्रदेश को 345 आशय पत्र जारी किए गए । इनमें से लगभग 33 प्रतिशत अर्थात् 115 आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंसों में बदले गए, 56 प्रतिशत अर्थात 203 रद्द या व्यपगत और लगभग 20, जो 7.5 प्रतिशत बैठते हैं, अभी विचाराधीन हैं । गुजरात महाराष्ट्र और अंशतः कर्नाटक जैसे राज्यों में आशय पत्रों के औद्योगिक लाइसेंसों में बदले जाने की प्रतिशतता अधिक है । यह प्रतिशतता विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या प्रधान मन्त्री के वक्यव्य के अनुसार उत्तर भारत के उपेक्षित क्षेत्रों की इस मामले में प्राथमिकता दी जा रही है ? क्या यह सभी राज्यों पर लागू किया जा रहा है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमन्त्री के वक्तव्य लाइसेंस को सभी राज्यों को और आशयपत्र दिए जाने के बारे में, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के समान रूप से लागू किया जा रहा है । सरकार का दायित्व उद्योगों का विकास करना है ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि जब यह बात स्वीकार कर ली गई है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उदाहरण के लिए छतरपुर और टीकमगढ़ जिले तो औद्योगिक पिछड़े जिलों की लिस्ट में मौजूद हैं, जहां कोई उद्योग अभी तक नहीं खुला है। हमारी प्रधानमन्त्री जी ने भी बार-बार आश्वासन दिया है कि अद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को उद्योग स्थापित करते समय प्राथमिकता दी जाएगी, क्या लाइसेंस देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो इलाके ज्यादा पिछड़े हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए।

श्री एस० एम० कृष्ण : महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़ सरकार अपनी ओर से उद्योग नहीं लगाती है, लेकिन जब भी प्रोमोटर उद्योग लगाने के लिए समाने आता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके लिए उचित परिस्थितियां अनुकूल वातावरण और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे, जिससे वह उद्योग विकसित हो सके। यदि मध्य प्रदेश के कुछ उद्यमी आगे आयेंगे तो उन्हें भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

गुजरात में पोलियो के कारण मौतें

*276. **श्री जगपाल सिंह† :**

श्री जयपालसिंह कश्यप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में 10 जुलाई, 1984 तक पोलियो के कारण लगभग 500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और यदि हां, तो इस बीमारी के स्थायी इलाज के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की है ;

(ख) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार पोलियो से मरने वालों के आश्रितों को 50,000 रुपये की सहायता देने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार गुजरात में जनवरी और जून, 1984 के दौरान पोलियो से तीन मौतें हुई। मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि गुजरात सरकार से मिली इन्फार्मेशन के अनुसार पोलियो से मरने वाले लोगों की संख्या सिर्फ तीन है, जबकि दैनिक अखबार "जनसत्ता" में जो रिपोर्ट गुजरात के सम्बन्ध में छपी है···

अध्यक्ष महोदय : आप जनसत्ता को क्यों कोट रहे हैं…

श्री जगपाल सिंह : जनसत्ता के अलावा गुजरात के साथियों और अफसरों से बातचीत के जरिए जो इन्फार्मेशन मुझे मिली है, उसके अनुसार वहां 500 से कम मरने वालों की संख्या नहीं है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि गुजरात में एकदम से इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हैं, क्या सरकार ने उसकी कोई जांच कराई है, यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को कुछ कनफ्यूजन हो गया है। सवाल उन्होंने पोलियो के लिये पूछा है और सूचना किसी ओर डिजीज के लिए दे रहे हैं मेरे विचार से माननीय मन्त्री जी भ्रम में हैं शायद वह किसी अन्य रोग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले उन्हें इस बारे में स्वयं ही स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक पोलियो का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने आंकड़े दिये हैं। यह तो उनको समझना चाहिए। 500 जो मरे हैं वह पोलियो से नहीं मरे हैं। पोलियो से जो मरे हैं 1982 में 7, 1983 में 10 और 1984 जून तक 3 मरे हैं।

एक माननीय सदस्य : पोलियो नहीं पीलिया।

श्री जगपाल सिंह : हालांकि पीलिया से सम्बन्धित प्रश्न था लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया है पोलियो में।

श्री मनीराम बागड़ी : लिखने वाले सारी गलती कर देते हैं।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, देश के किसी भी प्रदेश में इस तरह की बीमारी फैल जाती है तो मैंने सवाल किया था कि क्या सरकार उनके आश्रितों को कुछ वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ? इसका जवाब नहीं आया। लेकिन भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर अगर देश में इस तरह की बीमारी फैल जाती है तो क्या भारत सरकार का वित्तीय सहायता का प्रावधान भविष्य में है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मैंने जवाब में कहा है कि जहां तक पोलिया का सम्बन्ध है कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि आर्थिक सहायता दी जाय।

श्री राकेश कुमार सिंह : कोई औषधि की सुविधा देने वाली बात है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे पूछ सकते हैं सवाल।

डा० वी० कुलनदेईवेलु : माननीय मंत्री यह कह रहे थे कि मौतें पोलियों से नहीं हुई हैं बल्कि पीलिया रोग से हुई हैं। पीलिया रोग भी अपने आप में एक विषाणुक रोग है और यह दूषित जल के प्रयोग से होता है। इससे पहले प्रश्न में हमने जल से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की

है । यहां मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं । वास्तव में अब हम सुरक्षित (शुद्ध) पेयजल प्रदान करने की समस्या पर विचार कर रहे हैं । यह बड़े शर्म की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्ष पश्चात् और 6 पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद भी हम शुद्ध पेय जल उपलब्ध करने का विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता । यदि इस विषय पर गंभरीता से विचार-विमर्श करना है तो क्या मन्त्रालय ने सरकार से इस विषय पर बातचीत की है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के विषय को इस मंत्रालय के अन्तर्गत लिया जाये ।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : मेरे माननीय मित्र एक डाक्टर हैं और वह पोलियो और पीलिया रोग में अन्तर को भली-भांति समझते हैं । दोनों ही विषाणुक रोग हैं। हमने पोलियो रोग को राष्ट्रीय रोग मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया है और हम नवजात शिशु को पोलियो का टीका लगाते हैं । जहां तक पीलिये का सम्बन्ध है यह बहुत हद तक सामुदायिक स्वच्छता पारिवारिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर निर्भर करता है । यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो उन्हें अलग से इसके लिए नोटिस देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में दवाइयों और कर्मचारियों की कमी

*269. **श्री छांगुर राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप-नगरीय क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चल रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में दवाइयों की कमी है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन औषधालयों में कर्मचारियों की भी कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) गुड़गांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के सिवाय इन औषधालयों में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है । यह पद जल्दी ही भरा जा रहा है ।

पटना से मद्रास तक एक सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

*270 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से मद्रास तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की मांग की गई है और इसकी आवश्यकता भी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटना से मद्रास तक एक सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को किस मार्ग से चलाया जायेगा तथा इसे कब तक शुरु करने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पटना तथा मद्रास के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं लेकिन इन स्थानों के बीच प्राप्त होने वाले यातायात की मात्रा इतनी नहीं है जिससे एक सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य बन सके।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल-कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

*273. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल-कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत बोनस की अदायगी के प्रश्न पर सरकार की चुप्पी के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) में दिये गये उपबंधों के अनुसार बोनस अधिनियम रेलों पर लागू नहीं होता। तदनुसार, यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में नियोजित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बहरहाल, रेल मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की एक योजना अपनायी है जिसके अनुसार विगत में 1982-83 तक भुगतान किया गया है और स्वाभाविक रूप से वर्ष 1983-84 के लिए भी इस मामले पर सक्रिय रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

देश में मेडिकल शिक्षा को नया रूप देने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

*277. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पूरी मेडिकल शिक्षा को नया रूप देने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और इसमें आवश्यक परिवर्तन लाने के सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 2981 में एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति गठित की थी। पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद एक शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त की गयी थी जिसने अब अपनी रिपोर्ट विचारार्थ तथा उचित कार्यवाही के लिए सरकार को दे दी है।

भारत फेस्टीवल्स के लिये नन्दी की मूर्ति का चयन

*287. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व महत्व की मूर्तियों, स्थानों और पुरावशेषों के संरक्षण और परिक्षण के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं ;

(ख) विदेशों में आयोजित भारत फेस्टीवल्स के लिए चुनी गई नन्दी की मूर्ति मूलत : किस स्थान से प्राप्त की गई है ; और

(ग) पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को एकत्र करने के लिए इस समय क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रायलों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पुरातत्व महत्व की मूर्तियों, स्थानों और पुरावशेषों के संरक्षण और परिक्षण के लिए किए गए विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं :

(1) उत्कृष्ट ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्मारकों, स्थलों तथा अवशेषों को, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वी स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित करके उन्हें संरक्षण प्रदान करना।

(2) संरक्षित स्मारकों/स्थलों/अवशेषों की पुरातत्वीय सिद्धांतों के अनुसार मरम्मत करके उनका परिरक्षण तथा चोरी और कलाकृतिध्वंसन को रोकने के लिए उपयुक्त पहरे और निगरानी की व्यवस्था सहित उनका रख-रखाव।

(3) अबद्ध और स्वस्थाने मूर्तियों का प्रलेखन तथा अबद्ध मूर्तियों को स्थल संग्रहालयों/मूर्ति शेड/भडारों में रखना।

(4) महत्वपूर्ण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों में सशस्त्र पुलिस पहरेददारों की व्यवस्था करना।

(5) पुरावशेष और कला भंडार अधिनियम, 1972 के उपबन्धों को लागू करना।

(ख) लंदन में आयोजित भारत उत्सव में भारत द्वारा नन्दी की कोई मूर्ति नहीं भेजी गई थी।

(ग) पुरातत्व महत्व की वस्तुएं, अन्वेषण, उत्खनन/शोधन और अकस्मात खोज की कार्यवाही के माध्यम से, प्राप्त की जाती हैं। ये वस्तुएं पारस्परिक आदान-प्रदान, ऋणों, उपकारों और सीमाशुल्क विभाग तथा पुलिस के माध्यम से जब्ती करके एकत्र की जाती हैं।

सिंगापुर में मारुति कारों की अनधिकृत बुकिंग

*279. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री बाबूराम परांजपे : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंगापुर में एक आटोमोबाईल डीलर ने अनिवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर मारुति कारों की अनधिकृत बुकिंग सुविधा की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने मारुति कारों के प्रत्याशी खरीददारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव): (क) तथा (ख) मैसर्स कारमार्ट मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, सिंगापुर के पत्र शीर्ष वाला एक परिपत्र जिसमें मारुति-800 डीलक्स कारों के लिए बुकिंग आमंत्रित की गई थी, मारुति उद्योग लिमिटेड की जानकारी में आया है। इस परिपत्र के अनुसार मैसर्स कारमार्ट द्वारा 20 अप्रैल, 1984 से 25 मई, 1984 तक बुकिंग जारी रखी गई थी। कार का कुल मूल्य 10,500 अमरीकी डालर दिया गया था जिसमें से 2,500 अमरीकी डालर कार की बुकिंग हेतु आवेदन के साथ भेजे जाने थे। यह बताया गया था कि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा सीधे ही दिल्ली में कारें डिलीवर की जाएंगी। यह परिपत्र अनधिकृत था।

(ग) इस परिपत्र की प्राप्ति पर मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा यह मामला सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त की जानकारी में लाया गया था। उनसे इस विषय में एक प्रेस रिलीज जारी करने और मारुति उद्योग लिमिटेड की लागत पर एक अदा किया हुआ विज्ञापन जारी करने का

अनुरोध किया गया है जिससे इस परिपत्र के अनधिकृत होने के बारे में जनता को सावधान किया जा सके।

मैडिकल शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय

*280. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की ओर कार्षित किया गया है ;

(ख) क्या इंडियन मेडीकल एसोसिएशन ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यार्थियों के चयन में इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने की दृष्टि से देश में एक मात्र मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एम० बी० बी० एस० प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एक गलती हुई है।

(ख) सरकार को ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी सुविधाओं की अपर्याप्तता

*281. **श्री अमल दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी सुविधाओं की अपर्याप्ति तो के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा एक अस्पताल का सर्जन करके कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रस्ताव के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार

की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में आगे और सुधार करने के लिए समय-समय पर अनुरोध और सुझाव मिलते रहे हैं ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के मेयो अस्पताल को अपने नियंत्रण में ले लिया है और भारत सरकार ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना के लाभार्थियों को बेहतर सुविधायें सुलभ करने के लिए उसमें उपलब्ध सुविधाओं और आधारभूत ढाचे का इस्तेमाल करें। इस पर पूरे विवरण तैयार हो जाने के बाद सोचा जाएगा ।

ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए नए उपाय

*282. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों का आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों के साथ सम्पर्क नहीं जुड़ा हुआ है और ये उद्योग संसाधनों का उपयोग करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में असफल रहे हैं; और

(ख) ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वियन में समेकित दृष्टिकोण लाने हेतु सरकार का विचार क्या नये उपाय करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) ग्रामीण उद्योग मुख्य रूप से स्थानीय संसाधन पर आधारित हैं तथा उनके संचालन के स्तर निर्धारण में स्थानीय कौशल तथा स्थानीय बाजार को ध्यान में रखा जाता है । छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 9.20 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1982-83 के अन्त तक 4.18 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार पहले से ही सृजित किए जा चुके हैं । इस क्षेत्र में कुल रोजगार, जो 1980-81 में 30.16 लाख व्यक्ति था, वर्ष 1983-84 के अन्त तक बढ़कर 36.85 लाख व्यक्ति हो जाने की आशा है ।

सरकार एक मुश्त सेवाओं में समर्थन प्रणालियों, प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा बाजार समर्थन प्रदान करके ग्रामीण औद्योगीकरण की समस्या के लिए एक समन्वित दृष्टि कोण अपनाने का निरंतर प्रयास कर रही है । ग्रामीण विकास के लिए एक अलग शीर्ष बैंक (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) की स्थापना की गई है, जिससे कल्याण उद्योगों को आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेगा । सातवीं योजना के लिए लघु उद्योगों से सम्बन्धित कार्यकारी दल व्यापक अभ्युपायों को अन्तिम रूप दे रहा है ताकि लघु क्षेत्र की विकास क्षमता में गुणात्मक सुधार किया जा सके जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी ।

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के लिए स्वः रोजगार की एक योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उद्योग, सेवा तथा व्यापार क्षेत्र के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वः रोजगार प्रदान करना है ।

सेवा आयोग से राय लिए बिना पूर्व, उत्तर सीमांत और दक्षिण पूर्व रेलवे में श्रेणी-III के कर्मचारियों की भर्ती

*283. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा आयोग से राय लिए बिना पूर्व रेलवे, उत्तर सीमांत रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में श्रेणी III के पदों पर सीधे भर्ती की गई है और यदि हां, तो अब तक इस प्रकार कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है;

(ख) किस अधिकारी के आदेशों से यह सीधी भर्ती की गई और इसके क्या कारण हैं खासतौर पर जब सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था; और

(ग) क्या श्रेणी iv और श्रेणी III के पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध इस बीच हटा दिया गया है और यदि हां, तो कब और इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) यद्यपि भारतीय रेलों पर ग्रुप "सी" (श्रेणी-III) के पदों की भर्ती सामान्यतः रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है, किन्तु, प्रचलित नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के मामलों में एक सीमित सीमा तक, ग्रुप "सी" (श्रेणी III) के पदों पर रेल प्रशासन द्वारा स्वयं सीधी भर्ती करने की व्यवस्था है :—

(1) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करना

(2) उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती

(4) रेलवे के स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती

(5) कुशल कारीगरों की भर्ती

(6) जब कभी रेल सेवा आयोग कुछ कोटियों और/या कुछ क्षेत्रों में समय-समय पर उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार प्राप्त करने में असफल रहता है तो विशिष्ट मामलों में, रेल मंत्रालय के अनुमोदन से भर्ती कर ली जाती है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण पूर्व रेलों पर ग्रुप "सी"

(श्रेणी III) के पदों पर कुछ सीमा तक रेल प्रशासनों द्वारा सीधी भर्ती स्वयं कर ली गयी होगी।

(ग) एक सीमित अवधि के लिए राष्ट्रीय राजकोष से होने वाले खर्च को कम रखने के हित में समग्र किफायत सुनिश्चित करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में, कुछ उपवादों को छोड़कर चालू कैलेण्डर वर्ष में 30 सितम्बर, 1984 तक कोई नयी भर्ती नहीं की जा रही है इस अवधि के समाप्त होने पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

जेलों में कष्ट पा रहे बच्चों के संबंध में राज्यों को मार्गदर्शन

*284. श्री धर्मदास शास्त्री :

श्री के० लकप्पा : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रस" में "चिल्ड्रन लैंगुइशिंग इन जेल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत और निर्देश भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों और निर्देश का ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार जिलों में कष्ट पा रहे बच्चों के जीवन को बचाने के लिए और क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाल अधिनियम के कार्यन्वयन तथा प्रवर्तन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। सभी जिलों में बाल अधिनियमों की सेवाओं में विस्तार करने की आवश्यकता और वर्तमान सेवाओं में सुधार करने के लिये भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ताकि बच्चों को जेलों में न रखा जाए। भारत सरकार इस मामले में राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है।

महिलाओं में निरक्षरता

*285. श्री अमर सिंह राठवा : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महिलाओं में विशेषकर अदिवासी क्षेत्रों में, निरक्षरता अब भी एक बहुत बड़ी समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : सरकार महिलाओं में, विशेष कर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में निरक्षरता सम्बन्धी समस्या से परिचित है ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :—

1. राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग अर्थात महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए विशेष बल देने के लिए अनुरोध किया गया है।

2. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से इस बात को सुनिश्चित्त करने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम50% विद्यार्थी महिलाएं ही हों। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में वर्ष 1984-85 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दाखिल करने का लक्ष्य क्रमशः 30%. और 15%. निर्धारित किया गया है।

3. मुख्य रूप से, उन ग्रामीण तथा अदिवासी क्षेत्रों में, जहां साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत कम है, प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं आरम्भ करने के लिये प्राथमिकता दी जाती है।

4. राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र यथा सम्भव अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में ही खोले जाएं।

5. केवल महिलाओं के लिए साक्षरता केन्द्र चलाये जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने हेतु, सहायता अनुदान के नियमों में ढील दी गई है ताकि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को वर्तमान 15 केन्द्रों को चलाने के बजाय, महिला शिक्षार्थियों के लिए कम-से-कम 5 केन्द्र चलाने की अनुमति दी जाए।

6. राज्य सरकारो/संघ शासित क्षेत्रों से इस बात को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि जो प्रौढ़ साक्षर बन चुके हैं वे पढ़ाई लिखाई भूल न जाएं और नव-साक्षरों के लिए, साक्षरता के बाद के विशेष प्रस्ताव आरम्भ किया जाए ।

7. जयजातीय विकास उपयोजना के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पृथक निधियों की व्यवस्था की जा रही है।

8. महिलाओं के साक्षरता को बढ़ावा देने के बिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और समेकित बाल-विकास सेवाओं आदि जैसे कार्यक्रमों में व्याप्त सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाया गया है। सभी विद्यमान समेकित बाल-विकास सेवाओं में प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता की व्यवस्था है। वर्ष 1983-84 में समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम में लगभग 4 लाख प्रौढ़ महिलाएं दाखिल की गई हैं।

9. समाज के वंचित वर्गों से सम्बन्धित 9-14 आयु-वर्ग के बच्चों को अवसर प्रदान करने लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर, गैर औपचारिक शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजना आरम्भ की गई है। लड़कियों के संविधत दाखिलों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान इस योजना को उदार बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत मात्र लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों को 90 : 10 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. एक प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है और जिसके अन्तर्गत वर्ष के दौरान महिलाओं के लिये प्रौढ़ साक्षरता में उत्कृष्ट काम के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र स्तर के पुरस्कार, जिला स्तरके पुरस्कार, और राज्य स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और गैर-औपचारिक शिक्षा दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लड़कियों के दाखिले के लिए पुरस्कारों की इसी प्रकार की योजना पहले से चल रही है।

बंगलौर स्थित व्हील और एक्सल संयंत्र के लिये बिजली की सप्लाई

*286. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार बंगलौर में व्हील और एक्सल संयंत्र के लिए बिजली की सप्लाई करने हेतु सहमत हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार व्हील और एक्सल प्लांट फैक्टरी के लिए बिजली की सप्लाई हेतु सहमत हो गई थी ; और

(ख) क्या बिजली की सप्लाई के लिये केरल सरकार की शर्तें कर्नाटक सरकार की शर्तों की तुलना में बेहतर हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी हां। पहिया और धुरा संयंत्र के के लिये आवश्यकता की तुलना में स्थानीय रूप से बिजली की उपलब्धता में जो कमी हो उतनी को ही पूरा करने के लिये, लेकिन व्यस्त कालिक लोड और अन्य बचनबद्धताओं के अध्यधीन।

(ख) जी हां। लेकिन सप्लाई की सीमा उनकी उपलब्धता की तंगी और बर्तमान बिजली की कटौती के अनुसार होगी।

(ग) बिजली की सप्लाई के लिये शर्तों और दर सूची को अन्तिम रूप देने के बारे में कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

महाराष्ट्र में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा

*287. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन-किन जिलों को औद्योगिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) क्या अमरावती जिले को जिसका एक तिहाई क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और जो बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार इसे पिछड़ा हुआ जिला घोषित करके वहां पर उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों को विभिन्न केन्द्रीय प्रोत्साहनों की पात्रता के लिये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है :—

वर्ग—"क"	—	कोई नहीं ।
वर्ग—"ख"	—	रत्नागिरि, औरंगाबाद तथा चन्द्रपुर
वर्ग —"ग"	—	भंडारा, भीर, बुलढ़ाना, कोलाबा, धूलिया, जलगांव, नाडेड, उस्मानाबाद, परबनी तथा यवतमाल

(ख) : अमरावती जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं माना गया है ।

(ग) और (घ) : अमरावती को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का सब तक पहुंचाया जाना

*288. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ख) उसमें से केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) प्राथमिक शिक्षा सहित, प्रारम्भिक शिक्षा सबको सुलभ करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयारी की गई योजना के अनुसार वर्ष 1983-84 से वर्ष 1989-90 तक की अवधि के दौरान 721.21 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित है।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निधियों की व्यवस्था राज्य वार्षिक योजनाओं में की जाती है जिन्हें योजना आयोग और शिक्षा मंत्रालय से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश को विशेष योजनाओं के लिये अब तक 360.68 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रूप रेखा को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

महिला उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की योजनाएं

*289. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला उद्यमियों और भावी महिला उद्यमियों को भूमि ऋण और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) क्या उन्हें अवसर प्रदान करने और उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन देने और उनके परिणामस्वरूप देश के विकास कार्यक्रमों में उनको शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) क्योंकि भूमि, ऋण तथा अन्य सहायताओं की कमी है इसलिए महिलाओं सहित सभी उद्यमियों को इनकी प्राप्ति में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। किन्तु फिर भी, जहां तक संभव हो इन कठिनाइयों को न्यूनतम करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है

सिरोही (राजस्थान) में उद्योगों की स्थापना

2611. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सिरोही जिले में 1 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी से कितने उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) ये उद्योग किस कच्चे माल पर आधारित होंगे और उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उद्योग लगाने की पेशकश की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) राजस्थान के सिरोही जिले में एक करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी वाले उद्यगों की स्थापना हेतु 1981-84 (जून तक) सात आशय पत्र जारी किए गए हैं।

इन आशायपत्रों के नाम, उत्पादन की वस्तु, क्षमता तथा स्थापना स्थल आदि के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

स्व-रोजगार योजना से राज्यों का सम्बद्ध किया जाना

2612. **श्री सुधीर गिरि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-रोजगार योजना के संबंध में राज्य सरकारों को सम्बद्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना देश में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लागू की जा रही है जो राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

संगीत नाटक अकादमी सेवा उप-नियम

2613. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1653 में सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है तथा वर्ष 1964 में सरकार द्वारा विधिवत्‌ रूप से स्वीकृत, अपने कर्मचारियों के लिए इसके अपने सेवा उपनियम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा उपनियमों और नियमों तथा विनियमों के किसी भी खंड में परिवर्तन करने के लिए इस संस्था के ज्ञापन पत्र के खंड 3 (छब्बीस) के अनुसार सरकार की स्वीकृति आवश्यक है तथा यथानुसार कर्मचारियों को भी सूचित किया जाना होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार की स्वीकृति के बिना अकादमी के सेवा उपनियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं तथा कर्मचारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संगीत नाटक अकादमी, जो एक स्वायत्तशासी संगठन है, ने ऐसे एक मामले की सूचना दी है जब उन्होंने 1973 के दौरान अपने अधिकारों के अन्दर सेवा उप-नियमों को परिवर्तित किया। यह परिवर्तन लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। चूंकि लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती का प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है, अतः इस स्तर पर इस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

खाद्यान्नों को रेल के खुले डिब्बों में भेजा जाना

2614. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आमतौर पर राज्यों को खाद्यान्न रेल के खुले डिब्बों में भेजे जाते हैं जो कि वर्षा के कारण भीग जाता है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहता हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेल के खुले डिब्बों में खाद्यान्न भेजना बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) खाद्यानों की ढुलाई सामान्यतः बन्द माल डिब्बों में की जाती है जिनकी आवश्तकता सीमेंट उर्वरक जैसी अन्य महत्व-पूर्ण मदों के लिए भी होती है। बहरहाल, चल स्टाक के इष्टतम उपयोग के लिए तथा कतिपय क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के खाली माल डिब्बों के क्रास-चालन से बचने के लिए रेलें खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए कुछ खुले माल डिब्बे भी प्रस्तुत कर देती है। ऐसी ढुलाई केवल साफ मौसम वाले दिनों में ही की जाती है। इसके अलावा जब कभी खाद्यान्नों के लदान के लिए खुले माल डिब्बे सप्लाई किए जाते हैं तो इन माल डिब्बों को तिरपालों से भी ढका जाता है और ढुलाई ब्लाक भारों में की जाती है तथा मेद्य क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा इनका मार्ग-रक्षण किया जाता है।

चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से चलाई जा रही फैक्ट्रियां

2615. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चेकोस्लावाकिया के ससयोग से सौ फैक्ट्रियां चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(ग) लाभ और हानि मे चलन वाल उद्यागा का अलग-अलग ब्योरा क्या है, और

(घ) दोनों देशों के बीच सहयोग का आधार क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) 1969 से जून,

1984 तक चेकोस्लोवाकिया के साथ विदेशी सहयोग की 48 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है। भारतीय और विदेशी फर्मों के नामों, विनिर्माण की वस्तु तथा सहयोग के सदस्य को दिखाने वाले सभी स्वीकृत विदेशी सहयोग के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" के परिशिष्टक से त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। इन कंपनियों द्वारा हुए लाभ-हानि के ब्यौरे, यदि कोई हों, केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) दोनों देशों के बीच सहयोगों की स्वीकृति उत्पादन सम्बन्धी प्रोद्योनिकी, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन के क्षेत्रों में महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती हैं।

भारत में कागज की कमी

2616. **श्री के. मालन्ना** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज और गत्ता उद्योग में वस्तुतः स्थिरता आ गई है जिसके परिणामस्वरूप भारत में कागज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो पहले ही कम है और कम हो जाने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) कागज तथा गत्ता बनाने की अधिष्ठापित क्षमता जो 1980 में 15 लाख मी० टन थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़ कर 24 लाख मी० टन हो जाने की संभावना है। पर्याप्त क्षमता की स्थापना किए जाने के अलावा कागज उद्योग को विभिन्न राजकोषीय रियायतें भी दी गई हैं तथा अवस्थापना सम्बन्धी सहायता में भी सुधार किया गया है।

विभिन्न राज्यों को ज़ारी किये गये औद्योगिक लाइसेन्स

2617. **श्री अजित बाग** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक वर्ष वार कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं ; और

(ख) इस अवधि के दौरान वर्ष वार निम्नलिखित राज्यों को इन कुल औद्योकि लाइसेंसों का कितना-कितना भाग (औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या तथा कुल का प्रतिशत) प्राप्त हुआ:- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) 1980-81

से 1983-84 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या वर्षवार तथा उसमें बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों का अंश नीचे दर्शाया गया है.-

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
समग्र भारत	संख्या/प्रतिशत	संख्या/प्रतिशत	संख्या/प्रतिशत	संख्या/प्रतिशत
कुल	463	530	516	1042
पश्चिम	25	38	23	84
बंगाल	(5.4)	(7.2)	(4.5)	(8.1)
महाराष्ट्र	104 (22.5)	127 (24.0)	101 (19.6)	166 (15.9)
गुजरात	80 (17.3)	91 (17.2)	67 (13.0)	114 (10.9)
हरियाणा	23 (5.0)	18 (3.4)	27 (5.2)	64 (6.1)
तमिलनाडु	42 (9.1)	42 (7.9)	43 (8.3)	68 (6.5)
कर्नाटक	34 (7.3)	30 (5.7)	46 (8.9)	58 (5.6)

आल इंडिया स्माल पेपर मिल एसोसियशन द्वारा ज्ञापन दिया जाना

2618. **श्री मोहम्मद इस्राइल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इन्डिया स्माल पेपर मिल्स एसोसिएशन, बम्बई, की ओर से सचिव, उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली को संबोधित दिनांक 3 जुलाई, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संघ की मांगें और सुझाव क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) जी, हां।

एसोसिएशन ने कागज तथा गत्ते के विनिर्माण के लिए आयात की जाने वाली काष्ठ लुगदी पर उत्पादन-शुल्क में पूर्णतः छूट देने का अनुरोध किया है। ऐसासिएशन ने यह भी सुझाव दिया है कि लुगदी के आयात पर शुल्क में छूट केवल उन कागज तथा गत्ते के एककों को दी जाए जो कागज की सामान्य श्रेणियां बनाते हैं तथा जिनके अपने बांस अथवा काष्ठ लुगदी संयंत्र नहीं हैं।

(ग) सरकार इस मामले में काष्ठ लुगदी की आवश्यकताओं, घरेलु क्षमता आयात पर बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेगी।

"हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन" में हानि

2619. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन" को पिछले कई वर्षों से भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो हानि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) "हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन" के प्रबंध में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या औद्योगिक अशान्ति और वित्तीय बाधाएं भी इसमें हुई हानि का कारण है ;

(ङ) यदि हां, तो 1980 से आज तक हुई मानव दिवसों की हानि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(च) "हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन" द्वारा महसूस की जा रही वित्तीय कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधार किए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों में भारी इन्जीनियरी निगम को हुई हानि नीचे दी जाती है:—

(करोड रु० में)

वर्ष		हानि
1979-80	(—)	34.78
1980-81	(—)	51.31]
1981-82	(—)	22.82

1982-83	(—)	47.96	
1983-84	(—)	48.64	(प्रत्याशित लेखा परीक्षाधीन)

हानियां मुख्य रूप से कम उत्पादन तथा उत्पादकता, कुछ कार्य भार केन्द्रों में संतुलित कार्यभार की कमी और अलाभकारी क्रयादेश, अपर्याप्त और अनियमित बिजली सप्लाई, कार्य संचालन पूंजी की कमी और असंतोषजनक औद्योगिक सम्बन्धों के कारण हुई थी।

(ग) अन्य उपायों के साथ-साथ शीर्षस्तर पर प्रबंधकों का एक सुदृढ़ और कर्मठ दल नियुक्त करने, बिजली की पर्याप्त सप्लाई का सुनिश्चय करने, उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से औद्योगिक सम्बन्धों और अनुशासन में सुधार करने, कम कार्यभार वाले केन्द्रों का पता लगाने और उचित क्रयादेश प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास करने, कार्य संचालन पूंजी के लिए योजनेतर ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। मानव दिवसों की हानि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	मानव दिवसों की हानि
1980	919
1981	1037
1982	1278
1983	9
1984	कोई नहीं (जून तक)

(च) कम उत्पादन और हानियों के कारण भारी इन्जीनियरी निगम को नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वित्तीय सहायता दी है और वित्तीय राहतें भी दी हैं जैसे ऋणों के पुनर्भुगतान को स्थगित करना। कम्पनी ने भी धन की आवश्यकताओं में कमी करने के लिए और ग्राहकों से बकाया राशियों की वसूली में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत में खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों तथा आयात का उत्पादन

2620. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मन्त्री खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों के आयात के बारे में 11 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों से गैस के सिलेन्डरों का आयात किस सीमा तक किया जाता है; और

(ख) 422. एककों में से कितने यूनिटों ने वर्ष 1983-84 के दौरान अपनी-अपनी क्षमताओं और कुल देशीय उत्पादन में कितनी वृद्धि की ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) चालू वर्ष में ब्राजील से 8 लाख एल०पी००जीसिलेन्डरों का आयात किया जा रहा है।

(ख) 1983-84 के दौरान जिन एककों को पंजीकृत किया गया है उन्हें अभी उत्पादन प्रारम्भ करना है और इस प्रकार अब उनकी क्षमता में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता। संगठित क्षेत्र में एल०पी०जी० सिलेन्डरों का उत्पादन वर्ष 1983 में 19.46 लाख है।

सुरेन्द्र नगर-भावनगर लाइन को बदलना

2621. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में सुरेन्द्र नगर से भावनगर तक रेलमार्ग की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास भावनगर-सुरेन्द्र नगर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यह काम कब तक शुरू करने और पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी) : (क) 167 कि. मी.

(ख) जी नहीं।

(ग) संसाधनों की वर्तमान तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

भाप इंजनों को डीजल इंजन के रूप में बदलणा

2622. **श्री के. प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय सातवीं योजना के दौरान कोयले से चलने वाले सभी इंजनों को डीजल इंजनों में परिवर्तित करने की संम्भावनाओं का सक्रियता से अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा;

(ग) भाप के कितने इंजनों को काम से हटाया जायेगा और तथा इनको किस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा; और

(घ) क्या इंजनों के परिवर्तन के इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व डीजल की अपेक्षित मात्रा की स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है तथा इसका रेलवे की वैगनों तथा यात्री डिब्बों की वापसी की प्रतिशतता में वृद्धि तथा इसके वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मन्त्री (श्री एo बीo एo गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। सातवीं योजना के दौरान समूचे भाप इंजन बेड़े को डीजल/बिजली इंजनों से बदलना सम्भव नहीं हो पायेगा।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में हिजड़ों की भौंडी जीवन दशा

2623. **श्री एन०ई० होरो** : क्या समाज कल्याणमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माता-पिता द्वारा न अपनाये गये और समाज द्वारा उपेक्षित दिल्ली में हिजड़ अपनी ही भौंडी दुनिया में रह रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्यण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) एक विवरण संलग्न है ।

(क) से (ग) समाज कल्याण मन्त्रालय ने दिल्ली में हिजड़ों के अध्ययन नामक एक अध्ययन प्रायोजित किया था। यह अध्ययन दिल्ली समाज कार्य स्कूल, दिल्ली द्वारा 1981-82 में किया गया था जिसमें प्रो० एस. एन. राणाडे परियोजना निदेशक थे, यह अध्ययन केवल दिल्ली के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था और इसके कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

— हिजड़ों का एक बन्द समुदाय है। अपने समुदाय से बाहर लोगों के साथ उनका सम्पर्क बहुत ही सीमित होता है। लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं और सामान्यत: उनसे दूर रहने का ही प्रयत्न करते हैं।

— हिजड़े जन्म देने वाले अपने परिवारों को शिकायत की निगाह से देखते हैं।

— हिजड़ अपने झगड़ों का अपने आप ही निपटान करते हैं और वे शिकायर्ताकओं के रूप में पुलिस के पास नहीं जाते ।

— हिजड़ बधाई के रूप में नृत्य और संगीत के माध्यम से मुख्यत : अपनी जीविका कमाते हैं। इसके अलावा, कुछ हिजड़े भिक्षा-वृत्ति और वेश्यावत्ति के कार्य में लगे हुए हैं।

सुपर फस्ट गाड़ियों को खम्माम स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करना

2624. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपरफास्ट गाड़ियों का आन्ध्र प्रदेश में खम्माम स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं जिसे खम्मास स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण सुपरफास्ट गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चिकत्सा सेवाओं में कि सुधार

2625. **श्री ए०के०राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1917 से मार्च, 1984 तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये सहायक चिकित्सा अधिकारियों (श्रेणी दो) की संख्या उनकी सेवा अवधि तथा उन्हें मिलने वाले लाभों और विशेषाधिकारों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियमों के अनुसार इन सहायक चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को वर्षों तक तदर्थ आधार पर जारी रखने की अनुमति है;

(ग) 1971 से 1983 तक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये गये सहायक चिकित्सा अधिकारियों श्रेणी एक की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने चिकित्सा अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया;

(घ) उनके सेवा से त्यागपत्र देने के कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिनके खराब होने का मुख्य कारण बड़ी संख्या में सहायक चिकित्सा अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति है जिनका कोई भविष्य नहीं है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर राज्यों के अदिवासी छात्रों का दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जाना

2626. **डा०आर० रोथुआमा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के कितने अदिवासी क्षेत्रों ने जवाहरलाल नेहरू तथा दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली के अनेक कालेजों में शैक्षिक सत्र 1984-85 के लिए दाखिला लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर आदिवासी राज्यों के छात्रों के लिये दिल्ली के विश्वविधालयों/कालिजों में दाखिला देने के लिए आरक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कोल): (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यलय अनुदान आयोग/सरकार को मागदर्शी रूप रेखाओं में, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.50 %. स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है उत्तर-पूर्वी जनजाति राज्यों के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं है ।

डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में लगी "लेसर कगुलेटर" मशीन की मरम्मत

2627. **श्री एन०के० शेजवलकर** : क्या स्वास्थय और परिवार कल्याणमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र में रेटिना सम्बंधी रोगों के कारण रोगियों के अधे हो जाने को रोकने के लिये प्रयोग की जाने वाली लेसर फोटो कोगुलेटर मशीन कितने समय से खराब पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और उस अवधि के दौरान कितने रोगी विशिष्ट उपचार से वंचित रह गये ?

स्वास्थय और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया है कि लैसर कोगुलेटर मशीन जो एक आयातित उपकरण है, अक्तूबर, 1983 से लेकर मई, 1984 तक लगभग साढे छ: महीने खाराब पड़ा रहा ।

(ख) इस मशीन की मरम्मत कर दी गई है और यह मई, 1984 से कार्य कर रही है। हालांकि यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस अवधि के दौरान कुल कितने रोगी इस विशिष्ट उपचार से वंचित रहे, तथापि यह बताया गया कि प्रतीक्षा सूची के सभी रोगियों को वैकल्पिक उपचार प्रदान किया गया था।

रेलवे प्लेटफार्मों पर अत्यधिक भीड़-भाड़

2628. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेलवे प्लेटफार्मों पर विशेषकर महानगरों में, अत्यधिक भीड़-भाड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। प्लेटफार्मों पर अधिक भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए, प्रवेश और निकास द्वारों पर टिकट कलेक्टरों की तैनाती की जाती है। मद्रास और दिल्ली में प्लेटफार्मों पर सदाशयी यात्रियों से इतर व्यक्तियों के प्रवेश की रोक-थाम के लिए परीक्षण के तौर पर एक योजना भी चलायी गयी है।

अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्टेशन परिसरों को घेरने के विरुद्ध नियमित आधार पर अभियान भी चलाये जा रहे हैं ताकि प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ की रोकथाम की जा सके।

बड़ौदा के टीका संस्थान में डी० टी० और टी० टी० टीकों की व्यवस्था करना

2629. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से बड़ौदा के टीका संस्थान में डी० टी० और टी० टी० का टीकों की व्यवस्था करने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की अनुमति के लिए भेजे गए अन्य सुझावों के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) वैक्सीन संस्थान, बड़ौदा मे प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख खुराकों टी० टी० और डी०डी० टी० वैक्सीन के उत्पादन की परियोजना के लिए गुजरात सरकार ने भारत सरकार से 7.45 लाख रुपये (4.15 लाख रुपये का आवर्ती खर्च और 3.30 लाख अनावर्ती खर्च) की वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है।

गुजरात सरकार को छठी योजनावधि में उक्त परियोजना के वित्तीय सहायता देने में असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया गया है। वैसे, देश में वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैक्सीन उत्पादन करने वाली राज्य क्षेत्र की यूनिटों को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर इस समय सातवीं योजना बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ताकि विस्तारित रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

राज्यों में 10+2+3 प्रणाली अपनाया जाना

2630. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी शिक्षा संस्थाओं में 10+2+3 प्रणाली लागू करने वाले और प्रणाली को लागू करने के लिए सहमत होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और इसे किस-किस तारीख से लागू किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार ने शेष राज्यों को इस पर राजी करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, और

(ग) यदि हां, तो पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली (10+2+3) किस तारीख तक लागू हो जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)। (क) से (ग) निम्नलिखित 19 राज्यों और 9 संघ शासित क्षेत्रों ने 10+2 पद्धति को अपना लिया है :—

1. आन्ध्र प्रदेश, 2. असम, 3. बिहार, 4. गुजरात, 5. जम्मू और काश्मीर' 6. कर्नाटक 7. केरल, 8. महाराष्ट्र, 9. मणिपुर, 10. मेघालय, 11. नागालैंड, 12. उड़ीसा, 13. पंजाब, 14. सिक्किम, 15. तमिलनाडु, 16. त्रिपुरा, 17. उत्तर प्रदेश, 18. पश्चिम बंगाल, 19. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, 20. अरूणाचल प्रदेश, 21. चण्डीगढ़, 22. दादरा और नागर हवेली, 23. दिल्ली, 24. गोवा, दमन और दीव, 25. लक्षद्वीप, 26. मिजोरम 27. पांण्डिचेरी और 28. राजस्थान।

2. शेष सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र 10+2 पद्धति को अपनाने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गए हैं और आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा की 10+2 पद्धति में एकरूपता आ जाएगी।

मद्रास पत्तन में बड़े पैमाने पर उठाईगिरी और चोरी करने वाला गिरोह होने का आरोप

2631. **श्री एन० डेनिस** : क्या नावहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1984 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में प्रकाशित "थेफ्ट एण्ड पिलफिरेज प्लेग मद्रास पोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि मद्रास पत्तन में पत्तन न्यास कर्मचारियों की सांठगांठ से बड़े पैमाने पर उठाईगिरी और चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त गिरोह के लोग मुख्यतया जिन वस्तुओं की चोरी करते हैं, वे आयात की गई छोटी मोटी परन्तु बहुमूल्य चीजें होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउरर्हमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । इन चीजों के चोरी हो जाने की अधिक संभावना रहती है ।

(ग) मद्रास पत्तन ने सुरक्षात्मक प्रबन्ध को सुदृढ़ करने और इसमें सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीमा शुल्क विभाग की देख रेख में केन्द्रीय भंडार में महत्वपूर्ण कार्गों को रखा जाना ।

(ii) क्षतिग्रस्त पैकेजों को अपने गोदामों में रखाने के लिए स्टीमर एजेंटों को सौंपना जिसमें वे वस्तुएं रहती हैं जिनकी अक्सर टिकिया चोरी हो जाती है ।

(iii) पत्तन के सभी मुख्य निकाए द्वारों पर व्यक्तियों और गाड़ियों की जांच करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया जाना ।

दिल्ली-आगरा खण्ड का विद्युतीकरण

2632. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-आगरा खंड का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो कब और उस पर क्या लागत आयी है ;

(ख) क्या इस लाइन पर कोयले और डीजल के इंजनो के स्थान पर विद्युत इंजन लगाए गए हैं ;

(ग) इस खंड के लिए, बिजली प्राप्त करने की क्या योजना है और यदि बिजली मिलने में विलम्ब हो अथवा उसकी पूर्ति न हो तो नुकसान की पूर्ति हेतु विशिष्ट पूर्ण-निर्धारण क्या है ; और

(घ) यदि खंड में कोयले और डीजल इंजनों के स्थान पर विद्युत इंजन लगाए जाएं तो प्रतिदिन कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में कोयले और डीजल की बचत होगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिल्ली-आगारा खंड पर विद्युतीकरण के मुख्य निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और इस खंड को 25.5.1984 तक विभिन्न तारीखों में चरणबद्ध तरीके से बिजली युक्त कर दिया गया है। लेकिन कुछ सहायक निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। दिल्ली-आगरा खंड के विद्युतीकरण कार्य पर, जो कि दिल्ली-झांसी खंड की बिजलीकरण परियोजना का भाग है, लगभग 58.14 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) इस खंड पर दोनों दिशाओं में दो-दो माल गाड़ियों पर डीजल इन्जनों की जगह बिजली इन्जन लगा दिये गये हैं और दोनों दिशाओं में अन्य 8 गाड़ियों में ऐसे इन्जनों के बदलाव की तैयारी हो चुकी है। डीजल तथा भाप से चलने वाली अन्य सभी गाड़ियों के बिजलीकरण की चरणबद्ध योजना बनायी गयी है।

(ग) इस खंड के लिए बिजली की सप्लाई दिल्ली बिजली प्रदाय संस्थान, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जायगी जिन्होंने बिजली कर्षण के लिए बिजली की निर्बाध सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। रेलवे बिजली कर्षण के लिए बिजली की सप्लाई को बिजली प्रदाय प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) डीजल तेल की प्रतिदिन की अनुमानित बचत लगभग 79 कि०ली० है जिसका मूल्य लगभग 2.52 लाख रुपये है। कोयले की बचत का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि यह खंड मुख्यता बीजलीकृत है।

कुर्डुवादी जंक्शन पर 905-906 बंगलौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस और 145/146 नवजीवन एक्सप्रेस को रोका जाना

2633. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लातूर-मिरज छोटी लाइन पर प्रसिद्ध धार्मिक केन्द्र पढंरपुर (महाराष्ट्र) के लगभग 22,000 से 25,000 तीर्थ यात्रियों को प्रतिदिन होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है जिसके कारण परिहार्य खर्च और समय की बर्बादी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तीर्थयात्रियों को राहत देने के लिए कुडुवाड़ी जंक्शन पर 905 अप और 906 डाउन बंगलौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस तथा 145 डाउन और 146 अप नवजीवन एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा तीर्थ यात्रियों को अत्यन्त आवश्यक राहत देने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कुडुवाडी में 905 अप/

906 डाउन बंगलूर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस और 145 डाउन/146 अप नवजीवन एक्सप्रेस के ठहराव की जांच की गयी है और इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है क्योंकि ये लम्बी दूरी की गाड़ियां हैं और जो बहुत कसे-बंधे समय के अनुसार चल रही हैं, और मार्गों में बहुत सीमित स्थानों ठहरती हैं। बहरहाल कुर्डुवाडी स्टेशन 9 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित है जिनमें 6 जोड़ी मेल /एक्सप्रेस गाड़ियां हैं। कुर्डुवाडी-पंढरपुर/तापूर खंड पर छोटी लाइन की गाड़ियां कुर्डुवाडी में इन गाड़ियों से महत्वपूर्ण मेल लेती हैं।

बालसमपुरम में रेलवे उपरिपुल

2634. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में बालासमपुरम में रेल फाटक के स्थान पर एक रेलवे उपरिपुल का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक बिहार चरण III में निर्माणाधीन आवासीय एकक

2635. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक बिहार चरण III में डी० डी० ए० मार्किट के पास उत्तर रेलवे कालोनी के लिए खाली रखी गयी भूमि में, निर्माणाधीन आवासीय एककों को वर्ष 1982-83 के लिए रेल निर्माण कार्य-क्रम में शामिल किया गया था ;

(ख) उक्त खाली भूमि में कुल कितने आवासीय एककों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और उनमें से 1983-84 और 1984-85 के लिए रेल निर्माण कार्यों में शामिल किया गया है ; और

(ग) उक्त खाली भूमि में सभी आवासीय एककों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए कौन सी तारीख निश्चित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) टाइप I के चार-मंजिले क्वार्टरों की 16 यूनिटों का एक ब्लाक।

(ख) अशोक बिहार चरण-III में खाली रेलवे भूमि पर लगभग 1400 अदद आवासीय यूनिटों के बनाये जाने की आशा है। धन की भारी तंगी के कारण, 1983-84 और 1984-85 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में, इस क्षेत्र में अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण को शामिल करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) निर्माणाधीन 16 आवासीय यूनिट जून के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। और अधिक क्वार्टरों का निर्माण और सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था भावी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इस क्षेत्र में बनायी जा सकने वाली आवासीय यूनिटों, आदि के निर्माण की कोई लक्ष्य तिथि बताना संभव नहीं है।

किरन्दुल-वाल्टेयर पैसेन्जर गाड़ी नं० 2 के छूटने के समय में परिवर्तन किया जाना

2636. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरन्दुल वाल्टेयर पैसेन्जर गाड़ी नं० 2 जो कि बेलाडिला लौह अयस्क खानों के मजदूरों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है, के छूटने के समय में परिवर्तन करके प्रातः 6.00 बजे करने का कोई प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो कब से और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) किरान्दुल से 2 डब्ल्यू के किरान्दुल-वाल्तेरू पैसेन्जर गाड़ी के छूटने के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, जनता और संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों की पुरजोर मांग पर भुवनेश्वर और कोरापुट/किरांदुल के बीच एक सवारी डिब्बा चलाने के उद्देश्य से, 1.4.84 से इस गाड़ी के समय में परिवर्तन करके किरांदुल से छूटने का समय 23.30 बजे कर दिया गया है। यदि इस गाड़ी के समय में परिवर्तन किया जाता है तो थ्रू सवारी डिब्बे को समाप्त करना पड़ेगा जो वांछनीय नहीं है क्योंकि वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका प्रतिरोध किया जायेगा।

विकलांगों को पेंशन देने के लिए राज्यों को केन्द्रीय मार्गनिर्देश

2637. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें विकलांगों को पेंशन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो विकलांगों को पेंशन दे रहे हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में उन राज्यों को केन्द्र द्वारा भेजे गए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां, । उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें तथा अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, दमन और दीव, मिजोरम, पांडिचेरी और लक्ष्यद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन अपनी वृद्घावस्था पेंशन योजनाओं या विशेष योजनाओं के अन्तर्गत निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दे रहे हैं ।

(ग) केन्द्र सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश जारी नहीं किये हैं ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा का माध्यम

2638. **श्री मनोरन्जन भक्त** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ-राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के इस समय कितने माध्यम हैं,

(ख) प्रत्येक वर्ग के तथा प्रत्येक माध्यम में कुल कितने स्कूल हैं तथा प्रत्येक माध्यम में छात्रों की संख्या क्या है ;

(ग) प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक माध्यम के लिए पी० एस० टी०, जी० टी० टी० वरिष्ठ अध्यापक, मुख्याध्यापक तथा प्रधानचार्या के रूप में कुल कितने पदों का सृजन किया गया है, और

(घ) प्रत्येक वर्ग में तथा प्रत्येक माध्यम के लिए मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों सहित कुल कितने अध्यापक, मार्च, 1984 तक नियुक्त किये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, प्राइमरी, मिडिल, माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तरों में इस समय चल रहे शिक्षा के माध्यम छः हैं ।

(ख) प्रत्येक माध्यम में स्कूलों की वर्गवार संख्या इस प्रकार है:—

वर्ग	भाषा का माध्यम	स्कूलों की संख्या
प्राइमरी	हिन्दी	89
	तमिल	4

1	2	3
	अंग्रेजी	6
	बंगाली	60
	बहु-माध्यम	24
माध्यमिक	हिन्दी	2
	अंग्रेजी	1
	बंगाली	3
	बहु-माध्यम	14
सीनियर माध्यमिक	हिन्दी	4
	तमिल	1
	तेलुगु	1
	अंग्रेजी	2
	बंगाली	2
	बहु-माध्यम	12

प्रत्येक माध्यम में छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

स्तर	भाषा का माध्यम	छात्रों की संख्या
प्राइमरी	हिन्दी	15340
	बंगाली	7210
	तमिल	3578
	तेलुगु	1980
	अंग्रेजी	4213
	मलयालम	368
मिडिल	हिन्दी	6470
	बंगाली	2314
	तमिल	1137

1	2	3
	तेलुगु	255
	अंग्रेजी	1406
	उर्दू	30
माध्यमिक	हिन्दी	2616
	बंगाली	907
	तमिल	365
	तेलुगु	105
	अंग्रेजी	536
	उर्दू	27
सीनियर माध्यमिक	हिन्दी	1221
	बंगाली	370
	तमिल	59
	तेलुगु	38
	अंग्रेजी	335
	उर्दू	4

(ग प्रत्येक माध्यम में निम्नलिखित पदों को मार्च, 1984 तक सृजित किया गया था:—

माध्यम	पी० जी० टी०	टी० जी० टी०	पी० एस० टी०
हिंन्दी	95	330	567
बंगाली	35	164	334
तमिल	8	83	118
तेलुगु	4	16	63
अंग्रेजी	11	61	86
मलयालम	—	—	19
उर्दू	4	5	—

प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के पद शिक्षा के माध्यम के आधार पर सृजित नहीं किए जाते हैं बल्कि विद्यालयों की पात्रता के आधार पर सजित किए जाते हैं। इस समय विभिन्न स्कूलों में प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के निम्नलिखित पद सृजित किए गए हैं:—

वर्ग	स्तर	पदों की संख्या
प्रधानाध्यापक	प्राइमरी	77
	मिडिल	37
	माध्यमिक	10
प्रधानाचार्य	सीनियर	
	माध्यमिक	17

(घ) मार्च, 1984 तक नियुक्त किए गए अध्यापकों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ग	भाषा का माध्यम	पदों की संख्या
अध्यापक	हिन्दी	992
	बंगाली	533
	तमिल	209
	तेलुगु	83
	अंग्रेजी	158
	मलयालम	119
	उर्दू	9
प्रधानाध्यापक (प्राइमरी)	—	75
प्रधानाध्यापक (मिडिल)	—	37
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक)	—	10
प्रधानाचार्य (सीनियर माध्यमिक)	—	17

एकुपंचर पद्धति द्वारा इलाज करने वाले देश तथा इस पद्धति द्वारा इलाज किए जाने वाले रोग

2639. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवारकल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जहां पर एकुपचर इलाज को लागू किया गया है और इस उपाय के द्वारा किन-किन रोगों का इलाज किया जा रहा है ;

(ख) क्या इलाज की इस पद्धति को भारत में भी लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो इसकी शाखाओं की संख्या क्या है तथा कहां-कहां पर स्थित हैं और क्या इसको सफल पाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस इलाज पद्धति को प्रोत्साहित करने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अकुपंचर/उपचार विधि चीन, हांगकांग, श्रीलंका, जापान, कोरिया, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि जैसे अनेक देशों में अपनाई जा रही है।

जिन आम रोगों का उपचार आकुपंचर पद्धति से किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार है :—

1. संधि विकार अर्थात, स्पांडिलाइटिस शैटिका आर्थाराइटिस आदि।

2. न्यारोपैरालिटिक दशाएं अर्थात फेशियल पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, प्रथम चरण में पार्ट पोलियो।

3. श्वसनी दमा।

4. त्वचा विकार।

5. मनः कायिक विकार अर्थात सोरियासिस

6. स्त्री रोगों से सम्बन्धित कुछ समस्याएं।

(ख) भारत में अकुपंचर उपचार की सुविधाएं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, पांण्डिचेरी आदि जैसे स्थानों में उपलब्ध है।

रोगों के उपचार में आकुपंचर पद्धति की प्रभावकारिता के बारे में इस मन्त्रालय के पास कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार ने अपने कुछेक अधिकारियों को चीन में आकुपंचर का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था ताकि वे इस विधि के गुणों और अवगुणों को समझ सकें।

अहमदाबाद और सूरत के बीच रेल लाइन क्षमता का विकास और टर्मिनल सुविधाएं

2640. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत अहमदाबाद और सूरत के बीच भारी यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित आई० सी० एफ० डिब्बों सहित ई० एम० यू० तरह की स्थानीय सेवाएं शुरु करने के लिए रेल लाइन क्षमता के लिए रेल लाइन क्षमता के विकास और टर्मिनल सुविधाओं के लिए इन्जीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण शुरु कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब शुरु किया गया और कब इसके पूरे हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सेक्शन पर विशेष कर सुबह और शाम की रेल गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किए जायेंगे ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यात्री यातायात की भीड़ को सम्हालने के लिए 1.7.1983 से अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच 29 डाउन/30 अप इण्टरसिटी एक्सप्रेस (एक जोड़ी नयी गाड़ियां) चलायी गयी हैं। इसके अलावा, 1.7.1983 से अहमदाबाद-सूरत खंड पर 41 डाउन/42 अप गाड़ियों से एक दुमंजिला सवारी डिब्बा भी चलाया गया है।

कुछ गाड़ियों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस दिशा में प्रथम वर्ग के रूप में, सूरत, बड़ौदरा-अहमदाबाद स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के विस्तार के लिए एक नया काम 1984-85 के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसकी लागत 39.52 लाख रुपये है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उपकरणों के मूल्य अधिक होना

2641. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उपकरणों के मूल्य प्रतियोगिता के अभाव में उनकी लागत के अनुपात में बहुत अधिक हैं ;

(ख) क्या अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों ने उनके अनुचित रूप में अधिक मूल्यों के बारे में शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों को युक्ति -संगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता आधार के नाविकों के बारे में "फारवर्ड सीमेन यूनियन आफ इण्डिया" का अभ्यावेदन

2642. **श्री निर्मल सिन्हा :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता आधार के नाविकों के बारे में फारवर्ड सीमन यनियन आफ इण्डिया (सीटू), कलकत्ता का 5 जुलाई, 1984, का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतें निम्न प्रकार हैं :—

i) निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता एम० वी० "इण्डियन ग्लोरी" के लिए कर्मीदल के चयन के काम को कलकत्ता से बम्बई भेजने की कोशिश कर रहे हैं।

ii) बम्बई के रजिस्टर्ड नाविकों की तुलना में कलकत्ता के रजिस्टर्ड नाविकों को समान रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं।

iii) नन्दा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाना।

(ग) 1. फार्वर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया ने अपने दिनांक 20.7.84 के पत्र के माध्यम से नौवहन महानिदेशक को सूचित किया है कि एम० वी० "इण्डियन ग्लोरी" के

लिए कर्मीदल के चयन की प्रक्रिया में हेरफेर नहीं किया गया है।

2. फावर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डियन यह कहना चाहता है कि सभी जहाजों के लिए बम्बई और कलकत्ता के बीच 70:30 के अनुपात में भर्ती की जाए। भारतीय नौवहन निगम के मामले में ऐसा पहले से ही किया जाता है। नौवहन महानिदेशक अन्य नौवहन कम्पनियों को भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाने पर राजी करने के प्रश्न की जांच कर रहे हैं।

3. सरकार ने नन्दा समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन सिफारिशों को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

"वेट ओनली सिस्टम" के अन्तर्गत बुक किये गये बेगनों के ट्रेषितियों से माल की वसूली

2643. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में "वेट ओनली सिस्टम" के आधार पर कुछ फर्मों तथा उद्योगों द्वारा बुक किये गये बेगन लोड यातायात पर प्रेषक/प्रेषितियों से नियमित रूप से मालभाड़ा वसूल नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो चूक करने वाली फर्मों तथा उद्योगों के नाम क्या हैं।

(ग) फर्म-वार, उद्योगवार तथा क्षेत्र-वार प्रथम रूप से 1 अप्रैल, 1980, 1 अप्रैल, 1981, 1 अप्रैल, 1982 तथा 1 अप्रैल, 1983 को उनके विरुद्ध कुल कितना मालभाड़ा बकाया था ;

(घ) मालभाड़ा (बकाया) को वसूल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ङ) सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध अधीक्षण संबंधी लापरवाही के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) 1 अप्रैल, 1980 से 31 दिसम्बर, 1983 की अवधि के लिए माह-वार, वर्ष-वार, मंडल-वार, क्षेत्रवार पृथम-प्रथम "टू पे" यातायात के लिए भाड़े की कुल कितनी धनराशि बकाया थी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (च) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में इन्जीनियरिंग तथा इलेक्ट्रोनिक एककों की स्थापना

2644. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में वित्तीय वर्ष 1984-85 में कुछ विद्युत प्रधान इन्जीनियरिंग तथा इलेक्ट्रानिक एककों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या क्या है जिन्हें उपरोक्त वित्त वर्ष में उड़ीसा में स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस प्रकार के एककों को स्थापित करने के लिए उड़ीसा के विभिन्न भागों में किन-किन स्थानों को चुना गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) योजना आयोग को, जो सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों/राज्यों के योजना सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने वाला केन्द्रस्थ प्राधिकरण है, उड़ीसा में वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में किसी भी विद्युत गहन इन्जीनियरी और इलैक्ट्रानिक एकक की स्थापना करने विषयक किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

जहां तक राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, वार्षिक योजना 1984-85 के विचार-विमर्शों के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (आई०पी०आई०सी० ओ०एल०) ने कुछ इलैक्ट्रोनिक एककों की स्थापना करने, उनका संवर्धन करने का प्रस्ताव किया था । उड़ीसा स्टेट इलैक्ट्रनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वर्ष 1984-85 के लिए 90 लाख रुपये का प्रावधान किया है । इन परियोजनाओं में से 1 से 4 तक को आशय-पत्र दे दिए गए हैं :—

परियोजना	कुल लागत	1984-85 में अपेक्षित परिव्यय
1. सरमेट वैरिएनल रजिस्टर्स (क्षमता : 11.5 लाख सं०)	258	11
2. प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स (500 लाख सं०)	345	25
3. प्रिन्टेड सर्किट	408	46

1	2	3
बोर्ड्स (2 लाख वर्ग फीट)		
4. टी० वी० पिक्चर ट्यूबें	1761	10
5. अनुसंधान और विकास हेतु उपकरण और सहायक हिस्से-पुर्जे	—	8
	जोड़ :	90

योजना-वार सिफारिश किए गए परिव्यय के आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1984-85 (लाख रुपये में)

	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	कार्य दल द्वारा सिफारिश किया गया परिव्यय
1. उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम	450	450
2. इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (आई० पी० आई० सी० ओ० एल०)	600	600

1	2	3
3. अवस्थापना विकास निगम	50	50
4. फिल्म विकास निगम	35	35
5. को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	15	15
6. इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम	90	90
7. प्रोत्साहन :		
(क) विद्युत राजसहायता	10	10
(ख) निवेश राजसहायता	200	200
(ग) बिक्री कर संबंधी ऋण	50	50
8. नाप और तौल	10	10
	1510	1510

मुर्तिजापुर-यवतमाल, मुर्तिजापुर-अचलपुर और पुलगाँव-अरवी रेलवे-लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2645. **श्री बाबासाहिब बिखे पाटिल :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 19 9 में विदर्भ विकास निगम ने बारीकी से जांच की थी और यह पाया था कि मुर्तिजापुर यवतमाल, मुर्तिजापुर-अचलपुर और पुलगांव-अरबी रेलवे-लाइने, जिकना निर्माण वर्ष 1969-70 में किया गया था, सामाजिक दायित्व निभा रही है और लोगों को इनसे अत्यधिक लाभ था, इस कारण इन लाइनों को जारी रखने तथा इन्हें बड़ी लाइनों में बदलने का पूरा-पूरा औचित्य है :

(ख) क्या यह भी सही है इन लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार ने इन्हें अपनी योजना में शामिल करने का कई बार अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या विदर्भ के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़ी लाइनों में बदलने संबंधी अपने अगले कार्यक्रम में इन परियोजनाओं को शामिल करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) इन रेल लाइनों का निर्माण 1916-17 में किया गया था। मुर्तजापुर-यवतमाल, मुर्तजापुर-अचलपुर और पुलगांव-अर्वी छोटी लाइन खंडों को जारी रखने एवं इन्हें बड़ी लाइन में बदलने हेतु महाराष्ट्र सरकार एवं जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इन लाइनों को फिलहाल बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संसाधनों की तंगी और मौजूदा भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए इन लाइनों के बड़ी लाइन में बदलाव के लिए फिलहाल विचार नहीं किया गया है।

नई दिल्ली नगर पालिका के एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए निर्धारित बजट राशि का उपयोग न किया जाना

2646. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों में दवाइयों का उपलब्ध न होना और उसके लिए बजट प्रावधान के बारे में 19 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने 1983-84 के दौरान एलोपैथिक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए दवाइयां खरीदने हेतु क्रमशः 55 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 4 लाख रुपये और 4 लाख रुपये के प्रावधान के समक्ष, ये दवाइयां खरीदने पर अलग-अलग कुल कितनी राशि खर्च की ;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों की संख्या कितनी है और क्या उनकी संख्या के हिसाब से उपरोक्त बजट-प्रावधान प्रर्याप्त है ; और

(ग) क्या आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों की खरीद पर इनके लिए निर्धारित बजट राशि की तुलना में कम धनराशि खर्च की गई जबकि औषधालयों में इन दवाइयों की कमी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों की खरीद के लिए किए गये बजट प्रावधान तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा खर्च की गई रकम इस प्रकार है :—

	बजट प्रावधान	खर्च की गई रकम
	(रुपये लाखों में)	
एलोपैथिक	55.00	55.00
होम्योपैथिक	1.00	0.64
आयुर्वेदिक	4.00	2.50

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 12 एलोपैथिक, 8 होम्योपैथिक और 9 आयुर्वेदिक औषधालय चलाये जा रहे हैं। इन औषधालयों के लिए ऊपर दिखाए गए बजट प्रावधान पर्याप्त हैं।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इन औषधालयों के लिए आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयों की कोई कमी नहीं है और इन दवाइयों की खरीद वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है।

नमक का पुनर्वर्गीकरण

2647. श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम् : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में भाड़े के उद्देश्य से नमक का वर्ग 75 से बदल कर 80 किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस पुनर्वर्गीकरण तथा भाड़े में संशोधन के कारण, नमक की ढुलाई समुद्री मार्ग से की जा रही है ; और

(ग) क्या पुनर्वर्गीकरण के बाद नमक के भाड़े से होने वाली आय में वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नमक के लिए मालडिब्बा भार वर्गीकरण 1.6.84 से संशोधित करके श्रेणी-80 कर दिया गया है।

(ख) पुनर्वर्गीकरण सरकार की जानकारी में आने के कारण नमक यातायात समुद्र मार्ग

की ओर आकर्षित नहीं हुआ है।

(ग) पुनर्वर्गीकरण के पश्चात मालभाड़ा आमदनी में वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र को औद्योगिक लाईसेंस जारी न करना

2648 : **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य को वहां पर कोई भी "उद्योग हीन जिला" न होने के कारण बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं, जिसके कारण वहां पर गरीबी के संभाग (पाकेट) लगातार बने हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करेगी और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने की मंजूरी देगी ताकि इससे पिछड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने में मदद का उन्हें कुछ विकल्प मिल सके ; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में मध्यम दर्जे की औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार करेगी ताकि उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० बी० पी० पटिटाभिराम राव) (क) से (ग) : लाइसेंसों के स्थापना स्थल विषयक नीति के अनुसार निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृति करने हेतु अधिमान का क्रम क्रमश: श्रेणी "क", "ख" और "ग" है। वर्ष 1982, 1983 और 1984 (जून तक) की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में श्रेणी "ख" और "ग" के पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिस लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1982	43	21
1983	61	23
1984	28	14

इस प्रकार महाराष्ट्र को पिछड़े क्षेत्रों के लिए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का पर्याप्त अंश प्राप्त हो रहा है।

ठेकेदार. मुरेठा, कोरिलिया और उगना जैसे हाल्टों का दर्जा बढ़ाना

2649. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदार, मुरैठा, कोरिलिया और उगना जैसे हाल्टों को स्टेशनों में बदलने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए क्या निर्धारित किया गया है । और

(ग) यदि नहीं, तो इन हाल्टों का दर्जा न बढ़ाने और रेलवे की आय न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) टेकटार, मुरैथा, कोरहिया और उगना हाल्टों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें फ्लैग स्टेशनों में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गयी है लेकिन उसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है ।

गुरू तेगबहादुर नगर स्टेशन पर कठिनाइयां

2650. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें किंग्स सर्किल-कोली-बाड़ा यात्री संघ, कोलीवाड़ा, बम्बई (महाराष्ट्र) से गुरूतेगबहादुर नगर स्टेशन (कालीवाड़ा) पर होने वाली कठिनाइयों के बारे में 28 जून, 1984 का कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मध्य रेलवे ने अधिकारी स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था की थी और की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) बुकिंग कार्यालय :

इस स्टेशन पर बुकिंग खिड़कियां हैं । कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण इन खिड़कियों में से एक खिड़की कुछ समय के लिए बन्द रहती थी । अब सभी तीनों बुकिंग खिड़कियां निर्धारित समय के अनुसार खुलती हैं ।

(ii) स्टेशन के कुर्ला छोर पर ऊपरी पैदल पुल, बुकिंग काउंटर और संकेतक बोर्ड :

धन की अत्यधिक तंगी के कारण इस वर्ष इन कार्यों को शुरू करना संभव नहीं हुआ है ।

(iii) शौचालय और मूत्रालय

शौचालयों और मूत्रालयों के दुरुपयोग की समस्या पर काबू पाने के लिए अगस्त, 1978 में आयोजित उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक में उपनगरीय स्टेशनों के शौचालय तथा पेशाबघरों को गिराने का विनिश्चय किया गया था, इसलिए गुरुतेगबहादुर नगर स्टेशन सहित कई स्टेशनों के समूचे शौचालय ब्लाकों को गिराया गया था।

(iv) स्टेशन परिसर में सफाई :

इस समय यहां 2 सफाई वाले तैनात किये गये हैं। इस स्टेशन पर सफाई को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अचानक जांच की जाती है।

(v) सार्वजनिक कि टेलिफोन की व्यवस्था:

पहले बुकिंग कार्यालय के निकट डाक-तार विभाग का एक टेलीफोन लगा था, लेकिन इसे बदमाशों ने चुरा लिया था। इस समय बुकिंग कार्यालय में डाक-तार विभाग के टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है और आपात्काल में दैनिक यात्री आवश्यक शुल्क का भुगतान करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे बम्बई टेलीफोन प्राधिकारियों के अनुरोध करने पर स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित सार्वजनिक टेलिफोन बूथों की व्यवस्था करने के सैभी प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करती है।

(vi) पीने के पानी की व्यवस्था :

स्टेशन के चाय स्टाल पर दैनिक यात्रियों के लिए निःशुल्क पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था मौजूद है और उक्त चाय स्टाल पर इस आशय का नोटिस बोर्ड लगा है।

हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हड़ताल

2651. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरशन, रांची के 25,000 कामगारों ने दो कामगारों को निलम्बित किये जाने पदोन्नतियों में अनियमितताओं तथा प्रबन्धकों के रवैये के विरुद्ध विधिवत नोटिस देने के पश्चायात सभी मजदूर संघों के संयुक्त आह्वान पर 23/24 जुलाई की हड़ताल की थी;

(ख) क्या हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने सभी कर्मचारियों के 8 दिन के वेतन की कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हटिया वर्कर्स यूनियन तथा अन्य संघों द्वारा प्रस्तुत किये गये संयुक्त ज्ञापन में उल्लिखित उपरोक्त मामलों के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश देने तथा वहां पर औद्योगिक अशांति को समाप्त करने का है तथा दोषी अधिकारियों को, यदि कोई है सजा देने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के एक ग्रुप ने 23-7-1984 को एक दिन की आकस्मिक हड़ताल की थी। पदोन्नति में कथित अनियमितताओं अथवा दो कामगारों के निलम्बन के बारे में प्रबन्धकों को 23-7-1944 से पहले काई नोटिस नहीं मिला था ।

(ख) भारी इन्जीनियरी निगम के प्रबन्धकों ने 23-7-'984 को हड़ताल से पूर्व यह घोषणा की थी कि जो कामगार अवैधानिक हड़ताल में भाग लेंगे, अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार उनकी 8 दिन की मजदूरी काटी जा सकती है ।

(ग) उक्त संयुक्त ज्ञापन के सम्बन्ध में बिहार के श्रम आयुक्त मामले पर विचार कर रहे हैं । उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना आवश्यक नहीं है ।

सभी मुख्य बन्दरगाहों के चेयरमैनों की बैठक में कर्मी-मान (मैंनिग स्केल) और बन्दरगाह शुल्क के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय

2652. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जुलाई, 1984 को सभी मुख्य बन्दरगाहों के चेयरमैनों की कर्मी-मान (मैंनिग स्केल) और बन्दरगाह शुल्क तथा कंटेनर के प्रयोग के लिए शुल्क के विशेष संदर्भ में समीक्षा करने हेतु आयोजित हुई बैठक में क्या निर्णय लिये गये हैं, और

(ख) बन्दरगाहों में अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) महा पत्तन न्यासों के अध्यक्षों, पत्तन और गोदी श्रमिकों के फैडेरेशनों और फैडेरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्टेविडोर्स के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक 10 जुलाई, 1984 को होने वाली थी वह स्थगित कर दी गई और यह बैठक 6 अगस्त, 1984 को हुई । उत्पादकता के प्रश्न के आम पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श के बाद बैठक में यह सिफारिश की गई कि पोर्ट ट्रस्ट और डाक लेबर बोर्ड उत्पादकता के सभी पहलुओं की जांच करने और इसमें सुधार लाने के उपाय करने के लिये उत्पादकता समितियां गठित करें ।

सी० जी० एच० एस० मुख्यालय में सहायक निदेशक/ए० डी० जी० उप-निदेशक/ सी० एम० ओ० के तैनात रहने की अवधि

2653. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सी० जी० एच० एस० मुख्यालय में किसी सहायक निदेशक/ए० डी० जी० उप-निदेशक सी० एम० ओ० के तैनात रहने की अवधि निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली में सहायक/निदेशक/सहायक महानिदेशक/उपनिदेशक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात रहने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है । इन वर्गों के अधिकारियों के तबादले और तैनातियां लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है ।

कमर्शल कोरियर्स के वेतनमान

2654. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने उत्तर-सीमान्त रेलवे में कमर्शल कोरियर्स नामक संवर्ग को 225-308 रुपये वेतनमान प्रदान करने के, दिनांक 22 मई, 1984 को आदेश जारी कर दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह आदेश 1 अप्रैल, 1983 से लागू किया गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त वेतनमान की सिफारिश तीसरे वेतन आयोग द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी तथा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 1973 से लागू की गई थी ;

(घ) उत्तर-सीमान्त रेलवे के कमर्शल कोरियर्स को तीसरे वेतन आयोग की वर्ष 1973 से लागू होने वाली सिफारिश से वंचित रखने के क्या कारण हैं : क्योंकि इसके क्रियान्वयन में, सरकार देर से निर्णय करने के कारण विलम्ब हुआ है ; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले का पुनरीक्षण कर रही है ताकि उत्तर सीमांत रेलवे के कमर्शल-कोरियर्स को वर्ष 1073 से अपना बकाया मिल सके ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कमर्शियल कोरियर्स को, जो मूलतः 80-110 रु० (अ० वे०)

के वेतनमान में थे, को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर इसके बदले 210-270 रुपये का सही वेतनमान दिया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मामले को देखते हुए, इस रेलवे के कमर्शियल कोरियर्स को 225-308 रुपये का वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता। इस पद से सम्बद्ध पदनाम, कार्य और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 1. 4. 83 की पिछली तारीख से 225-308 रुपये का वेतनमान देने और 1.4.84 से चालू भुगतान करने का निर्णय अलग से लिया गया था।

(ङ) मामले की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

2655. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा को सब तक पहुचाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस समय प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाने का निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शिक्षा का सार्वभौमिक प्रसार क्यों नहीं किया जाना चाहिए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद-45 के उपबन्धों के अनुसार, राज्य 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए (प्राइमरी और मिडिल स्तरों सहित) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार 15-35 वर्ष की आयु-वर्ग के प्रौढ़ों में निरक्षरता को दूर करने के लिये भी वचनबद्ध है। छठी पंचवर्षीय योजना के नीति-निर्धारण के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने का लक्ष्य 1990 तक प्राप्त किया जाना है। संचालन-दक्षता के प्रयोजन के लिये, 1980-85 के दौरान प्राइमरी स्कूलों पर तथा 1985-90 के दौरान मिडिल स्कूलों पर ध्यान केन्द्रित करना है। प्राइमरी स्कूलों में वर्ष 1984-85 तक 95% नामांकन तथा मिडिल स्कूलों में 50% नामांकन तथा 1989-90 तक दोनों में शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने का निर्धारित लक्ष्य है। छठी पंचवर्षीय योजना के नीति-निर्धारण के अनुसार 15-35 वर्ष की आयु-वर्ग के प्रोढ़ों में निरक्षरता को दूर करने के लक्ष्य भी 1990 तक प्राप्त किया जाना है।

2. प्रत्येक के लिये उत्तर-स्कूल शिक्षा न तो अनिवार्य है और न ही व्यवहार्य है। अतः सरकार का उद्देश्य समग्र रूप से शिक्षा सर्वसुलभ कराने का नहीं है।

कश्मीर में रेलवे आउट ऐजेन्सी का चलाया जाना

2656. **श्री नारायण चोबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस फर्म का नाम क्या है जो कश्मीर में रेलवे आउट ऐजेन्सी चलाने के लिए उत्तरदायी है ;

(ख) क्या रेलवे ने इस फर्म के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर इस फर्म के साथ हुए करार को रद्द कर दिया था ;

(ग) इस फर्म के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों में मुख्य मुद्दे क्या है ;

(घ) क्या 20 जून, 1984 के "स्टेट्समैन" में छपी खबर के अनुसार काश्मीर में उक्तरोक्त फर्म को रेलवे की आउट ऐजेन्सी का ठेका लेने की पुनः अनुमति दे दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जो फर्म श्री नगर, जम्मू व कश्मीर में आउट ऐजेन्सी चलाने के लिए जिम्मेदार है, उसका नाम मैसर्स एन० डी० राधाकिशन एंड कम्पनी है।

(ख) जी, हां।

(ग) मैसर्स एन० डी० राधाकिशन एण्ड कं० के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निष्कर्षों का मुख्य मुद्दा, रेलवे की रोकड़ को 2 दिन से 2 मास तक की देरी से जमा कराने और उसका उपयोग अपनी कंपनी के कामों के लिए करने के संबंध में था। किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोइ विशिष्ट अपराधिक मामला नहीं बनाया जा सका।

(घ) और (ङ) रेलों की वर्तमान नीति यह है कि जहां कहीं व्यावहारिक हो, सेवाओं का विभागीकरण कर दिया जाये। किन्तु विभागीकरण की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है और यह काय रातों रात पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अन्तरिम अवधि में यह आवश्यक है कि रेल यात्रियों को कठिनाईयों और असुविधाओं से बचाने के लिए मौजूदा प्रबन्धों को जारी रखा जाये। जहां तक श्री नगर आउट ऐजेंसी का संबंध है, उत्तर रेलवे ने यह पुष्टि की है कि मैसर्स राधा किशन एण्ड कं० ने, जिन पर कि सरकार का बावना मिलता था, एक बहुत छोटी सी रकम के सिवाय, रेलवे का सारा बकाया बिवना चुकता कर दिया है और उत्तर रेलवे ने यह भी सिफारिश की है कि इस पार्टी के करार का नवीकरण 31.12.83 के आगे 5 वर्ष के लिए कर दिया जाए लेकिन, उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रल मंत्रालय ने इस ठेके को केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां एक उल्लेखनीय है कि यदि इस एजेंसी के विभागीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए तो मैसर्स एन० राधा किशन एड कम्पनी का मौजूदा ठेका एक वर्ष की अवधि बीत जाने से पहले ही समाप्त हो जाएगा।

आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

2657. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक क्षेत्रों में और विशेषकर आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिये स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा सुपोषण सम्बन्धी बुनियादी और निवारक सेवायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है ;

(ख) इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा आरम्भ करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को उदारता से सहायता तथा अनुदान दिया जायेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों, ग्राम दाइयों और ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के माध्यम से संवर्धक निवारक, पुनर्वास तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि "सन् 2000 ईसवी तक सब के लिये स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । ये केन्द्र चरणबद्ध ढंग से खोले जा रहे हैं । अब तक 472 दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7210 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3609 सहायक केन्द्र और 73495 उप केन्द्र खोले जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किये जाने के लिए 478926 दाइयों और 310812 स्वास्थ्य गाइडों को प्रकाशित किया जा चुका है । ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों को कुछ योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता दी जाती है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

1. परियोजना अनुदान योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों को उन परियोजनाओं को चलाने के लिए अनुदान दिये जाएंगे जो बुनियादी स्वास्थ्य और विशेष निवारक परिवार नियोजन तथा पोषण सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए बनाई गई हैं और सुधार के लिए बनाई गई हैं और जिनमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां ये सेवाएं कम हैं और लोग इन से वंचित हैं । परियोजना लागत का शेष प्रतिशत खर्च संबंधित स्वैच्छिक संगठन द्वारा अपने ही स्त्रोतों से वहन किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य इस देश में ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों में बीमारी, मृत्यु तथा प्रजनन घटाना है। यह सहायता निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये उपलब्ध होगी :—

(1) दूर-दूर फैले क्षेत्रों में सेवायें सुलभ करने के सामाओन्मुखी कार्यक्रमों को चलाने के लिए सेवाओं का विस्तार करना, जिनमें रोगों के अधिक खतरे वाले परिवारों/व्यक्तियों की निगरानी, घरों में जा कर प्रत्येक व्यक्तियों को सलाह देने तथा सामूहिक रूप से लोगों को प्रोत्साहन और शिक्षा देना भी शामिल है।

(2) सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संगठनों/संस्थाओं को निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना :—

(i) नवीनता कार्यकलाय तथा व्यावाहरिक सेवा प्रधान अनुसंधान कार्यक्रम।

(ii) गांवों छोटे कस्बों के चिकित्सकों (एलोपैथिक और स्वदेशी दोनों का बुनियाबी स्वास्थय परिवार नियोजन और पोषण सेवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(iii) रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजना और पोषण सेवा कार्यक्रमों की सेवाओं को दूर-दूर तक पहुंचाने के प्रवन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम इस योजना के अधीन सहायता, अनुदान देने के लिए जो मुख्य मानदण्ड अपनाए जाने हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) यह संस्था अनिवार्य रूप से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अथवा किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और गैर सरकारी तथा किसी के स्वामित्व में न चलने वाली होनी चाहिए।

(ख) इसकी वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए तथा कुल परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत वहन करने के लिए, जिसमें गैर-सरकारी, देशी संसाधनों से प्राप्त होने वाली सामग्री भी शामिल है।

(ग) यह संस्था धर्म जाति, कुल अथवा रंग का भेद भाव किए बिना सभी लोगों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करती हो।

(घ) जिस परियोजना को सहायता— अनुदान की जरूरत हो उसे इस योजना के अद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए तथा यह परियोजना भारत सरकार के वर्तमान कार्यक्रमों/कार्यकलापों का पूरक अथवा अनुपूरक होनी चाहिए।

II. ग्रामीण क्षेत्र के लिये विशेष स्वास्थ्य योजना

इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और औषधालय खोलने के लिये ही स्वैच्छिक संगठनों को दे दी जाती है इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल/औषधालय खोलनें के लिये ही दी जाएगी ।

(2) पलंगों की अधिकतम संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

( ) एक तिहाई पलंग निःशुल्क पलंग के रूप में रखने होंगे ।

(4) विभिन्न पार्टियों का योगदान निम्नलिखित अनुपात में होगा ।

(क) निर्माण (आवासीय मकानों को छोड़कर) तथा उपकरण

केन्द्रीय सरकार	40 प्रतिशत
राज्य सरकार	40 प्रतिशत
संस्थाएं	20 प्रतिशत

(ख) आवासीय मकानों का निर्माण

केन्द्रीय सरकार	50 प्रतिशत
राज्य सरकार	35 प्रतिशत
संस्थाए	10 प्रतिशत

(5) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के हिस्सों का निर्धारण करने के लिए 30 पलंगों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मानक लागत अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित लागता, जो भी कम हो,ध्यान में रखी जाएगी ।

(6 विशेष मामलों में यह सहायता उक्त (4) में उल्लिखित सीमाओं से भी अधिक भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से दी जा सकती है ।

(7) अनुदान प्राप्त करनें वाली संस्थाओं को प्राप्त करनेवाली संस्थाओं को प्राप्त किये गये अनुदानों और निःशुल्क पलंगों की संख्या के बारे में उपललब्ध पलंगो की संख्या के बारे में सूचना मुख्य रूप से दर्शानी होगी ।

(8) वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन पत्र राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जाएंगे ।

सहायता के लिये पात्रता की शर्तें

जो स्वैच्छिक संगठन/संस्था निम्नलिखित मापदण्ड को पूरा करती होगी वे इस योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिए पात्र होगी ।

(i) यह संस्था अनिवार्य रूप से सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अथवा किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्टर्ड होना चाहिए।

(ii) यह संस्था अखिल भारत के स्तर अथवा राज्य स्तर के महत्व की होनी चाहिए अथवा अग्रणी और नये कार्य में लगी होनी चाहिए।

(iii) यह संस्था गैर-सरकारी हो और यह गैर-मालिकाना प्रबन्ध के अन्तर्गत हो।

(iii) यह संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये नहीं चलाई जानी चाहिए।

(iv) यह संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिये नहीं चलाई जानी चाहिए।

(v) इसे आम जनता को किसी धर्म जाति या रंग के भेद-भाव के बिना ही सेवाए अवश्य प्रदान करनी चाहिये।

(vi) इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए और यह अनावर्ती लागत के अपने हिस्से का खर्च पूरा करने के योग्य हो और अस्पताल/औषधालय खुल जाने के बाद उसकी सारी लागत का भी वहन करने योग्य हो।

(vii) इसे आवेदन पत्र के फार्म के एक रंग के रूप में निःशुल्क पलंग/निःशुल्क चिकित्सा देख-रेख की दी गई परिभाषा के अनुसार कुल पलंगों के कम से कम एक तिहाई पलंग निःशुल्क आरक्षित रखने पर सहमत होना चाहिए।

(viii) जिस पयोजन के लिए इसने वित्तीय सहायता मांगी है उसे पूरा करने के लिए इसके पास व्यक्तिगत संसाधन, अनुभव और प्रबन्धकीय योग्यता होनी चाहिए।

(iX) इसके काम और वित्तीय स्थिति के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए और सहायता अनुदान के भुगतान के लिए राज्य द्वारा की जानी चाहिए। राज्य सरकार या स्थानीय विकास द्वारा संचिलत कोई संगठन/संस्था इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

III. चिकित्सा सेवाओं के विकास की योजना

इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता उन्हीं प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों को दी जाती है जो ग्रमीण क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों में अस्पताल चला रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल चला रहे है किन्तु मौजूदा अस्पताल की सुविधाओं में सुधार करने के लिए केवल घनी आबादी वाली शहरी गंदी वस्तियों को सेवाए प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय

सहायता बीमारियों के इलाज के लिये अस्पताली सुविधाओं का विस्तार करने हेतु आपरेशन थियेटर आदि के अतिरिक्त निर्माण के लिये लागत का 50 प्रतिशत बराबर-बराबर आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। जो स्वैच्छिक संस्थाएं कुष्ठ रोग, नेत्र रोगों और दृष्टिहीनता के उपचार में लगी हुई है उन्हें 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा तीन वर्षों में एक बार प्रति संस्था के हिसाब से 2.00 लाख रुपये है।

सहायता की पात्रता के लिए शर्तें

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं योजना के अंतर्गत अनुदान पाने के पात्र होंगे —

1. इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनयम, 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अन्तर्गत पंजीकृत होंना चाहिए।
2. यह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाई जानी चाहिऐ।
3. यह-गैर सरकारी और गैर-स्वामित्व के आधीन होनी चाहिए।
4. इसे किसी धर्म जाति, लिंग अथवा वर्ष का भेद किए बिना सभी लोगों को सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
5. जिस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई उसे पूरा करने के लिए पूरा करने इसके पास व्यक्तिगत संसाधन, अनुभव और प्रबन्धकीय योग्यता नहीं होनी चाहिए।
6. इसका काम और आर्थिक स्थिति संतोषजनक होनी चाहिए सहायता अनुदान देने की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
7. यह सामान्यतया क्षय रोग, कुष्ठ, कैंसर, नेत्र और अन्य रोग के उपचार में लगी हुई हो।
8. आवेदनइ से अपत्र में दी गई निःशुल्क पलंग/निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या की परिभाषा के अनुसार कुल पलंगों के कम से कम 1/5 पलंग निःशुल्क आरक्षित रखने पर सहमत होना चाहिए।
9. इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए और इसे यथाआवश्यक रूप से अनावर्ती लागत को वहन करने के लिए सहमत होना चाहिए।
10. इसके द्वारा पहले प्राप्त किए गए अनुदानों के बारे में उपयोग दस्तावेज निर्धारित समय पर भारत सरकार को भेज दिए गए हों।

11. किसी संस्थान को तीन वर्षों में ही सहायता दी जाएगी ।

किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित कोई संगठन/संस्था इस परियोजना के अन्तर्गत सहायता पाने की पात्र नहीं होगी ।

उद्योगों में पुरानी तकनीक को बदलना

5658. **श्री राजननाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों मे औद्योगिक प्रगति को तेज करने की दृष्टि से पुरानी तकनीक को बदलने और पुराने परम्परागत उत्पादों के स्थान पर नयी तकनीक और उत्पादों को लगाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उद्योगों में गत प्रयोग प्राविधियों और परम्परागत उत्पादों के स्थान पर नई प्राविधियों और उत्पादों की प्रतिस्थापना करना एक सतत प्रक्रिया है । परम्परागत उत्पादों/उद्योगों में खादी और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प हथकरघा, क्यैर उत्पाद तथा रेशम उद्योग (प्राकृतिक रेशम उत्पाद) शामिल हैं । इन परम्परागत उद्योगों में अधिकांश कार्यकलाप अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित है । अनेक एकक जो भी हाल ही में स्थापित होते जा रहे हैं और जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत हो चुके हैं, कारीगरों पर आधारित एकक हैं और ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं । इन परम्परागत उद्योगों में औद्योगिकी के उन्नयन और उत्पादकता में सुधार करने तथा औद्योगिकी दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की आशा है ।

2. गतप्रयोग प्राविधि की समस्या को अलग से रखकर उस पर विचार नहीं किया जा सकता और केवल इस समस्या को हल करने के लिए किए गए अभ्युपाय तबतक असफल होते रहेंगे जब तक इनके साथ-साथ आवश्यक निविष्टियों का संभरण, ऋण तकनीकी सहायता प्रशिक्षण विपणन सम्बन्धी साहयता आदि के लिए कुछ अन्य समर्थकारी अभ्युपायों की मदद नहीं मिलती ।

अतः सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में शुरू से ही सम्मिलित दृष्टिकोण अपनाया गया है और तदनुसार इन उद्योगों के विकास की योजना बनाई गई हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम जैसे विशिष्ट संस्थान और अन्य संस्थानों का एक समूह इस काम में लगा दिये गए हैं । फिर भी, सरकार द्वारा इन उद्योगों में गतप्रयोग की प्रविधियों के प्रतिस्थापन के लिए किए गये अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग में से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्पादन की उपलब्ध सर्वोत्तम प्रविधियों का उपयोग करके कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को सरकार ने 1948 में ही समझ लिया था। 1948 में घोषित सरकार के औद्योगिक नीति विषयक पहले संकल्प में और उसके बाद के संकल्प /विवरणों में इस पर भिन्न-भिन्न मात्रा में बल दिया जाता रहा है।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नीति समर्थन, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा संसाधनों के उपयुक्त आयातित प्रौद्योगिकी को कुशलता पूर्वक ग्रहण करके उसे अनुकूल बनाने की बात जनवरी, 1983 में हाल ही के सरकार के प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में अधिक स्पष्ट रूप में कही गई हैं।

2. ऐसे उद्योगों जिनमें उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रविधियों में सुधार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद विकास आदि शामिल हैं, के लिए विकास सम्बन्धी कार्यनीतियों को तैयार करने में सरकार की सहायता करने वाले अखिल भारतीय संगठनों को स्थापना करने के लिए एक सुदृढ़ अवस्थापना आधार का सृजन किया गया है जैसे केन्द्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल जटा तथा रेशम बोर्ड, लघु उद्योग विकास संगठन आदि ऐसा मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्रों के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए किया गया है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने भी अपनी ओर से अनेक संस्थानों की स्थापना की है जिनका उद्देश्य भी इन उद्योगों का शीघ्रता से विकास करना है जिससे वे अन्य स्थानों के अपने प्रतिपक्षों के कार्य को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का जो भारत सरकार का एक उद्यम है, गठन वाणिज्यिक उपयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए किया गया है।

ये संगठन अपने विभागीय संस्थानों में किए गए अनुसंधान और विकास कार्य द्वारा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे हैं अथवा राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं के अनुसंधान तथा विकास के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त परिणामों तथा इसके साथ-साथ प्रौद्योगिकी के अन्तरण चाहे वह स्वदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय स्रोत से हो, ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

3. उत्पादकता बढ़ाने, नीरसता एवं उत्पादन की लागत को कम करने उत्पाद की कोटि में सुधार करने हेतु उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करने आदि के लिए एक अलग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना तैयार की जा रही है और पांचवी योजना के शुरू से ही पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा रही है।

4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मशीनों, उपकरणों और औजारों के आद्य रूपों का विकास करने तथा अनेक औद्योगिक व्यवसायों में वास्तविक प्रशिक्षण देने के लिए राजकोट, हावड़ा औ मद्रास में चार आद्यरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। ग्रामीण कारीगरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

5. नए बीस सूत्री कार्यक्रम में हथकरघा तथा हस्तशिल्प जैसे लघु एवं ग्रामोद्योगों को

विशेष स्थान दिया गया है तथा उनकी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की आवश्यकता पर ओर दिया गया है।

6. उत्पादकता वर्ष 1982 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

7. लघु क्षेत्र के चुनींदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए एक विशेष कार्यदल का हाल ही में गठन किया गया है जो इस समय उक्त क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

8. ग्रामीण प्रौद्योगिकी का संवर्धन करने के लिये सी० ए० आर० टी० नामक एक विशिष्ट केन्द्रस्थ अभिकरण की हाल ही में स्थापना की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात पर आधारित उद्योगों का विकास

2659. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० आई० ई० आई० के द्वारा असम तथा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समीक्षा द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वहां पर निर्यात पर आधारित उद्योगों के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो और संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) असम तथा समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की समीक्षा के दौरान ए० आई० ई० आई० पूर्वी क्षेत्र ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां पर और अधिक औद्योगीकरण तथा खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की निश्चित संभावना है जिनमें कई उद्योग निर्यात भी कर सकते हैं।

(ख) ए० आई० ई० आई० ने राज्य सरकार के परामर्श से असम और मेघालय राज्य में उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जहां संसाधनों और मांग के आधार पर नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, एक कृत्रिम बल की स्थापना की है। यह कृत्रिम बल एक विस्तृत अध्ययन करेगा और उन उद्योगों की सूची तैयार करेगा जिनकी स्थापना घरेलू तथा निर्यात बाजार की मांग पूरी करने की दृष्टि से की जा सकती हो।

औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का राज्य-वार विवरण

2660. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से मार्च, 19८3 तक जारी किए गए आशय-पत्रों का राज्य-वार विवरण क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य बार विवरण क्या है ;

(ग) इस अवधि के दौरान देश में उद्योग-हीन जिलों को जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ; और

(घ) ऐसे उद्योग-हीन जिलों की राज्य-बार संख्या क्या है, जिन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान कोई आशय-पत्र या औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त न हुआ हो ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) विवरण एक संलग्न है।

(ग) विवरण दो संलग्न है।

(घ) नवम्बर, 1981 में "उद्योग रहित जिलों" का पता लगाया गया था। जनवरी, 1982 से मार्च, 1983 की अवधि के दौरान, देश के विभिन्न "उद्योग रहित जिलों" में एककों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 182 आशय-पत्रों और 6 औद्योगिक लाइसेंसों के लिए स्वीकृति दी गई थी। इनमें से अनेक आशय-पत्रों के सम्बन्ध में, उद्यमियों को अपने औद्योगक एककों की स्थापना करने के लिये देश के किसी हिस्से और या बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के "उद्योग रहित जिलों" में से किसी भी स्थान को पसंद करने की अनुमति दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसे "उद्योग रहित जिलों" की निश्चित संख्या बता सकना संभव नहीं है जिनके लिए कोई भी आशयपत्र जारी नहीं किया गया है।

विवरण-एक

वर्ष 1980 से 1983 (मार्च तक) के दौरान जारी किए आशयपत्रों (आ० प०) और औद्योगिक लाइसेंसों (औ० ला०) का राज्यवार ब्योरा।

राज्य	1980		1981		1982		1983	
	आ. प.	औ. ला.	आ. प.	औ. ला.	आ. प.	औ. ला.	आ. प.	औ. ला.
1. आन्ध्र प्रदेश	78	42	68	39	66	26	16	18
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	2	—
3. असम	2	5	7	4	5	1	1	9
4. बिहार	19	4	17	10	22	9	10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	चंडीगढ़	—	1	1	1	4	3	—	1
6.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	4	—	—	—
7.	दिल्ली	2	5	9	2	9	7	3	4
8.	गोवा दमन और द्विव	9	2	8	5	9	7	3	1
9.	गुजरात	148	85	131	79	121	69	20	23
10.	हिमाचल-प्रदेश	11	2	15	1	15	6	5	—
11.	हरियाणा	59	20	56	21	66	21	21	10
12.	जम्मू और काश्मीर	12	1	8	3	8	3	2	8
13.	कर्नाटक	73	40	58	25	85	34	9	21
14.	केरल	22	11	25	15	29	9	13	9
15.	मध्य प्रदेश	47	18	30	15	63	9	10	8
16.	महाराष्ट्र	175	107	144	114	148	95	36	40
17.	मणिपुर	—	—	—	1	—	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	11	—	4	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	6	—	1	—	—	—
20.	उड़ीसा	14	8	32	5	43	10	10	3
21.	पाण्डिचेरी	1	—	3	1	2	1	—	—
22.	पंजाब	38	18	46	17	39	14	12	12
23.	राजस्थान	35	15	42	26	55	14	4	6
24.	सिक्किम	—	—	—	—	1	—	—	—
25.	तमिलनाडु	52	37	69	30	66	41	16	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उत्तर प्रदेश	80	30	77	24	111	22	14	21
27.	पश्चिम बंगाल	55	23	43	34	37	27	7	8
28.	राज्य नहीं बताया गया/एक से अधिक राज्य	4	1	6	4	29	4	—	—
	योग :	946	475	916	47[illegible]	1043	432	214	230

विवरण-दो

उद्योग रहित जिलों" के लिए वर्ष 1982 और 1983 (मार्च तक) के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्योरा

राज्य	आशयपत्र		औद्योगिक लाइसेंस	
	1982	1983 (मार्च तक)	1982	1983 (मार्च तक)
1. अरुणाचल प्रदेश	—	2	—	—
2. असम	—	1	—	—
3. बिहार	7	—	—	1
4. दादर और नागर हवेली	4	—	—	—
2. गुजरात	2	2	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	5	1	—	—
7. जम्मू और काश्मीर	2	1	—	—
8. कर्नाटक	8	1	1	—
9. मध्य प्रदेश	29	5	1	12
10. मणिपुर	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
11.	मेघालय	2	—	—	—
12.	उड़ीसा	15	5	—	—
13.	राजस्थान	18	—	—	—
14.	सिक्किम	1	—	—	—
15.	उत्तर प्रदेश	33	4	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	7	2	—	1
17.	राज्य नहीं बताया गया/एक से अधिक राज्य	25	—	—	—
	योग :	158	24	2	4

बड़े उद्योग गृहों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों तथा छोटे एककों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के बीच समानता

2661. **श्री दौलत रामसारण :**

श्री शिव शरण वर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित वस्पुओं पर कराधान करके बड़े औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों को छोटे औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित उसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों के बराबर लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उन वस्तुओं का विवरण क्या है जिनके मूल्य बराबर लाये जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं तथा ये कठिनाइयां कब तक दूर कर दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) उत्पादन शुल्क सम्बन्धी रियायत के रूप में लघु एककों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विभेदक कराधान पहले से ही लागू है। 67 वस्तु समूहों पर लागू अल्प छूट की सामान्य योजना के अन्तंगत वे उत्पादक,

जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में आन्तरिक खपत के लिए सभी उत्पादन कर योग्य वस्तुओं की अनापत्तियां 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं, आन्तरिक खपत की पहली अनापत्तियों के सम्बन्ध में 7.5 लाख रुपये तक पूर्ण छूट प्राप्त करने और 17.5 लाख रुपये की अगली अनापत्तियों के सम्बन्ध में शुल्क की प्रभावी दरों के 25 प्रतिशत तक छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। केन्द्रीय उत्पादन प्रशुल्क की अविशिष्ट मद 68 के अन्तंगत आने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में, वे उत्पादक; जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक खपत की सभी उत्पादन कर योग्य वस्तुओं की अनापत्तियां 40 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं और जिनका उस औद्योगिक एकक में, जिसमें उक्त वस्तुएं बनाई गई हैं, अधिष्ठापित संयंत्र और मशीनों में किया गया निवेश 20 लाख रुपये से अधिक नहीं हुआ है, आंतरिक खपत के लिए उक्त वस्तुओं की पहली अनापतियों के सम्बन्ध में एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपये तक की पूरी छूट प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, बिजली की सहायता लिए बिना बनाई गई केन्द्रीय उत्पादन प्रशुल्क की मद 68 के अधीन आने वाली चन्दन की लकड़ी से भिन्न वस्तुएं उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, अगराम सामग्री और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक सामग्री, वायुमिश्रित जल और प्रशीतन और वतानुकूलन उपकरण जैसी निर्दिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में लघु उत्पादकों के लिये अलग से छूट सम्बन्धी योजना चल रही है।

इंडिया सीमेंट लिमिटेड का अधिग्रहण

2662. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया सीमेंट लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत अधिग्रहित कर लिया गया है; और

(ख) क्या तमिलनाडू सरकार ने उसके शेयरों को खरीदने की पेशकश की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) कम्पनी गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रही है और उसमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सम्मिलित रूप से 237.73 लाख रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर हैं जो कम्पनी की कुल प्रदत्त इक्विटि पूंजी का 48.5 प्रतिशत बैठते हैं।

(ख) यद्यपि तमिलनाडू सरकार ने पहले संस्थानों से कम्पनी के शेयर खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी, किन्तु कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में फालतू कर्मचारी

2663. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री आर० एन० राकेश : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में अनेक लोगों को फालतू घोषित कर

दिया गया है तथा आगे भर्ती न करने के अनुदेश भी जारी किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त अनुदेशों के बावजूद दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्ष 1983-84 के दौरान 200 से अधिक लोगों को भर्ती किया है; और

(ग) इस अतिरिक्त भर्ती के कारण निगम को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, डी० एस० आई० डी० सी० को और अधिक नियुक्तियों को राकने के बारे में कोई अनुदेश नहीं दिए गए हैं। किन्तु 97 कर्मचारी (जिनमें 71 दैनिक मजदूरी के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) भर्ती किए गए हैं। उन्होंने अधिकांश अपने विभागीय खनन कार्यों के लिए भर्ती किए हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनु ार उपर्युक्त भर्तियों में 3.62 लाख रुपए का वार्षिक व्यय निहित है।

लघु क्षेत्र को वैधानिक संरक्षण

2664. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री चिंतामणि जैना :

श्री लक्ष्मण मल्लिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र को संरक्षण और सहायता देने के लिए विधेयक कब पुरःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्या भट्ट समिति 1972 की इस शिफारिश और अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख सिफारिशें स्वीकार और कार्यान्वित की गई हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) यह विधेयक जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा संसद में पेश कर दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग) आशा है कि प्रस्तावित कानून व्यापक होगा और इसमें भट्ट समिति, 1972 द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का ध्यान रखा जाएगा।

औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी स्थाई समिति की रिपोर्ट

2665. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :**

श्री गुफरान आजम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड द्वारा गठित औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनेक बातों का पर्दाफाश किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन बातों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट में लघु क्षेत्र की रुग्णता को परिभाषित किया गया था, कारणों का पता लगाया गया था, रुग्णता को रोकने तथा रुग्ण एककों को पुनःस्थापित करने के लिए उपायों की सिफारिश की गई थी । उसमें रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए विद्यमान संस्थानात्मक ढांचे में सुधार करने की सिफारिश भी की गई थी और इस सम्बन्ध में अद्यतन आंकड़े एवम् सूचना इकट्ठी करने सम्बन्धी तंत्र में सुधार करने का सुझाव भी दिया गया था ।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने 9 और 10 जुलाई, 1984 को हुई अपनी बैठक में औद्योगिक रुग्णता के सम्बन्ध में स्थायी समिति की सिफारियों को स्वीकृति दे दी थी और इसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

केरल के नारियल जटा उद्योग में नारियल-भूसा (हस्क) नियंत्रण आदेश वापिस लेना

2666. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल के नारियल जटा उद्योग में नारियल भूसा (हस्क) नियन्त्रण आदेश को वापस लेने के लिये केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सभी मतों के सहकारी संस्थानों और मजदूर संघों की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध प्रदर्शित करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार केरल में राज्य के नारियल भूसी खरीदने वाले तंत्र में आर्यबाधार पर विचार करते हुये, इस मामले पर तत्काल निर्णय लेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ङ) केवल सरकार ने नारियल जटा उपलब्ध करने के लिए एक लेवी प्रणाली लागू करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी थी।

केरल स्टेट कॅयर को-आपरेटिव कान्फ्रेंस की कार्यवाही परिषद के एक ज्ञापन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केरल सरकार को सभी कानूनी शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया गया है, जिससे राज्य सरकार सम्पूर्ण हरी जटा प्राप्त करने का एकाधिकार प्राप्त कर सके और सभी सहकारी समितियों को बराबर वितरण कर सके।

इनकी जांच की गई है और राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

औद्योगिक लाइसेंसों का क्षेत्र-वार वितरण

2667. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अदयतन समूचे देश के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) इन लाइसेंसों का क्षेत्र-वार वितरण क्या है ;

(ग) इन लाइसेंसों को जारी करने में भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन लाइसेंसों को जारी करने के क्या मानदंड हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) वर्ष 1980 से 1984 (जून, 84 तक) के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में उद्योग स्थापित करने हेतु निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति प्रदान की गई थी:—

वर्ष	जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1980	475
1981	476
1982	432
1983	1075
1984 (जून, 84 तक)	480

(ख) उक्त औद्योगिक लाइसेंसों के क्षेत्र-वार वितरण को नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	1980	1981	1982	1983	1984 (जून तक)
उत्तर क्षेत्र	62	71	68	289	130
मध्य क्षेत्र	48	39	31	128	55
पश्चिमी क्षेत्र	194	199	172	289	123
पूर्वी क्षेत्र	26	49	46	114	68
दक्षिण क्षेत्र	130	110	111	229	100
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5	5	1	26	3
एक से अधिक क्षेत्र	—	3	3	—	1

(ग) और (घ) : प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर स्वीकृतियां दी जाती हैं। पिछड़े क्षेत्रों/प्रदेशों को लाइसेंस देने में वरीयता के अलावा, सभी आवेदनों पर मांग और आपूर्ति, पहले से लाइसेंस प्राप्त क्षमता, कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता, स्थापना-स्थल सम्बन्धी बाधाओं तथा योजना की जीव्यता जैसे विभिन्न तकनीकी-आर्थिक कारणों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

बाड़मेर, जालौर और चुरु को उद्योग विहीन जिले घोषित करने के लिए राजस्थान सरकार का अनुरोध

2668. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर, जालौर और चुरु जिलों को उद्योग विहीन जिले घोषित करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों को उद्योग विहीन जिलों के रूप में घोषित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) किस निश्चित तारीख तक इन जिलों को उद्योग विहीन जिले घोषित कर दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) बाड़मेर तथा चुरु को उद्योग रहित जिलों की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया जा चुका है। जालोर मानदण्ड को पूरा नहीं करता क्योंकि वहां एक मध्यम दर्जे का उद्योग विद्यमान है।

बड़े एककों द्वारा प्रक्षालकों (डिटर्जेंट) आदि का निर्यात

2669. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री जगपाल सिंह : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बड़े एककों द्वारा निर्मित साबुन प्रक्षालयों (सोप डिटर्जेंट) आदि जैसी वस्तुओं को केवल निर्यात के लिए ही आरक्षित करने और देश में छोटे एककों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं की सप्लाई करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायगा और ऐसे बड़े उद्योगों का विवरण क्या है जिनके उत्पादों का निर्यात किया जायेगा और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) इस समय निर्यात की जा रही ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1981-82 से ग्लीसरीन, साबुनों, प्रक्षालकों, सौन्दर्य प्रसाधनों तथा स्नान सामग्रियों (टाइलेटरी) के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	*(लाख रुपये
1981-82	11939.66
1982-83	10351.70
1983-84	2931.50
1984-85 (जून" 84 तक)	512.30

*संख्याएं अनन्तिम हैं।

बोलनगीर में उद्योग स्थापित करने के लिये सुविधाएं

2670. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योग विहीन जिलों को चुने हुए विकास केन्द्रों में आधार

भूत ढाचों संबंधी सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी मार्ग-निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को क्या मार्ग-निर्देश दिए हैं ; और

(ग) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में तथा अन्य "उद्योग विहीन" जिलों में उक्त मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्त 19.6.1984 को जारी किए गए हैं । इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) राज्य सरकार ने उड़ीसा में बोलनगीर सहित उद्योग रहित जिलों में विकास केन्द्रों का पता लगाने तथा अवस्थापना संबंधी कमियों का आकलन करने के लिए कृतिक बलों की स्थापना की है । उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है जो प्रत्येक मामले (परियोजना-वार) की जांच करेगी और उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत की जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में निर्णय करेगी ।

पूंजीगत वस्तु उद्योग में संकट

2671. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओटोमोबाइल कम्पनियों को आयात करने की पूर्ण अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप ग्राहकों से नकद राशि आना रुक जाने के कारण और 'आर्डर बुक' की डांवाडोल स्थिति से पूंजीगत वस्तु उद्योग में गंभीर संकट पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पूंजीगत उद्योग को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन निगम को घाटे के कारणों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का प्रभाव

2673. **श्री भीम सिंह** :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री पी० राजगोपालन नायडु :

श्री आनन्द सिंह :

श्री राम प्यारे पनिका : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन को लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन को होने वाले घाटे के कारणों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन कदमों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को मुख्यत: कम भाड़े और बढ़ती कीमत के कारण घाटा हो रहा है । इसके साथ-साथ अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अनेक किश्तें और अन्य लाभ देने से भी घाटे में बढ़ोत्तरी हुई है । उन्हें ये भत्ते केन्द्रीय सरकार की दर से देने पड़ते हैं । निगम द्वारा पर्याप्त धन नहीं जुटाने से भी सकल घाटे की धन राशि में वृद्धि हो रही है जिससे ॠण का भुगतान नहीं हो पाता और ब्याज बढ़ता जाता है ।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी प्रचालन कुशलता में सुधार लाने के लिए बेड़े का बेहतर उपयोग, ईधन खपत में किफायत, समय पर अनुरक्षण, जनशक्ति का बेहतर उपयोग वस्तुसूची में उचित नियंत्रण और आर्थिक अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है । सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अनुसार निगम के घाटे को इक्विटी में बदल देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ।

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा योजना 1984-85

2674. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, सरकार नए स्कूल खोलने के लिये, नये अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिये, नये स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये तथा टाट-पट्टी, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार को कुछ विशेष सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में से एक होने के कारण, निधियों के आबंटन, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए मध्य प्रदेश को विशेष महत्व दिया जाता है । 9-14 आयु-वर्ग के लिये केन्द्रीय-प्रायोजित गैर-औपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत इस राज्य को 50:50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता मिलती है, जिसका उपयोग उन बच्चों के लिये गैर-

औपचारिक केन्द्र खोलने हेतु किया जा सकता है जो स्कूल नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त, राज्य को, केवल लड़कियों के लिये गैर-औपचारिक केन्द्र आयोजित करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 90:10 की भागीदारी के आधार पर और महिला शिक्षकों की नियुक्ति के लिये 80:20 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता मिलती है। एकल शिक्षक वाले प्राथमिक स्कूलों में एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति के लिये आठवें वित्त आयोग ने भी 15.45 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक ऋण

2675. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **नौवहन और** परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग-परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के अंतिम रूप से चयन और वित्त पोषण के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) लगभग 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत में विश्व बैंक सहायता के तहत कुछ राजमार्ग परियोजनाओं को शुरू किये जाने के बारे में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है। बैंक द्वारा परियोजनाओं का अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है।

15.7.1984 को इटावा के नजदीक डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण टूटी रेल लाइन की मरम्मत में विलम्ब

2676. **श्री आर० एन० राकेश** :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रविवार, 15 जुलाई, 1984 को इटावा के नजदीक 30 माल डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण टूटे रेल मार्ग को ठीक करने में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस दुर्घटना के कारण इलाहाबाद, दिल्ली स्टेशनों पर रुके पड़े लाखों यात्रियों की परेशानियों और इस सेक्सन में गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण हुई भारी मुसीबतों की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेल मार्ग को पूरे तौर पर ठीक करने में हुये अत्यधिक विलम्ब के लिये, जिसके कारण कई दिनों तक रेल गाड़ियां विलम्ब से चलती रही क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) माल डिब्बों के असमान्य रूप से अत्यधिक एक दूसरे में धंस जाने और गहराव बनाते हुए माल-डिब्बों को आड़े ढ़ंग से ऊपर नीचे हो जाने, क्रेनों द्वारा उठाते समय माल-डिब्बों के ढांचों और निचले ढांचों की अप्रत्याशित टूट-फूट, टूटे-फूटे माल-डिब्बों को रेल-पथ के किनारे रखने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने, पटरी की बहुत अधिक क्षति और विद्युत शिरोपरि उपस्कर को ठीक करने से सम्बिंधत काम को देखते हुए, 32 माल-डिब्बों के पटरी से उतरने के पश्चात यातायात को पुनः चालू करने में लगा समय बहुत अधिक नहीं था।

लाइन को फिर से खोलने के काम का शुरू से अन्त तक पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था।

(ग) इस मार्ग पर संचार में अवरोध आ जाने के कारण, लम्बी दूरी की बहुत सी गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था अथवा गन्तव्य स्थलों से पहले ही उन्हें समाप्त कर दिया गया था। परन्तु इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया था कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। यत्रियों के लिये भोजन की व्यवस्था की गई थी और गन्तव्य स्थल से पहले ही समाप्त की गई गाड़ियों के यात्रियों के लिए किराये की वापसी के प्रबन्ध किये गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बगहा छितौनी रेल पुल

2677. **श्री पीताम्बर सिंह :**

श्री योगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बगहा-छितौनी रेल पुल जो 1924 में टूट गया था और जिस कारण बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्पर्क कट गया था, अभी तक पुनः नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में यदि कोई उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) छितौनी-बगहा पुनः स्थापन परियोजना के एक भाग के रूप में बगहा और बाल्मीकी नगर रोड के बीच के खंड को अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। पुल निर्माण का कार्य

और नदी सुरक्षा आदि से संबंधित कार्य विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी समस्याओं के कारण शुरू नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने हिस्से की बढ़ी हुई लागत वहन करने की स्वीकृति अभी तक संसूचित नहीं की है। इस मामले में पत्र व्यव-हार किया जा रहा है।

अध्यापकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग

2678. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने सरकार को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृत तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : जी हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने अभी अन्तरिम रिपोर्ट की जांच करनी है।

विवरण

दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को 25 जून, 1984 को भेज दी है। स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित आयोग—1 की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए जो स्कूली-शिक्षा के क्षेत्र की सभी गतिविधियों को मानीटर करेगा तथा उनका समन्वय करेगा।

(2) शिक्षकों तथा उनकी भर्ती के स्तरों का नियन्त्रण करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा इसे उपयुक्त स्तर दिया जाना चाहिए।

(4) इस योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को दिए गये लाभों को अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान में गति लानी चाहिये।

(5) एक राष्ट्रीय शिक्षा कोष स्थापित किया जाये जो विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त कर सके।

(6) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को प्रोन्नत करने के लिए, छात्राओं आदि को पुस्तकें, मध्याह्न भोजन तथा वर्दियों की व्यवस्था के रूप में अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

(7) सभी प्रौढ़ जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा में शामिल करने के लिए इसका उपयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए।

(8) गैर-औपचारिक कार्य क्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए और दूरदर्शन नेट वर्क तथा रेडियो पर प्रयोग किये जाने वाले साफ्ट-वेअर का बड़े पैमाने पर विकास किया जाना चाहिये।

(9) स्कूली अध्यापकों की वेतन संबंधी संरचना तथा पदोन्नति के अवसरों की उपयुक्त रूप से जांच की जानी चाहिए। इन्हीं से मिलती जुलती अथवा समकक्ष अपेक्षित अर्हताओं वाले अन्य व्यवसायों को दिये जाने वाले वेतनों के साथ अनुकूल दृष्टि से इसकी तुलना की जानी चाहिये।

(10) अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को पर्याप्त जीवन-स्तर, आवास, चिकित्सा सुविधाएं उनके बच्चों के लिये शिक्षा, सेवा-निवृत्ति के लाभ तथा उनके आश्रितों के लिये रोजगार उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

(11) स्कूली अध्यापकों को अपनी व्यवसाय दक्षता को उन्नत करने के लिये अध्ययन अवकाश प्रदान करना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय-शिक्षक आयोग-II ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) शिक्षा की प्रासंगिकता की संकल्पना तथा अन्य मन्त्रालयों से इसका सम्बन्ध जोड़ने के लिए विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा विचार किया जाना चाहिए और जनशक्ति की तदनुरूपी आवश्यकताओं तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रत्येक मन्त्रालय के योजनागत आवंटन की कुछ प्रतिशतता निर्धारित की जानी चाहिए।

(2) विद्यमान योग्यता-एवं-पदोन्नति योजना को इस तरह लागू किया जाए जिससे अधिकांश अध्यापक लाभान्वित हों।

(3) सभी अध्यापकों को रहने के लिए मात्र न्यूनतम स्थान सहित आवश्यक आवास या

तो परिसर में अथवा विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा विकसित और चलाई जा रही आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिये ।

(4) अध्यापकों को अपने पाठ तैयार करने तथा छात्रों से मिलने की सुविधाए उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा जहां कहीं भी पुस्तकालय की सुविधाएं अध्यापकों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध न हों, वहां इन सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए ?

(5) जब तक सभी अध्यापकों को के० स्वा० से० यो० जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक सभी अध्यापकों को 500/-रु० प्रति वर्ष न्यूनतम राशि दी जानी चाहिए ।

(6) कालेजों तथा विश्व विद्यालयों में तदर्थ तथा अस्थायी नियुक्तियां बन्द कर दी जानी चाहिए ।

(7) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अध्यापकों को व्यवसायिक विकास के अवसर प्राप्त हैं, इस दृष्टि से विषय-वार सेमिनार तथा कार्यशालाएं जल्दी-जल्दी आयोजित की जानी चाहिए ।

(8) पुस्तकें लिखना अथवा आडियो या वीडियो पद्धतियों के लिए साफ्ट-वेयर तयार करने जैसे शैक्षिक लक्ष्यों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये ।

(9) प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्कूल हो जो दाखिले में अध्यापकों के बच्चों को वरीयता दे ।

(10) जहां कहीं भी अध्यापिकाओं के लिये प्रसूति-अवकाश, शिशु सदन जैसी व्यवस्था की सुविधाएं उपलब्ध न हों, वहां इनका विकास किया जाना चाहिए ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्धता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु आबंटन में वृद्धि करना

2679. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अन्धता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु, चालू योजना अवधि की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन में चार-गुना वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कुल कितना अनुदान मांगा गया है ।

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रखी गई लगभग सारी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्धता पर नियंत्रण करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के लिये 22.00 करोड़ रुपया रखा गया है ;

चित्तौड़गढ़ से जलगांव बरास्ता खरगौन-लीखनगांव तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव

2680. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) से जलगांव बरास्ता खरगौन-लीखनगांव तक एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राजमार्ग पर कब कार्य शुरू होगा ;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ङ) यह नया राजमार्ग कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी और वाराणसी के बीच बुंदेलखंड एक्सप्रेस का देरी से चलना

2681. **श्री राम नाथ दूबे** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस गत चार वर्षों से झांसी और वाराणसी के बीच प्रति दिन चार घंटे देरी से चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने का है ताकि आम जनता को इसके देरी से चलने के कारण होनी वाली असुविधा से छुटकारा मिल जाए ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) बुन्देल खंड एक्सप्रेस का समयपालन संतोषजनक नहीं है और देरी से चलने का समय भिन्न-भिन्न है । चूंकि देरी से चलने का मुख्य कारण खतरे की जंजीर खींचना और हौजपाइप का अलग किया जाना है जिससे यह

अपने निश्चित समय से हटकर चलती है और जिसके फलस्वरूप दूसरी गाड़ियों को भी रुके रहना पड़ता है इसलिए इस बुराई को रोकने और समयपालन में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान चलाये जायेंगे ।

राजधानी में स्मारकों की खस्ता हालत

2682. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में स्मारकों की देख-रेख ठीक न होने के कारण उनकी हालत बहुत ही खस्ता है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्मारकों के नाम क्या हैं जिनकी हालत बहुत ही खस्ता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये राजधानी में स्मारकों की हालत में सुधार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, परिरण की अच्छी हालत में हैं और उनका अच्छी तरह रख-रखाव किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी हां । वर्ष 1984-1985 के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण (संरचनात्मक, रसायन और बागवानी) के लिये अस्थायी रूप से आबंटित निधियां 23,74,000/- रुपये हैं ।

जाजपुर-क्योंझर रोड पर रेलवे का ऊपरी पुल

2683. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के जाजपुर-क्योंझर रोड पर रेलवे के ऊपरि पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस पुल के कब तक बन जाने की आशा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) समपार के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का कार्य रेलवे और राज्य सरकार द्वारा मिलकर, भागीदारी के आधार पर किया जाता है । उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने दिनांक 2. 3. 84 के पत्र सं० 2078/टी/टी आर एल वाई-

24/82 के द्वारा सूचित किया है कि वे अभी इस काम को शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के कालेजों में सीटें

2684. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूली शिक्षा के बाद इस शैक्षणिक सत्र में कालेजों में दाखिला पाने के पात्र छात्रों की संख्या लगभग 40,000 है जबकि दिल्ली के कालेजों में केवल 28,000 सीटें ही उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उन सभी स्थानीय छात्रों को दाखिला देने की स्थिति में है जो कालेजों में दाखिला लेने के पात्र और इच्छुक हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत् शिक्षा स्कूल तथा गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में, असीमित संख्या में नामांकन की सुविधाएं प्रदान करता है।

दिल्ली जंक्शन पर दूसरा प्रवेश द्वार और नये प्लेटफार्म

2685. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या रेल मन्त्री दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार के बारे में 22 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को जंक्शन के खाली रहने वाले प्लेटफार्म संख्या 14 और 20 पर स्थानान्तरित न किये जाने के कारण क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली जंक्शन पर दूसरे प्रवेश द्वार और नये प्लेटफार्मों के निर्माण के लिये 1982-83 और 1983-84 के बजट में बड़ी धनराशि स्वीकृत किए जाने के बाद भी अभी तक काम आरम्भ/पूरा नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिल्ली जं० के प्लेटफार्म नं० 14

और 20 इतने लम्बे नहीं हैं कि उन पर लम्बी दूरी की गाड़ियां खडी की जा सकें।

(ख) 1982-83 और 1983-84 में क्रमशः धन के कम आबंटन के कारण, वास्तविक कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। 1984-85 में 90 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं और अब काम को शुरू किया जा रहा है।

पंजीकरण खिडकी के बाहर रोगियों के लियें शोल्टर

2686. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल में कई पंजीकरण खिड़कियों के बाहर कोई शोल्टर नहीं है और रोगियों को धूप/वर्षा में खड़ा रहना पड़ता है, और

(ख) यदि हां, तो रोगियों की सुविधा के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) लगभग सभी बाह्य-रोगी विभागों के रजिस्ट्रेशन काउन्टर अस्पताल के भवन के अन्दर ही हैं जिससे रोगी बरसात और धूप से बचे रहते हैं। नेत्र तथा कान, नाक, गला बाह्य-रोगी विभागों में पंजीकरण खिड़कियों से किया जाता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ब्लाक की मरम्मत का काम चल रहा है। वैसे, इन दो विभागों के रजिस्ट्रेशन काउन्टरों पर भी स्थाई शेड की व्यवस्था करने के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं।

विजयनगरम से कोटरपाड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 का विकास

2687. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 का विशेष रूप से विजयनगरम से कोटपाड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक पूरा विकास अभी तक नहीं हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह मार्ग एक राष्ट्रीय राजमार्ग की सूची में कब शामिल किया गया था और सड़क तथा पुलों को मान्य स्तर के अनुसार बदलने का काम योजना-वार कब शुरू किया गया था ;

(घ) इस राजमार्ग के लिये छठी योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी और अब तक कितने निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं ;

(ङ) क्या सम्बधिन्त अधिकारी ने उपरोक्त मार्ग के मार्ग और पुलों का विस्तृत प्राक्कलन उनके मन्त्रालय को भेजे है ; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) से (ग) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 की कुल लम्बाई 551 कि० मी० है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में 1947 में ही शामिल कर लिया गया था। इसके शामिल किये जाने के समय से विभिन्न योजनाओं के तहत इस पर विकास कार्य किये गए हैं और यह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लायक है, जिसमें विजयनगरम से कोटरपाड़ तक का खंड भी शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार धन का आबंटन किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। अब तक छठी योजना के लिये 60.3 लाख रुपये से संस्वीकृति 14 कार्यों को पूरा किया जा चुका है।

(ङ) और (च) इस मंत्रालय में उड़ीसा में पुलियों को चौड़ा करने और पुनर्निर्माण के लिए दो अनुमान प्राप्त हुए हैं जिस पर 93.69 लाख रुपये का अनुमानित व्यय होगा।

प्रौ० शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल

2688. **श्री जी०वाई०कृष्णन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने तथा विश्व-विद्यालयों और कालेजों के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहायता देने के लिए एक कार्य-दल बनाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कार्य-दल ने कुछ सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) क्या इस दल से उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां और खामियां देखी हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय के परामर्श से विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने, कमियों/कठिनाइयों को पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए अपनाये जाने वाले आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए डा० (श्रीमती) माधुरी आर०

शाह, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल से वि०अनु०आ० की प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखाओं की समीक्षा करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नई मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने में सहायता करने की भी अपेक्षा की गई थी।

(ग) और(घ) कार्यदल ने सरकार को प्रस्ताव की गई अपनी रिपोर्ट में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों/कठिनाईयों के बारे में बताया है और इसने कुछ सिफारिशें भी की हैं कार्यदल द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफरिशे संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

कार्यदल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

(1) विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जा सकता है। पहले चरण में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि और दूसरे चरण में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि की सूचना होगी। प्रथम चरण में सभी सम्बद्ध प्रकार के विश्वविद्यालयों और कम से कम 1,500 कालेज 15,000 से 20,000 केन्द्र संचालित करेंगे। दूसरे चरण में, कार्यक्रम के सूत्र सं० 16 में देश के सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को शामिल करके केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 50,000 की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालयों को एक इकाई के रूप में माना जाये और उसे अपने या उसके कालेजों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। विश्वविद्यासय अपनी योजनाओं को राज्य सरकारों और संबिंधत कालेजों के परामर्श से अन्तिम रूप दे। जो विश्वविद्यालय की वि० अनु० आ० को सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, उनके मामले में कालेजों द्वारा वि० अनु० आ० को सीधे प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय का कोई एक कालेज जो वि० अनु० आ० की सहायता का पात्र है, उसे उस अवधि तक कार्यक्रम को समन्वित करने की जिम्मेदारी दी जाये जब तक कि मूल विश्वविद्यालय वि० अनु० आ० की सहायता प्राप्त करने का पात्र न हो जाए।

(3) प्रत्येक विश्वविद्यालय और कालेज से तीन से पांच वर्षों की अवधि में सुनियोजित और चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से निरक्षरता को पूरी तरह से दूर करने के कार्यक्रम शुरू करने के लिए कम से कम गांवो या मुहल्लों या सामुदायिक क्षेत्रों या विकास खंडों को अपनाने की अपेक्षा की जानी चाहिए। जहां कहीं संभव हो निकटवर्ती क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिये। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और योजना के सभी स्तरों पर स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जाये।

(4) निम्नलिखित विशिष्ट सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जाता है । गैर-छात्र लोगों को निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेशकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिये । कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए पर्यवेक्षकों को सेवा में होना चाहिये । कालेजों विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा कार्य अलग-अलग कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिये । प्रौढ़ साक्षरता के कालेज कार्यक्रम-अधिकारी को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारी की तरह जेब खर्च दिया जाए । केन्द्र में शिक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 30 तक ही नहीं होनी चाहिए । यह 20 की औसत उपस्थिति से 25-30 हो सकती है । कालेजों को वित्तीय सहायता 10 केन्द्रों से भी कम के आयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाये ।

(5) शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार विश्वविद्यालय शिक्षा के तीन उद्देश्य हैं और इन्हें समान महत्व दिया जाना चाहिए । विस्तार क्रियाकलाप उच्चतर शिक्षा का एक प्रमुख आयाम है । इसे प्रत्येक क्षेत्र में धीरे-धीरे व्याप्त होना चाहिए ।

(6) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को न केवल समाज के वंचित वर्गों की शैक्षिक और अन्य विकासात्मक जरूरतों के लिये अपने योगदान के वास्ते प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में अवश्य भाग लेना चाहिये । बल्कि अपनी पाठ्यचर्या आयोजना और युवा विकास की प्रक्रियाओं में इस प्रकार की बातों को भी अधिक से अधिक शामिल करना चाहिये ।

(7) महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, प्रवासी श्रमिकों, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों में साक्षरता दर बहुत कम है । अतः इन वर्गों के साक्षरता स्तर में सुधार करने के लिये प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । शारीरिक रूपसे विकलांगों के लिये प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के आयोजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

(8) विश्वविद्यालयों/कालेजों को उसी स्तर/मानदण्डों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुमोदित है ।

(9) सामान्यतः कम से कम पाँच केन्द्रों के आयोजन के लिये सहायता प्रदान की जाए । तथापि, महिला कालेजों, ग्रामीण, पिछड़े (राष्ट्रीय औसत साक्षरता स्तर से नीचे) और जनजातीय क्षेत्रों के कालेजों के मामले में दो केन्द्रों के आयोजन के लिए भी सहायता दी जा सकती है । "प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाए" के माध्यम से प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिये विश्वविद्यालयों/कालेजों को भी सहायता दी जा सकती है ।

इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच चलने वाली पैसेंजर रेलगाड़ियों में से एक कोएक्सप्रेस रेलगाड़ी बनाना

2686. **श्री जयराम वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहालवाद और फैजाबाद के बीच प्रतिदिन तीन रेलगाडियां चलती हैं और तीनों ही पैसेंजर रेलगाड़ियां हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन रेलगाड़ियों के डिब्बे बहुत खराब हालत में हैं और यह रेलगाड़ियां प्रायः बहुत विलम्ब से चलती हैं;

(ग) क्या जनता ने तीनों रेलगाड़ियों में से एक को एक्सप्रेस रेलगाड़ी बनाने और डिब्बों की हालत सुधारने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि फैजाबाद को उस क्षेत्र में आरम्भ की जा रही नई रेलगाड़िय की सेवाओं से वंचित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) (क) जी, हां।

(ख) इलाहबाद-फैजाबाद सवारी गाड़ियों को समय पाबन्दी इस लिए संतोषजनक नहीं है क्योंकि खतरे की जंजीर खींचने और होज पाइप काटने की घटनाएं बहुत भारी संख्या में होती हैं।

इन गाड़ियों में अन्दरूनी सूख सुविधा फिटिंगों की दशा मानक स्तर की नहीं हैं, जिसका मुख्य कारण है इस खण्ड में बार-बार की गुंडागर्दी और फिटिंगों की विशेष खिड़की पेनलों, बिजली फिटिंगों स्नानागार की फिटिंगों आदि की चोरियां।

इन गाड़ियों में समय-पाबन्दी में सुधार के लिए कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) जी हां,।

(घ) इस बात की जांच की जा रही है कि क्या तीन मोजूद सवारी गाड़ियों में से एक को तेज गाड़ी में बदला जा सकता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) सवाल ही नहीं उठता।

अमृतपुरी ए एण्ड बी गढ़ी गांवों आदि में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा-लय खोला जाना

2690. **श्री लालाराम केन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि अमृतपुरी ए एंड बी गढ़ी गांव, सन्त नगर, प्रकाश मोहल्ला और **इस्ट आफ कैलाश** में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का कोई चिकित्सालय नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कालोनियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा **के लिये** काफी दूर जाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां तो इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमरी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क), (ख) और (ग) नहीं । अमृतपुरी, "ए" एंड "बी" गढ़ी गांव प्रकाश मोहल्ला और पूर्वी कैलास में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कमचारी श्री निवासपुरी स्थिति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 37 में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और सन्त नगर में रहने वाले कर्मचारी कालकाजी-1 स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 42 में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं । ये क्षेत्र संबन्धित औषधालयों से निर्धारित दायरे के अन्दर स्थित हैं ।

गढ़ चिरोली में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित करना

2691. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ क्षेत्र (महाराष्ट्र) में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय कब लिया गया था और योजना आयोग द्वारा इसे कब मंजूरी दी गयी;

(ख) क्या सरकार को इसे विदर्भ में नए बनाए गए एक आदिवासी जिले गढ़चिरोली में जहां पर लोह अयस्क के बड़े भण्डार हैं, स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव अथवा अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो गढ़चिरोली में यह कारखाना स्थापित करने का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और कब उसमें उत्पादन आरम्भ होगा और उसका अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) नये सवारी डिब्बा कारखाने के स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की है

परन्तु विशिष्ट रूप से गढ़चिरोली में नहीं।

(ग) मैसर्स रेल इंण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिकल सर्विसेज को स्थान निर्धारण सर्वेक्षण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद कारखाने का स्थान-निर्धारण करने और उसकी स्थापना करने के संबन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कारखाने की स्थापना के लिए आगे की कार्यवाई योजना आयोग द्वारा इसके लिए धन उपलब्ध कराये जाने के बाद की जायेगी।

धूम्रपान और तत्संबंधी विज्ञापन को रोकना

2692. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के लोगो के स्वास्थ्य के हित में, धुम्रपान को समाप्त करने और उसे निरुत्साहित करने के लिए किया उपाय किये हैं;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष इस आदत को रोकने के लिये विज्ञापनों आदि के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गईहै;

(ग) सिगरेट निर्माताओं ने गत तीन वर्षों के दौरान, विज्ञापनों, स्लोगन लिखवाने, प्रोत्साहन व पुरस्कार देने, लकी ड्रा आदि के विजेताओं को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने पर कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) सरकार द्वारा धूम्रपान के विरूद्ध दी गई वैधानिक चेतावनी को देखते हुए निर्माताओं को विज्ञापनों पर इतनी राशि खर्च करने की अनुमति कैसे दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) और (ख) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 1975 के उपबन्धों के अनुसार सिगरेट के निर्माताओं को सिगरेट के प्रत्येक पैकेट/विज्ञापन होर्डिंग पर सांविधिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" प्रदर्शित करनी होती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, खेल स्टेडियम ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे जो धूम्रपान को प्रोत्साहित करता हो। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्य/संघ शासित क्षेत्रों ने सिनेमा घरों, बसों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन फिल्म और प्रकाशन तथा मैगजीनों जैसे जनप्रचार साधनों के जरिए धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में जन स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार अभियान चलाए गए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में लगातार शैक्षिक सामग्री छापता रहता है।

(ग) इस प्रकार के आंकड़े एकत्र और संकलित नहीं किए जाते।

(घ) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 1975 में सांविधि की चेतावनी प्रदर्शित करना अपेक्षित है और इसमें विज्ञापन आदि पर होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना

2693. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री बापूसाहिब पारूलेकर :

श्री छीतू भाई गमित : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की बात अब सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में कला और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों के संकायों में प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में परम्परागत कार्यक्रमों में कुछ संगत प्रयोगोन्मुख विषयों को शुरू करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, यह जरूरी नहीं है कि प्रायोज्य स्वरूप के पाठ्यक्रम व्यवासायिक या रोजगारोंन्मुख पाठ्यक्रम ही हों।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के अनुसार प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यकमों में तीन घटक अर्थात विभिन्न क्षेत्र की जागरुकता उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रमों का एक सेट, छात्रों को चुने गए विषयों में इनमें से कम से कम एक के गहन अध्ययन सहित गति व्यापक जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए कोर- पाठ्यक्रमों का सेट; और स्थानिय या क्षेत्रीय आवश्यकताओं और क्षेत्र के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए चुनिन्दा प्रायोगिक प्रकृति के पाठ्यक्रमों का सेट। मार्गदशी रूप-रेखाओं में मूल विषयों से सम्बद्ध ऐसे पाठ्यक्रमों की निदर्शी सूची दी गई है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग एक लाख रुपये एक प्रति वर्ग प्रति कालेज के हिसाब से कालेजों की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है।

मूल चन्द अस्पताल, दिल्ली में डाक्टरों द्वारा दिल के दौरे का इलाज की पद्धति का विकास

2694. **श्री कमल नाथ :** क्या स्वास्थय और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या मूलचन्द अस्पताल दिल्ली के डाक्टरों के एक दल ने दिल के दौरे के सफल इलाज के लिए एक पद्धति का विकास किया है;

(ख) क्या यह इलाज कम खर्चीला है, और

(ग) क्या यह इलाज अन्य अस्पतालों में भी करने की शिफारिश की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : (क) से (ग) मूलचन्द अस्पताल जो एक प्राइवेट अस्पताल है, ने तीव्र मायोकार्डियल इन्फर्कशन के इलाज के लिए "Iv- स्टेप्टोकाइनेज एण्ड ओरल निफेडिपाइन" नामक एक नये उपचार का प्रयोग किया है अस्पताल के अनुसार यह उपचार जो एक मार्गदर्शी अध्ययन के रूप में है, अभी भी प्रायोगिक और अनुसंधान की आवश्यकता में है और एक नियंत्रित आकस्मिक अध्ययन द्वारा इसका आगे और मूल्यांकन किए जाने की अःवश्यकता है।

सी० जी० एच० एस० के डाक्टरों को नियमित करना और उनका विरिष्ठता क्रम निर्धारित करना

2695. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के अन्तर्गत शुरू में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए डाक्टरों को न्यायालय के फैसले के परिणाम-स्वरूप, बाद में नियमित कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे डाक्टरों की संवर्ग में वरिष्ठता उनकी शुरू की नियुक्ति की तारीख से ही ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के मामले में भी, जिनकी सेवायें अब नियमित कर दी गई हैं, वही नियम लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एन० जोशी) :

(क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जरूरतों को पूरा नहीं करती। वास्तव में कर्मचारी राज्य बीमा निगम 21 फरवरी, 1679 से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवासे स्वेच्छा से अलग हो गया था। केन्द्रीय स्वास्थय सेवा में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा निगम, 1982 के अनुसार की जाती है जबकि चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपने ही निगम और विनियम हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम में तदर्थ आधार

पर काम करने वाले कुछ अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने यह निर्णय दिया कि "वे याचिका दाता जो अपने नियुक्त आदेश के अन्तर्गत एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे और इस एक वर्ष की अवधि के बाद प्रतिवादी द्वारा उनकी नियुक्त जारी रखी गई थी, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1984 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया और इसलिए उन याचिका-दाताओं का चयन नए सिरे से नहीं करना होगा और उन्हें उनकी आरम्भिक नियुक्त की तारीख में सेवा में नियमित रूप से नियुक्त समझा जाना होगा।" कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जिन चिकित्सा अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की, उनके, सेवा शर्तों से सम्बन्धित सभी मामले दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 अगस्त, 1982 के विनिर्णय के अनुसार तय किए जाने होंगे।

केन्द्रीय स्वास्य सेवा में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों की सेवा शर्तें 13 नवम्बर, 1982 को अधिसूचित किए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य रेवा में नियमों और केन्द्रीय सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अनुसार तय की जाती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के उपबन्ध केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों पर लागू नहीं होते।

गांवों में काम कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षक और उनका पारिश्रमिक

2696. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में विभिन्न गांवों में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षक (राज्यवार) काम कर रहे हैं ;

(ख) उनका कार्य क्या है ;

(ग) इसके लिए उन्हें कितना पारिश्रमिक (मासिक) मिल रहा है ;

(घ) क्या उनका पारिश्रमिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) अब तक प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइडों की (राज्य वार) संख्या इस प्रकार है:

	राज्य/संघ शाशित क्षेत्र का नाम।	आरम्भ से मार्च, 1984 तक प्रशिक्षित ग्राम स्वास्थ्य गाइड।
1.	आंध्र प्रदेश	28935
2.	असम	13894

1	2	3
3.	बिहार	7424
4.	गुजरात	22973
5.	हरियाणा	9953
6.	हिमाचल प्रदेश	4386
7.	जम्मू व कश्मीर	वैकल्पिक योजना
8.	कर्नाटक	9753
9.	केरल	वैकल्पिक योजना
10.	मध्य प्रदेश	30129
11.	महाराष्ट्र	40181
12.	मणिपुर	1880
13.	मेघालय	1850
14.	नागालैंड	340
15.	उड़ीसा	19895
16.	पंजाब	5579
17.	राजस्थान	11624
18.	सिक्किम	264
19.	त्रिपुरा	1755
20.	तमिलनाडु	वैकल्पिक योजना
21.	उत्तर प्रदेश	53528
22.	पश्चिम बंगाल	40947
संघ शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	346
24.	अरुणाचल प्रदेश	वैकल्पिक मेडिकल योजना।

1	2	3
25.	चंडीगढ़	23
26.	दादर व नगर हवेली	74
27.	दिल्ली	160
28.	गोवा, दमन व दीप	813
29.	लक्षद्वीप	42
30.	मिजोरम	673
31.	पाण्डिचेरी	278
	योग :	3,67,799

(ख) स्वास्थ्य गाइडों के कार्य इस प्रकार हैं :—

1. स्वास्थ्य शिक्षा

1. सुरक्षित पीने का पानी।

2. तरल और ठोस पानी का निपटान।

3. घर की सफाई स्वच्छता।

4. मल मूत्र के निपटान के लिए स्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल करना (लेटरीन फील्ड आदि का इस्तेमाल)

5. कीड़े-मकोड़ों, पेस्ट, कृन्तक आदि का नियन्त्रण

6. धुआं रहित चूल्हा।

7. खाद्य स्वच्छता।

2. पर्यावरण स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान

1. पानी सप्लाई करने के स्रोत में क्लोरीन मिलाना।

2. मच्छरों, मक्खियों आदि के पनपने के स्थान

3. रिसते घड़ स्वच्छ शौचालय।

4. व्यक्तिगत सफाई।

3. मातृ और नवजात शिशुओं की देखभाल :

1. प्रसव-पूर्व देखभाल के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करना ।

*2. प्रसव-पूर्व सभी महिलाओं की जांच करना और गर्भावस्था के दौरान उन्हें आवश्यक देखभाल करने के बारे में सलाह देना ।

3. गर्भावस्था तथा दूध पिलाने के दौरान पोषण के बारे में गर्भवती महिलाओं को सलाह देना ।

4. सभी गर्भवती महिलओं को लौह और फोलिक एसिड की गोलियां बांटना

5. सभी गर्भवती महिलओं को टी० टी० रोग प्रतिरक्षण के टीकों की महत्ता के बारे में शिक्षित करना और इसके बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता (महिल) स्वास्थ्य (महिला) की सहायता से प्रबन्ध करना ।

6. अधिक खतरे वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाना और उन्हें नियमित रूप से उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जांच करवाने की सहाह देना ।

7. सुरक्षित प्रसव कराने में प्रशिक्षित दाइयों बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता (महिला) की सहायता करना ।

8. आवश्यक प्राथमिक उपचार के बाद प्रसव के सभी जटिल केसों की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी के लिए या डाक्टर के पास भेजना ।

9. प्रसव के बाद देखभाल की व्यवस्था करना ।

10. छोटी-मोटी बीमारियों का उपचार करना ।

11. बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता (महिला) जब गांव का दौरा करे तो उसे उन महिलाओं के बारे में सूचना देना जिन्हें प्रसवकालीन प्रसव के बाद और नवजात शिशु की देखभाल तथा रोग प्रतिरक्षण की सुविधाओं की आवश्यकता है ।

4. नवजात और बच्चों की देखभाल

1. माताओं की स्तनपान, मां का दूध छुड़ाने के लिए अन्य पूरक आहार और शिशु की देखभाल करने के बारे में सलाह देना ।

2. अल्प-पोषित/कुपोषण से पीड़ित नवजात और बच्चों का पता लगाना और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजना ।

* यह कार्य पुरुष स्वास्थ्य गाइडों द्वारा नहीं किए जाना है ।

3. बच्चों के लिए भोजन की आवश्यकताओं और पूरक आहार के बारे में माताओं को जानकारी देना ।

4. अल्परक्तता से पीड़ित बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां सप्लाई करना।

5. विटामिन "ए" की कमी से बच्चों का बचाव करना।

6. पेचिश से पीड़ित शिशुओं/बच्चों की देखभाल के बारे में माताओं को शिक्षित करना तथा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

5. रोक प्रति रक्षण

1. माताओं को रोगप्रतिरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना।

2. रोग प्रतिरक्षण के प्रकार, बूस्टर खुराक का महत्व।

3. जिन बच्चों का रोग प्रतिरक्षण की आवश्यकता है उनका रिकार्ड रखना।

4. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से सेवाओं के लिए प्रबन्ध करना।

6. परिवार नियोजन

1. छोटे परिवार की आवश्यकता के बारे में दम्पत्तियों को शिक्षा देना।

2. बच्चों के जन्म में अन्तर रखने और परिवार को सीमित रखने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा उनको स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना।

3. स्वास्थय कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायकों की सहायता से स्वीकारकर्ताओं के लिए सेवाओं का प्रबन्ध करना।

4. चिकित्सा से गर्भ समापन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की वैद्यता और उपलब्धता के बारे में सूचना प्रदान करना।

5. निरोध और खाई जाने वाली गोलियों के वितरण के लिए डिपो होल्डर के तौर पर कार्य करना।

6. ओरिएंटेशन शिविरों में भाग लेना तथा गांव में अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ओरिएंटेशन शिविरों में भाग लेने वालों को शामिल करना।

7. मलेरिया।

1. बुखार वाले रोगियों का पता लगाना।

2. बुखार वाले रोगियों की रक्त स्लाइड्स तैयार करना तथा जांच करने हेतु उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता को देना।

3. मलेरिया का संभावित और निर्मूलक उपचार प्रदान करना

4. मलेरिया की रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करना ।

8. संचारी रोग

1. महामारी का पता लगाना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इसके बारे में सूचना देना ;

2. महामारी को फैलने से रोकने लिए उपचारात्मक उपाय करना ।

कुष्ठ संदिग्ध रोगियों का पता लगाना और डाक्टर के पास जाने की उन्हें सलाह देना, संदिग्ध रोगियों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) को सूचित करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना कुष्ठ के रोगियों का रिकार्ड रखना और उन्हें लगातार उपचार देना ।

क्षय रोग

संदिग्ध रोगियों का पता लगाना और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाने की सलाह देना । संदिग्ध रोगियों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) को सूचित करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, उन रोगियों का पता लगाना जिन्हें यह रोग हो गया है और उन्हें सलाह देना कि वे अपेक्षित अवधि तक लगातार इलाज करवाते रहें ।

दृष्थिहीनता कार्यक्रम

1. दृष्टिहीन व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखना और उन्हें उपचार की व्यवस्था करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनकी सूची भेजना ।

2. विटामिन "ए" की कमी को रोकना ।

3. रोहों से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान करना ।

10. छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज

11. आपाती मामलों में प्राथमिक सहायता

12. जन्म-मरण के आंकड़

1. उसके गांव में होने वाले जन्मों और मौतों की जानकारी रखना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दौरे के दौरान उन्हें यह जानकारी देना ।

13. लोगों का सहयोग

1. अपने कार्यकलापों और गांव की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के बारे में ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को जानकारी देना ।

2. स्वास्थ्य शिक्षा और छोटा परिवार अपनाने की धारणा को बढावा देने में ग्राम

स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को सहयोजित करना ।

3. ग्राम स्वास्थ्य गाइड की सहायता से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अच्छी सेवाए प्राप्त करना ।

(ग) और (ङ) स्वास्थ्य गाइड स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं इसलिए उन्हें उनके कार्य के लिए कोई परिश्रमिक नहीं दिया जाता । वैसे, जेब खर्च के रूप में उन्हें प्रति माह 50/- रुपये का मानदेय दिया जाता है । स्वास्थ्य गाइड स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते है इसलिए उन्हें किसी प्रकार का मानदेय देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों के बीच पुनः असंतोष

2697. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तन और गोदी कर्मचारियों के साथ हाल में हुए समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच पुन: औद्योगिक असन्तोष पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति पुनः पैदा होने और असन्तोष के क्या कारण हैं, और

(ग) कर्मचारियों के असन्तोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चांदमारी और रेलपार टनल का विस्तार

2698. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल ग्रान्ड कोर्ड लाइन पर स्थित चांदमारी टनल और रेल पार टनल के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए यातायात की सुविधा के लिए किसी उपरि पुल का निर्माण किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार मौजूदा उपमार्ग का विस्तार करने/चौड़ा करने अथवा बढ़े हुए सड़क यातायात को पूरा करने

के लिए नये फलाई औवर पुल के निर्माण करने पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। इस आधार पर चांदमारी सुरंग का विस्तार करने/चौड़ा करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में समुद्री शिक्षा

2699. **श्री दीनबंधु वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यालयों और महा विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में समुद्री शिक्षा शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) शिक्षा की 10+2 पद्धति के लिए अनुशंसित पाठ्यचर्या में अतः सागरीय उभारदार सम्बन्धी मुख्य बातें, समुन्द्री संसाधन, सागर वनस्पति, जीव और जन्तु, समुन्द्र में जीवन की उत्पत्ति आदि सम्बन्धी सूचना जैसे सागर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर लिया गया है।

कुछ विश्वविद्यालयों ने स्नातकोत्तर स्तर पर समुद्री जीव विज्ञान, सागर भू-विज्ञान, रसायनिक समुन्द्र विज्ञान तथा भौतिक समुन्द्र विज्ञान जैसी सागर शिक्षा में विशेष शैक्षिक विषय भी आरम्भ कर दिये हैं।

कोचीन शिपयार्ड में प्रबंध सम्बन्धी समस्याएं

2700. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड में लम्बे समय से प्रबन्ध सम्बन्धी गम्भीर समस्यायें चल रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कोचीन शिपयार्ड को कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी यूनियन से सम्बद्ध कुछ कर्मचारियों द्वारा धीरे काम करो और अनुशासनहीनता सहित गंभीर श्रमिक संघर्ष का नवम्बर, 1983 से सामना

करना पड़ा । प्रशासन को यूनियन की अधिकांश मागें एकदम अस्वीकार्य थी । केरल राज्य के श्रम मंत्री ने मध्यस्थता करने के लिए अनेक बैठकें बुलाई किन्तु इसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। यूनियन ने 31.5.84 के अपराह्न से हड़ताल शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन 800 ऐसे श्रमिकों के लिए आंशिक रूप से तालाबन्दी की घोषणा कर दी जिन्होंने अवैध हड़ताल में भाग लिया । इसके बाद यूनियन ने 2.6.84 से अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरु कर दी किन्तु प्रबंध ने अनुचित माँगों के विरुद्ध कड़ा रूख अपनाया जिनसे अनुशासन और उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ता था । अंततः 23.6.84 को समझौता हो गया जिसमें प्रशासन के बुनियादी रवैये के बारे में सहमति व्यक्त की गई ।

हड़ताल समाप्त हो गई और 25.6.84 से तालाबंदी भी समाप्त कर दी गई । जिस से शिपयार्ड में स्थिति सामान्य हो गई ।

12 घंटे की पारी के आधार पर सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों का कार्यकरण

2701. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियां 12 घंटे की पारी के आधार पर चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरियों सहित और अधिक डिस्पेंसरियों में यह प्रणाली क्यों लागू नहीं की जा सकती है

(ग) क्या भारत सरकार का इस मामले में कोई निर्णय लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (घ) जी हां, । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग/कर्मचारी निरीक्षण एकक और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर कुछ एलोपैथिक औषधालयों में, जहां पर निर्धारित मानदण्डों के कार्यभार अधिक हैं, एक पारी की पद्धति आरम्भ की गई है । इस पद्धति को अन्य औषधालयों में आरम्भ करने के प्रश्न पर इससे होने वाले अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाएगा ।

झज्जर में रेल लाईन की व्यवस्था करना

2702. **श्री चिरंजी लाल वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के रोहतक जिले में झज्जर सब-डिवीजन के लोगों की

और से झशर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या इस पिछड़े क्षेत्र को लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं के कारण झज्जर को बड़ी लाइन से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय बन्दरगाहों से जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

2703. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
श्री के० प्रधान : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान जापान का कुल कितने टन लौह-अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा पारादीप बन्दरगाह से वर्ष 1983-84 के दौरान जापान को कुल कितने टन के लौह-अयस्क का निर्यात किया गया ; और

(घ) भारीय नौवहन कम्पनियों द्वारा पारादीप बन्दरगाह से जापान तथा अन्य देशों को वर्ष 1984-85 के दौरान लौह-अयस्क के निर्यात कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान भारतीय जहाजों से खनिज और धातु व्यापार निगम के द्वारा जापान को 14.06 लाख टन कच्चा लोहा भेजा गया।

(ग) शून्य

(घ) जापान ने वर्ष 1984-85 के दौरान परादीप पत्तन से 5 लाख टन कच्चा लोहा मंगाने के लिए सहमति व्यक्त की है। अन्य मुख्य क्रेताओं के साथ परादीप पत्तन से भारतीय जहाजों पर कच्चा लोहा मंगाने के बाबत अन्य मुख्य क्रेताओं से भी अनुरोध किया जा रहा है।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के निर्माण के लिए दिये गये आशय पत्र तथा लाइसेंस

2705. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश उद्यमी, जिन्हें खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र और यहां तक कि लाइसेंस भी दे दिए गए हैं, अपनी योजनाओं की कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस प्रकार के सिलेन्डरों के निर्माण के लिए कितनी एककों में निर्धारित प्रगति नहीं हुई है ;

(ग) उन एककों द्वारा कुल कितनी उत्पादन क्षमता निर्मित होने का अनुमान था ; और

(घ) दोषी उद्यमियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीपट्टाभिराम राव) : (क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन एल०पी०जी० सिलिन्डरों का निर्माण करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इस वस्तु के लिए निर्माण सुविधायें तकनीकी विकास महानिदेशालय के अधीन पंजीकृत कराने के बाद ही उत्पन्न की जा सकती हैं। कुछ पंजीकृत एकक अपनी वैद्य अवधि के भीतर उत्पादन प्रारम्भ करने में समर्थ नहीं हैं।

(ख) और (ग) एल०पी०जी० सिलेन्डरों के लिए 28-7-1984 तक तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत एककों की संख्या 653 है जिनकी कुल क्षमता 12.8 करोड़ है। 62 एककों का पंजीकरण जो योजना के अनुसार कार्य करने में असफल रहे रद्द कर दिया गया है।

(घ) पंजीकृत एककों की कार्यान्वयन प्रगति पर नजर रखी जाती है। पंजीकरण दो वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है जिसके भीतर एककों को उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक है। उद्यमियों द्वारा यदि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है।

कोचीन-निजामुद्दीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस से किचन-कार हटाना

2705. **श्री ए० के० बालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस से किचन-कार हटा दी गई है और उसे किसी अन्य रेल गाड़ी के साथ जोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) जयन्ती जनता एक्सप्रेस में नई किचन-कार कब मुहैया की जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चिकमंगलूर से कडूर तक रेल लाइन

2706. **श्री डी. एम. पुत्ते गौड़ा** : क्या रेल मन्त्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकमंगलूर जिले के लोग पिछले 50 वर्षो से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का चिकमंगलूर से कडूर तक एक रेल लाइन का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) चिकमंगलूर से कुडूर तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) कुडूर से चिकमंगलूर तक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए एक प्रारंभिक इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही इस लाइन का निर्माण करने का निर्णय लिया जा सकता है, बशर्ते कि इसे योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाये और संसाधन उपलब्ध हों।

हुबली कारवार रेल लाइन का निर्माण

2707. **श्री डी० के० नायकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हुबली कारवार रेल लाइन का निर्माण आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्क किया जाएगा ;

(ग) पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण जिसके लिए 1982 में आदेश दिये गये थे की रिपोर्ट में की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) इस लाइन के प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद इस लाइन का निर्माण करने के बारे में निर्णय लेने के लिए योजना आयोग के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जाएगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

सेन्टो स्कूटरों में दोष

2708. **श्री अनवार अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री सेन्टों स्कूटरों में दोष और बुकिंग की राशि वापस किए जाने के बारे में 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित दोषों को दूर कर दिया गया है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ख) क्या स्कूटर की बाजार में अब अच्छी बिक्री होने लगी है ;

(ग) क्या जिन व्यक्तियों ने मेसर्स, नई दिल्ली (कोड एन० डी० एल०-069) के पास बुकिंग कराई थी और अपनी बुकिंग की 500 रुपये की राशि वापस किए जाने के लिए नवम्बर, 1983 में आवेदन किया था उन्हें ब्याज सहित वह राशि लौटा दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन लोगों को उपर्युक्त राशि ब्याज सहित कब तक वापिस कर दी जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां। अधिकांश खराबियां दूर कर दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) नियम और शर्तों के अनुसार सेन्टों स्कूटरों की बुकिंग रद्द कराने पर ब्याज नहीं दिया जाता है। कम्पनी की कठिन अर्थोपाय स्थिति के कारण इच्छुक आवदकों को प्रति आवेदक 500 रुपये की मूल राशि धीरे-धीरे लौटाई जा रही है।

दिल्ली परिवहन की बसों को सुपर बजार, कनाट प्लेस बस स्टाप पर रोका जाना

2709. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस स्थिर सुपत बाजार में राजधानी के सभी भागों से लोग आपने घरेलू उपयोग का सामान खरीदने आते हैं और सुपर बाजार से होकर जाने वाली सभी बसों के वहां न रुकने के कारण उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार से होकर जाने वाली सभी बसों के वहां रुकने की व्यवस्था की जागगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) कनाट प्लेस में अन्य स्थानों की तरह सुपर बाजार भी एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है और प्रतिदिन यहां काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दिल्ली परिवहन निगम की छह रुटों को सर्विस यहां से शुरू होती है। इसके अलावा यहां 31 रूटों की बसों का स्टापेज है। यातायात पुलिस के परामर्श से बस स्टापों की मौजूदा योजना तैयार की गई है। सुपर बाजार में किसी अतिरिक्त रुट की बसों के लिए स्टापेज बनाना व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही ट्रैफिक की काफी भीड़ होती है। इसके ठीक नजदीक में दिल्ली अग्नि सेवा और टेलीफोन केण्द्र है

और टेलीफोन केन्द्र और अग्निशामन केन्द्र को हर प्रकार के यातायात अवरोध से मुक्त रखना जरूरी है। दिल्ली परिवहन निगम ने कनाट प्लेस से होकर जाने वाली लगभग सभी बसों का स्टापेज इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि ये ऐसे स्थान पर बनाए जाए जहां के लिए सुपर बाजार से पैदल चल कर आसानी से पहुंचा जा सकता है।

जम्मू—उधमपुर रेल लाइन

2710. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में "उधमपुर रेल लाइन स्टाण्ड्स आफ फंड्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार इस सम्बन्ध में परियोजना अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रही है और आवश्यक सहायता नहीं दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां;

(ख) संसाधनों की समग्र कठिन स्थिति को देखते हुए इस परियोजना के लिए 1984-85 के दौरान केवल 2 करोड़ रुपये का आबंटन संभव हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें इस परियोजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में जम्मू और कश्मीर सरकार अपना पूरा सहयोग न दे रही हो।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन काउन्सिल आफ पैरा-मैडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान लाने का निर्माण करने में देरी

2711. **श्री सज्जन कुमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री इन्डियन काउन्सिल आफ पैरा-मेटिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान के बारे में 22 मार्च 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त विधान लाने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निर्णय करने में अत्याधिक देरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में विधायी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा उसके बाद शीघ्र ही एक बिल पेश किया जाएगा।

संसद सदस्यों को मारुति कारों का आबंटन

2712. **श्री अशफाक हुसैन :**
श्री नवीन रावणी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के उन सदस्यों की संख्या कितनी हैं जिन्होंने निर्माताओं के कोटे से उनके नाम बिना पारी के मारुति कारें रिलीज करने के लिए उद्योग मन्त्री से अनुरोध किया है ;

(ख) 15 जुलाई, 1984 तक संसद सदस्यों को निर्माताओं के कोटे से बिना पारी के कितनी मारुति कारें दी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार संसद के इस सत्र के दौरान संसद सदस्यों को विशेषकर उन संसद सदस्यों को जिन्होंने अपेक्षित राशि जमा करके नियमित रूप से पहले ही अपने नाम पंजीकृत किए हैं, निर्माताओं के क़ोटे से मारुति कारें देने के लिए मारुति उद्योग से कहेगी; और

(घ) मारुति उद्योग प्रति मास कितनी मारुति कारों का निर्माण कर रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) पचपन।

(ख) निर्माता के कोटे से संसद सदस्यों को अब तक 37 मारुति कारें आबंटित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं। कानूनी वितरण नियंत्रण न होने से संसद सदस्यों सहित किसी भी श्रेणी के प्राथमिकता प्राप्त उपयोक्ताओं को आबंटन करने के लिए सरकार के पास कोई कोटा नहीं है। किन्तु संसद सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड भरसक प्रयत्न कर रही है।

(घ) जुलाई-सितम्बर, 1984 की चालू तिमाही में 3840 कारों का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

अंडमान निकोबार के बी० फार्मा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश

2713. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**
श्री निर्मल सिन्हा : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 30 जून, 1984 को एक सूचना प्रकाशित करके चालू 1984-85 सत्र में बी० फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे और उसमें एक यह नयी शर्त जोड़ दी थी कि चालू वर्ष (1984) की परीक्षा में जो छात्र बैठे थे और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(ख) पिछले वर्षों की भांति सूचना के क्षेत्राधिकार से उन उम्मीदवारों को वंचित क्यों किया गया है जिन्होंने पिछले वर्षों में अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अन्य शर्तें पूरी करते हैं और ऐसे उम्मीदवार जो बी० एस० सी० जैसी उच्च परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जब इस प्रकार की कोई शर्त अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य छोटी सेवाओं के लिए निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं हैं, तो प्रशासन को इस शर्त को हटाने के आदेश देने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) चालू सत्र 1984-85 के दौरान प्रशासन ने बी० फार्मेसी सहित इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी स्थानों के लिए अभ्यार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किए थे, इसकी शर्त यह थी कि केवल उन अभ्यर्थितों को आवेदन करने की आवश्यकता है, जो चालू वर्ष की परीक्षा (1984) में बैठे और पास हुए। प्रशासन द्वारा अब यह सूचित किया गया है कि अब यह शर्त वापस ले ली गई है और वे सभी उम्मीदवार भी, जो वर्ष 1984 से पहले अर्हक-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, विभिन्न पाठ्क्रमों में आरक्षित स्थानों के लिये आवेदन करने के पात्र हैं। "डेली टेलीग्राफ" में प्रकाशित नोटिस और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर की गई घोषणा के माध्यम से इस निर्णय से सर्व साधारण को सूचित कर दिया गया था।

साबरमती शटल रेलगाड़ी का काडी तक चलाया जाना

2714. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और साबरमती के बीच चल रही साबरमती शटल रेल गाड़ी को काडी तक चलाने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसको काडी के स्थान पर कलोल तक चलाये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या काडी में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के कारण वहां पर बहुत से बड़े और छोटे उद्योगों में कार्य की स्थापना को देखते हुए तथा उन उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों को जो कि दैनिक यात्री हैं, सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस रेलगाड़ी को काडी तक चलाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी ; हां ।

(ख) और (ग) काडी स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में 47 अप/48 डाउन साबरमती शटल को काडी तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है ।

टैक्सी और आटोरिक्शाओं के मीटरों का पुनः अनुसंशोधित किया जाना

2715. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्बद्ध अधिकारी इसी तथ्य के बावजूद कि दो वर्ष पहले किराए बढ़ाए गए थे और कि ड्राइवरों द्वारा जनता को लगातार परेशान किया जा रहा है और लूटा जाता है टैक्सी और आटो रिक्शाओं के मीटरों का अनुसंशोधित करने में असफल रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो टैक्सी और आटोरिक्शाओं के मीटरों को पुनः अनुसंशोधित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और बिना किसी विलम्ब के मीटरों का पुनः अनुसंशोधन कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) शायद सदस्य महोदय, प्रश्न में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में दो वर्ष बढ़ाए गए किराए का हवाला दे रहे हैं । दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने के परिणामस्वरूप टैक्सी/आटो रिक्शा के किरायों में 1981 में वृद्धि की गई थी । टैक्सी/आटो रिक्शा संघों द्वारा अभ्यावेदन देने पर मीटरों का संशोधन नहीं किया गया । उन्हें भय था कि पेट्रोलियम की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है और मीटरों का बार-बार संशोधन करना उचित नहीं होगा इसलिए राज्य परिवहन प्राधिकरण ने, पुराने किराए के आधार पर मीटर में आने वाले विभिन्न किरायों के भुगतान के लिए, संगत संशोधित किराए को दर्शाने वाले संशोधित टैरिफ कार्ड जारी करने का निश्चय किया । राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए संशोधित टैरिफ कार्ड वाहनों में रखना अनिवार्य है ।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

2716. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 को रेलवे में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि वे पिछले 2/3 वर्ष से नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं,

(ग) क्या सरकार एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद उनकी सेवाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितने श्रमिकों को इसका लाभ पहुंचा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) लगभग 2.20 लाख ।

(ख) और (ग) 120 दिन की सेवा पूरी करने के बाद नैमित्तिक श्रमिक नियमित नियोजन में आमेलन के लिए स्क्रीनिंग के और पेनल में रखे जाने के पात्र होते हैं । ऐसे आमेलन की सहूलियत के लिए, इस समय असल में वर्ग "घ" (श्रेणी 4) की सभी रिक्तियां कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कारखानों में भर्ती और अनुकम्पा के आधार पर तथा खेलकूद कोटे आदि में कुछ नियुक्तियों को छोड़कर, स्क्रीन किये गये और पेनल में रखे गये नैमित्तिक श्रमिकों में से भरी जा रही हैं । लेकिन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नैमित्तिक श्रमिकों की वर्तमान संख्या को नियमित करना सम्भव नहीं है ।

(घ) 1983-84 में लगभग 21,000 नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित नियोजन से आमेलित किया गया था ।

विदेशों में प्रतिबन्धित औषधियों के उत्पादन विपणन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

2717. **श्री रेणुपद दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोवलजीन, मेक्साफार्म ग्राइपवाटर, कुछ स्टेराइड्ज, कम्बीनेशन आफ एण्टीबायटिक्स और टेटरासाइक्लीन सैरप के उत्पादन और विपणन पर विदेशों में काफी समय से प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) क्या इस देश में भी इन औषधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार एनलजीन (नोवलजीन) और क्लाइओकिनोल युक्त दवा (मेक्साफार्म) पर कुछ देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है । लेकिन बहुत से देशों में, जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, ये दवाइयां अभी भी बेची जा रही हैं ।

2. ग्राइप वाटर पर केवल बंगला देश में प्रतिबंध लगाया गया है ।

3. इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि स्टेराइड्ज और एण्टीबायटिक्स के योगों पर दूसरे देशों में रोक लगाई गयी है ।

(ख) और (ग) देश में टेटरासाइक्लीन से बनी पी जाने वाली तरल दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर देश में प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(2) औषध सलाहकार समिति तथा औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है कि एनलजीन औषधि पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार बोस्टन विश्वविद्यालय के ड्रग एपिडेमलोजी यूनिट द्वारा किये जा रहे अध्ययनों के परिणाम उपलब्ध हो जाने के बाद, किया जाए।

(3) जहां तक मेक्साफार्म का सम्बन्ध है जिसमें क्लाइओकिनोल (क्युनी डाक्लोर) होता है, चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि क्लाइओकिनोल युक्त दवाइयों को केवल पेचिश और अतिसार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बेचने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि इन दवाइयों के डिब्बों के लेबलों और इनमें रखी जाने वाली पर्चियों पर सावधानी और निषेध लक्षणों का उल्लेख हो। यह दवाई पंजीकृत चिकित्सकों के नुस्खों पर ही बेची जानी होती है।

(4) ग्राइप वाटर का इस्तेमाल सुरक्षित समझा जाता है और इससे लाक्षणिक राहत मिलती है। अतः इसका देश में निर्माण करने और इसे बेचने पर कोई रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि

2718. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्री रशीद मसूद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1983 और 31 मार्च, 1984 के छोटे और बड़े कुल रुग्ण उद्योगों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या रुग्ण उद्योगों की संख्या बढ़ी है, यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उन रुग्ण एककों को पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1983 और 31 मार्च, 1984 को रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत में औद्योगिक रुग्णता के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अनेक कारण हैं जो बहुधा संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण दोषपूर्ण आयो-

जना, प्रबंध की कमियां, अकुशल वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का दिया परिवर्तन, अनुसन्धान और विकास की ओर अपर्याप्त ध्यान, प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी का गत प्रयोग हो जाना, खराब औद्योगिक मांग की अपर्याप्तता कच्ची सामग्री की कमी एवं निवेशी तथा अवस्थापना संबंधी अड़चने आदि हैं।

(घ) औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं के मार्ग-दर्शन के लिए कुछ नीति विषयक अभ्युपायों की घोषणा की है। मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं लोक सभा में 24 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4074 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थीं।

बंगाल पाट्रीज के कार्यकारी निदेशक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को धोखा दिया जाना

2719. **श्री मोहमम्द इस्माइल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल पाट्रिज कलकत्ता के कार्यकारी निदेशक तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को पंजाब नेशनल बैंक को 1.1 करोड़ रुपए का धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बंगाल पाटरीज के चार अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत की अभी जांच की जा रही है। यद्यपि, कलकत्ता पुलिस ने 5.7.1984 को इन चार अधिकारियों और एक कार्यकारी निदेशक तथा दो अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। किन्तु 6.7.84 को अन्तरिम जमानत पर छोड़ दिया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (इण्डस्ट्रियल रिकन्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया), जो बंगाल पाटरीज लि० की प्राधिकृत व्यक्ति की हैसियत से व्यवस्था कर रहे हैं, यह बताया है कि कार्यकारी निदेशक और छः अन्य अधिकारियों, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक इन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में दाण्डिक अपराध सिद्ध न हो जाए।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यौरों में लागत-लेखाकार प्रशिक्षार्थियों की भर्ती

2720. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, औद्योगिक विकास विभाग का विचार आई० सी०डब्लू०ए०आई कलकत्ता की इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों में से वजीफे के आधार पर लागत लेखाकर प्रशिक्षार्थियां की भर्ती करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उन उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए सीधे आवेदन किया है अथवा आई०सी०डब्लू०ए०आई० कलकत्ता ने ब्यूरो को इनके नामों की सिफारिशें की हैं; और

(ग) इनका चयन कितने समय में किया जाएगा तथा प्रशिक्षण के लिए सम्भवतः कितने उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों ने हाल हीं में आई. सी. डब्लयू, ए. आई, कलकत्ता की इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों सहित लागत-लेखा प्रशिक्षार्थियों को कोई वजीफा देने की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) (ग) अभी तक तीन उम्मीदवारों ने ब्यूरो को सीधे आवदेन किया है, जिनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है । आई. सी. डब्लयू. ए. आई. , कलकत्ता ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार को प्रायोजित नहीं किया है

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) झांसी में आग

2721. **श्री रमावतार शास्त्री :** क्या उद्योग मन्त्री यह बात बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) झांसी (उत्तर प्रदेश) के कारखाने में 11 जून, 1984 को एक भयंकर आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आग लगने में हुई हानि का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर काडर का पुनर्गठन

2722. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के काडर का पुनर्गठन कर दिया गया है,

(ख) यदि हां तो भारतीय रेलवे में डिवीजनवार अलग-अलग 30 जून, 1984 तक स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के काडर के पुनर्गठन में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) आल इण्डिया स्टैशन मास्टर्स एसोसिएशन की मांग के अनुसार संयुक्त प्रतिशत के आधार पर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के काडर के पुनर्गठन के बारे में समाज नीति लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेल मन्त्रालय ने 29. 7. 1983 के पत्र में ग्रुप "सी" तथा ग्रुप "डी" की विभिन्न कोटियों की पुनसंरचना की थी जिनमें स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की कोटि भी शामिल हैं। क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि पुनसंरचना आदेशों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और यह अनुदेश आगे सभी जगह भेज दिए गए हैं रेलों से प्राप्त उत्तर से पता चलता है कि पुनसंरचना कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहा है चूंकि आदेश का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए 30. 6. 84 को कार्यान्वयन की स्थिति के मंडलवार ब्यौरे रेल मन्त्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

रेलों पर स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के संवर्ग के लिए समान रूप से एक संयुक्त प्रतिशत अपनाने के लिए जो सुझाव स्वयं को "आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन" कहने वाले ग्रुप ने दिया था उसकी जांच रेल मन्त्रालय द्वारा पहले ही बहुत विस्तृत रूप से की जा चुकी थी। दोहरे प्रतिशत की तुलना में संयुक्त प्रतिशत के लाभ तथा हानियों पर सावधानीपूर्वक तथा व्यापक विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया था कि क्षेत्रीय रेलों पर मौजूद प्रचालित परिपाटी को ही बरकरार रखा जाए। यह विनिश्चय संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन दोनों मान्यता प्राप्त श्रमिक फेडरेशनों के परामर्श से किया गया था।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के खाली पदों को भरना

2723. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य के बारे में 17 मार्च, 1983 तक अतारांकित प्रश्न संख्या 3190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के 1850 खाली पदों तथा अन्य परिचालन श्रेणियों के 2618 खाली पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाही की गई है;

(ख) स्टेशन मास्टरों और अन्य परिचालन श्रेणियों के खाली पदों की 30 जून, 1984 को वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) जिन कर्मचारियों का रेल गाड़ियों के आने जाने से सीधा सम्बन्ध है उनके खाली पदों को सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर न भरने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

होम्योपैथी का विज्ञान के रूप में संवर्धन

2724 : **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होम्योपैथी को एक विज्ञान मानती है; और

(ख) यदि हां, तो होम्योपैथी का दर्जा बढ़ाकर उस विज्ञान के संबर्धन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोसी): (क) हां।

(ख) देश में होम्योपैथी का विकास करने के लिए भारत सरकार ने समुचित कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं, देश में होम्योपैथिक शिक्षा और प्रेक्टिस का विनियमन करने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की स्थापना करना, इस चिकित्सा प्रणाली के भिन्न-भिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करने, उसका विकास और समन्वय करने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, दिल्ली की स्थापना करना, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, संस्थान कलकत्ता और एक होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद की स्थापना करना। भारत सरकार भी देश के प्राइवेट होम्योपैथिक कालेजों को पुस्तक-बैंकों की स्थापना करने के लिए और प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान दे रही है।

बालेश्वर में फ्लाई ओवर ब्रिज पर प्रकाश की व्यवस्था

2725. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में बालेश्वर का फ्लाई ओवर ब्रिज जनता के लिए अप्रैल, 1984 में खोला गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस पुल पर अभी तक प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यदि हां तो इसका क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस पुल पर प्रकाश की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) (ग) समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के काम रेलों और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागत की भागीदार के आधार पर किए जाते हैं। रेलें केवल रेल पथ और पहुंच मार्गों के ऊपर मुख्य पुल का निर्माण करती हैं, ऊपरी सड़क पुलों पर डामर बिछाने का काम और रोशनी की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होती है।

बिहार में नई रेल लाइनें और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2726. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बिहार से नई रेल लाइनों के निर्माण और छोटी

लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्यक्रम आरम्भ कर रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1984-85 में बिहार में निम्नलिखित नयी लाइनें बिछाने और आमान-परिवर्तन परियोजनाओं के कार्य किये जा रहे हैं :—

क्रम सं०	परियोजना	वर्तमान स्थिति
	नयी लाइनें	
1.	सकरी-हसनपुर	संसाधनों की तंगी के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पायी है।
2.	वगहा-छितौनी	वगहा-वाल्मीकी नगर खंड (9 कि०मी०) को यातायात के लिए खोला जा चुका है। बहुत सी तकनीकी और वित्तीय समस्याओं के कारण पुल और शेष खण्ड पर कार्य शुरु नहीं किया जा सका।
3.	तालगड़िया-तुपकाडीह	यह कार्य प्रगति के अग्रिम चरण में है।
	आमान-परिवर्तन	
1.	बारांबकी-गोरखपुर-समस्तीपुर	इस लाइन को यातायात के लिए पहले ही खोला जा चुका है। केवल कुछ शेष बचे कार्य ही प्रगति पर है।
2.	बरौनी-कठिहार	यह कार्य प्रगति के अग्रिम चरण में है।
3.	समस्तीपुर दरभंगा	संसाधनों की भारी तंगी के कारण इस कार्य में अधिक प्रगति नहीं हो सकी।

नोट : इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्ता पर निर्भर करेगा।

पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशनों के विकास के लिए योजना

2727. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी रेलवे के पटना जंक्शन और दानापुर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) प्रत्येक उपरोक्त स्टेशन के विकास पर किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे पर पटना जंक्शन तथा दानापुर रेलवे स्टेशन के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण कार्य किये जा रहे हैं :—

पटना जंक्शन

(1) अतिरिक्त विश्रामालयों की व्यवस्था।

(2) स्टेशन की इमारत का नवीकरण।

(3) अधीनस्थों के लिए विश्रामगृह की व्यवस्था।

(4) तीसरे ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।

(5) आदान सुविधाओं का सुधार।

(6) एक गहरे नलकूप की व्यवस्था।

(7) विभिन्न प्लेटफार्मों पर शौचालयों की व्यवस्था।

(8) 22 बोगियों के लिए प्लेटफार्म का विस्तार।

(9) साइकिल स्टैण्ड का विस्तार।

(10) स्कूटर स्टैण्ड की व्यवस्था।

पटना क्षेत्र में लाइन क्षमता की वृद्धि के लिए भी एक सर्वेक्षण हाथ में है।

दानापुर

(1) सवारी डिब्बों के लिए धुलाई साइडिंग की व्यवस्था।

(2) एक साथ आदान की सुविधाओं की व्यवस्था।

(3) एक लाख गैलन क्षमता की कंक्रीट (आर० सी० सी०) की एक ऊपरी टंकी की व्यवस्था।

(4) एक गहरे नलकूप की व्यवस्था।

(ग) प्रत्येक निर्माण कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अतः पूरा होने की कोई पक्की तारीख नहीं बतायी जा सकती।

(घ) पटना जंक्शन : लगभग 46 लाख रुपये।

दानापुर : लगभग 38 लाख रुपये।

पश्चिम बंगाल में नयी रेल परियोजनाएं

2728. **श्री अजित बाग :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं, और

(ख) अब तक निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में शुरु की गयी नयी रेल परियोजनाएं और उनकी प्रगति नीचे दर्शायी गयी है :—

(आंकड़े लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	प्रगति	31.3.84 तक किया गया खर्च	टिप्पणी
1	2	3	4
1. बड़गछिया चम्पाडांगा सहित हवड़ा आमता बड़ी लाइन	92% (चरण 1)	1006. 3	संतरागाछी- दामजूर (16 किलोमीटर) पूरी हो गयी है और खोल दी गयी है। दामजूर बड़गछिया प्रगति पर है
2. कंचरापाड़ा- कारखाने का नवीनकरण और आधु- निकीकरण	90 प्रतिशत	1,029,99	— — —

1	2	3	4
3. चि०रे०का० का आधुनिकीकरण	50%	584.95	———
4. खड़गपुर कारखाने का आधुनिकीकरण	80%	880.59	———
5. नीमपुरा (खड़गपुरा) 60 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड का निर्माण	40%	94.62	———
6. हवड़ा (वामनगाछी) 30 से 60 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड का विस्तार	67 प्रतिशत	82.63	———
7. वण्डेल-एक बिजली गाड़ी कार-शेड की व्यवस्था	10%	41.00	———
8. अण्डाल-20 से 50 डीजल शन्टरों के लिए डीजल शेड का विस्तार	50 प्रतिशत	50.63	———
9. आसनसोल मुख्य बड़ी लाइन के 80 डीजल इंजनों को सम्हालने के लिए डीजल शेड की व्यवस्था।	33 प्रतिशत	77.54	———

1	2	3	4
10. लक्ष्मीकान्तपुर कुलपी सम्पर्क सहित बजबज से नामखाना तक नयी बड़ी लाइन	—	—	संसाधनों की तंगी के कारण अभी तक काम शुरु नहीं किया जा सका।
11. (कटिहार-सिलीगुड़ी न्यू जलपाइगुड़ी का मीटर लाइन से बड़ी लाइर में आमान परिवर्तन	— —	— —	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
12. मालदा-डीजल शेड की स्थापना	80%	373.04	———
13. इकलाखी से वालूरघाट तक नयी बड़ी लाइन	0.5 प्रतिशत	100.11	———
14. लिलुआ कारखाने का आधुनिकीकरण	कार्य अभी हाल ही में शुरु किया गया है।	———	———
15. खड़गपुर कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण (II)	—यथोक्त	———	———
16. तामलुक से दीघा तक नयी बड़ी लाइन	—	——	1984-85 के बजट में अनुमोदित।

1	2	3	4
17. मालवा-नये मंडल कार्यालय की स्थापना	5 प्रतिशत	——	1984-85 के बजट में शासित नया काम
18. खड़गपुर-मिदनापुर का विद्युतीकरण	पूरा हो गया है	——	यथोक्त
19. कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे	काम शुरु कर दिया गया है।	——	यथोक्त
20. मालदा टाउन-अतिरिक्त कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था।	यथोक्त	——	यथोक्त
21. चामग्राम-न्यूजलपाइगुरड़ी-रानीनगर-न्यू बोंगाइगांव खंड पर अतिरिक्त यातायात सुविधाओं की व्यवस्था ।	काम 1984-85 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।	400.49	——
22. मालदा टाउन-कुमेदपुर खंड-ओल्ड मालदा के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य यातायात सुविधाएं ।	काम शुरु कर दिया गया है	——	1984-85 के बजट में शामिल नया

पश्चिम रेलवे में नई परियोजनाएं

2729. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नई रेल लाइनें बनाने की कुछ परियोजनाए सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा पश्चिम रेलवे में निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं को शुरु करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य सरकार से हाल ही में नयी लाइन के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1)	खरगोडा-जिजौदा	— 23 कि०मी०
(2)	हलवाद-जागोड	— 20 कि०मी०
(3)	मोती खवाड़ी-वाडिनार	— 20 कि०मी०
(4)	गांधी धाम-लखपत	—256 कि०मी०
(5)	भावनगर-तारापुर	—150 कि०मी०
(6)	कौसा रोड-भिलडी	—34 कि०मी०
(7)	अम्बाजी-तारंगा	—32 कि०मी०

संसाधनों की वर्तमान अत्यधिक तंगी को देखते हुए, संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

अधिक इन्जीनियरी कालेज खोलना

2730. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर सरकार का विचार देश में और अधिक इन्जीनियरी कालेज खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों से ऐसे कितने कालेज खोले जाने की संभावना है और इनके लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर कालेज खोलने का सुझाव दिया है इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित शर्तों पर महसूस की गई जरूरतों के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं के चयनात्मक विस्तार की सिफारिश की है :—

(1) राज्य सरकार जनशक्ति सम्बन्धी प्राक्लन के जरिए इस बात को मान गई है कि अध्ययन के क्षेत्रों में, जहां नई सुविधाओं को सजित अथवा उनका विस्तार किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, या तो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय आधार पर जनशक्ति की बेहद कमी है।

(2) नई संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम जहां तक सम्भव हैं पारंपरिक क्षेत्रों में नहीं हैं लेकिन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, जिनकी मांग की संभावना है, के क्षेत्रों के हैं।

(3) प्रारम्भ की जाने वाली नई संस्थाओं अथवा वे संस्थाए जिनका विस्तार किया जाना है अथवा स्थापित किया जाना है वे या तो रोजगार के ज्यादा संभावित क्षेत्रों में स्थित हैं अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित हैं और/अथवा समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए हैं।

उपयुक्त मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के आधार पर, विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर अ० भा० त० शि० प० की सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) भावनगर में नया इन्जीनियरी कालेज खोलने के लिए गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के माध्यम से विचार किया जा रहा है।

स्वतन्त्रता सेनानियों का परिचयात्मक विवरण

2731. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री स्वतन्त्रता सेनानियों के परिचयात्मक विवरण के बारे में 25 अगस्त 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के स्वतन्त्रता सेनानियों के परिचयात्मक विवरणों का संकलन करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या शेष राज्य भी परिचयात्मक विवरणों का संकलन करेंगे और उन्हें भविष्य में प्रकाशित करेंगे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने शेष राज्यों को इसके लिए राजी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ङ) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों के परिचयात्मक विवरण को शामिल करके सभी स्वतन्त्रता सेनानियों का परिचयात्मक विवरण राष्ट्रीय स्तर पर संकलित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) स्वतन्त्रता सेनानियों के परिचय के संकलन की परियोजना की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की रही है । इसलिये केन्द्रीय स्तर पर इस स्वरूप की कोई सूचना नहीं रखी गई है ।

(ङ) और (च) क्योंकि राज्यों ने यह परियोजना पहले से ही शुरु कर दी है, अतः केन्द्रीय सरकार उनके प्रयासों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहती।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अशांति

2732. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चालू शैक्षिक वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों अध्यापकों और कर्मचारियों में बढ़ती हुई अशान्ति के कारण, इन समस्याओं के लम्बी अवधि तक बन्द रहने और परीक्षाओं के देरी से आयोजित होने की तरफ ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकी हैं; और

(ग) उक्त सभी तीन श्रेणियों अर्थात छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों के मामले में इस संकट को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैलती रही है जिससे उनको सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो गई। अब इन सभी विश्वविद्यालयों ने अपने शिक्षा सत्र को सामान्य बनाने और परीक्षाएं आयोजित करने के लिए उपाय किए हैं । बनारस विश्वविद्यालय, जो कुछ संकायों में अभी पीछे हैं, छोड़कर अन्य सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय अब अपने सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं ।

(ग) सभी सातों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से छात्रों गैर अध्यापन कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त शिकायत निवारक तन्त्र की स्थापना सहित इन विश्वविद्यालयों में अनुशासन की सामान्य स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए पहले ही एक अलग शिकायत निवारक तन्त्र की स्थापना कर दी है।

गत दस वर्षों के दौरान स्वीकार न किए गये अकादमी के पुरस्कार

2753. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिये गये थे, उनमें से किसी ने विगत दस वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से पुरस्कार स्वीकार करने से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन लेखकों के नाम तथा उनकी भाषाएं क्या हैं जिन्होंने पुरस्कार लेने से इन्कार किया है और उन्होंने पुरस्कार स्वीकार न करने के क्या कारण बताये हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पुरस्कारों के समय अथवा प्रक्रिया में कमियों का पता लगाने हेतु कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) वार्षिक पुरस्कार निर्धारित करने के लिये सही प्रक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) साहित्य अकादमी, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :

उन लेखकों की भाषाओं सहित उनके नाम, जिन्होंने पुरस्कार लेने से इन्कार किया और अस्वीकार करने के लिए उनके द्वारा दिए गए कारण, नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	वर्ष	लेखक	भाषा	पुस्तक	प्रकार	दिए गए कारण
1.	1983	श्री सुरेश जोशी	गुजराती	चिन्तयामी मनासा	निबन्ध	सिद्धान्तों के आधारों पर नकद पुरस्कार देने और उन लेखकों

1	2	3	4	5	6	7
						को पुरस्कार देने, जो वृद्ध हो चुके हैं और उनके पुरस्कार प्राप्त छुट-पुट लेखों के संग्रह की कोटि के संबंध में अपने दृष्टिकोण हैं।
2.	1982	श्री देशबंधु डोगरा "नूतन"	डोगरी	कैदी	उपन्यास	इस आधार पर कि उनकी पुस्तक को पिछले वर्षों के दौरान पुरस्कार के योग्य नहीं समझा गया।
3.	1981	श्री वी० आर० नारला	तेलुगु	सीता जोश्यम	नाटक	साहित्य अकादमी की पत्रिका भारतीय साहित्य में उनकी पुस्तक की प्रतिकूल आलोचनात्मक समीक्षा प्रकाशित करना।

लेखकों को पुरस्कारों का निर्णय करने के लिए समुचित नियम और पद्धतियां तैयार की गई हैं जिसका अकादमी लगातार पुनरीक्षण करती है। पुरस्कार अभिशासित करने से सम्बन्धित नियम और पद्धति परिशिष्ट "क" में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 8581/84]

मिरजापुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पीटल के छात्र संघ के ज्ञापन

2734. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय को पश्चिम बंगाल के मिरजापुर होम्योपैथिक कालेज एण्ड हास्पीटल के छात्र संघ के महासचिव से दिनांक 2 जुलाई, 1984 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) (1) एलोपैथिक डाक्टरों के ग्रेडों में समानता

(2) होम्योपैथिक डाक्टरों की संख्या में वृद्धि (इस समय कर्मचारी हित निधि के अधीन कार्यरत)

(ग) और (घ) रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथी) के अनुसार व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बहरहाल, कर्मचारी हित निधि के अधीन खोली गयी 77 डिसपेंसरियों में होम्योपैथिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है तथा होम्योपैथिक डाक्टरों की अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलों पर होम्योपैथी की बहुत ही सीमित मांग को ध्यान में रखते हुए नियमित होम्योपैथिक डाक्टरों की नियुक्ति करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

फेनासिटिन जैसी प्रतिबंधित दवाओं का भारत में उपलब्ध रहना

2735. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेनासिटिन जैसी दवायें और अनेक दर्द निवारक दवाएं गुर्दे को असाध्य नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें गुर्दे के एक भाग को रक्त की सप्लाई बन्द हो जाती है और गुर्दे में पपड़ी जम जाती है और इन दवाओं के प्रयोग पर जनवरी, 1982 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है परन्तु वे दवायें अब भी बाजार में बड़ी मात्रा उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय ने औषध और प्रशाधन सामग्री अधिनियम की धारा 10-ए और 26 (ए) के अन्तर्गत 23 जुलाई, 1983 को दो अधिसूचनाएं जारी की थी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ फेनासिटिन और इससे बनने वाली दवाइयों के आयात, निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहां तक इस मन्त्रालय को जानकारी है, फेनासिटिन वाली दवाइयां देश में बेची नहीं जा रही हैं।

उदयपुर में पुरातत्व विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय

2736. **श्री भीखाभाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरातत्व विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा की बजाए उदयपुर में खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अरावली की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप और विभिन्न अन्य परमार राजाओं द्वारा ईसा पूर्व की प्रारम्भिक शक्तियों में अरथुना में बनाए गए मन्दिरों तथा बांसवाड़ा के तलवाड़ा मन्दिरों के पुरातत्वीय महत्व के अवशेषों की खोज अभी भी शेष है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) बड़ोदा के बजाय उदयपुर में कोई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व की जानकारी है और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक पहले ही संरक्षित हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए शिक्षा सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका

2737. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली अनुसूचित जातियां कल्याण संगठन (पंजीकृत) अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली की मांग पर शिक्षा सुविधाओं के बारे में इस वर्ष "स्पेशल एज्यूकेशनल फैसीलिटिज-कन्सेशन स्कालरशिपएन्ड अदर ऐड टू शैडयूलट कास्ट/शेड्यूलड ट्राइब स्टूडेंट्स इन एज्यूकेशनला इस्टीट्यूशन्स एडमिनिस्टर्ड वाई दी सेंटर" शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित करने का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह पुस्तिका प्रकाशित करा दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह पुस्तिका कब तक प्रकाशित की जायगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों की योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, छात्रवृत्तिया, अन्य वित्तीय रियायतों आदि के रूप में दी जा रही शैक्षिक सुविधाओं के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है । इस सूचना की अनेक राज्य शिक्षा/समाज कल्याण/हरिजन कल्याण/आदिवासी कल्याण विभागों से अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) इस सूचना के प्राप्त हो जाने पर पुस्तिका प्रकाशित कर दी जायेगी।

आयुर्वेद रत्न डिग्री की मान्यता

2738. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद रत्न डिग्री जिसे 1931 से सरकार द्वारा मान्यता दी जा रही थी, उसे 1967 से समाप्त कर दिया गया है, यदि हां, तो मान्यता देने और बाद में उसको समाप्त करने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या वर्ष 1967 से अब तक कई हजार छात्रों ने यह डिग्री प्राप्त की है तथा मान्यता समाप्त करने की स्थिति में उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इसको मान्यता प्रदान करेगी अथवा और छात्रों को यह गैर-मान्यता प्राप्त डिग्री देना बन्द करेगी ताकि उनको अनिश्चित भविष्य से रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा केवल 1931 से 1967 तक प्रदान की गई आयुर्वेद रत्न की उक्त अधिनियम के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टि सं० 105 के तहत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (यह एक केन्द्रीय अधिनियम है) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है। इस केन्द्रीय अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में की गई प्रविष्टियां राज्य अधिनियमों की अनुसूची में मान्यता प्राप्त अर्हताओं की सूची पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवाओं के निदेशक को सम्बोधित उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग के 29.9.67 के सरकारी आदेश सं० 3175-सी/5-23 × 63 के तहत इस अर्हता को केवल 1931 से 1967 तक की अवधि के लिए ही मान्यता प्रदान की थी।

(ख) यह सूचना इस मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह संस्था उत्तर राज्य में चल रही है। उस राज्य में उत्तर प्रदेश के भारतीय चिकित्सा अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके आयुर्वेदिक शिक्षा को पूर्णतः विश्व विद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया है।

एक अन्य राज्य अधिनियम (1982 का 18) लागू करके आयुर्वेद और यूनानी शिक्षा देने वाले उन कालेजों को जो कानून द्वारा इस राज्य में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध नहीं है, 2 जुलाई, 1982 से प्रथम वर्ष की कक्षाओं में छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया गया है।

नौवहन कम्पनियों द्वारा अपने पोतों को बेचने/तोड़ने संबंधी मार्गनिर्देश

2739. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नौवहन कम्पनियों को अनुमति देने के लिए कोई मार्गनिर्देश बनाए गए हैं जिन्हें अपने पुराने और अलाभकारी पोतों के बेचने/तोड़ने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) नौवहन कंपनियों को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 42 (1) के तहत जहाजों को बेचने/स्क्रैप करने की अनुमति दी जाती है। नौवहन कंपनियां खरीददार के नाम, बिक्री मूल्य, विख्यात मूल्य आंकने वाले से मूल्यांकन, प्रमाणपत्र के ब्यौरे के साथ नौवहन महानिदेशक के पास जाती हैं। जब नौवहन महानिदेशालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कोई भारतीय खरीददार उपलब्ध नहीं है, जहाज पुराना है और इसकी मरम्मत किफायती नहीं है या प्रचालन में किफायती नहीं है, तब उस प्रस्ताव को नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास उस जहाज को बेचने/स्क्रैप करने की विधिवत मंजूरी जारी करता है, जो निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर है :-

(1) कोई भारतीय खरीददार न हो।

(2) बिक्री करने के समय जहाज पर कोई आर्थिक देयता न हो।

(3) बिक्री मूल्य उचित हो, जिससे नौवहन महानिदेशक संतुष्ट हो।

(4) यदि नौवहन विकास निधि समिति की कोई राशि बकाया है तो बिक्री से प्राप्त धन को बकाया राशि में से समायोजित करने के लिए उनके पास भेजा जाना चाहिए।

जहाज को बेचने/स्क्रैप करने के लिए नौवहन महानिदेशक द्वारा विधिवत् स्वीकृति दिये जाने के लिए मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन से बेबाकी प्रमाणपत्र और निर्धारित शर्त को पूरा करने के लिए कागजी सबूत पेश करना जरूरी है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अंन्तर-द्वीप समूह सेवाओं के लिए हाईड्रोफाइल का चलाया जाना

2740. **श्री मनोरन्जन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अन्तरद्वीप समूह सेवाओं के लिए हाइड्रोफाइल चलाने के मांग करते हुए अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं और तत्सम्बन्धी उपलब्धियां

2741. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं मंजूर की हैं ; और

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसी कितनी योजनाए चल रही हैं और इस सम्बन्ध में वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित की गई योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास गृह की योजना,

(2) समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता के लिए सामान्य सहायक अनुदान योजना,

(3) सुरक्षा और देखभाल के जरुरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए योजना,

(4) श्रमजीवी महिलाओं हेतु एक दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवन के निर्माण के लिए सहायता की योजना,

(5) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थाओं की स्थापना के लिए सहायता योजना,

(6) गुजरात राज्य के कैरा जिले में (केवल गुजरात राज्य में) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा आनन्द पद्धति पर समेकित परिवार कल्याण कार्यक्रम,

(7) बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना,

(8) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई. सी. डी. एस.), और

(9) प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता (एफ० एल० ए० डब्ल्यू०),

(ख) उपरोक्त योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाएं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में चल रही हैं और प्रत्येक योजना की वास्तविक उपलब्धियां उनके सामने दर्शाई गई हैं।

क्रम संख्या	योजना का नाम	वास्तविक उपलब्धियां
1.	देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमन्द बच्चों के कल्याण के लिए योजना	पांचवी योजना में—95 बच्चे छठी योजना में—75 बच्चे (1983-84 तक)
2.	श्रमजीवी महिलाओं के लिए होटल भवन का निर्माण	निर्माण कार्य हेतु 8,09,016 रुपये की राशि विमुक्त की गई ।
3.	संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थाओं की स्थापना ।	किसी भी पात्र संस्थान ने अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया ।
4.	बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	अण्डेमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त नहीं हुई,
5.	विशेष पोषाहार कार्यक्रम योजना भिन्न और योजना	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या 31.7.79 1,542 31.3.79 4,700 (योजना) 31.3.82 2,500 (गैर-योजना तथा 1100 योजना)

1	2	3
6.	समेकत बाल विकास सेवा योजना	31.3.84 2,500 गैर-योजना लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या बच्चे (विशेष पोषाहार)—7850 गर्भवती व दूध पिलानें वाली महिलाए —2630
7.	वयस्क महिलाओं के लिये कार्यात्मक साक्षरता	स्कूल-पूर्व शिक्षा (बच्चे)—4310 कार्यात्मक साक्षरता (वयस्क महिलाए) 440

1983-84 के दौरान भारतीय नौवहन निगम के पतों की मरम्मत पर खर्च की गई धन राशि

2742. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के दौरान भारतीय नौवहन निगम के पोतों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, कितनी भारतीय मुद्रा में और विदेशी मुद्रा में; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता

2743. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम लोगों की, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्गों की मुख्य रूप से रोगों सम्बन्धी लोक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययन, नमूना सर्वेक्षण आदि के लिए केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत 1983-84 में पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और 1984-85 में कितनी सहायता दिए जाने का विचार है;

(ख) उन संस्थाओं/स्वयं सेवी संगठनों के नाम किया हैं; जिन्हें उपरोक्त अध्ययन करने का काम सौंपा गया और प्रत्येक को कितनी राशि दी गई; और

(ग) इन अध्ययनों के क्या परिणाम निकले और इन रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जन स्वास्थ्य की समस्याओं से संबन्धित अनुसंधान कार्य, अध्ययन नमूना सर्वेक्षण करने के लिये किसी भी राज्य को "अनुदानों की केन्द्रीय योजना" शीर्ष के अन्तर्गत कोई धन नहीं दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हल्दिया और इलाहाबाद के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास की प्रगति

2744. **श्री सन्त कुमार मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया और इलाहाबाद के बीच प्रथम जल मार्ग विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 1982 कब लागू किया जायेगा;

(ग) क्या इस जल मार्ग के प्रसाशन और नियंत्रण के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक निगम तैयार कर लिए गए हैं और प्रख्यापित कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ङ) हल्दिया-फरक्का के परिधि-क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना के कार्यान्वियन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(च) कलकत्ता और हल्दिया में घाटों के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भा-वना है?

नौवहन और परिवार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) फरक्का और हल्दिया खण्ड के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग पर नदी नियंत्रण कार्यों, टर्मिनलों और नौचालन के सहायक साधनों की स्थापना तथा चेनल मार्किंग आदि कामों के लिए 189.50 लाख रुपये की लागत की एक योजना मंजूर की गई है। यह स्कीम केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है। एक ऐसी ही स्कीम फरक्का और पटना के बीच नदी खंड का विकास करने के लिए भी बनाई गई है जो तैयार की जा रही है। पटना और इलाहाबाद के बीच के खण्ड का गहन अध्ययन करने और समस्याओं का पता लगाने के लिए 950.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत की योजना शुरु करने का प्रस्ताव है।

(ख) यह अधिनियम फरक्का में नौचालन लाक के चालू होने के बाद लागू कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) इस मन्त्रालय ने राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम, 1982 के अंतर्गत विविध नियमों और अधिनियमों को बनाने के लिए अभी हाल में एक कार्य दल का गठन किया है।

(ङ) और (च) हल्दिया-फरक्का खण्ड में टर्मिनल सुविधाओं की स्थापना करने का कार्य केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को सौंपा गया है। हल्दिया में टर्मिनल सुविधाओं के विकास के लिए स्थानीय अन्तिम रूप से तय कर दिया गया है और विस्तृत नक्शे आदि बनाने के लिए परामर्शकों को नियुक्त किया गया है। बेरहामपुर में माल चढ़ाने और उतारने के लिए अस्थायी प्रबन्ध किया गया है और टर्मिनल बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। नवद्वीप के लिए स्थान अन्तिम रूप से तय कर दिया गया

है। इस क्षेत्र के जलीय सर्वेक्षण का कार्य कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने प्रारम्भ कर दिया है। ड्रेजिंग कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। टी०टी० रोड, कलकत्ता में जेट्टी के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और सुधार करना

2745. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली जी. टी. रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो की मरम्मत और सुधार कार्यों से सम्बन्धित उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान शुरू किया जा रहा है अथवा शुरू करने का विचार है, और

(ख) इसमें कितना पूंजीगत परिव्यय अपेक्षित है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों को मजबूत करने और उनमें सुधार करने से संबद्ध कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण1 और 2 में दिया गया है। जिनके लिए 1983-84 और 1984-85 में अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। ये वे कार्य हैं जिनको इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष राजमार्गों को मजबूत करने और सुधार करने के अन्य कार्य के लिए भी मंजूरी देने का भी प्रस्ताव है, जिनकी सूची संलग्न विवरण-3 में संलग्न है।

(ख) उक्त (क) में उल्लिखित कार्यों पर कुल 11.78 करोड़ रुपये का खर्च होगा।

विवरण-1

1983-84 में स्वीकृत कार्यों की सूची

(राजमार्गों के केवल चौड़ा करने और मजबूत करने के कार्य)

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य सं.	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	लम्बाई
1.	**राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2**			
1.	राष्ट्रीय मार्ग 2 बाईपास पर कि. मी. 23से26 (3. 0 कि. मी. पहुंच मार्ग को दूसरे चरण में मजबूत करना।	48 - डी. जी-2 20.184	20.77	3.0 कि. मी.

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य सं.	स्वीकृत राशि	लम्बाई
2.	बर्दवान जिले में कि. मी 472 और 478 तथा 478से 480 के बीच मजबूत करना।	487-बी. जी.-2 15. 2. 84.	46. 97	5. 0 कि. मी.
3.	जलसी पानघर खंड में कि. मी. 525 से 531 के बीच दूसरे चरण में मजबूत करना।	488-बी. जी-2 15. 2. 84	47. 01	6. 0 कि. मी.
4.	कि. मी. 537 से 540 तक बाए ऊपरी पहुंच मार्ग को मजबूत करना।	489-बी. जी-2 7. 2. 84	26. 45	3. 0 कि. मी.
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6			
5.	कि. मी. 129, 133 से 135 में चुने हुए खण्डों को मजबूत करना और सुधार करना।	481-बी. जी-6 26. 11. 83	32. 29	3. 0 कि. मी.
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31			
6.	कि. मी. 678-679, 688 691, 694-695, 712-713, 714-715, और 717-718 में मयनागुड़ी (कि. मी. 678) और डलगांव कि. मी. 718) के बीच चुने हुए खराब खंडों को मजबूत करना।	483-बी. जी-31	27. 75	8. 0 कि. मी
7.	उलखोला-सोनाप्रोहाट खंड में कि.मी. 457-458, 463-465, 507-509 और 525-5.6 तक मजबूत करना।	495-बी. जी-31 6. 1. 84	32. 50	6. 0 कि. मी.
8.	डलगांव मांट्रीकोट खंड के कि. मी. 718-723 के खराब हालत वाले चुने भागों को मजबूत करना।	482-बी. जी-31 9. 1. 84	15. 32	5. 0 कि. मी.
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34			
9.	कि. मी. 419-421, 430-31, और 432 से 435 में मौजूदा दोहरी लेन कैरेजवे को मजबूत करना।	487-बी. जी-34 23. 1. 84	40. 02	6. 0 कि. मी.

विवरण-2

289. 03. 45. 0 कि. मी.

1984-85 में स्वीकृत कार्यों की सूची

(राजमार्गों के केवल चौड़ा और मजबूत करने के कार्य)

क्रम सं.	कार्य का नाम	जॉब सं.	स्वीकृत राशि	लम्बाई
1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय राज-मार्ग सं. 2			
1.	ओंडल-नुनिया खंड पर कि. मी. 480 से 485 तक मजबूत करना।	492-बी. जी-2 14-5-84	47. 84	5. 00
2.	कि. मी. 619 से 624 को मजबूत करना और सुधार करना।	498-बी. जी. 2 12-7-84	32. 45	5. 00
3.	कि. मी. 46 से 50 को मजबूत करना।	493-वी. जी. 6 7-5-84	42. 09	4.00
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34			
4.	कृष्ण नगर डिवीजन के कि. मी. 113/950 से 115 और कि. मी. 116 से 118/350 को मजबूत करना।	495-वी. जी. 35 20. 6. 84.	30. 41	3. 40
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 सी			
5.	कि. मी. 20 से 32. 75 (6. 75 कि. मी. लम्बाई) के चुने हुए भागों को मजबूत करना।	491-बी. जी-31 सी 19. 4. 84	21. 98	6.75
6.	रा. रा. 31 सी के कि. मी. 182 से 254. 5 (29 कि. मी. लम्बाई) के चुने हुए भागों को मजबूत करना।	494-वी. जी. 31 सी 8. 5. 84	137. 16	29.00

1	2	3	4	5
	7. कि. मी. 115-118, 120-121, 125-126, 127-129, 132-133, 139-140 और143-144 को मजबूत करना।	496-वी. जी. 31 सी 13. 6. 84	23. 21	10.00
			335. 14	63.15

विवरण-3

राजमार्गों को मजबूत करने और सुधार करने के ऐसे कार्यों की सूची जिन्हें 1984-85 में अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०.		लम्बाई (कि. मी.)	अनुमानित लागत (लाख रू० में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-2	कि. मी. 17-23	7	
		कि. मी. 624-627. 5	3.5	
		कि. मी. 540-546	6	
			16.5	156. 00
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग-6	कि. मी. 59-76 में	6	60. 00
		कि. मी. 202-204	2	
		कि. मी. 24-32 के बीच	4	
		कि. मी. 204-212	8	
		कि. मी. 409-448 के बीच	7	
		कि. मी. 253-256	3	
			24	1^4. 00

1	2	3	4	5
4	राष्ट्रीय राजमार्ग-31			
		कि. मी. 677-714	7	
		कि. मी. 534-362	8	
		कि. मी. 500-534	4	
			19	114.00
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग-32	कि. मी. 71-134 के बीच	5	30.00
				554.00

खोई से कागज का उत्पादन

2747. **श्री सूरज भान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि लेटिन अमरीका में प्रति वर्ष 120 लाख टन से अधिक खोई का उपयोग करके 5 लाख टन से अधिक कागज का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) भारतीय चीनी मिलों द्वारा उप-उत्पाद के रूप में कितनी खोई का उत्पादन किया जाता है और इससे प्रति वर्ष कितना कागज तैयार किया जा सकता है और कागज के लिए कच्ची सामग्री हेतु भारतीय वनों पर पड़ने वाला दबाव किस हद तक कम किया जा सकेगा; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) यद्यपि लैटिन अमेरिका में खोई के उपयोग के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पता चला है कि ऐसे कुछ देशों में जिनमें प्राकृतिक गैस और भट्ठी तेल आसानी से उपलब्ध हैं वहां चीनी के कारखाने खोई के बदले पूरी तरह इन ईंधनों का उपयोग कर सकते हैं और कागज के उत्पादन के लिए खोई दे सकते हैं।

(ख) 1982-83 में चीनी के मौसम में देश में चीनी कारखानों द्वारा तयार की गई खोई की मात्रा लगभग 2 4.54 लाख मी० टन (गीली प्रक्रिया के आधार पर) थी। खोई की इस

मात्रा से लगभग 40 लाख. मी० टन कागज का उत्पादन किया जा सकता है। कागज की इसी मात्रा का उत्पादन करने के लिए लगभग 120 लाख मी० टन वनों पर आधारित कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

(ग) सरकार ने कागज के उत्पादन के लिए खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीति सम्बन्धी अभ्युपायों की घोषणा की है, जिससे खोई के स्थान पर कोयले का ईधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके जिनमें, उस कागज पर खोई से बनी लुगदी की मात्राभार के रूप में 75 प्रतिशत से कम नहीं है, उत्पादन कर में छूट देना भी शामिल हैं। इन अभ्युपायों का परिणाम यह निकला है कि 90.000 मी०टन प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के लिए तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स परियोजना सहित खोई से कागज/अखबारी कागज बनाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं।

एशियाई दुल्हनों का शोषण

2749. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "मैरिज ब्यूरों" द्वारा एशियाई दुल्हनों के साथ धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में विशेषकर श्रीलंका में कार्यरत इन ब्यूरों द्वारा एशियाई अबोध युवा लड़कियों और महिलाओं से धोखाधड़ी और उन्हें परेशान करने के बारे में सूचनाएं एकत्र की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के सहयोग से महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयनगर में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों का डूब जाना

2750. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री जयनगर में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों के डूबने के बारे में दिनांक 26 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 636 के उत्तर के संबंध में यह सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्वार्टरों और अन्य निवासियों के क्षेत्र से बताने

की कृपा करेंगे कि क्वार्टरों और अन्य निवासियों के क्षेत्र से पानी की निकासी की सुविधा हेतु माल रोड़ के निकट एक छोटा पुल बनाने पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : श्रीमन् अभी न तो कोई योजना और प्राक्कलन तैयार किया गया है। और न पुल के आधार का, यदि अपेक्षित है तो, निर्धारण ही किया गया है। अतः फिलहाल जमनगर पर गुड्स शेड के निकट पुल की लागत का सही अनुमान देना सम्भव नहीं है। बहुत ही स्थूलतः लागत 3.0 लाख रुपये के लगभग हो सकती है।

ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ भागीदारी

2751. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामोद्योगों का विकास और निर्यात बाजार का विस्तार करने तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से योजना तैयार करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ सक्रिय भागी दारी करने की आवश्यकता पर किसी स्तर पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख), खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना संसद अधिनियम के अंतर्गत हुई है और सरकार इसके कार्यकलापों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तथापि खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के लिए समस्त बजटीय संसाधनों की व्यवस्था ऋणों तथा राजसहायता के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। सभी सम्भव नीति समर्थन खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए आयोग को दिए जाते हैं। आयोग के क्रियाकलापों की सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और कार्यकारी दलों द्वारा निरंतर प्रबोधन तथा मार्गदर्शन किया जाता है।

पिछले छः महीनों के दौरान कर्नाटक एक्सप्रेस का बंगलौर और दिल्ली पहुंचने का सही समय

2752. **श्री ए० नीला लोहितदसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक एक्सप्रेस का बंगलौर से दिल्ली और दिल्ली से बंगलौर पहुंचने का निर्धारित समय क्या रहा है ;

(ख) वर्ष 1984 के पिछले छः महीनों में बंगलौर और दिल्ली पहुंचने का वास्तविक समय क्या रहा है ; और

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 127 डाउन कर्नाटक एक्सप्रेस का नयी दिल्ली पहुंचने का निर्धारित समय 7.40 बजे है और 128 अप का बंगलूर पहुंचने का निर्धारित समय 21.30 बजे है।

(ख) पिछले छः महीनों अर्थात् फरवरी 84 से जुलाई 84 तक, 127 डाउन एक्सप्रेस नई दिल्ली 60 वार में से 9 वार समय पर पहुंची और 128 अप एक्सप्रेस बैंगलूर 91 बार में से 37 वार समय पर पहुंची।

(ग) कर्नाटक एक्सप्रेस के चालन-समय पर विशेष निगरानी रखने के आदेश दिये गए हैं।

मेघालय और असम का औद्योगिक वातावरण

2753. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योग संगटन ने असम और मेघालय के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण के संवंधन की दृष्टि से उन राज्यों के औद्योगिक वातावरण की पुनरीक्षा की है ; और

(ख) वहां किस प्रकार की समस्याओं का पता लगाया गया है और उनके हल के लिए क्या तरीके और साधन सुझाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ द्वारा जिन कठिनाइयों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्रभावी परिवहन और संचार साधनों की कमी ;

(2) औद्योगिक उत्पादन और उद्यमिता का अभाव।

(3) सरकारी क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश,

(4) विशाल जल विद्युत क्षमता का पर्याप्त इस्तेमाल न किया जाना,

(5) प्रति व्यक्ति कम आमदनी,

(6) औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा बाह्य निवेश के प्रयासों में स्थानीय जन संख्या का कड़ा प्रतिरोध,

(7) निरन्तर राजनैतिक अस्थिरता तथा अपर्याप्त राज्य प्रोत्साहन का होना है।

भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ ने सुझाव दिया है कि परिवहन और संचार प्रणालियों में सुधार करने, जल विद्युत क्षमता का इस्तेमाल किये जाने, सरकारी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि करने के लिए किए जाने चाहिए। भावी उद्यमियों को आकर्षित प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ ने असम और मेघालय में औद्योगिक संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए एक सयुक्त कृतिक बल की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास

2754. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यम शीलता का विकास नहीं हुआ है, और किसी भी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई है तथा इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक अवरूद्धता को दूर करने तथा क्षेत्र का शीघ्र विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता का धीरे-धीरे विकास हो रहा है। वर्ष 1982 से 1984 (जून तक) में उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में किए गए पंजीकरणों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास के महानिदेशालय के अन्तर्गत पंजीकरण
1982	12	1	10
1983	19	25	20
1984 (जून तक)	7	3	6

असम सहित समस्त उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है और इसे पिछड़े क्षेत्रों के वर्ग "क" में शामिल किया गया है। सरकार इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन जैसे-औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति में सर्वोच्च

प्राथमिकता, 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रुपये की केन्द्रीय निवेश, राजसहायता, अखिल भारतीय सावधि ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त की सुविधाएं, चुने हुए रेल शीर्षों से कच्चे माल और तैयार माल को ले जाने तथा वहां तक ले जाने की परिवहन लागत पर 75 प्रतिशत की दर से परिवहन राजसहायता, उद्योग रहित जिलों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के लिए प्रति जिला 2 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता, कर-संबंधी रियायतें, लघु उद्योगों के लिए मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सुविधाएं विविध प्रकार की विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से सीमांत (मार्जिन) धनराशि की सहायता प्रदान कर रही है।

एम० आर० टी० पी०/फैरा कम्पनियों को 1.4.1983 से वर्ग "क" के जिलों के संबंध में केवल 30 प्रतिशत के निर्यात दायित्व के आधार पर लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित न किये गए परिशिष्ट-1 के अतिरिक्त उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

औद्योगिकीकरण की राज्यवार प्रगति

2755. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने छठी योजना के दौरान औद्योगीकरण में प्रगति की है ;

(ख) केन्द्र ने उक्त योजना अवधि के दौरान औद्योगिकी के लिए उन राज्यों में से प्रत्येक में कितना निवेश किया है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) उद्योगों का छितराव करने की दृष्टि से सभी राज्यों में सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश किया जाता है तथ साथ ही पिछड़े क्षेत्रों को राजसहायता भी दी जाती है।

31.3.1980 से 31.3.1983 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी उपक्रमों में किए गए केन्द्रीय निवेश तथा पिछड़े क्षेत्रों को दी गई राजसहायता की तुलनात्मक प्रगति को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण-1

परिसम्पत्तियों का राज्यवार वितरण

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	निवेश (कुल ब्लाक) करोड़ रुपयों में	
		31.3.80	31.3.83
1.	आन्ध्र प्रदेश	775.12	2118.60

1	2	3	4
2.	असम	490.37	1556.38
3.	बिहार	3151.67	4692.33
4.	गुजरात	879.80	1114.55
5.	हरियाणा	252.97	314.70
6.	हिमाचल प्रदेश	127.02	168.11
7.	जम्मू और काश्मीर	7.05	23.91
8.	कर्नाटक	746.45	1064.82
9.	केरल	422.84	617.53
10.	मध्य प्रदेश	2230.77	3861.02
11.	महाराष्ट्र	1313.94	3993.22
12.	उड़ीसा	928.37	1522.45
13.	पंजाब	362.52	485.85
14.	राजस्थान	337.62	543.47
15.	तमिलनाड	747.74	1332.75
16.	उत्तर प्रदेश	802.28	2394.14
17.	पश्चिमी बंगाल	1540.39	2490.57
18.	दिल्ली	501.89	995.49
19.	गोआ	6.37	11.97
20.	अन्य राज्य/संघ क्षेत्र	150.24	242.79
21.	अनावंटित	2385.72	2424.04
	योग :	18161.14	31968.69

विवरण-2

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत
की गई प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण

रोड़ रुपयों में

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	31.3.1980 को	31.3.1983 को
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.94	7.29
2.	असम	0.20	2.20
3.	बिहार	0.19	1.10
4.	गुजरात	4.07	10.72
5.	हरियाणा	0.11	2.89
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17	4.01
7.	जम्मू और कश्मीर	0.83	2.61
8.	कर्नाटक	2.10	5.98
9.	केरल	2.06	3.17
10.	मध्य प्रदेश	1.44	4.11
11.	महाराष्ट्र	2.89	6.08
12.	उड़ीसा	—	2.03
13.	पंजाब	0.98	5.00
14.	राजस्थान	4.02	10.23
15.	तमिलनाडु	5.39	11.80
16.	उत्तर प्रदेश	0.70	2.08
17.	पश्चिम बंगाल	0.70	1.76
18.	गोआ	1.48	3.90
19.	अन्य राज्य/संघ क्षेत्र	0.28	3.49

परिवहन राजसहायता के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति

(लाख रुपयों में)

1.	असम	7.55	162.18
2.	हिमाचल प्रदेश	0.44	1.42
3.	जम्मू और कश्मीर	12.23	13.22
4.	अन्य राज्य/संघ क्षेत्र	0.15	14.60

आसनसोल ग्लास फैक्टरी का प्रबन्ध ग्रहण

2756. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसनसोल ग्लास फैक्टरी का प्रबन्ध ग्रहण करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या आसनसोल ग्लास फैक्टरी लम्बे समय से बन्द पड़ी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) केन्द्र सरकार का हिन्दुस्तान का पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लि०, आसनसोल उपक्रम के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध के अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड ने उत्पादन करना बन्द कर दिया किन्तु औपचारिक रूप से बन्द नहीं हुआ।

सरकारी उपक्रमों की क्षमताओं का कम उपयोग

2757. **श्रीमती चिन्तामणि जैना :**
श्री नवीन रावणी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा उत्पादन प्रतिवर्ष धीरे-धीरे कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने उत्पादन में वृद्धि की योजना बनाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के सरकारी क्षेत्र के एककों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आमन्त्रित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत 36 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनमें से चार प्रवर्त्तक वाले एकक हैं और एकक अर्थात टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया हाल ही में स्थापित किया गया है। उत्पाद मिश्र और अन्य संबद्ध कारणों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उपक्रम के लिए प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता को उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 के लिए उत्पादन लक्ष्य और इसी अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। औद्योगिक विकास विभाग के अधीनस्थ एककों में वर्ष 1983-84 में वर्ष 1982-83 के उत्पादन की तुलना में 20.95% अधिक उत्पादन हुआ। इसी प्रकार भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ एककों में वर्ष 1982 84 की तुलना में 12% अधिक उत्पादन हुआ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की नियमित अवधि के बाद लगातार समीक्षा की जाती है और इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, उपक्रमों/सरकार द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सुधारात्मक उपाय प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग-अलग होते हैं और इन सुधारात्मक उपायों का निर्णय एक विशेष समय में प्रचालित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

इन उपायों में पुराने संयंत्र और मशीनरी का नियमित तथा योजनाबद्ध आधार पर क्रमिक नवीकरण और बदला जाना, बिजली की कमी को दूर करने के लिए डी० जी० सेटों की स्थापना करना और राज्य विद्युत बोर्ड से अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए आग्रह करना, विनिर्माण के नये क्षेत्रों में विविधता करना, सरकार द्वारा सम्भव सीमा तक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था करना और कच्चे माल की निविष्टयों को पूरा करने में सम्मलित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सरकारी उपक्रमों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह भी दी गई है कि वे वर्ष 1984-85 में अपने उत्पादन में 1983-84 की तुलना में कुल मिलाकर कम से कम 15% की वृद्धि करें। इसे प्राप्त करने के कार्यवाही योजना लिए तैयार की जायेगी और उच्च और मझोले प्रबन्धकों द्वारा कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने हेतु सुचारू रूप से इसकी मानीटरिंग की जायेगी।

विवरण

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की प्रतिशत
		(वर्ष 1983-84)	(वर्ष 1983-84)	प्राप्ति
औद्योगिक विकास विभाग				
1.	एण्ड्रयूल एण्ड कं० लि०	3356.14	3379.15	95.02%

1.	2.	3.	4	5
2.	भारत अप्थस्मिक ग्लास लि०	205.95	115.58	53.17%
3.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	11948.01	10795.00	90.35%
4.	साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	1552.00	1565.00	100.84%
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	11319.40	11218.14	99.11%
6.	हिन्दुस्तान पेपर कार० लि०	7699.02	5425.91	70.48%
7.	हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैन्यु० कं० लि०	8800.00	8934.99	101.53%
8.	इन्सट्रमेंशटन लिमिटेड	4000.00	4202.48	105.06%
9.	नेशनल इन्स्ट्रमेंट लि०	554.51	490.56	88.47%
10.	नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	569.10	379.42	66.67%
11.	टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	540.26	488.87	90.49%
	योग :—	53954.03	50329.00	93.28%

अक्तूबर, 1883

मार्च, 1994

12. *	(क) हिन्दुस्तान साल्ट लि०	32.49
	(ख) साम्भर साल्ट लि०	28.08

*लेखा वर्ष । अक्तूबर से 30 सितम्बर है ।

चूंकि नमक उद्योग एक मौसमी उद्योग है, अतः लक्ष्य मासिक आधार पर न होकर पूरे वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं ।

1	2	3	4	5
भारी उद्योग विभाग				
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	130000	130217	100%
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० **	30672	30979	100%
3.	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि० ***	22529	13987	62%
4.	बर्न स्टेंडर्ड कं० लि०	8552	9002	105%
5.	जेसप एण्ड कं० लि०	6524	5919	91%
6.	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	5506	5408	98%
7.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	7070	5638	80%
8.	ब्रेथवेट एण्ड कं लि०	5066	4229	83%
9.	रिचर्ड सन एंड क्रूडास लि०	3569	4390	123%
10.	त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल्स लि०	2352	2494	106%
11.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	4173	1706	41%
12	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	3309	3640	110%
13.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	1051	1052	100%
14.	भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कं० लि०	1793	2424	135%
15.	लगन जूट मशीनरी कं० लि०	701	425	61%
16.	भारत ब्रेक्स बाल्व्स लि०	613	525	86%
17.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियरिंग लि०*	721	874	121—
17.	मारुति उद्योग लि०	399	401	101—
	योग :—	234600	223010	95—

**एम० एम० टी बियरिंगों को छोड़कर

*** वर्ष के कुल योग में अन्तः संयंत्र अन्तरण शामिल नहीं है।

* वेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड (डब्ल्यू० आई० एल०) को छोड़कर

प्राइमरी और हायर सीनियर सेकेन्डरी स्तर पर शिक्षा का सुधार

2758. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइमरी और हायर/सीनियर सेकेण्डरी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु कोई ठोस कदम उठाये हैं ताकि छठी पंचवर्षीय योजना में खेलकूद की गतिविधियों सहित पर्याप्त कर्मचारी, प्रयोगशाला व/पुस्तकालय सुविधायें, होस्टल और शैक्षणेत्तर गतिविधियां सुलभ की जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मुख्य कदम उठाए गए हैं और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित कदम उठाए जाने हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की कोटि में सुधार करने के कार्यक्रम को राज्यों की वार्षिक योजनाओं में शामिल किया जाता है जिनके बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार और शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग में निर्णय लिया जाता है। भारत सरकार राज्य सरकारों से सिफारिश करती रही है कि वे सभी एकल अध्यापक वाले स्कूलों को दो अध्यापक वाले स्कूलों में परिवर्तित करें। भारत सरकार प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों को वर्ष 1983-84 से अब तक 80:20 की केन्द्र राज्य की भागीदारी के आधार पर सहायता प्रदान करती रही है। देश भर में आरम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों में सुधार तथा व्यापक पैमाने पर अपनाने के लिए शिक्षण प्रथाएं तैयार की जा रही हैं। इन सब उपायों से प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा की कोटि में सुधार होने की सम्भावना है।

माध्यमिक स्तर पर, श्रव्य-दृश्य उपकरण के अधिक उपयोग की तरह शिक्षण तथा अध्ययन की नई प्रणालियां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई हैं। इनसैट शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ई० टी० वी० कार्यक्रम तैयार करने के स्टूडियो, अध्ययन प्रक्रिया को समृद्ध बनाने हेतु उपयुक्त सोफ्टवेयर उत्पन्न करने के वास्ते 6 राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए सुगणक साक्षरता लागू करने तथा उनमें इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए 250 स्कूलों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। परीक्षा प्रणाली को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्कूल पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों में शिक्षा की कोटि को सुधारने और शिक्षकों की क्षमता में सुधार करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्यों को निम्नलिलित क्षेत्रों में मार्ग-दर्शन प्रदान करता रहा है ;

(1) विभिन्न विषयों में आवश्यकता पर आधारित पाठ्य विवरण तैयार करना ;

(2) कुछ प्रवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित करने के लिए अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करना ;

(3) अध्ययन के लिये स्नेह उत्पन्न करना ; और

(4) स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों के रूप में कार्यरत शिक्षकों को उच्च पुस्तकालय प्रशिक्षण।

ये प्रयास छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान जारी रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम तथा परिव्ययों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों का मूल्यांकन

2759. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चल रहे जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य निष्पादन की उपलब्धियों के बारे में कोई अध्ययन/विशलेषण/मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो कब ;

(ख) उसके क्या निष्कर्ष निकले है ;

(ग) कितने नये औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं, राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों उनके जिला उद्योग केंद्रों में वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में उनकी मूल्य पूंजी और उत्पादन की मदों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उपरोक्त औद्योगिक एककों में उत्पादन शुरू हो गया है और वे आर्थिक रूप से सक्षम हो गयी हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपरोक्त जिलों में जिला उद्योग द्वारा कितने नये एकक खोले गये हैं जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है अथवा रुग्ण हैं और जिन्हें बैंकों को ऋण चुकाना है, इस प्रकार के प्रत्येक एकक का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) जिला उद्योग केन्द्रों के वर्ष 1982-83 के कार्यनिष्पादन का विशलेषण किया गया है और प्रमुख सूचकों से संबंधित उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

क्र० सं०	सूचक	प्रति जिला	मध्य प्रदेश में
		उद्योग केन्द्र अखिल भारतीय उपलब्धि	प्रति जिला उद्योग केन्द्र औसत उपलब्धि
1.	2.	3.	4.
1.	पता लगाये गये उद्यमी	1000	1007
2.	स्थापित किए गये नये एककों की संख्या	964	463
3.	उत्पन्न किया गया अतिरिक्त रोजगार (संख्या)	3119	1473
4.	दी गई ऋण सहायता (करोड़ रु० में)	1.48	0.85

(ग) से (ङ) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्थापित किये गये केवल नए एककों के बारे में जिन्होंने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है प्रगति दी जाती है। इस सम्बन्ध में तथा राजगढ़, गुना और विदिशा के जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई ऋण सहायता संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। इन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा रुग्णता के बारे में जानकारी नहीं भेजी गई है।

विवरण

राजगढ़, गुना और विदिशा में जिला उद्योग केन्द्रों में वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किये गये नये एककों तथा उन्हें प्रदान की गई ऋण सहायता की प्रगति।

जिला उद्योग केन्द्र/वर्ष के नाम	स्थापित किये गये नये औद्योगिक एककों की संख्या			वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता
	कारीगरों पर आधारित	लघु उद्योग एकक	कुल	(लाख रु० में)
राजगढ़				
1979-80	145	106	251	14.39

1	2	3	4	5
1980-81	206	85	291	7.34
1981-82	307	101	408	9.92
1982-83	304	31	337	13.19
गुना				
1979-80	181	95	276	3.45
1980-81	128	145	273	3.22
1981-82	230	122	352	6.66
1982-83	324	81	405	5.60
विदिशा				
1979-80	25	140	165	7.15
1980-81	93	240	333	24.96
1981-82	71	200	271	10.67
1982-83	298	18	316	13.21

बिहार गोपालगंज में सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना

2760. **श्री नगीना राय** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार का गोपालगंज जिला औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित गोपालगंज जिला देश का सबसे अधिक अविकसित, पिछड़ा और ग्रामीण जिला है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जिले में सरकारी क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करने का है और यदि हां, तो कौन सा उद्योग स्थापित करने का विचार किया गया है तथा यह कब तक स्थापित हो जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) गोपालगंज केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़ा जिला नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय निवेश मुख्य रूप से उन बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किये गये हैं जो आधार भूत किस्म की हैं । इसलिए ऐसी परियोजनाओं के स्थापना स्थल का निर्णय विशद तकनीकी-

आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है। यह सरकार की नीति रही है कि तकनीकी-आर्थिक विचारों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना करने में वरीयता दी जाए। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेशों के समान बितरण का सुनिश्चय करने में अंतर्निहित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय विकास गैर-सरकारी क्षेत्र के उन क्षेत्रों में बड़े निवेश करके किया जाता है। जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अतः पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए भावी उद्यमियों को पूंजीगत निवेश, राजसहायता, वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त जैसी अनेक रियायतें दी जा रही हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में चल रही सभी परियोजनाओं तथा आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापना कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। नई परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता के आधार पर पता लगाया गया है और उनके लिये व्यवस्था की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सम्मिलित ऐसी सभी परियोजनाओं के मूलभूत ब्यौरे छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (277-293 पृष्ठ) में प्रकाशित किये गये हैं। जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

औद्योगिकी को उन्नत बनाने सम्बन्धी कार्यकारी बल

2761. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के संबंध में अध्ययन करने और उपयुक्त उपायों के सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है;

(ख) क्या दल ने कोई सुझाव दिये हैं या सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टभिराम राव) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) आशा है कि कार्य दल शीघ्र ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट भेज देगा।

लघु क्षेत्र को ऋण देने संबंधी समिति

2762. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या समिति ने कोई सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाओं संबंधी समिति की नियुक्ति कर दी गई है और इसके विचाराधीन विषयों में से एक विषय ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता के बारे में प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा करने से संबंधित है। समिति के गठन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

विवरण

ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी समिति के सदस्यों की सूची

1. प्रो० ए० एम० खुसरी
   सदस्य, योजना आयोग ....अध्यक्ष
2. भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि ....सदस्य
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रतिनिधि ....सदस्य
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एन० ए० बी० ए० आर० डी०) का प्रतिनिधि ....सदस्य
5. जमा बीमा तथा ऋण गारण्टी निगम (डी० आई० सी० जी० सी०) का प्रतिनिधि ....सदस्य
6. भारतीय औद्योगिग वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) का प्रतिनिधि ....सदस्य

7. भारतीय स्टेट बैंक (एस० बी० आई०) का प्रतिनिधि	.........सदस्य
8. वित्त मन्त्रालय (बैंकिंग विभाग) का प्रतिनिधि	.........सदस्य
9. उद्योग मन्त्रालय का प्रति-निधि	.........सदस्य
10. वाणिज्य मन्त्रालय का प्रतिनिधि	.........सदस्य
11. ग्रामीण विकास मन्त्रालय का प्रतिनिधि	.........सदस्य
12. सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग) योजना आयोग	.........सदस्य
13. सलाहकार (एम० पी० एण्ड डी०) योजना आयोग	.........सदस्य
14. श्री ए० पी० वी० कृष्णन 128, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016	.........सदस्य
15. सलाहकार (ग्रामीण विकास तथा सहकारिता) योजना आयोग	.........सदस्य
16. अध्यक्ष, कौंसिल आफ स्माल इण्डस्ट्रीज कार-पोरेशन इन इण्डिया	.... सदस्य
17. विकास आयुक्त लघु उद्योग (उद्योग मंत्रालय	.........सदस्य सचिव

जालौर (राजस्थान) को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करना

2763. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जालोर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में शामिल करने तथा इसे 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पिछड़े जिले को यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केवल "क" श्रेणी में सम्मिलित जिले ही 25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय निवेश राज-सहायता के पात्र हैं। जालोर जो कि "क" की शर्तें पूरी नहीं करता "ग," श्रेणी में सम्मिलित है और 10 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय निवेश राजसहायता का पात्र है।

आबू रोड (राजस्थान) में इन्सूलेटर कारखाना स्थापित करना

2764. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये के लागत से बनने वाली शक्तिशाली इन्सूलेटर कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में लगभग कितने कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ग) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) राजस्थान के आबूरोड, जिला सिरोही में एच० टी० इन्सुलेटरों का निर्माण करने के लिए 6000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली एक परियोजना की स्थापना करने हेतु मै० माडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड को एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

लाइसेंस 13 मार्च 1986 तक वैध है और कम्पनी को उक्त तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करना अपेक्षित है। उक्त औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए दिए गए अपने आवेदन पत्र में आवेदक ने प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों सहित कुल 620 कामगारों की जानकारी दी थी।

औद्योगिक वृद्धि दर

2766. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछली तीन तिमाहियों से औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है ;

(ख) क्या इस वृद्धि दर से वार्षिक लक्ष्य से अधिक प्रगति हो सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें अपेक्षाकृत वृद्धि दर घट रही है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) वर्ष 19 3-84 की पहली तिमाही से विकास की दर में निरन्तर सुधार होता रहा है। अप्रैल-जून, 1983 में विकास की 3.4 प्रतिशत, जुलाई सितम्बर में 4.9 प्रतिशत, अक्तूबर-दिसम्बर में 5.7 प्रतिशत तथा जनवरी-मार्च 7.3 प्रतिशत रही। वर्ष 1983-84 में विकास की समग्र दर छठी योजना के 8 प्रतिशत के औसत वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 5.8 प्रतिशत रही। 1984-85 के पहले दो महीनों में औद्योगिक उत्पादन 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 1983-84 में जिन उद्योग समूहों में कम-वृद्धि हुई उनमें खाद्य, निर्माणरत, उद्योग, पेय तम्बाकू, कागज, चमड़ा और लोम (फर) उत्पाद, आधारभूत धातु तथा विविध निर्माणरत उद्योग शामिल हैं।

सरकार का प्रयास औद्योगिक लाइसेंस और आयात विषयक नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा आर्थिक एवं राजकोषीय उपाय करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 की धारणा में अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनों को दूर करने के लिए पर्याप्त अवस्थापना सम्बन्धी विकास पर बल दिया गया है। सातवी योजना में औद्योगिक विकास का केन्द्र बिन्दु भी प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, आधुनिकीकरण, परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग तथा कार्यकुशलता को बढ़ाना है जिससे औद्योगिक विकास की दर में और अधिक तेजी लाई जा सके।

लघु क्षेत्र में आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरी और स्वचालितीकरण

2767. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में जहां 95 प्रतिशत लघु एककों के संयंत्रों और मशीनरी में 2 लाख रुपए से कम मूल्य से कम निवेश हैं, आधुनिकीकरण, स्वचालितीकरण और कम्प्यूटीकरण संभव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार लघु एककों को उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों में किस प्रकार सहायता करना चाहती है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) लघु एककों में आधुनिकीकरण का अर्थ आवश्यक रूप से आटोमेशन और कम्प्यूटराईजेशन नहीं है। किसी भी लघु एकक के आकार और निवेश पर विचार किये बिना उसे आधुनिक बनाना सम्भव है। भारत सरकार

ने हाल ही में लघु क्षेत्र के चुने हुए क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी के उन्ययन और लघु क्षेत्र में प्रोद्योगिकी के उन्ययन के लिए उपाय तथा साधन सुझाने हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

उड़ीसा में बोलनगीर में एकाधिकारवादी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

कम्पनियों द्वारा उद्योगों की स्थापना करना

2768. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु एकाधिकारवादी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए जाने के बारे में सरकार की नीतियां क्या हैं ;

(ख) उड़ीसा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए एकाधिकार-वादी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

(ग) क्या एकाधिकारवादी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों को बोलानगीर जैसे पिछड़े जिलों में जहां उद्योगों की स्थापना के लिए मूलभूत ढांचे की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया है ; और

(घ) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में उद्योग की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) वर्ग "क", "ख" और 'ग" के अन्तर्गत पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों में एम० आर० टी० पी० गृहों सहित औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये सरकार औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृति करने की दिशा में प्राथमिकता दे रही है।

(ख) और (ग) उड़ीसा में बोलनगीर सहित पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों में एम० आर० टी० पी० गृहों को अपने एककों की स्थापना करने में प्रोत्साहन देने के लिए दिनांक 27.4.83 के प्रेस टिप्पण (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) द्वारा विभिन्न रियायतों/प्रोत्साहनों की घोषणा कर दी गई है।

(घ) विशिष्ट जिलों का औद्योगिकरण करना मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मे-वारी है। केन्द्र सरकार विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन प्रदान करके उनके प्रयासों में योगदान देती है।

उड़ीसा में बोलनगीर जिले को (उद्योग रहित जिला माना गया है, और इसे पिछड़े क्षेत्रों के वर्ग "क" के अन्तर्गत रखा गया है तथा यह जिला दिनांक 27.4.1983 के प्रेस टिप्पण द्वारा घोषित विभिन्न रियायतें पाने का पात्र है।

घटिया किस्म के टायर और ट्यूब

2769. **श्री चित्त महाटा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग द्वारा मोटरगाड़ियों के घटिया किस्म के टायर और ट्यूब सप्लाई किए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) हालांकि कुछ निर्माताओं द्वारा खराब टायर बेचे जाने के बारे में विशिष्ट शिकायतें हो सकती हैं फिर भी इस उद्योग द्वारा घटिया किस्म के टायर व ट्यूबों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में सरकार को जानकारी नहीं है ।

दिल्ली के उपनगरों को रिंग रेलवे से जोड़ना

2770. **श्री छांगुर राम** :
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपनगरों को, बम्बई की भांति, रिंग-रेलवे से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ताकि राज्य सरकार की बसों में अधिक भीड़-भाड़ को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में, जहां पहले ही अत्यधिक जनसंख्या है, और अधिक लोगों के बसने को हतोत्साहित करने के लिए सरकार का विचार इसे शीघ्र क्रियान्वित करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) बम्बई में कोई रिंग रेलवे नहीं है । बम्बई में उपनगरीय लाइनें उत्तर-दक्षिण दिशा में चलती हैं जो बम्बई के उपनगरों को जोड़ती हैं । योजना आयोग द्वारा नियुक्त दलवी समिति ने सिफारिश की है कि दिल्ली की ओर अभिमुख रेडियल पर ई० एम० यू० गाड़िया चलायी जायें । योजना को पूर एक-मुश्त कार्य के रूप में कार्यान्वित करने की सिफारिश करते हुए रेल मंत्रालय के विचार योजना आयोग को सूचित कर दिये गये थे ।

योजना आयोग ने रेल मंत्रालय के दृष्टिकोणों पर विचार किया है और जून, 1984 में आयोजित एक अन्तर-मन्त्रालय बैठक में दिल्ली क्षेत्र में अन्तंनगरीय परिवहन समस्या पर कार्रवाई करने हेतु भावी निर्देश दिशा सुझाये जिसकी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के उपनगरों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में वृद्धि करना

2771. **श्री छांगुर राम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के साथ लगने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपनगरों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में चलने वाली बसें घाटे पर चल रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान असारी) : (क) जी नहीं।

(ख) अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में स्थित नगरों तक सर्विस बढ़ाना सबंधित राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय करार के उपबंधों पर निर्भर करता है। सर्विस में बढ़ोत्तरी करना तभी संभव है जब ऐसे करार को संशोधित/परिवर्तित किया जाए।

(ग) जी हां।

बम्बई के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं और सुधार

2772. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी तीन वर्षों में बंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों-मुलुंड, भंडुप कंजुरमार्ग, विखोली, घटकोपर, विधा विहार, कुर्ला चेम्बूर, गोवंडी और मानखुद—में से प्रत्येक स्टेशन पर जो सुविधायें देने और उनके सुधार करने का रेलवे का विचार है, उनका क्या ब्यौरा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : पहले से स्वीकृत/चल रहे विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

स्टेशन का नाम	पहले से स्वीकृत/चल रहे निर्माण कार्य
भाण्डुप	पूर्वी छोर पर जी० डी० एस० प्लेट फार्म तथा द्वीप प्लेट फार्म सं० 2 और 3 को जोड़ने वाला ऊपरी पैदल पुल
कुर्ला	कल्याण छोर पर प्लेट फार्म सं० 1, 2, 3 और 4 पर छत का विस्तार।
गोवन्डी	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था, प्लेट फार्म पर छत का विस्तार उप दिशा में नयी स्टेशन इमारत की व्यवस्था।
मानखुर्द	डाउन दिशा की ओर ऊपरी पैदल पुल का विस्तार, टिकट घर की व्यवस्था तथा प्लेट फार्म पर छत का विस्तार।

अन्य स्टेशनों पर बिजली के संकेतक, बेहतर प्रवेश विकास सुविधाओं की व्यवस्था, प्लेट फार्मों पर छत विस्तार तथा ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था/विस्तार आदि जैसे अन्य सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गयी है लेकिन धनराशि की अत्यधिक तंगी के कारण इन निर्माण कार्यों को अब तक स्वीकृति देना सम्भव नहीं हो सका है चूंकि इन निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्षानुवर्ष के आधार पर दी जाती है जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, इसलिए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि संदर्भाधीन स्टेशनों पर आगामी तीन वर्षों में कौन से सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य किये जायेंगे।

बम्बई में रेलवे स्टेशनों के नजदीक बने स्टालों को हटाया जाना

2773. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेटर बम्बई के नगर निगम की सुधार समिति के चेयरमैन से रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे की भूमि पर बने हुए स्टालों के बारे में जिनके कारण सर्कुलेटिंग क्षेत्र में कमी आती है और लोगों को असुविधा होती है, मध्य और पश्चिम दोनों रेलवे को लिखा था;

(ख) यदि हां, तो मध्य और पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने इन बाधाओं को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) बम्बई उप-नगरीय स्टेशन में यह स्टाल कहां-कहां पर बने हुए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। बहरहाल, दिसम्बर, 1982 में रेल मन्त्रालय के माध्यम से मध्य और पश्चिम रेलों को बम्बई नगर निगम के दिनांक 28-6-82 के संकल्प सं० 199 की एक प्रति प्राप्त हुई थी।

(ख) दोनों रेलों ने नगर निगम के दिनांक 28-6-82 के संकल्प संख्या 199 से पूर्व अपनायी जा रही नीति के रूप में बम्बई क्षेत्र के स्टेशनों के परिचालन क्षेत्रों में स्टालों/दुकानों के और आगे लाइसेंस देना बन्द कर दिया था।

(ग) स्टाल निम्नलिखित स्टेशनों पर स्थित हैं :—

(1) मध्य रेलवे

भायखला, परेल, कुर्ला, घाटकोपर, मानखुर्द, मुलुण्ड, चेम्बूर, माण्डुप और किंग सर्किल (नौ)

(2) पश्चिम रेलवे

अन्धेरी, गोरेगांव, विलेपार्ले, मलाड़, काण्डिवली (पांच)

रतलाम से आरक्षण कोटा

2774. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलगाड़ियों में रतलाम से गोधरा, दोहाद, बांसवाड़ा जैसे बीच के स्टेशनों के लिए अलग-अलग आरक्षण कोटा निर्धारित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या बंसवाड़ा के लोगों की मांग है कि बम्बई जाने वाली रेलगाड़ियों में मेघनगर स्टेशन से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो लोगों को इस सुविधा से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) रतलाम स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों में आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गयी है जिसका उपयोग, न्यूनतम दूरी प्रतिबन्ध जहां लागू हो, की शर्त पर किसी भी गन्तव्य के लिए किया जा सकता है। रतलाम से दाहोद और गोधरा इत्यादि तक की यात्राएं 20 अप देहरादून एक्सप्रेस और 24 अप जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ-साथ अन्य सवारी गाड़ियों से सुविधाजनक रूप से की जा सकती हैं।

मध्यवर्ती स्टेशनों जैसे दाहोद, गोधरा और मेघनगर पर भी आरक्षण-कोटे की व्यवस्था की गयी है।

जहां तक बांसवाड़ा का सम्बन्ध है, यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। बम्बई जाने वाली गाड़ियों में मेघनगर स्टेशन से बांसवाड़ा के यात्रियों के लिए कोटे की व्यवस्था करने के बारे में मांग प्राप्त हुई है। मेघनगर के साथ-साथ रतलाम और दाहोद स्टेशन को प्रदान किये गये कोटे में बांसवाड़ा की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है !

रेलवे से माल की चोरी रोकने के लिए उठाये गये कदम

2775. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को उन वस्तुओं की जिस पर क्षतिपूर्ति के दावे किये जा सकते हैं, उन क्षेत्रों की जहां माल की चोरी होने की संभावना रहती है, उन कार्मिकों की जो चोरी करवाते हैं तथा जो चोरी का माल प्राप्त करते हैं और उन रेलवे कर्मचारियों की जो सक्रिय रूप से इसमें शामिल होते हैं, जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। खाद्यान्न, दालें, चीनी, तिलहन, सूती कपड़ा, लोहा और इस्पात वे पण्य है जिनकी रेलों पर परिवहन के दौरान अधिकतर

उठाईगीरी की जाती है। गया-आसनसोल-अण्डाल, हवड़ा, वर्दवान कार्ड, रामपुर हट-माल्दा टाउन, गड़सरा-झासा, नैहाटी-चितपुर, टाटानगर-खड़गपुर-शालीमार- टाटानगर-राउरकेला-झारसुगुडा, भिलाइ-अजनी, इलाहाबाद-कानपुर-टूण्डला, माल्दा-न्यू जलपाइगुड़ी, गड़हरा-कटिहार, नागपुर-भुसावल, वाल्तेरु-विजयवाड़ा और बड़ौदा- बांदरा रेलों पर पण्यों की उठाईगीरी के भेद क्षेत्र हैं। कभी कभी पण्यों-की चोरी और उठाईगीरी के मामलों में रेल कर्मचारियों के शामिल होने के साथ-साथ उठाई गीरी का समान प्राप्त करने वालों के साथ उनकी साठ-गांठ रहने की रिपोर्ट मिलती है।

(ख) पण्यों की चोरियों और उठाईगीरी को रोकने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए यार्डों की सुरक्षा की जाती है ताकि वे यार्ड में प्रवेश न कर सकें, बैंगनों के वफरों या निचले ढांचों में न छुप जायें और बाद में उन बैंगनों में गड़बड़ न कर सकें।

(2) जहां तक संभव होता है, मूल्यवान पण्यों को ले जाने वाली गाड़ियों का रे० सु० व० के कर्मियों द्वारा मार्ग रक्षण किया जाता है।

(3) भेद्य खण्ड/क्षेत्र में रेल-पथ की गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को भी तैनात किया जाता है।

(4) खुले माल-डिब्बों में खाद्यान्नों अथवा अन्य मूल्यवान सामग्रियों की ढुलाई करने वाली मालगाड़ियां रे० सु० व० द्वारा मार्ग रक्षित की जाती है।

(5) उठाईगीरी की अधिक घटनाओं वाले भेद्य यार्डों में विशेष रूप से कुत्ता दस्तों के साथ रे० सु० व० के दलों द्वारा गश्त लगाई जाती है।

(6) बाहरी सिगनलों, शंटिंग ग्रीवाओं तथा यार्ड में और उसके आस-पास अन्य भेद्य स्थलों पर सशस्त्र टुकड़ियां और गश्ती दल भी तैनात किये जाते हैं।

(7) अपराधियों का पता लगाने की दृष्टि से अपराध आसूचना एकत्र करने के लिए रे०-सु० व० के सादी वर्दी वाले कर्मचारी लगाये जाते हैं।

(8) चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने वाले, उसके व्यवसायियों और व्यापारियों अथवा अपराधियों के साथ सम्पर्क रखने वालों के सम्बन्ध में आसूचना एकत्रित करने के लिए विशेष गुप्तचर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है और पुलिस की सहायता से उनकी दुकानों पर छापे मारे जाते हैं।

(9) अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारियों और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरों को अचानक छापे मारने के लिए लगाया जाता है।

(10) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति को प्राप्त करने वालों से निपटने के लिए रे० सु० ब०, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर टिकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

(11) चोरी की सम्पति प्राप्त करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाते हैं और उन मामलों में रेल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अधीन कार्रवाई की जाती है।

(12) अपराधियों के बारे में आसूचना एकत्रित करने और चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने वालों तथा अपराधियो के विरुद्ध छापे मारकर चोरियों और उठाईगीरी को रोकने के सभी प्रयास करने के उद्देश्य से 50 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा कृतिक बल गठित किये गये हैं।

पण्यों की चोरियों और उठाईगीरी के मामलों में शामिल पाये जाने वाले अथवा अपराधियों अथवा चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने वाले के साथ सांठ-गांठ रखने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है अथवा विभागीय रूप से निवारक कार्रवाई की जाती है जो प्रत्येक मामले में उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर करती है।

माल की टूट-फुट/चोरी के लिये अदा किया गया मुआवजा

2776. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे ने माल की टूट-फूट या चोरी के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और जोन वार अलग-अलग कितने मुआवजे की अदायगी की है ?

रेल मत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

रेलवे	कारण	1981-82	1982-83	1983-84
मध्य	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानी/चोरी	84.67	65.19	97.0
	2. उठाईगीरी	47.82	54.78	50.67
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	74.00	67.33	78.92
	4. अन्य कारण	6.36	11.50	23.51

1	2	3	4	5
	5. जोड़	212.85	198.80	250.13
पूर्व	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि चोरी	115.98	119.55	134.23
	2. उठाईगीरी	234.85	198.11	207.72
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट-फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	81.07	76.15	89.51
	4. अन्य कारण	108.62	56.36	33.55
	5. जोड़	540.52	450.17	464.01
उत्तर	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि/चोरी	124.05	191.61	557.67
	2. उठाईगीरी	44.30	89.93	169.11
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट-फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	28.70	36.91	68.33
	4. अन्य कारण	9.70	14.48	54.61
	5. जोड़	206.75	332.93	849.72
पूर्वोत्तर	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि/चोरी	32.57	36.44	3[illegible].15
	2. उठाईगीरी	16.56	20.53	15.50
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट-फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	15.21	9.45	5.83
	4. अन्य कारण	24.87	26.54	12.93
	5. जोड़	87.51	92.96	67.41
पूर्वोत्तर सीमा	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानी/चोरी	40.96	30.62	56.[illegible]9
	2. उठाईगीरी	79.83	82.64	112.83
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट-फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	56.49	42.86	46.55
	4. अन्य कारण	13.36	36.69	28.44
	5. जोड़	1[illegible]0.64	192.81	144.71

1	2	3	4	5
दक्षिण	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि/चोरी	31.60	50.00	55.54
	2. उठाईगीरी	42.86	46.52	50.76
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट-फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	89.39	63.77	72.36
	4. अन्य कारण	44.74	38.73	33.71
	5. जोड़	208.59	199.02	212.37
दक्षिण मध्य	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि/चोरी	35.22	39.52	36.98
	2. उठाईगीरी	11.99	13.06	12.63
	3. पारवहन में गीला हो जाना टूट-फूट	28.37	21.29	22.82
	4. अन्य कारण	13.62	11.44	12.32
	5. जोड़	89.20	85.31	84.75
दक्षिण पूर्व	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि/चोरी	33.61	65.69	87.54
	2. उठाईगीरी	104.56	77.61	109.70
	3. पारवहन में गीला हो जाना, टूट-फूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	29.87	44.21	77.03
	4. अन्य कारण	20.69	42.38	42.53
	5. जोड़	188.73	229.89	316.80
पश्चिम	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानि/चोरी	191.60	310.29	426.81
	2. उठाईगीरी	37.67	51.66	92.97
	3. पारवहन में गीला हो जाना; टूट-फूट और विलम्ब हो जाने कारण क्षति	82.83	41.06	68.32

रेलवे	कारण	1981-82	1982-83	1983-84
	4. अन्य कारण	2.76	7.73	5.11
	5. जोड़	264.86	410.74	56[illegible].12
सभी रेलें	1. पूरे पैकेजों/परेषणों की हानी/चोरी	690.26	908.91	1485.84
	2. उठाईगीरी	620.44	634.84	791.89
	3. पारवहन में गीला होजाना, टूटफूट और विलम्ब हो जाने के कारण क्षति	434.23	403.03	529.58
	4. अन्य कारण	244.72	245.85	245.71
	5. जोड़	1989.65	2192.63	3053.02

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त लगाने संबंधी योजना का कार्यान्वयन

2777. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दुर्घटना होने की स्थिति में शीघ्र बचाव और सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजमार्गों पर गश्त लगाने संबंधी योजना और यातायात सहायता चौकियों का प्रायोजन किया है,

(ख) क्या सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजमार्गों पर गश्त लगाने और यातायात सहायता चौकियां स्थापित करने की व्यवस्था करें,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र के इस निदेश पर अमल करने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया है, और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश राज्य में राजमार्गों पर गश्त लगाने की व्यवस्था करने तथा यातायात सहायक चौकियां स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) राजमार्ग गश्ती स्कीम एक पायलट परियोजना के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के पांच चुने हुए खण्डों में शुरू की गई है । इसमें दिल्ली-चंडीगढ़, कलकत्ता-दुर्गापुर, मद्रास-डिंडीगल बम्बई कोल्हापुर और अहमदाबाद-सूरत रूट शामिल हैं । इन खन्डों को इन बातों को ध्यान में रखकर चुना गया है कि भारी यातायात के कारण इन पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें देश के

विभिन्न क्षेत्र आ जाते हैं जिससे पाइलट परियोजना के क्रियान्वित होने से राज्य भी इसी प्रकार की स्कीम शुरू करने के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में लेंगे। सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य के राजमार्गों पर राजमार्ग गश्ती को एक नियमित स्कीम के रूप में चालू करें। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक इस प्रयोजन के लिए कोई स्कीम तैयार किए जाने के बारे में सूचित नहीं किया है।

रेलवे की आमदनी में कमी होना

2778. **श्री सूरजभान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क और रेल परिवहन के बीच, रेलवे ने वर्ष 1980-81 में कोयला, इस्पात, उर्वरक आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की मदों की कितनी मात्रा में ढुलाई (प्रतिशत अनुपात) की थी,

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष यह अनुपात कितना था, और

(ग) यदि इसमें कमी हुयी है, तो रेलवे की आमदनी में अनुमानतः कितनी कमी हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 1980-81 से 1984-85 (जून, 1984 तक) के दौरान रेल द्वारा ढोये गये विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की मदों के यातायात की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सड़क द्वारा ढोये गये यातायात की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कम उत्पादन के कारण तैयार इस्पात के मामले और रेल द्वारा परिवहन के लिये कम मांग होने के कारण उर्वरकों के मामले को छोड़कर वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान यातायात में कोई गिरावट नहीं आयी। यातायात की इन मदों से कुल मिलाकर आमदनी में कोई गिरावट नहीं रही।

विवरण

(मिलियन टनों में)

पण्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 **	1984-85 ** (जून 84 तक)
कोयला इस्पात संयंत्रों से कच्चा	64.1	75.8	82.3	88.8	21.8

**अनन्तिम आंकड़े

1	2	3	4	5	6
लोहा और तैयार इस्पात	7.5	8.6	8.4	7.8	1.8
सीमेन्ट	9.6	10.8	12.8	15.5	3.9
उर्वरक	8.1	9.6	8.5	8.1	2.0
खाद्यान्न	18.3	21.5	24.7	24.4	5.4
पैट्रोल, तेल और स्नेहक	15.0	16.6	17.3	17.9	4.3

क्षतिपूर्ति दावों के निपटाने में विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए "दुर्घटना" शब्द की सही-सही परिभाषा

2779. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "दुर्घटना" शब्द को रेलवे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है तथा अधिनियम की एक धारा में इसका वर्णन मात्र किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "दुर्घटना" शब्द की सही-सही परिभाषा कराने का है ताकि रेल-दुर्घटनाओं में मृत्यु और अंग-भंग की क्षतिपूर्ति के दावों के निपटान में विलम्ब को न्यूनतम किया जा सके तथा मुकदमेबाजी को भी न्यूनतम किया जा सके, और

(ग) रेल "दुर्घटना" पद की परिभाषा में गाड़ियों की टक्कर और यात्री ले जाने वाली गाड़ी के पटरी से उतर जाने के अलावा कौन से विशिष्ट हादसे और घटनाएं शामिल की गई हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारतीय रेल अधिनियम में "दुर्घटना" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ए (1) में ऐसी दुर्घटनाओं का गुणार्थ दिया गया है जिस पर रेल प्रशासन पर मुआवजे का दायित्व होता है। यात्री वाहक गाड़ियों की दुर्घटना के परिणामस्वरूप गाड़ी के यात्री की मृत्यु होते अथवा उसे चोट लगने पर रेलों के दायित्व के संबंध में अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट हैं। रेलगाड़ी के यात्रियों से भिन्न हताहतों के संबंध में हर्जाना भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता अपितु अन्य नागरिक कानून के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की परिभाषा के न होने के कारण गाड़ी दुर्घटना में अन्तग्रस्त गाड़ी यात्रियों के सम्बन्ध में मुआवजे के दावों का निपटान करने में कोई विलम्ब नहीं होता। अतः अधिनियम में "दुर्घटना" शब्द की अलग से परिभाषा देना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

अधिनियम की धारा 82-ए (1) में परिकल्पित यात्री गाड़ी दुर्घटनाओं में गाड़ियों की टक्करें और गाड़ियों के पटरी से उतरने के अलावा, समपारों पर सड़क वाहनों का गाड़ियों से टकराना, गाड़ियों में आग, रेलवे लाइन पर मवेशियों के आ जाने, शिलाखण्ड और पेड़ों आदि के गिर जाने के कारण गाड़ियों का अवरोध से टकराना, अकस्मात बाढ़ के कारण गाड़ियों का बह जाना, अचानक तूफान के कारण गाड़ियों का उलट जाना आदि शामिल हैं।

दिल्ली परिवहन की बसों का अनुरक्षण

2780. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री आनन्द सिंह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम की अनेक बसों का रख-रखाव बहुत खराब है और वे धुएं का गुब्बारा छोड़ती हैं ;

(ख) क्या निर्धारित सीमा से अधिक धुआं छोड़कर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कानून है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि बसों का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाए ; और

(ङ) वर्ष 1981-82 के बाद बसों के अनुरक्षण पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई है और इस अवधि में दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें बेकार हुई हैं ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क), (ख) और (ग) मोटर यान अधिनियम, 1939 और दिल्ली मोटर यान नियम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक मोटर यान का निर्माण इस प्रकार किया जाय, उसका रख-रखाव इस स्थिति में किया जाय और उसको इस प्रकार से चलाया जाये और उसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाये कि इससे किसी भी प्रकार धुआं, देखने जैसी हवा, चिन्गारी, राख, सिंडर्स न निकले या किसी प्रकार के कोई तत्व जिसे रोका जा सके अथवा उचित कदम उठाकर उसे रोका जा सके अथवा सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जा सके अथवा जिससे कोई नुकसान न हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा न हो या सम्पति को नुकसान न पहुंचे। दिल्ली परिवहन निगम की बस को छोड़ने और लाइन ड्यूटी पर आने के पहले गेट पर ही उसकी विस्तृत जांच कर ली जाती है ताकि उपरोक्त के पालन का सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) बसों की उचित दशा में रख-रखाव के लिए उठाये गये कदमों में डिपु में सुरक्षात्मक अनुरक्षण शिड्यूल का लागू करना, दोषपूर्ण पुर्जों का समय से बदला जाना, पुरानी गाड़ियों को समय-

बद्ध तरीके से बदलना, सिस्टम के उचित जानकारी के लिए तकनीशियनों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना और इस प्रकार विकसित अनुरक्षण आदि शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान बसों के अनुरक्षण पर व्यय धनराशि क्रमशः 1148.48 लाख रुपये, 1440.77 लाख रुपये और 1711.48 लाख रुपये थी। उन्हीं वर्षों में बेकार बैठी बसों की सं० क्रमशः 49, 179 और 296 थी। इसमें स्क्रैपिंग के लिये गई बसें भी शामिल हैं।

बंगलोर में "व्हील एण्ड एक्सल" परियोजना

2781. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय की बंगलौर में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रतिष्ठित "व्हील एण्ड एक्सल" परियोजना लगभग एक वर्ष से उद्घाटन समारोह की प्रतिक्षा में कार्य प्रारंभ नहीं कर सकी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतनी बड़ी राशि के अवरुद्ध पड़े रहने के कारण क्या है और जहां तक परियोजना का संकल्पना के समय विद्युत आपूर्ति के संबंध में उचित योजना न बनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) संयंत्र का भविष्य अब क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) बेंगलूर के निकट पहिया और धुरा संयंत्र की स्थापना पर 149.05 रुपये लागत आयेगी न कि 200 करोड़ रुपये। इस फैक्टरी में परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू हो गया है और यह किसी औपचारिक उद्घाटन समारोह की प्रतिक्षा में नहीं है। मशीनों और संयंत्रों की स्थापना सहित यह फैक्टरी वास्तविक रूप से बनकर तैयार हो गयी है जिसमें परीक्षण जांच के पश्चात् प्रयोग के तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया गया था।

1972 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 25 (मेगावाट) एम० बी० ए० तक की आवश्यक बिजली सप्लाई का आश्वासन दिया था जिसे अब उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा अन्य उद्योगों की भांति इसे सप्लाई की जाने वाली बिजली में भी भारी कटौती कर दी गई है जिसके कारण उत्पादन की दर में वृद्धि करने में कठिनाई हो रही है।

किन्तु हाल ही में केरल राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् केरल राज्य बिजली बोर्ड प्राधिकरण, पहिया और धुरा संयंत्र को चलाने के लिए, कर्नाटक राज्य सरकार बिजली बोर्ड को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है। केरल सरकार के आश्वासन के आधार पर इस कारखाने को चौबीसों घंटे पूरी बिजली उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड के साथ बात-चीत की गयी है। किन्तु, कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड

केवल पहिया एवं धुरा संयन्त्र के लिए काफी कम दर पर केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बिजली की दर बहुत ऊँची प्रभारित करना चाहता है। इस मामले में बातचीत चल रही है। जैसे ही परिक्षण-उत्पादन की स्टेज पूरी हो जायेगी और माल की क्वालिटी संस्थापित कर ली जायेगी और इस सयन्त्र के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पूरी बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी, इस कारखाने में उत्पादन जोर-शोर से शुरू हो जाएगा।

वाडीवरबन्दरगाह को बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ना

2782. **श्री नवीन रावणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाडीवार बन्दरगाह के विकास को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने वाडीवर बन्दरगाह को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा किए गए उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) मोती खावड़ी वाडिनार तक 32 कि० मि० लम्बी लाइन का विस्तार करने के लिए गुजरात के मुख्य मन्त्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि रेलवे कांडला पोर्ट ट्रस्ट की लागत पर प्रस्तावित लाइन का सर्वेक्षण कराने के लिए तैयार हो जाएगी जिससे पोर्ट को सेवित करने के लिए सीधी बड़ी लाइन की व्यवस्था हो जायगी।

रेल दुर्घटनाओं की जांच- रिपोर्टों को सार्वजनिक बनाया जाना

2783. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब से रेल दुर्घटनाओं पर सभी जांच रिपोर्टें सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएंगी जिससे कि उनको पता चल सके कि यह दुर्घटनाएं दैवी थीं या मानवीय त्रुटियों के कारण हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई विभिन्न दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्टें मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित की जायेंगी ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी जांच रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं और कितनी अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें प्रस्तुत किये जाने के साथ ही प्रकाशित कर

दी जाएंगी अथवा केवल सरकार के द्वारा उन पर विचार करने के पश्चात् की जाएंगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गयी किसी दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच पूरी हो जाने के बाद पर्यटन एवं नागर विमानन मन्त्रालय द्वारा उसकी जांच के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिनमें दुर्घटना का विवरण, उसमें हताहतों की संख्या और दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में उनके अनन्तिम निष्कर्षों का उल्लेख होता है ?

अन्य महत्वपूर्ण के मामले में, जिनकी विभागीय जांच की जाती हैं और जिनमें प्रतिष्ठित गाड़ियों के अन्तर्ग्रस्त होने से जनहित का प्रश्न उठता है, दुर्घटना के विशेष स्थल, गाड़ी सेवाओं के गम्भीर रूप से अस्त-व्यस्त होने और समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में सड़क यात्रियों के हताहतों की भारी संख्या होने के कारण जनता की रुचि हो जाती है, रेल प्रशासनों को अनुदेश दिये गए हैं कि जांच पूरी हो जाने पर उसी तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी करें।

पर्यटन एवं नागर विमानन मन्त्रालय द्वारा रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत की गयी पूरी जांच रिपोर्टें ऐसी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चुनींदा आधार पर प्रकाशित की जा ी हैं जिनमें हताहतों की संख्या अधिक होती है और इस कारण उनमें जनता और प्रेस की रुचि होती है अथवा जो रेल प्राधिकारियों और जनता के लिए शैक्षिक मूल्य की होती है। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध कोई न्यायिक प्रक्रिया चालू करने से बचने के लिए सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट स्वीकृत किये जाने के तुरन्त बाद जनता के लिए प्रकाशित नहीं कराई जाती है और समय के उचित अन्तराल के पश्चात् ही इसे प्रकाशित किया जाता है। विभागीय जांच समितियों की रिपोर्टें जनता के लिए प्रकाशिक नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि उनमें आम जनता की रुचि होने की संभावन नहीं होती।

जनवरी, 1984 से रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा 14 दुर्घटनाओं की जांच की गयी है और उनके अनन्तिम निष्कर्षों को, जिस प्रकार अन्तिम रूप दिया गया है, प्रेस में अधिसूचित कर दिया गया है।

कैंसर के इलाज के लिए "मैजिक बुलेट" का पता लगाना

2784. **श्री सुभाष चन्द यादव :**

श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1984 के पैट्रियट में "मेजिक बुलेट" कैन किल कैंसर एण्ड ट्रीटमेंट आफ कैंसर फाउण्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि इस गोली से कैंसर का इलाज हो सकता है और कैंसर को इलाज योग्य पाया गया है और इसका शरीर के स्वास्थ्य को रोगाणुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इस प्रकार की दवाइयों का आयात करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) ब्रिटिश चिकित्सा-पत्रिका "लैंसेट" के अनुसार इलाज की नई विधि से रेडियो एक्टिव आयोडीन की एक बड़ी और घातक खुराक दुर्दम अर्बुद (मैलिग्नैंस्ट्यूमर) तक पहुंचाई जा सकती है जबकि यह अन्य अंगों में न के बराबर पहुंचती है उक्त पत्रिका के अनुसार मैजिक बुलेट अर्थात मोनोक्लोनल-एण्टीबांडीज को डाक्टरों ने रक्त धारा को बजाय ट्यूमर के आस-पास की गुहाओं (केवेटीस) में इन्जेक्शन से पहुंचाया।

(ग) कैंसर-रोगियों के इलाज के लिए ऐसी दवाइयों के आयात पर विचार करने का उचित समय अभी नहीं आया है क्योंकि इनके क्लीनिकल परीक्षण अभी किये जाने हैं।

109/110 लखनऊ-चित्रकूट एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन

2785. **श्री राम नाथ दुबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम जनता ने तथा जन-प्रतिनिधियों जैसे संसद सदस्यों, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने 109/110 लखनऊ-चित्रकूट एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इतनी व्यापक मांग की अवहेलना करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मांग की जांच की गयी थी लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से कानपुर-बांदा और लखनऊ-कानपुर खण्ड के दैनिक यात्रियों, जो इस गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, पर प्रभाव पड़ेगा।

मध्य रेलवे में बांदा रेल फाटक पर ऊपरी सड़क पुल

2786. **श्री राम नाथ दुबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदा सेन्ट्रल रेल फाटक पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऊपरी सड़क पुल का तुरन्त निर्माण किये जाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेलमन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) जी हां।

(ख) 1984-85 के बजट में शामिल किया गया यह एक नया निर्माण-कार्य है। वास्तविक निर्माण के प्राथमिक कार्य के रूप में, विस्तृत अभिकल्प और प्राक्कलनों को रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कोई विलम्ब नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

धूम्रपान के खतरों के बारे में लोगों में चेतना पैदा करना

2787. **श्रीमती संयोगिता राणे :**
श्रीमती माधुरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ब्रिटिश मेडिकल जनरल "दि लेनसेट" में प्रकाशित एक लेख के अनुसार तीसरे विश्व के देशों में धूम्रपान से संबंधित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और भारत में हृदय धमनी रोगों तथा फेफड़ों में कैंसर से होने वाली मृत्यु कर में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार धुम्रपान के खतरों के बारे में लोगों में चेतना पैदा करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां, लेकिन, कैंसर और हृदय रोगों के बारे में सूचना देना और इसके रोगियों का पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए हृदय रोगों तथा फेफड़ों के कारण होने वाली मौतों से संबंधित सूचना अनिवार्यतः सीमित है।

(ख) और (ग) सरकार ने पहले ही कानून बना दिया है, जिसके अनुसार सिगरेट निर्माताओं को सिगरेट के हर पैकेट/विज्ञापन/होर्डिंग पर यह कानूनी चेतावनी देनी होती है कि "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" यह निर्णय भी लिया जा चुका है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे जिससे धूम्रपान को बढ़ावा मिलता हो। हाल ही में खेल-कूद विभाग ने हिदायतें जारी की हैं कि एशियाड स्टेडियम में सिगरेटों से संबंधित होर्डिंग्स का प्रदर्शन न किया जाए।

प्रकाशनों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्मों के जरिए धूम्रपान के खतरों के बारे में जन स्वास्थ्य शिक्षा/प्रसार अभियान चलाए गए हैं । चलाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अधीन खोले गए नौ क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र तथा कैंसर का इसके शुरु में ही पता लगाने वाले 24 केन्द्र अपने आस पास के इलाकों में समय-समय पर धूम्रपान के हानि कारक प्रभावों पर प्रकाश डालने वाली स्लाइडों के प्रदर्शन तथा पत्रों एवं पोस्टरों के वितरण द्वारा समुचित शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं । केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन कक्षा 9 और 10 के छात्रों की पाठ्य-पुस्तकों में धूम्रपान से स्वास्थ्य को पाने वाले खतरों के बारे में एक अध्याय शामिल किया गया है ।

औद्योगिक संस्थाएं तथा श्रमिक संघ अपने कर्मिकों को धूम्रपान के खतरों के बारे में जानकारी देने में जुटे हुए हैं ।

जाजपुर-क्योंझर रोड से चांदवाली तक रेल-लाईन

2788. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में जाजपुर-क्योंझर रोड से चांदवाली तक एक नई रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है जो जाजपुर टाउन और आरड़ी से होकर जायेगी जो कि उड़ीसा के महत्वपूर्ण स्थान हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार स्नातकों के लिए चलते-फिरते बुक-स्टाल

2789. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय रेलगाड़ियों में सभी चलते-फिरते बुक-स्टाल तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और इस बारे में सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ; और

(ख) प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने अचल/चलते-फिरते बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों को आबंटित किये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यात्रियों के लिए स्थान की वृद्धि करने के उद्देश्य से नीति की समीक्षा की गयी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि वर्तमान अवधि समाप्त हो जाने पर चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल प्रणाली समाप्त कर दी जाय । संसद

सदस्यों के माध्यम से चल पुस्तकालय की सुविधाएं बरकरार रखने के अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जा रही है। नीति की समीक्षा को अन्तिम रूप दिये जाने तथा क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि वर्तमान ठेकों की अवधि समाप्त हो जाने पर उनकी अवधि तदर्थ आधार पर बढ़ा दी जाये।

(ख) बेरोजगार स्नातकों तथा उनके संगठनों को बुक-स्टालों के आवंटन की वर्तमान योजना प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आती है जिसके अधीन अभी तक 173 अचल बुक स्टाल और 16 चलते-फिरते पुस्तकालय आवंटित किये गये हैं।

आयुर्वेदिक औषधियों के सम्बन्ध में अंग्रेजी में प्राधिकृत पुस्तक का प्रकाशन

2790. **श्री हीरालाल आर० परमार :**
श्री नन्द किशोर शर्मा :
श्री आर० एन० राकेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने के तरीकों की जानकारी देने वाली "दि आयुर्वेदिक फार्मूलरी आफ इण्डिया" नामक अंग्रेजी पुस्तक का प्रकाशन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में प्रकाशित करने के क्या कारण हैं जबकि आयुर्वेदिक विज्ञान हिन्दी में पढ़ाया जाता है और वैद्य भी अपना काम हिन्दी में करते हैं तथा औषधियों के नाम भी हिन्दी या संस्कृत में होते हैं ;

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही उक्त पुस्तक का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करेगी ताकि उसका पूरी तरह से उपयोग हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)
(क) हां।

(ख), (ग) और (घ) यह निर्णय किया गया था कि भारतीय आयुर्वेदिक फार्मुलरी हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी ताकि इनका उपयोग देश भर में किया जा सके। सर्वप्रथम संस्करण तैयार करके प्रकाशन के लिए मुद्रालय को भेजा गया था। हिन्दी संस्करण का काम भी शुरु किया गया और उसे पूरा करके फार्मुलरी मुद्रण के लिए 16 जुलाई, 1984 को मुद्रणालय भेज दी गयी है।

मथालपट से रायगढ़ और लक्ष्मीपुर से रायगढ़ का सर्वेक्षण

2791. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथालपुट से रायगढ़ तक एक नई रेल लाइन का स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान मथालपुट से लक्ष्मीपुर तक रेल लाइन के निर्माण के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया ;

(ग) क्या लक्ष्मीपुर से रायगढ़ के बीच रेल लाइन का निर्माण भी इस वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो रायगढ़ से लक्ष्मीपुर को जोड़ने के लिए निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायगा ;

(ङ) क्या लाइन का निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा क्योंकि एल्यूमीना और एल्युमिनियम कम्पलैक्स निर्धारित समय के भीतर कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मछलीगुडा से रौली तक अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रेलवे द्वारा शेष खंड के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) 1984-85 में कोरापुट से रायगढ़ तक की समूची परियोजना के लिए 12.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। मछलीगुडा और लक्ष्मीपुर के बीच परियोजना के भाग के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) मछलीगुडा से लक्ष्मीपुर (42 कि०मी०) तक परियोजना के दूसरे चरण का काम हाल ही में शुरु हुआ है। लक्ष्मीपुर से आगे रायगढ़ तक लाइन का निर्माण-कार्य संसाधनों की उपलब्धता और यातायात की जरूरत के अनुसार चलेगा।

(ङ) और (च) इस परियोजना का प्रथम चरण कोरापुट से मछलीगुडा (19.68 कि० मी०) जून 1985 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। इस लाइन के प्रथम चरण को पूरा करने की योजना एल्यूमिनियम संयंत्र की सेवा करने के लिए बनायी गयी है जिसके उस समय तक शुरु हो जाने की संभावना है।

कटक और रायपुर तथा कटक और कोरापुट के बीच नई रेलगाड़ियां चलाना

2792. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व उनके मंत्रालय को कटक से रायपुर और कटक से कोरापुट के बीच नई गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) दक्षिण-पूर्व रेलवे इस समय विजयनगरम से होकर कटक से रायपुर और विशाखापत्तनम होकर कटक से कोरापुट के यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ; और

(ङ) क्या असुविधा से बचने के लिए वर्तमान प्रबंधों में सुधार और इसे नियमित बनाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी हां । लेकिन सवारी डिब्बा स्टाक तथा इन्जनों की तंगी और टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण ये गाड़ियां चलाना संभव नहीं है ।

(घ) और (ङ) दक्षिण पूर्व रेलवे पर यात्री जनता के लिए कटक से रायपुर तक के लिए और विजयनगरम में मेल लेने वाली तीन गाड़ियां हैं । इसके अलावा भुवनेश्वर और रायपुर के बीच एक थ्रू स्लिप कोच भी है जो 19/20 एक्सप्रेस तथा 17/18 लिंक एक्सप्रेस में चल रहा है । इसके अलावा भुवनेश्वर और कोरापुट/किरन्डुल के बीच एक और स्लिप कोच भी है । मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

माउन्ट आबू के लिए आरक्षण कोटा

2793. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के एकमात्र पर्यटक केन्द्र माउंट आबू के निकटतम स्टेशन आबू रोड के लिए विभिन्न गाड़ियों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का आरक्षण कोटा अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार का आरक्षण कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) माउन्ट आबू में एक रेलवे आउट एजेंसी है जो आबू रोड स्टेशन द्वारा सेवित है । इस स्टेशन के लिए विभिन्न गाड़ियों में आबंटित आरक्षण कोटे की हाल ही में समीक्षा की गयी है । 1-6-84 से 32 डाउन अहमदाबाद-दिल्ली जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी में इस स्टेशन के लिए दूसरे दर्जे में 14 शायिकाओं और 18 सीटों का एक अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया है । 11-4-84 से इस स्टेशन के लिए 28 डाउन रणकपुरा एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 4 शायिकाओं और 14 सीटों का और 7-5-1984 से 27 अप रणकपुरा एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 16 सीटों का एक नया आरक्षण कोटा आबंटित किया गया है । ऐसा किये जाने के फलस्वरूप, इस स्टेशन के लिए विभिन्न गाड़ियों में आरक्षित स्थानों की उपलब्धता पहले दर्जे में 16 शायिकाओं, दूसरे दर्जे में 100 शायिकाओं और 222 सीटों

का कोटा बढ़कर पहले दर्जे में 16 शायिकाओं, दूसरे दर्जे में 118 शायिकाओं और 270 सीटों का हो गया है। मौजूदा आरक्षण कोटा यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

पश्चिम पुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने में विलम्ब होना

2794. श्री लाला राम केन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पुरी नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से विचाराधीन है और क्या यह सच है कि स्थान उपलब्ध न होने के कारण यह खोला नहीं जा रहा है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य महानिदेशलय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने के लिए आवास प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक औषधाबय न खोलने में और कितना समय लगने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन के लिए अप्रैल, 1983 में पश्चिम बिहार की पाकेट "ए" में तीन एम० आई० जी० फ्लैट 1,2 और 3 अलाट कर दिए थे। ये फ्लैट निर्माणाधीन थे और इनका निर्माण कार्य दिसम्बर, 1983 तक पूरा हो जाना था। दिल्ली विकास प्राधिकरण से बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि वे इन फ्लैटों का कब्जा दे दे। ज्यों ही दिल्ली विकास प्राधिकरण इन फ्लैटों का कब्जा दे देगा त्यों ही वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय कार्य करना शुरू कर देगा।

कोचीन शिपयार्ड में पोतों का निर्माण

2795. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड के पास केवल बल्क कैरियर पोत बनाने की क्षमता ही है;

(ख) क्या इन बल्क कैरियरों की मांग है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोचीन में निर्मित पोतों का मूल्य जापान या दक्षिण कोरिया के पोतों से दुगना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और

(ङ) क्या सरकार का विचार नए प्रकार के पोतों का निर्माण करने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कोचीन शिपयार्ड तिम्नलिखित माप-सीमा में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक पोतों का निर्माण कर सकती हैं :—

लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
242 मीटर	38 मीटर	21 मीटर

तथापि जिन 5 जहाजों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है उनमें से प्रत्येक जहाज 75000 डी० डब्ल्यू० टी० पैनामेक्स बल्क कैरियर हैं।

(ख) स्थिति बदलती रहती है। इस समय बड़े वल्क कैरियरों की मांग अपेक्षाकृत कम है।

(ग) कीमतें अधिक हैं लेकिन दोगुणी नहीं।

(घ) कोचीन शिपयार्ड में वनने वाले जहाजों की लागत अधिक होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) डिजाइन विदेश में मंगाना

(2) भारतीय कारखानों द्वारा अधिक समय लेना।

(3) आयातित और भारतीय दोनों तरह के आवश्यक उपस्कर और कच्चा माल प्राप्त करने में अधिक समय लगना जिससे वस्तुसूची में भारी वृद्धि होती है।

(4) आयातित उपस्करों और मशीनों की तुलना में भारतीय उपस्करों और मशीनों की कीमत अधिक होना।

(5) पोत-कारखाने के आस-पास सहायक उद्योगों की कमी होना।

(6) श्रमिक समस्या।

(7) कोचीन शिपयार्ड को जाने वाली नौवहन नहर के निकर्षण पर प्रति जहाज एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होना।

(ङ) कोचीन शिपयार्ड की छठे जहाज से आगे 67000 डी० डब्ल्यू० टी० बल्क कैरियरों की एक नई श्रृंखला का निर्माण करने की योजना है।

झालावाड़ में एक पार्सल बुकिंग कार्यालय की स्थापना

2796. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए झालावाड़ में एक नगर रेलवे बुकिंग कार्यालय और पार्सल बुकिंग कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेलवे ने झालावाड़ टाउन में एक आउट एजेंसी खोलने का प्रस्ताव किया था एजेंसी का काम आरम्भ करने के उद्देश्य से, एक उपयुक्त ठेकेदार नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थी लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अहमदाबाद और पटना के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाना शुरू करना

2797. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में विभिन्न उद्योगों और अन्य नौकरियों में कार्यरत बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को अहमदाबाद से पटना तक रेल यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अहमदाबाद और पटना के बीच बड़ौदा, भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होकर जाने वाली एक सुपर-फास्ट गाड़ी चलाने की मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) . (क) से (ग) अहमदाबाद और पटना के बीच एक सुपर फास्ट गाडी चलाने के बारे में मांगें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गयी है लेकिन सवारी डिब्बों, रेल इन्जनों तथा मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन-क्षमता जैसे संसाधनों की कमी के कारण, इस समय इसे व्यावहारिक नहीं पा गया है । बहरहाल, अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस द्वारा कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से जुड़ा हुआ है ।

विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता

2798. **श्री एन० ई० होरो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश राज्य की तरह केन्द्र सरकार की समन्वित शिक्षा योजना के अन्तर्गत चालू शैक्षिक सत्र से विकलांगों के बच्चों को अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त सवारी भत्ता/छात्रवृत्ति/पुस्तकें आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) जी, हां। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की जो संशोधित योजना 1 अप्रैल, 1981 को शुरू की गई थी, उसके अन्तर्गत विकलांग बच्चों के लिए निम्नलिखित भत्ते/सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(क) पांच वर्ष की अवधि में खर्च किया जाने वाला 800 रुपये का उपकरण भत्ता।

(ख) 400 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष का पुस्तक तथा लेखन सामग्री भत्ता।

(ग) 50 रुपये प्रति माह का परिवहन भत्ता।

(घ) नेत्रहीन बच्चों के लिए 50 रुपये का रीडर भत्ता।

(ङ) निचले सिरे की अयोग्यता वाले गम्भीर रूप से विकलांगों के लिए 75/- रुपये प्रति माह अनुरक्षक भत्ता।

यदि योजजा के अन्तर्गत दाखिल किया गया कोई विकलांग बच्चा स्कूल परिसर के अन्तर्गत स्कूल के छात्रावास में रहता है तो उसको परिवहन प्रभार की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिन बच्चों के अभिभावकों की आय 850/-रुपये प्रति माह से कम है उनके मामले में इस प्रकार के छात्रावास व्यय को वहन करने के लिए केन्द्र निम्नलिखिन खर्च वहन करेगा :—

(1) भोजन व्यय

(2) आवास व्यय

गम्भीर रूप से विकलांग कुछ बच्चों के लिए छात्रावास में सहायक अथवा आया की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। छात्रावास के किसी भी पूर्णकालिक कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के अलावा बच्चे को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए 50/-रुपये प्रति माह का विशेष वेतन ऐसे 3 या कम बच्चों के लिए दिया जायेगा।

योजना के अनुसार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात राज्य सरकारो, संघ शासित क्षेत्रों आदि को प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को अब तक निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं :—

क्र० सं०	वर्ष	राशि
1.	1981-82	5.80 लाख रुपये
2.	1982-83	8.95 लाख रुपये

वर्ष 1983-84 में बन्दरगाहों को घाटा

2799. **श्री मनमहोन टुडु** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख बन्दरगाहों को वर्ष 1983-84 में घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बन्दरगाहों के नाम क्या हैं ;

(ग) इनमें से प्रत्येक बन्दरगाह को कितना घाटा हुआ है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अंसारी) : (क), (ख) और (ग) अन-अंकेक्षित लेखाओं के अनुअसार चार महापत्तनों को वर्ष 1983-84 में जो निबल घाटा हुआ वह निम्नलिखित है ।—

महापत्तन	वर्ष 1983-84 के दौरान निबल घाटा (लाख रुपये में)
कलकत्ता	554.93
कोचीन	333.00
परादीप	742.64
विशाखापत्तनम	449.30

(घ) घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) कुछ वस्तुओं विशेषकर लोग धातु के सम्बन्ध में यातायात का पर्याप्त इस्तेमाल न किया जाना ।

(2) व्यापक और दीर्घकालीन वाणिज्यिक और राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में पत्तन यातायात में तदनुसार वृद्धि न होने के अलावा कीमतों के स्तर में सामान्य वृद्धि के कारण परिचालन की समूची लागत में वृद्धि ।

धूल और आदि के कारण खान श्रमिकों का रोगग्रस्त हो जाना

2800. **श्री ए० के राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय ने विभिन्न खानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि धूल तथा पर्यावरण सम्बन्धी अन्य स्थितियों के कारण खानों में कार्यरत श्रमिक पेट और फेफड़े के कैंसर और अतिरूधिर तनाव (हाईपरटेंशन) के अतिरिक्त बात-स्फीति (एम्फीसीमा) दमा, तपेदिक जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या डोलोमाइट, कोयला, ऐस्वेस्टों, खानों, स्टोन क्रशर्स और सीमेंट कारखानों में कार्यरत श्रमिकों में असामयिक मृत्यु की दर अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन .एम० जोशी) : (क) विभिन्न प्रकार के श्रमिकों और व्यवसायिक समूह में होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए गये हैं। इनमें से अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, औद्योगिक विषाक्तता अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ और कारखाना सलाह सेवा महा-निदेशालय और श्रम संस्थान, बम्बई द्वारा किए गये हैं। राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने निम्नलिखित कामों में लगे हुये श्रमिकों पर अध्ययन किये हैं :—

(1) उद्योग के संगठित क्षेत्र जैसे कपड़ा, एस्बेस्टों, कांच, सिरेमिक, जीवनाशी औषधियां और तेल शोध, (2) उद्योग के असंगठित क्षेत्र जिनमें लघु उद्योग भी शामिल हैं जैसे कालीन बुनने वाले संघ, बैटरी एक्युम लेटर और स्लेट पेंसिल मजदूर, और (3) कृषि क्षेत्र जिनमें तम्बाकू उत्पा-दक, नारियल बागान, चाय बागान और चावल मिलें शामिल हैं।

(ख) खनन श्रमिकों पर किए गए अधिकांश अध्ययनों में श्वसनविकारों जैसे फुप्फुसधूलि मयता,सिकता मयता, फुप्फुस यक्ष्मा आदि का पता चला है हमारे देश में खनन श्रमिकों में पेट और फेफड़े के कैंसर और अतिरिक्तदाब होने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) डोलोमाइट, कोयला, एस्वेस्टों अथवा क्रशर्स या सीमेंट कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में असामयिक मृत्यु की दर अधिक है, इस बात की पुष्टि के लिये वैज्ञानिक आधार पर सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन श्रमिकों में देशान्तरीय अध्ययन नहीं किये गए हैं।

(घ) जमीन के अन्दर खानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पर्यावरणिक अभियान्त्रिकी महत्वपूर्ण है जिसमें धूल निरोधी-उपाय, हवा और प्रकाश की उप-युक्त व्यवस्था शामिल है। इनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

एम० वी० अंडमान पोत की मरम्मत

2801. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और मुख्य भूमि के बीच चलने वाला एम० वी० अंडमान नामक पोत शुष्क गोदी में चला गया था ; और

(ख) उक्त पोत की मरम्मत पर कुल कितना खर्चा होगा और यह कब से पुनः चलने योग्य हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) एम० वी० अण्डमान की मरम्मत पर अनुमानतः 80 लाख रुपये खर्च होंगे । आशा है कि यह जहाज अक्टूबर, 1984 के आस-पास चलने लग जायेगा ।

राज्यों द्वारा शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना

2802. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्होंने इनसैट एक-बी के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों को तैयार करने के प्रयोजन से, अन्तरिक्ष विभाग, बंगलौर की मदद से शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा हेतु इनसैट एक-बी के माध्यम से एक घंटा प्रसारण करने की कोई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दोनों की इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) शिक्षा परियोजना के लिए इनसैट के अन्तर्गत ई० टी० वी० कार्यक्रम तैयार करने वाले स्टूडियो छः राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया गया है । अन्तरिक्ष विभाग को इन ई० टी० वी० स्टूडियो के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, इसमें गुजरात राज्य शामिल नहीं है, जहां इस कार्य को राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रोटोटाइप ई० टी० वी० कार्यक्रम तैयार करने, कार्मिकों को प्रशिक्षित करने, मूल्यांकन तथा अनुसंधान क्रिया कलापों और सूचना बैंक के रूप में कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा । छः राज्यों में ई० टी० वी० स्टूडियो स्थानीय भाषा में शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करेंगे तथा कार्यक्रमों के सुधार के लिए पुन-

निदेशन की व्यवस्था करने हेतु अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन भी करेंगे। क्योंकि राज्यों में ई० टी० वी० स्टूडियो को अभी कार्य शुरू करना है, अतः इनसैट के जरिए दूरदर्शन प्रसारण के लिए ई० टी० वी० कार्यक्रम केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा दूरदर्शन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षक मार्ग-दर्शन सम्बन्धी टिप्पणियों तथा सहायक सामग्री के अनुतथा वितरण में लगे हुए हैं। इनसैट ई० टी० वी० केन्द्र आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के चुनींदा जिलों में पहले से कार्य कर रहा है। शेष चार राज्यों में यह अगस्त, 1984 के मध्य से शुरू हो जायेगा। ई० टी० वी० सेवा की अवधि उस समय 45 मिनट की होती है जब दो कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किये जाते हैं, इनमें से एक 5-8 वर्ष के आयु वर्ग तथा दूसरा 9-11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए होता है। ये कार्यक्रम एक सप्ताह में रोजाना 5 दिन तक दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं। सप्ताह में एक बार शनिवार को कार्यक्रम शिक्षकों के लिए होता है। ये कार्यक्रम सामान्य ज्ञान को बढ़ाने वाले कार्यक्रम होते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्र तथा 2 श्रव्य दृश्य अनुसंधान केन्द्र प्रशिक्षण तथा सोफ्टवेयर के उत्पादन स्थापित किए हैं। कुछ केन्द्रों में कार्यक्रम तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रारम्भिक स्तरों के दौरान उपयोग के लिए, बाहरी एजेंसियों से वाणिज्य अथवा गैर-वाणिज्य के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा पर दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त, 1984 से प्रायोगिकी पद्धति के रूप में शुरू किया जायेगा। लगभग 700 कालेजों से 50% की साझेदारी के आधार पर कालेजों को सामान्य विकास सहायता के अन्तर्गत मुक्त किए गए उपकरण अनुदान में से रंगीन टेलीविजन सैट खरीदने के लिए कहा गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हिस्सा 3,500/- रुपये तक सीमित किया गया है। निम्न शक्ति वाले और ट्रांसमीटर चालू होते ही और कालेज निर्धारित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के प्रशिक्षता (इन्टर्नशिप) निर्वहन भत्तेमें वृद्धि

2803. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टर्नीस ऐसोसिएशन आफ नेशनल आयुर्वेद-इन्स्टीट्यूट, जयपुर ने एक पत्र द्वारा सरकार से अनुरोध किया है कि उनके 350 रुपये प्रतिमास के प्रशिक्षुता निर्वहन भत्ते, जो डिगरी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत केवल स्नातकों को दिया जाता है, को बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमास किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रशिक्षुता निर्हनन भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपए प्रति मास कब तक किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो एक स्वायत्तशासी निकाय है, के निदेशक को इस प्रस्ताव की जांच करने तथा इसे संस्थान के शासी निकाय की अगली बैठक में रखने के लिए कह दिया गया है।

राजगोडा वसुलिया और दुर्गचक पर "हाल्ट" की व्यवस्था करना

2804. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया सेक्शन के अन्तर्गत राजगोडा, सुलिया (सुतहटा) और दुर्गचक में टाउन-हाल्ट-स्टेशनों की स्थापना करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया सेक्शन के अन्तर्गत भुवनेश्वर/मनिकटला और मोहसादल गयार (एच० टी० ई० पर पुल के समीप जियोंखली बस लाइन) में हाल्ट स्टेशन बनाने सम्बन्धी निर्णय लेने की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) राजगोडा (कोलोमल) और वासुलिया (सुतहटा) को यात्री और समान की बुकिंग सुविधाओं सहित क्रासिंग स्टेशनों के रूप में खोलने तथा दुर्गचक टाउन में एक हाल्ट स्टेशन खोलने का विनिश्चय कर लिया गया है। इन स्टेशनों को अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1984 में खोले जाने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) तामलुक और रघुनाथवाडी स्टेशनों के बीच भुवनेश्वर मनिकतला तथा महिषादल के निकट जियोंखाली बस लाइन में पैसेन्जर हाल्ट खोलने के प्रस्तावों की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जांच की गई है और इन्हें अर्थक्षम तथा इन्जीनियरी दृष्टिकोण से व्यावहारिक पाया गया है। अब पांसकुड़ा हल्दिया खंड पर खंड क्षमता की उपलब्धता के सम्बन्ध में रेलवे की परिचालनिक शाखा द्वारा इन दोनों प्रस्तावों की जाच की जा रही है। परिचालनिक शाखा से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर आवश्यक निर्माण तथा आनुसंगिक कार्य करने के लिए सम्बन्धित मंडल को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

हृदय रोगियों का इलाज और हृदय प्रत्यारोपण

2805. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे रोगियों के वर्ष-वार आंकड़े रखती है जिनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से होती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में डाक्टरों द्वारा कोई अनुसंधान करवाया है ;

(घ) भारत में हृदय रोगों का उपचार करने वाले अस्पतालों की संख्या कितनी है ;और

(ङ) क्या कुछ अस्पतालों ने हृदय प्रत्यायारोपण या हृदय की विशेष सर्जरी करने के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) हृदय गति रुकने के कारण होने वाली मौतों के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि हृदय रोग सूचनीय रोग नहीं है ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दो आम प्रकार के हृदय रोगों पर अनुसंधान किया है, ये हैं—रूमेटिक हृदय रोग और कोरोनरी हृदय रोग ।

(घ) और (ङ) हृदय रोगों का इलाज कर्डियालाजी/कार्डियो थोरासिस विभागो वाले सभी प्रमुख अस्पतालों/संस्थाओं में उपलब्ध है । भारत में जटिल हृदय शल्य चिकित्सा और ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले लगभग 22 केन्द्र हैं । इनमें से कुछ को कोरोनरी आर्टेरी वाइपास सर्जरी भी कहते हैं । वैसे अभी तक किसी भी संस्था में हृदय प्रत्यारोपण सफलता पूर्वक नहीं किया गया है ।

दिल्ली में चलने वाली मैटाडोर गाड़ियों का दोषपूर्ण रख-रखाव और उनमें अत्यधिक भीड़-भाड़

2806. **श्री नारायण चौबे :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड के दौरान जिन मैटाडोर गाड़ियों को दिल्ली में चलने के लिए परमिट दिए गए थे उनमें से अधिकतर का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जाता तथा उनकी हालत खराब है ;

(ख) क्या मैटाडोर गाड़ियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो इन मैटाडोर गाड़ियों के उचित रख-रखाव सम्बन्ध नियमों का पालन नहीं करते ;

(घ) क्या मैटाडोर गाड़ियों में अधिक भीड़ के विरूद्ध कोई कदम उठाए हैं , और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री जियाउर्रहमान अंसारी**) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इन गाड़ियों की कोई जांच नहीं की गयी है। तथापि वाहनों को निर्धारित समय पर अर्थात अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर फिटनेस सार्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है।

(ग) इन गाड़ियों की बिना सूचना दिये दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है। चालू वर्ष में ऐसी बसों के 51 फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द किए गए।

(घ) और (ङ) परिवहन निदेशालय की प्रवर्तन शाखा ने ऐसी बसों पर क्षमता से अधिक यात्रियों के ढोने के लिए मुकदमा चलाया और 36 बसों का चालान किया। बिना सूचना दिये विशेष जांच भी की गई जिसमें यातायात पुलिस को भी शामिल किया गया।

मुनावा खोकरापार मार्ग खोलना

2807. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के पूर्व से भारत में मुनावा से पाकिस्तान में खोकरापार तक कोई रेल मार्ग चालू था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दोनों देशों के बीच यात्री और माल परिवहन के लिए इस मार्ग को पुनः खोलने का है क्योंकि यह मार्ग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के भागों के लोगों के लिए लाभप्रद है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार इस मार्ग को पुनः खोलने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रही है।

दिल्ली-अहमदाबाद छोटी लाइन को बदलना

2808. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली-अहमदाबाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव वास्तव में कब से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा इसे स्वीकार किये जाने में बिलम्ब होने के कारण क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : दिल्ली-अहमदाबाद खंड का बड़ी लाइन में बदलाव एक अनुमोदित कार्य है और इसे 1977-78 के बजट में शामिल किया गया था।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

बांकुरा-रायनगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2809. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांकुरा (पश्चिम बंगाल) से रायनगर तक बरास्ता सोनामुखी छोटी लाइन जो कि पहले बांकुरा दामोदर रेलवे के नाम से जानी जाती थी, दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोनामुखी बंगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है जहां पर उड़ीसा, बिहार और बंगाल से तीर्थयात्री आते हैं और सोनामुखी और पानागढ़ तथा विष्णुपुरी के बीच कोई रेल सम्पर्क नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बांकुरा से रामगढ़ तक बरास्ता सोनामुखी के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा सोनामुखी पातगढ़ तथा विष्णुपुरी तक बड़ी लाइन का निर्माण करने का विचार है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की भारी तंगी के कारण, इन नयी लाइनों के निर्माण से संबंधित सुझाव पर विचार करने के लिए संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

केरल का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अनुरोध

2810. **श्री जेवियर अराक्कल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा व्यावसायिक कालेज स्थापित करने के लिए केरल राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोचीन विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

नई दिल्ली/निजामुद्दीन से पुरी जाने वाली गाड़ियों में खान पान सेवाओं में सुधार करना

2811. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन से पुरी जाने वाली गाड़ियों में खान-पान की सेवाओं का घटिया स्तर होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं के घटिया होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन गाड़ियों में खान-पान की सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) नयी दिल्ली/हजरत-निजामुद्दीन स्टेशन से पुरी को जाने वाली तीन गाड़ियों में से, नीलांचल एक्सप्रेस में विभागीय प्रबंध वाली पेंट्री कार सेवा शुरु की जा चुकी है। उत्कल/कलिंग एक्प्रेस गाड़ियों में भोजन आदि को सेवा इस समय मार्गवर्ती स्थैतिक खान पान यूनिटों से की जा रही है और कुल मिलाकर ये प्रबंध संतोषजनक हैं। फिर भी, सेवा में आगे सुधार के लिए, रेलें, अतिरिक्त पेंट्री कारें उपलब्ध होने पर उत्कल/कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों में भी पेंट्री कार सेवाएं शुरु करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

उड़ीसा में तुमकेलघाट (बोनाईगढ़) के पास ब्राह्मणी नदी पर पुल बनाना

2813. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तुमकेलघाट (बोनाईगढ़) के समीप ब्राह्मणी नदी पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 23 पर पुल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस पुल पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) उड़ीसा में तुमकलघाट (बोनाईगढ़) के समीप ब्राह्मणी नदी से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 पर के पुल की अनुमानित लागत 392.50 लाख रुपये है और उसकी संस्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार को धन भी उपलब्ध करा दिया गया हैं।

बंगलौर और मदुराई के बीच एक सीधी रेलगाड़ी

2813. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर और मदुराई के बीच सीधी रेल सेवा न होने के कारण प्राइवेट मालिकों द्वारा बंगलौर और मदुराई के बीच चलाई जा रही बस-सेवा दिन दुगनी और रात चौगुनी आमदनी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों स्टेशनों के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ग) चूंकि रेल मार्ग की अपेक्षाकृत कम होने के कारण सीधी गाड़ी चलाने का वाणिज्यिक औचित्य नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

16 मार्च 1983 को रेल दुर्घटना से हताहत हुए लोगों के परिवारों को दिया गया मुआवजा

2814. **श्री अजीत बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 16 मार्च, 1983 को हावड़ा के पास हुई रेल दुर्घटना में हताहत हुए लोगों के परिवारों को मुआवजे की अदायगी पहले ही कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनको घायल व्यक्तियों अथवा उनके संबन्धियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने की प्रार्थना की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 16.3. 1984 को हवड़ा कार शेड दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उत्पादनों दावों को निपटाने के लिए नियुक्त तदर्थ दावा आयुक्त के न्यायालय में दावेदारों द्वारा दायर किये गये 119 मामलों में से अभी तक 85 मामलों में भुगतान किया गया है ।

(ग) शेष मामलों पर अभी तदर्थ दावा आयुक्त के न्यायालय में विचार किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) जी हां, । गाड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अनुबन्धों के अनुसार उन्हें पर्याप्त आर्थिक मुआवजा दे दिया जाता है ।

हावड़ा डिवीजन के कोन्नागार और हिंद मोटर स्टेशनों के बीच 5 जून 1984 को रेल दुर्घटना

2815. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा डिवीजन के कोन्नागार और हिन्द मोटर स्टेशनों के बीच 5 जून, 1984 को कोई दुर्घटना हुई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) इस दुर्घटना में कितने लोग मारे गये;

(ङ) क्या उनके परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है;

(च) क्या उन्हें स्थानीय विधायक से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) 6. 6. 1984 को 14 व्यक्ति हावड़ा मण्डल के कोन्नगार और उत्तरपाड़ा स्टेशनों के बीच एक डाउन ई. एम. यू. स्पेशल बिजली गाड़ी द्वारा कुचल गये थे। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और एक घायल हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना डाउन मुख्य लाइन रेल पथ पर इन व्यक्तियों के अनधिकृत रूप से टहलने के कारण हुई। इस दुर्घटना के लिए कोई रेल कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया।

(ङ) भारतीय अधिनियम, 1890 के उपलबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में मुआवजा देय नहीं है।

(च) और (छ) इस दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों मुआवज़ा दिये जाने के बारे में पश्चिम बंगाल विधान सभा के एक सदस्य की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उन्हें उपयुक्त उत्तर भेजा जा रहा है।

हरियाणा में इन्जीनियरिंग कालेज

2816. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार से राज्य में इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सरकार द्वारा इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिए

की गई सिफारिश के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) मुरथल में एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के लिए हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है तथा राज्य सरकार को अनुमोदन से अवगत करा दिया गया है।

सीतापुर बुढ़वल छोटी लाइन को बदलना

2817. **श्री राम लाल राही :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर-पूर्व रेलवे की सीतापुर बुढ़वल छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कई बार मौखिक और लिखित रूप से की गई मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह इस पर पुनर्विचार करेंगे और क्या इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में पहले दिया गया आश्वासन पूरा किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सीतापुर-~~बुढ़वल~~ मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1979 में प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कराया गया था उस समय इस पर 9. 6 करोड़ रुपये की लागत, आने और पूंजी निवेश पर न्यून प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। संसाधनों की भारी तंगी को ध्यान में रखते बुढ़वल हुए सीतापुर बुढ़वला खण्ड के आमान-परिवर्तन को संसाधनों की स्थिति सुधरने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

एक्सरे फिल्मों की कमी

2818. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

डा० प्रताप बाघ : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "एक्सरे" फिल्मों की कमी है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या देशीय "एक्सरे" फिल्मों की कालाबाजारी की जा रही है और आयतित एक्सरे फिल्में मंहगी हो गयी हैं ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय

द्वारा स्वदेशी मैडिकल एक्सरे फिल्म्स की कमी और काला-बाजार के बारे में कोई शिकायत नहीं हुई है। तथापि, इस वर्ष मई-जून के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में हड़ताल/तालेबंदी के दौरान आपूर्तियों में कुछ असर पड़ा था। आयतित एक्सरे फिल्मों की आपूर्ति के लिये उद्धत कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि दिखाई दी है।

(ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनूवैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जो एक सरकारी क्षेत्र उद्यम है, और देश में मैडिकल एक्स-रे फिल्मों का विनिर्माण कर रही है, कुल मिलाकर इस वस्तु की मांग को पूरा करने में समर्थ हुई है। 1983-84 में 31.36 लाख वर्ग मीटर के उत्पादन के मामले में कंपनी ने 1984-85 के दौरान 37 लाख वर्ग मीटर के उत्पादन की आयोजना बनाई है।

कोणार्क के सूर्य मन्दिर के चारों ओर के क्षेत्र को सुन्दर बनाना और वहां प्राकृतिक दृश्य निर्मित करना

2819. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कोणार्क स्थित सूर्य मन्दिर के आस-पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने और वहां प्राकृतिक दृश्य निर्मित करने के लिए उड़ीसा सरकार से कुल कितनी भूमि प्राप्त की है ;

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार ने प्राप्त की गई भूमि पर प्राकृतिक दृश्य बनाने और उस क्षेत्र को सुन्दर रूप प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि यह कार्य अभी शुरु नहीं किया गया तो उसमें देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रायलों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 14.5 हैक्टर भूमि प्राप्त की गई है और 3.1 हैक्टर गहन बागवानी के कार्यों के लिए निश्चित की गई है। इस क्षेत्र मे मैदान तैयार किये गये हैं और उनमें शोभाकारी वृक्ष, झाड़ियों और फूलों की क्यारियां लगाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। शेष 11.4 हैक्टर में कासोरीना, नारियल और काजू के वृक्ष लगाए जाएंगे, जो नमकीन समुद्री हवाओं के विरुद्ध अवरोध के रूप में भी काम करेंगे। आगामी कार्य चल रहा है।

रायगाडा कोरापुट रेल लाइन

2830. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रायगाडा कोरापुट रेल लाइन के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ;

(ख) इस रेल लाइन के निर्माण के पूरा होने में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी थी और उसके निर्माण पर अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(घ) उपर्युक्त रेल लाइन का निर्माण निर्धारित तारीख समाप्त होने से पूर्व पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। बहरहाल, कोरापुट और मचिलीगुडा के बीच का पहला चरण जून, 1985 तक पूरा कर लेने का कार्यक्रम है।

(ख) कोरापुट से मचिलीगुडा (19.65 कि० मी०) तक के पहले चरण में पुलों के निर्माण और मिट्टी सम्बन्धी कार्य तथा भवनों के निर्माण का कार्य तालिका के अनुसार चल रहा है। इस परियोजना के दूसरे चरण में मचिलीगुडा से लक्ष्मीपुर (42 कि० मी० तक का कार्य अभी-अभी शुरु किया गया है।

(ग) इस परियोजना की प्रत्याशित लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। इस पर 1983-84 तक 19.80 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं और 1984-85 में 12.50 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं।

(घ) संसाधनों की भारी तंगी के बावजूद इस कार्य के लिए 1984-85 में 12.5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है। नयी लाइन परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इस कार्य के लिए आने वाले वर्षों में और अधिक धन आबंटित किया जा सके।

नई दिल्ली नगर पालिका में होम्योपैथी और आयुर्वेद में ए० एम० ओ० एच० का पद

2831. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका में एलोपैथी में ए० एम० ओ० एच० का एक पद है परन्तु होम्योपैथी और आयुर्वेद में ए० एम० ओ० एच० का कोई पद नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो होम्योपैथी में ए० एम० ओ० एच० और आयुर्वेद में ए० एम० ओ० एच० का पद न होने के कारण क्या हैं और यह पद कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) वहां पर एलोपैथिक अर्हताओं वाले ए० एम० ओ० एच० के तीन मंजूरशुदा पद हैं तथा ए० एम० ओ० एच० का एक पद आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के लिये है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इज्जतनगर मंडल के अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण नीति

2822. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या मंत्रालय ने रेलवे में सभी स्तरों पर अधिकारियों के तबादले हेतु कोई नीति निर्धारित की है, यदि हां, तो वरिष्ठ वेतनमान के प्रशासनिक तथा कार्यकारी अधिकारियों का क्या कार्यकाल निर्धारित है ; और

(ख) उत्तर-पूर्व रेलवे तथा विशेष रूप से इज्जतनगर मंडल में डी० आर० एम० सहित तैनात अधिकारियों के मामले में क्या नीति अपनाई जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) वर्तमान आदेशों में एक पद का सामान्य कार्यकाल चार वर्ष निर्धारित हैं। ये आदेश जो पूर्वोत्तर रेलवे पर भी लागू होते हैं, प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किये गये हैं।

बरेली कानपुर-इटावा को बड़ी रेल लाइन से जोड़ना

2823. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क साथ-साथ बड़ी रेल लाइन द्वारा बरेली से कानपुर और इटावा तक बरास्ता फरुखाबाद जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मार्ग का जिससे कि इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा अवधि 10 घंटे से भी अधिक कम हो जाएगी और कानपुर तक का छोटा मार्ग उपलब्ध हो सकेगा कोब सर्वेक्षण किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आपरेशन टेबल पर एक मरीज की मृत्यु

2824. **श्री मनोहर लाल सैनी** :

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 20 जुलाई, 84 को एक मरीज को बिजली का करेंट लगने से आपरेशन टेबल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और भविष्य में इस प्रकार होने वाली मौतों को

को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) रोगी की मृत्यु रिकवरी रूम में हुई थी न कि आपरेशन टेबल पर । रोगी की मौत के कारण का पता लगाने के बारे में जांच करने के आदेश दे दिए गये हैं ।

औद्योगिक विकास

2825. **श्री माधराव सिंधिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून 1984 के दौरान औद्योगिक विकास की दर कितने प्रतिशत रही और वर्ष 1982 और 1983 की प्रत्येक तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1982-83; 1983-84 और चालू वर्ष के दौरान अब तक क्षेत्रवार औद्योगिक विकास की अलग-अलग दर कितनी रही ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिस औद्योगिक विकास लक्ष्य का अनुमान लगाया गया था। उसके कहां तक प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) संलग्न विवरण 1 से औद्योगिक विकास का त्रैमासिकवार प्रतिशतता का पता चलता है ।

(ख) संलग्न विवरण-2 से औद्योगिक विकास का क्षेत्रवार ब्यौरों का पता चलता है ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-81 से 1983-84 के पहले चार वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन के विकास की औसत वार्षिक दर 5.5 प्रतिशत थी ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किए गए औद्योगिक उत्पादन के त्वरित सूचकांक के अनुसार अप्रैल-मई, 1984 के दौरान पंजीकृत की गई विकास की दर पिछले वर्ष की समान अवधि से 7.6 प्रतिशत थी ।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन के विकास की प्रतिशतता

	पहली तिमाही (जनवरी-मार्च)	दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून)	तीसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर)	चौथी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर)
1982	+6.4	+6.0	+2.1	+3.6
1981				

1	2	3	4	5
1983	+4.0	+3.4	+4.9	+5.7
1982				
1984	+7.3	+7.6		
1983		(अप्रैल-मई)		

विवरण—2

क्षेत्रवार औद्योगिक विकास

	1982-83 1981-82	1983-84 1982-83	अप्रैल-मई, 1984 अप्रैल-मई, 1983
खनन	+10.8	+1[illegible].4	+20.2
विनिर्माण	+ 2.5	+ 4.3	+ 4.8
बिजली	+ 7.1	+ 6.8	+13.5
समग्र	+ 3.9	+ 5.4	+ 7.6

बंगलौर मिरज और होसपेट-हुबली रेल लाइन

2826. **श्री डी०के० नायकर** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर से मिराज और होसपेट से हुबली तक बड़ी लाइन बिछाने में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित बेंगलूर-मिरज मीटर लाइन के आमान-परिवर्तन की सर्वेक्षण रिपोर्ट की तकनीकी की जा रही है। तकनीकी छानबीन पूरी हो जाने के बाद इस योजना के बारे में निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाये और संसाधन उपलब्ध हों।

उत्तर रेलवे को पंचाट निर्णय के लिये प्राप्त आवेदन

2827. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्जीनियरिंग और कमर्शियल दोनों में उत्तर रेलवे के बैंकों और समझौतों में सामान्य शर्त के रूप में पंचाट सम्बन्धी खण्ड का उपबन्ध है,

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे को 1 अप्रैल 1978 से आज तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) रेलवे तथा न्यायालय द्वारा कितने ठेकेदारों को पंचाट निर्णय दिए गए थे, और

(घ) कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हुए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

अशोक पेपर मिल्स का बन्द होना

2828. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामेश्वर नगर दरभंगा (बिहार) स्थित पेपर मिल्स पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ी है ;

(ख) इसके बंद होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार सरकार इस तथ्य के बावजूद भी कि अत्याधिक उत्पादन और लाभ प्रदता के लिए इस मिल के पास आधुनिकतम मशीनरी और मूलभूत ढ़ांचा है इस मिल को पुनः चालू करवाने में असफल रही है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार देश की अर्थव्यवस्था के हित में इस कागज मिल को बचाने के के लिए कदम उठा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार इस मिल के कर्मचारियों को राहत देने के लिए कदम उठा रही है जिन्हें पिछले दो वर्षों से वेतन नहीं मिला है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) वित्तीय समस्याओं तथा परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण रामेश्वर नगर की अशोक पेपर मिल्स अक्टूबर, 1982 से बंद पड़ी है ।

(ग) से (ङ) इस कंपनी को पुनः चालू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान पुनर्वास हेतु वित्तीय ढ़ांचे तथा भविष्यकालीन प्रबंध ढांचे के तरीकों की खोज कर रहे हैं ।

बिजली के करन्ट वाले खम्बों टावर पर काम करने वाले कार्मिकों को उपकरणों की सप्लाई

2829. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप कार्मिकों को दिए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है जो उन खम्बों पर काम करते हैं जिनमें बिजली का करेंट होता है;

(ख) क्या ऐसे उपकरणों की सप्लाई के लिए रेलवे बोर्ड कोई आदेश जारी किए हैं, और

(ग) क्या ऐसे उपकरण उन सभी कार्मिकों को दिए गए हैं जो इन खम्बों टावरों पर काम करते हैं जिनमें बिजली करेंट होता है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) विद्युत करन्ट वाले खम्भे अथवा टावर पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए संरक्षा पेटियां, अर्थिग चैनें/डिस्चार्ज राडें इत्यादि जैसी संरक्षा वस्तुएं देने के अतिरिक्त केवल ऐसे औजार दिये जाते हैं जो खासतौर से इस प्रकार के काम के लिए आवश्यक होते हैं जो उन्हें करना पड़ता है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों के मुख्य बिजली इंजीनियर औजारों की किस्म के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूर्णतया प्राधिकृत है जो खम्बे अथवा टावर पर विशष्टि काम करने के लिए कारीगरों को उन्हें देने पड़ते हैं। अतः रेलवे बोर्ड से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विशिष्ट, प्रकार के कार्य के लिए संरक्षा वस्तुएं एवं हर आवश्यक औजार सभी पर्यवेक्षकों के पास उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जारी कर दिये जाते हैं।

मण्डलीय रेलवे प्रबन्धक, खुर्दा के कार्यालय का अधिसूचित क्षेत्र परिषद नोटिफाइड एरिया काउंसिल के चुनावों के दौरान बन्द न किया जाना

2830. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिसूचित क्षेत्र परिषद् जटनी (उड़ीसा) के लिए मंगलवार, 15 मई, 1984 को चुनाव हुए थे; और

(ख) कर्मचारियों द्वारा चुनाव में मतदान किये जा सकने के हेतु मंडलीय रेलवे प्रबन्धक, खुर्दा रोड का कार्यालय 15 मई, 1981 को बन्द न किए जाने के क्या कारण थे ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, स्थानीय चुनाव के दिन मंडल रेल प्रबन्धक, खोरधा-रोड के कार्यालयों को बन्द नहीं किया जाता था। लेकिन, जो रेल कर्मचारी उक्त चुनाव में मतदान करना चाहते थे, उन्हें अपने कार्यालय में उपस्थित होने के मामले में समुचित सुविधाएं प्रदान की गयी थीं ताकि वे मतदान कर सकें।

ड्राफ्टमैनों के वेतनमान

2831. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने 13 मार्च, 1984 को भारत सरकार के सभी कार्यालियों ड्राफ्टसमैनों के पुनरीक्षण के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों के पुनरीक्षण करने हेतु क्षेत्रीय रलों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिपत्र की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि 260-430 रुपये के वेतनमान में भर्ती के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गयी अर्हताएं केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के मामले में निर्धारित अर्हताओं के समरूप नहीं हैं, इसलिए वित्त मन्त्रालय के आदेश रेल मन्त्रालय पर लागू नहीं होते।

विकलांगों की सहायता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए कानून

2832. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में लगभग 7 करोड़ विकलांगों की सहायता सम्बन्धी समस्या का अध्ययन कर और उसके समाधान के लिए संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून हेतु सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान के निदेशक श्री लाल कृष्ण अडवाणी की अध्यक्षता में वर्ष 1981 मेंएक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने 1981 में राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान के तत्कालीननिदेशक श्री लाल कृष्ण अडवाणी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

(ख) समिति ने विकलांक व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक कानून बनाने की शिफारिश की थी जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुछ कानून और प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण सरकार ने कानूनी बनाना सम्भव नहीं पाया है।

विवरण

समिति ने विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास हेतु एक कानून बनाने की शिफारिश की थी। समिति द्वारा तैयार किए गए विधेयक सम्बन्धी प्रारूप में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे—

(1) देश में अपंग व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय और राज्य परिषदों (दो या अधिक राज्यों की संयुक्त परिषदों सहित) की स्थापना;

(2) अपंगों के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(3) अपंगों को शिक्षा;

(4) अपंगों के लिए संख्याओं को अनुज्ञापत्र देना;

(5) अपंगों की सुरक्षा और देखभाल;

(6) अपंगों के लिए केन्द्रीय तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति;

(7) अपंगों के लिए स्थापित किये गये कोषों का प्रशासन; और

(7) अन्य विविध मामले ;

विधेयक का मुख्य प्रावधान विकलांगों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में कम से कम 5% पदों के आरक्षण से है और इसके साथ-साथ रोजगार से संबंधित प्रावधानों के उल्लघंन करने पर छः माह तक की कैद और जुर्माने के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लघंन करने के लिए भी ऐसी ही दंडात्मक धाराओं का सुझाव दिया गया है।

मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2833. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है और उसके लिए 15.60 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं तथा मार्च, 1984 तक उसमें से केवल 5.76 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार इस परियोजना को पहले ही 35 सूत्री मराठवाड़ा विकाश परियोजना में शामिल कर लिया है और इस परियोजना के लिए केन्द्र से कम से कम 10 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) मनमाड से फरभनी-पर्लीवैजनाथ तक मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के अनुमोदित कार्य के प्रथम चरण के रूप में मनमाड से ओरंगाबाद तक मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण की प्रत्याशित लागत 29.74 करोड़ रुपये है। मार्च, 1984 तक 4.87 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने इस परियोजना को मराठवाड़ा के 25 सूत्री विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है और 1984-85 में इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने को कहा है।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण 1984-85 में इस कार्य के लिए 4.01 करोड़ रुपये आबंटित करना संभव हो पाया है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आयुर्वेदिक हस्पताल खोलने का विचार त्यागने के कारण

2834. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री दिनांक 19 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न सख्या 8190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 37, भगत सिंह मार्ग पर निर्मित भवन में एक आयुर्वेदिक हस्पताल खोलने का विचार त्यागने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली प्रशासन ने एक 40 विस्तर वाला अस्पताल खोलने की अनुमति पहले ही दे दी थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि शुरू में शहीद भगत सिंह मार्ग पर 10 पलंगों वाला एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा गया था बाद में, सातवीं योजना में पलंगों की संख्या बढ़ाकर 40 कर देने का निर्णय कर लिया गया था। इस अस्पताल को पृथ्वीराज रोड़, औरंगजेब लेन काम्पलेक्स में खोलने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि और विकास कार्यालय संशोधित मास्टर पलान के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका को भूमि प्रदान कर सकता है।

नई दिल्ली नगर पालिका के चिकित्सकों के वेतनमानों में अन्तर

2835. **श्री निहाल सिंह** :

श्री राम सिंह शाक्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवर कल्याण** मंत्री नई दिल्ली नगर पालिका में आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए उच्च वेतनमान के बारे में 19 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलापैथी के डाक्टरों के लिए 1100-1600 रुपये के वेतनमान में कोई भी पद नहीं था और क्या उनके वर्तमान पदों का दर्जा केवल उनके उन्हें वरिष्ठ वेतनमान देने के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि वे अब भी उन्हीं स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों के मामले में भी वही मानदंड न अपनाए जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उनकी प्रतिशतता के आधार पर उन्हें वरिष्ठ वेतनमान देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका में एलोपैथिक डाक्टरों के लिए 1100-1600/रु० के वेतनमान में सहायक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के तीन पद थे। 1100-1600/ रुपए के वेतनमान में नए पद नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एलोपैथिक डाक्टरों को पदोन्नति के अवसर देने के लिए हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका आयुर्वेद और होम्योपैथी के डाक्टरों के लिए वरिष्ठ वेतन-मान पद सृजित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति अपनाए जाने के कारण

2836. **श्री बिरदा राम फुलवारिया :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि देश में लड़कियां वेश्यावृत्ति का अवैध व्यवसाय क्यों अपनाती हैं तथा इसके प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ख) उनके सुधार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) उनकी राज्यवार अनुमानित संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति अवैध धन्धा अपनाने के कई सामाजिक, आर्थिक कारण हैं जैसे औद्योगी-करण और परिणाम स्वरूप शहरीकरण जिससे लोगों की गांव से शहर की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ना और संयुक्त परिवार पद्धति तथा सामाजिक नियंत्रण के परम्परागत वसीलों का समाप्त हो जाना जैसे प्रमुख कारण है।

(ख) महिलाओं और लड़कियों में अनैतिकपणन दमन अधिनियम 1956 में 1978 में यथा संशोधित, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों और महिलाओं के शोषण की मनाही है। इस अधिनियम में अनैतिक धन्धे, वेश्यालयों और अन्य किस्म की पेशावर बुराइयों को समाप्त करने के लिए क्रमिक करने की व्यवस्था है और इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं का अपहरण, बिक्री करना, भगा कर ले जाना, फुसलाकर ले जाना और अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के विरुद्ध भारतीय

दंड संहिता के उपबन्धों को सशक्त बनाना है। केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

समाज कल्याण मन्त्रालय नए अल्पावास गृह खोलने और चालू गृहों के रख-रखाव के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान भी दे रहा है। ये गृह मुख्य रूप से उन महिलाओं और लड़कियों के लिए है जो या तो अनैतिक धन्धों के लिए विवश हों या पारिवारिक मतभेद के कारण सम्बन्धों के बिगड़ने या परिवार और समाज में समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप भावावेश में संतुलन खो बैठती हैं।

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम

2837. **श्री डा० एस०ए० शिवप्रकाशम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विभिन्न मंडलों में चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के लिए तथा गैंगमैन, पइंटमैन आदि जैसे पदों के लिए भर्ती सम्बन्धी कोई नियम तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नियुक्ति अधिकारी को उनकी नियुक्ति के लिए रोजगार केन्द्र को परमर्श करना अथवा विज्ञापन प्रकाशित किया जाना आवश्यक होता है अथवा वह स्वयं ही उनको नियुक्त कर सकता है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) खुले बाजार से ग्रुप 'डी' (श्रेणी iv) की नियमित भर्ती के लिए रिक्तियों सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करना पड़ता है। रोजगार कार्यालय द्वारा दी गई पात्र व्यक्तियों की सूची पर संलग्न विवरण के अनुसार विचार किया जाता है। भर्ती के लिए गठित सलैक्शन बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर भर्ती की जाती है। किन्तु रेलों पर नियमित नियोजन में नैमित्तक श्रमिकों के समाहृन को सुसाध्य बनाने के विचार से, इस समय वस्तुत: ग्रुप 'डी' की सभी रिक्तियों (कारखानों के अनुग्रह के आधार पर की गई नियुक्तियों आदि जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर) स्कीनिंग करके और नैमित्तक श्रमिकों/एवजियों का समाहृन करके भरी जाती हैं।

विवरण

चतुर्थ श्रेणी रेल कर्मचारियों की भर्ती

रेल सुरक्षा बल में नियमित रिक्तियों पर नियोजित ग्रुप -'डी' चतुर्थ श्रेणी) के रेल कर्मचारियों (रक्षकों/सैनिकों) को छोड़कर जो रेल सुरक्षा बल अधिनियम तथा नियम 1959 के उप-

वन्धों द्वारा शासित हैं) की भर्ती के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) भर्ती का समयान्तर-एक वर्ष से दो वर्ष के अन्तरालों में भर्ती की जानी चाहिए।

(2) भर्ती की यूनिटें-भर्ती की यूनिट सामान्यत: मंडल अथवा जिला, बड़ा कारखाना, इन्जन शेड, सवारी एवं माल डिब्बा परम्मत लाइनें, रेल पथ निरीक्षक के क्षेत्र आदि आदि

(3) शैक्षणिक योग्यताएं अर्हक शर्त रूप में साक्षरता—

(क) केवल उन्हीं कोटियों के लिए इन पर बल दिया जाता है जिनकी डयूटियों के समुचित निष्पादन के लिए इन्हें अनिवार्य माना जाता है। डीजल/बिजली शेडों में खलासियों की भर्ती के लिए न्यूनतम औपचारिक शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की गई है। सभी चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के लिए एक ही न्यूनतम मानक आकश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, फायरमैन के लिए खलासी से उच्च मानक रखना होगा।

(ख) इस समय अन्य सभी कोटियों के लिए साक्षरता पर बल नहीं दिया जाता हैं, लेकिन नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले उम्मीदवार में से साक्षर उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(4) आयु सीमा तथा शारीरिक उपयुक्तता—

(क) जिन कोटियों के लिए साक्षरता एक अर्हक शर्त होती है उनकी भर्ती की आयु 18 तथा 28 वर्षों के बीच होनी चाहिए।

(ख) गैंगमैन तथा हमाल जैसे पदों के लिए जिनके लिए शारीरिक कार्य अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है, शारीरिक उपयुक्तता के आधार पर न्यूनतम अर्हता का आदेश दिया जाता है ताकि सुनिश्चित हो कि भर्ती प्रक्रिया सरल है।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है।

(5) भर्ती की प्रक्रिया-उचित समय पर एक रोजगार सूचना तैयार की जाती है जिसमें रिक्तियों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, वेतनमान, निर्धारित अर्हताएं तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख आदि सूचित की जाती है तथा इसे भर्ती यूनिट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोजगार कार्यालयों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मान्यता प्राप्त एसोशिएसनों को जारी किया जाता है ताकि अधिक से

अधिक संख्या में स्थानीय निवासियों को आकर्षित करने की दृष्टि से पर्याप्त प्रचार हो सके । इन सूचनाओं की प्रतियां, भर्ती क्षेत्र में स्थित रेल कार्यालयों आदि के बाहर नोटिस बोर्डों पर लगायी जाती हैं ।

(6) जिन पदों के लिए साक्षरता एक अनिवार्य अर्हता है उनके लिए केवल रोजगार कार्या- द्वारा संस्तुत किए गए उम्मीदवारों अथवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उम्मीद-वारों के बारे में ही विचार किया जायेगा । जहां कहीं साक्षरता को अनिवार्य अर्हता नहीं माना जाता, वहां उन आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर भी रेल प्रसाशन द्वारा विचार करना चाहिए जो रेल प्रशासन को सीधे प्रार्थना पत्र भेजते हैं ।

(7) ट्रेड टेस्ट/साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले आवेदकों की संख्या सामान्यतः भरी जाने वाली रिक्तियों से 3 से 5 गुणा तक होनी चाहिए ।

(8) चूंकि श्रेणी iv की रिक्तियों के लिए सामान्यतः स्थानीय निवासी ही आवेदन करते हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा प्राप्त हुए ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन पर चयन के समय पूरा-पूरा विचार किया जाना चाहिए ।

(9) भर्ती के लिए सलैक्शन बोर्ड में अनिवार्य रूप से तीन सदस्य होंगे जिनमें अनु० जा०/अनु० ज० जा० तथा अल्प संख्यक समुदायों का एक गैर सरकारी सदस्य शामिल होगा ।

रेल वैगनों से माल की चोरी

2838. **श्री राम प्यारे पणिका** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल वैगनों से माल की चोरी के मामलों की जानकारी है ,

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष रेल वैगनों से कितना माल चुराया गया ;

(ग) क्या सरकार ने इसे मामले में कोई गिरफ्तारी की है ;

(घ) यदि हां, तो उस रेलवे का नाम क्या है तथा किस स्थान पर ऐसी गिरफ्तारी की गई हैं तथा उनसे बरामद हुए माल का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार बरामद हुए माल की मात्रा और मूल्य क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983 में, सभी भारतीय रेलों पर रेल माल डिब्बों से लगभग 3.55 करोड़ रुपये मूल्य के माल की चोरी हुई थी ।

(ग) से (ङ) 1983 में सभी भारतीय रेलों पर विभिन्न स्थानों पर 2,270 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे और उनसे लगभग 21.25 लाख रुपये के विभिन्न प्रकार और मूल्य के चुराये गए माल वसूल किए जा सके थे ।

कैंसर निदान और उपचार केन्द्र तथा रोगियों के उपचार के लिए अस्पतालों की क्षमता

2839. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत कैंसर निदान और उपचार केन्द्रो का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिये कितने रोगी रखने की क्षमता है ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कैंसर रोगियों के उपचार के लिये कैंसर केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या-क्या योजनाएं हैं ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये केन्द्र से कितनी सहायता दी गई है और विदेशों से यदि कोई सहायता मिली है, तो वह कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : (क) कैंसर के निदान और उपचार की सुविधाएं सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। वैसे, देश के ऐसे 142 अस्पतालों की सूची विवरण-एक के रूप में संलग्न है। यहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र भी स्थापित किए गये हैं :—

1. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर और अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता
2. कैंसर संस्थान, मद्रास
3. इन्स्टीच्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
4. गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद ।
5. किदवई मेमोरियल आर्बुदविधा संस्थान, बंगलौर ।
6. कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर ।
7. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र, कटक ।

8. डा० बी० बी० कैंसर संस्थान,
गोहाटी ।

9. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम का
कैंसर विंग ।

10. टाटा मेमोरियल कैंसर केन्द्र,
बंबई ।

उपर्युक्त प्रथम 9 कैंसर केन्द्रों को वित्तीय सहायता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा दी जाती है जबकि बंबई स्थित 10 वां केन्द्र परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन हैं जो इसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उपर्युक्त केन्द्रों के अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में स्थित एक स्थायी संस्थान है। इस संस्थान में जिन कार्य क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जाता है उनमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (जोकि भारतीय महिलाओं में आमतौर पर पाया जाने वाला कैंसर है) का प्रारम्भ में ही निदान कर लेना और बहु-उपचार दृष्टिकोण अपनाकर गर्भाशय ग्रीवा की कैंसर-पूर्व विक्षतियों के प्राकृतिक इतिवृत्ति का अध्ययन करना शामिल है।

इसके अलावा, विभिन्न चिकित्सा कालेजों में कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के 24 केंद्र और 25 प्रसवोत्तर पी० ए० पी० स्मीयर टेस्टिंग यूनिट (जो परिवार कल्याण विभाग के अधीन प्रसवोत्तर कार्यक्रम का एक अंग हैं) ग्रीवा के कैंसर का प्रारम्भिक स्थिति में ही पता लगा लेने के प्रयोजन से स्थापित किये गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से, विश्व स्वास्थ्य संगठन कैंसर परियोजना इण्ड कैन 006 के अधीन, कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के सात और केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

देश में कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए 2624 पलंग हैं। विभिन्न अस्पतालों में पलंगों की संख्या का ब्यौरा विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान कैंसर रोगियों के उपचार की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विभिन्न केंद्रों को 31 मार्च, 1984 तक दी गई सहायता की रकम 1010.37 लाख रुपये और प्राप्त हुई विदेशी सहायता की रकम 98.42 लाख रुपये थी।

विवरण-1

कैंसर के रोगियों को उपचार की सुविधाएं देने वाले संस्थानों/अस्पतालों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. मेहदी नवाज जंग
कैंसर अस्पताल,

हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।

2. एम० जी० एम० अस्पताल, वारंगल, आंध्र प्रदेश ;

3. गवर्नमेंट जनरल हास्पीटल, काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश ।

4. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, गंटूर, आंध्र प्रदेश ।

5. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, करनूल, आंध्र प्रदेश ।

6. एस० वी० आर० आर० अस्पताल, तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश ।

7. किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश ।

8. गांधी अस्पताल, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश ।

असम

9. असम मेडिकल कालेज और अस्पताल डिब्रूगढ़, असम,

10. गोहाटी मेडिकल कालेज और अस्पताल, गोहाटी ।

11. डा० वी० बुक कैंसर संस्थान, गोहाटी ।

बिहार

12. मेडिकल कालेज और अस्पताल, पटना ।

13. मेडिकल कालेज और अस्पताल, दरभंगा ।

14. मेहरवाई टाटा मेमोरियल अस्पताल, जमशेदपुर ।

गुजरात

15. एम० पी० शाह कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।

16. सिविल अस्पताल, अहमदाबाद (आंध्र प्रदेश)

17. सेठ वादीलाल साबाभाई जनरल अस्पताल, अहमदाबाद।

18. इरविन ग्रुप आफ हास्पीटल, जामनगर।

19. श्री सयाजी जनरल हास्पीटल, बडौदा।

20. सर टी० अस्पताल, भावनगर।

21. गवर्नमेंट अस्पताल, राजकोट।

22. नथालाल पारेख कैंसर अस्पताल, राजकोट।

23. लाइन्स कैंसर डिटेक्सियन केन्द्र, सूरत।

24. सिविल अस्पताल, जूनागढ़।

हरियाणा

25. मेडिकल कालेज और अस्पताल, रोहतक।

जम्मू और कश्मीर

26. एस० एम० एच० एस० अस्पताल, श्री नगर।

27. एस० एम० जी० एस० अस्पताल, जम्मू।

हिमाचल प्रदेश

28. एच० पी० अस्पताल;
स्नोडोन, शिमला ।

कर्नाटक

29. विक्टोरिया अस्पताल,
बंगलौर ।

30. डौरिंग और लेडी करजन अस्पत-ल, बंगलौर ।

31. किदवई मेमोरियल कैंसर रिलीफे रिसर्च
और ट्रेनिंग इन्स्टीटुयूट, बंगलौर ।

32. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज और सिविल अस्पताल,
बेलगांव ।

33. मेडिकल कालेज और अस्पताल,
बैलिनरी, कर्नाटक ।

34. के० मेडिकल कालेज और अस्पताल,
हुवली, कर्नाटक ।

35. गवर्नमेंट वैंनलोक अस्पताल,
मंगलौर, क़र्नाटक .

36. कर्नाटक कैंसर थैरापुट,
रिसर्ज इन्स्टीट्यूट, हुवली ।

37. कस्तूरबा मेडिकल कालेज और अस्पताल,
मनीपाल, कर्नाटक ।

38. कृष्ण राजेन्द्र अस्पताल, मैसूर ।

केरल

39. मेडिकल कालेज अस्पताल,
त्रिवेन्द्रम ।

40. मेडिकल कालेल अस्पताल,
कोजीकोडे ।

41. मेडिकल कालेज अस्पताल;
कोट्टायाम ।

42. जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम ।

मध्य प्रदेश

43. हमीदला अस्पताल,
भोपाल, मध्य प्रदेश ।

44. शक्षिकया ग्यारे पंच ट्रस्ट,
कैंसर अस्पताल, इंदौर ।

45. कैंसर अस्पताल और मेडिकल कालेज,
जबलपुर ।

46. जे० ए० ग्रुप आफ अस्पताल,
ग्वालियर ।

47. कैंसर अस्पताल और रिसर्च अनुसंधान,
ग्वालियर ।

48. गांधी मेमोरियल कैंसर हास्पीटल,
रेवा ।

49. डी० के० अस्पताल,
राजापुर ।

50. कैंसर अस्पताल,
राजापुर ।

51. रतन मसीही चिकित्सालय,
रतनलाम ।

52. क्रिश्चियन अस्पताल,
मुंगेली, बिलासपुर ।

महाराष्ट्र

53. बी० वाई० एल० चैरीटेबुल हास्पिटल,
बम्बई ।

54. टाटा मैमोरियल हास्पिटल,
परेल, बम्बई ।

55. महात्मा गांधी मैमोरियल हास्पिटल,
परैल, बम्बई ।

56. के० ई० एम० हास्पिटल,
परेल, बम्बई ।

57. बम्बई हास्पिटल,
बम्बई ।

58. एल० टी० एम० जी० हास्पिटल व मेडिकल कालेज,
सपोन, बम्बई ।

59. जसलोक अस्पताल और रिसर्च सैन्टर,
फैद्दार रोड, बम्बई ।

60. डा० वाला भाई नानावती
अस्पताल, बिले-पारेल (पश्चिम)
बम्बई ।

61. गोकुल दास तेजपाल अस्पताल,
बम्बई ।

62. एस० टी० जार्ज अस्पताल,
बम्बई ।

63. सैन्ट्रल रेलवे अस्पताल,
बम्बई ।

64. मेडिकल कालेज अस्पताल,
नागपुर ।

65. डोगा मैमोरियल अस्पताल
नागपुर ।

66. माया जनरल अस्पताल,
नागपुर ।

67. संत तुकोडजी अस्पताल,
नागपुर ।

68. शाहूकारी रुग्पालय,
नागपुर ।

69. ससून कनरल अस्पताल,
वी० जे० मेडिकल कालेज,
पूणे ।

70. कमाण्ड हास्पिटल दक्षिणी कमाण्ड, पूणे ।

71. मीराज मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मीराज, महाराष्ट्र ।

72. वोनलेश अस्पताल एम०, एम० सी०, मीराज ।

73. जिला अस्पताल, अमरावती ।

74. साम्वाशन आर्मी अस्पताल, अहमदनगर ।

75. मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, औरंगाबाद ।

76. एस० आर० टी० आर० मेडिकल कालेज, अम्बाजुगाई, जिला-भीर ।

77. जिला अस्पताल, जलगांव ।

78. जेनरल अस्पताल, सांगली ।

79. डा० वी० एम० मेडिकल कालेज, सोलापुर ।

80. दनराज गीरिजी अस्पताल, सोलापुर ।

81. जिला गवमेंट जेनरल हास्पिटल, सोलापुर ।

82. श्री सिद्धेश्वर कैंसर अस्पताल एण्ड रिसर्स सैंटर होटजी रोड, सोलापुर ।

83. जिला अस्पताल, वर्धा ।

84. महात्मा गांधी इनसिच्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सेवाग्राम, वर्धा ।

मेघालय

85. काशी हिल्स वेल्स मीशन हास्पिटल,
शिलौंग, मेघालय।

उड़ीसा

86. कैंसर इन्सच्यूट,
एस० सी० वी० मेडिकल कालेज
कालेज एण्ड हास्पिटल,
कटक, उड़ीसा।

87. वी० एस० एस० मेडिकल कालेज
हास्पिटल, बुर्ला, सम्भलपुर

88. एम० के० जी० जी०
मेडिकल कालेज एण्ड
हास्पिटल, ब्रम्रपुर,
उड़ीसा।

पंजाब

89. श्री गुरु तेग बहादुर अस्पताल,
अमृतसर।

90. राजीन्द्रा हास्पिटल,
पटियाला।

91. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वी०एम० हास्पिटल,
लुधियाना।

92. दया नन्द मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल,
लुधियाना।

93. सिविल हास्पिटल, गुरदासपुर।

64. सिविल हास्पिटल,
वटाला, पंजाब।

राजस्थान

95. जे०एल०एन० हास्पिटल
अजमेर।

96. पी०वी० मेस हास्पिटल
बीकानेर।

97. एस०एम०एस० हास्पिटल,
जयपुर।

98. एम०जी० हास्पिटल,
जोधपुर।

99. उमेद हास्पिटल,
जोधपुर।

100. जेनरल हास्पिटल,
उदयपुर।

101. असोशिएशन ग्रुप आफ हास्पिटल,
उदयपुर।

तमिलनाडु

102. कैंसर इनसिच्यूट (डब्ल्यु. आई. ए.)
अदयार, मद्रास

103. इन्टरनेशनल कैंसर सेंटर,
नेओर, कन्याकुमारी।

104. इनसिच्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ एंड हास्पिटल फॉर
चिल्ड्रेन, इगमोर, मद्रास।

105. गवंमेन्ट हस्पिटल फार वोमेन एण्ड चिल्ड्रेन,
मद्रास।

106. वी०एस०आर०एम० लयान्ग हास्पिटल,
मद्रास।

107. सरकारी जनरल अस्पताल,
बरनार्ड इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोजाली, मद्रास।

108. राजकीय रायपेठा अस्पताल,
मद्रास।

109. राजकीय स्पनेली अस्पताल,
मद्रास।

110. किलपाक मेडिकल कालेज एंड अस्पताल,
मद्रास ।

111. राजकीय ड्राकिन अस्पताल,
मदुराई ।

112. कुप्पू स्वामी नायडू मेमोरियल अस्पताल
कोयमबटूर ।

113. चिंकलपेट मेडिकल कालेज और अस्पताल,
चिंगलपेट ।

114. अरीं गनार अन्ना कैंसर संस्थान,
कांजी परम ।

115. तंजोर मेडिकल कालेज और अस्पताल,
तंजोर ।

116. तिरुनेलोवेली मेडिकल कालेज और अस्पताल,
तिरजेलवेली ।

117 क्रिश्चियम मेडिकल कालेज और अस्पताल,
वैल्लोर ।

118 जी०वी० अस्पताल, अगरतल्ला ।

119. सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा ।

120. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद ।

121. गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटिड अस्पताल, लखनऊ ।

122. जे० के० इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी एंड कैंसर, कानपुर ।

123. सर सुन्दरपाल अस्पताल, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी ।

124. लापेट अस्पताल, रामनगर, वाराणसी ।

125. मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता ।

126. आर० जी० आर मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता ।

127. नील रतन सिरकार मेडिकल कालेज और अस्पताक, कलकत्ता ।

128. चितरन्जन अस्पताल कैंसर अस्पताल, कलकत्ता ।

129. सेठ सुखमल कारनानी मेमोरियल अस्पताल, कलकत्ता।

130. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

131. मेडिकल कालेज और अस्पताल, पणजी।

132. गोसालिया मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, डोनापोला।

133. असीले अस्पताल मापूसा पणजी।

134. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी।

135. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली।

136. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

137. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।

138. श्रीमती कुसुचेता पलानी अस्पताल, नई दिल्ली।

139. लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली।

140. गोविन्द वल्भव पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।

141. होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली।

142. उत्तर रेलवे सैंट्रल अस्पताल, नई दिल्ली।

विवरण—2

स्पेशलाइन केंसर अस्पताल/संस्थाओं की सूची

		पलंगों की संख्या
1.	एम० एन० जे० केंसर अस्पताल तथा रिसर्च इन्सीच्यूट, रीड हिल्स हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)	150
2.	डा० बी० बरोआ केंसर इन्सच्यूट, जीवनाथ नगर, गोहाटी, असम	70
3.	रेडियम इन्सच्यूट पटना मेडिल कालेज एंड हास्पिटल, पटना, बिहार	56
4.	जी० टी० सेठ केंसर अस्पताल, रैया रोड, राजकोट, गुजरात	50
5.	केंसर अस्पताल, एच० पी० मेडिकल कालेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश	30

1	2	3
6.	किदवाई मेमोरियल इन्सच्यूट आफ आन्लोजी, बंगलौर, कर्नाटक	190
7.	केंसर अस्पताल, हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक	
8	अमला केंसर अस्पताल, एन्ड रीसर्च सेंटर अमलानगर, त्रिचुर, केरला	90
9:	एस० सी० पंच ट्रस्ट केंसर अस्पताल, इन्दौर, मध्य प्रदेश	92
10.	केंसर अस्पताल एन्ड मेडिकल कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	66
11.	गांधी मेमोरियल केंसर अस्पताल, रीवा, मध्य प्रदेश	केंसर रोगियों के लिए अलग से पलंग नहीं हैं।
12.	केंसर अस्हताल, गवर्मेन्ट डी० के० अस्पताल रायपुर, मध्य प्रदेश	32
13.	केंसर अस्पताल एण्ड रीसर्च इन्सच्यूट, (जैन विकास नयाय) मन्दिरी की माता हिल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	50
14.	मेडिकल कालेज, एण्ड अस्पताल, नागपुर, महाराष्ट्र	24
15.	टाटा मेमोरियल अस्पताल, पारेल, बम्बई, महाराष्ट्र	319
16.	रिजनल सेंटर पार केंसर रीसर्च एण्ड ट्रेटमेंट, कटक, उड़ीसा	130
17.	अरीगनर अन्ना मेमोरियल केंसर अस्पताल, कारापीटाई, काची-पुरम, तमिलनाडु	250
18.	इन्टरमेशनल केंसर सेंटर,	75

1	2	3
	नोयूर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	
19.	बीरनाड इन्सच्यूट आफ रेडियोलाजी एन्ड कैंसर गवर्नमैन्ट सामान्य अस्पताल, मद्रास, तमिलनाडु	84
20.	कैंसर इन्सच्यूट (डब्ल्यु० आई० ए०) अदयार, मद्रास, तमिलनाडु	301
21.	डा० के० एन० राजू कैंसर अस्पताल मद्रास, तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं हैं।
22.	कैंसर अस्पताल अगरतला, त्रिपुरा	ओ० पी० डी० केवल
23.	जे० के० कैंसर इन्सच्यूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश	106
24.	चित्तरन्जन कैंसर अस्पताल, 37, एस० पी० मुखर्जी रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	206
25.	कैंसर सेन्टर एन्ड वेलफेलर होम्यों० डाकुरपुर, कलकत्ता—63 पश्चिम बंगाल	113
26.	रुपीयल नन्दी कैंसर अस्पताल चन्द्रनगर, हुगली, पश्चिम बंगाल	30
	योग:	2624

अशोक पेपर मिल्स को फिर से चालू करना

2840. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या उद्योग मन्त्री अशोक पेपर मिल्स को फिर से चालू करने के बारे में 26 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 796—ग के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की रामेश्वर नगर यूनिट के कर्मचारियों को कुल कितनी बकाया राशि की अदायगी की जानी है और अन्य कुल देय राशियां कितनी हैं और उनकी पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या चीथड़ लुग्दी संयंत्र तथा निजी उपयोग का बिजली यूनिट लगाने के लिए पूंजी-गत परिव्यय राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अंशदान कम्पनी के भावी प्रबन्धकीय ढांचे से सम्बन्धित प्रश्नों को अब तक कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में ब्यौरा क्या है और नहीं, तो उनके लिए क्या समय सीमा रखी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अशोक पेपर मिल्स की पुनर्स्थापना सम्बन्धी पद्धतियों के बारे में बातचीत अभी चल रही है।

(ग) उत्पादन पुनः आरम्भ करने के लिए कदम उठाने से पूर्व बकाया देयताओं का निर्धारण करने, पुनर्स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थानों का संबद्ध योगदान, संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतों तथा कम्पनी के भावी प्रबन्ध ढांचे से सम्बन्धित ब्यौरे तैयार किए जाने हैं। अतः इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि ये औपचारिकतायें कब तक पूरी कर ली जायेंगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : श्रीमन् आज के अखबार में खबर है कि भाई मान सिंह का पुलिस ने अपहरण कर लिया है। यह एक गम्भीर खबर है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे सकते हैं······

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमें देश की स्थिति की चिन्ता है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकते हैं परन्तु मामला इस प्रकार नहीं उठा सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको तथ्य मालूम करने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा है। फौज के जनरलों का सोशल बायकट करने का फैसला। पंजाब के अन्दर जनरल दयाल और मेजर जनरल बरार का सोशल वायकाट करने का एलान किसी एक तबके ने किया है। यह देशद्रोह है, राष्ट्र-द्रोह है। फौज के जनरलों का बायकाट कोई करे तो यह पार्लियामेंट अगर अपनी फौज की रक्षा नहीं कर सकती है तो फौज इस देश की रक्षा नहीं कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में ऐसे देश भी हैं, जहां पार्लियामेंट तो नहीं है, बगैर पार्लियामेंट के राज चलता है, लेकिन फौज वहां भी है। वगैर फौज के आज तक कोई देश नहीं चला है। हिन्दुस्तान की फौज के जनरलों का सोशल बायकाट करना देशद्रोह है और इस पार्लियामेंट से मैं उम्मीद रखता हूं कि समूची पार्लियामेंट अपनी फौज की रक्षा करेगी। मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह देखेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनकी बात ठीक है परन्तु जथेदार भाई मानसिंह के अपहरण का क्या हुआ ? उसके कारण भी उन्होंने यह बात कही है। ये दोनों बातें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में परस्पर विरोधी बातें की गई हैं यह एक अलग मामला है···

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें शायद अमृतसर में सरबत सम्मेलन में ले जाया जा रहा है : उन्होंने मेरे पास एक पत्र भेजा है···

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मिलैट्री के जनरलों···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिये मैं देखूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने कामरोको प्रस्ताव लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमन् मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्यपालों का विशेष स्थान है और उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। और कुछ परम्पराओं और तरीकों का पालन करना होता है। परन्तु दुर्भाग्यश, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरा सकें मैं आपको बता दूं···

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एक फोटोस्टैट प्रति जिसमें बताया गया है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कुछ बातें बतानी हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपकी कोई बात सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके सदस्य मुझे बोलने नही देंगे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। कुछ तरीकों को तो मानना ही होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं हरिकेश, आपने कभी व्रत रखा है ?

क्या आप मेरी बात सुनना चाहते हैं ? हमने कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं। यदि आपको राज्यपाल के विरुद्ध कोई बात कहनी है तो आप एक विशिष्ट नियम के अन्तर्गत कह सकते हैं। मैंने किसी को रोका नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : तब मैं एक मूल प्रस्ताव पेश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका हक है। हम उसे स्वीकार करेंगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता परन्तु यह आपका हक है और सभा का भी हक है।

श्री सत्य साधन चक्रवती : श्रीमन्······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं देता···

श्री सत्य साधन चक्रवती श्रीमन् यह दस्तावेज है···

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) **:** यह पंजाब में अकालियों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के नेताओं की बैठक के बारे में है और वे सेना के जनरलों का बायकाट करने की धमकी दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैने इस मामले पर कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा दृष्टिकोण अलग है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है । सेना को इस विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार किया है ।

प्रो० के० के० तिवारी : विरोधी दलों के नेताओं के पंजाब में जाने के बाद वहां हिंसा और भड़की है और श्री वाजपेयी जी कह रहे हैं ·········

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे रोक सकता हूं ? मैं वाजपेयी जी को कैसे रोक सकता हूं मैं कि वहां न जायें ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह भी विरोधी दलों के नेताओं के वहां जाने का परिणाम है। इसलिए सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें वहां जाने से नहीं रोक सकता ।

प्रो० के० के० तिवारी : बागड़ी जी, आपकी विरोधी दलों के नेताओं के वहां जाने के बारे में क्या राय है ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) **:** वह बागड़ी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नहीं रोक सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं तो कहता हूं कि आपकी फौज के मन्त्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जो अपनी फौज की रक्षा नहीं कर सकता । उस मन्त्री को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

एक माननीय सदस्य : यही वह कह रहे हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमन् विरोधी दलों के नेतागण स्वर्ण मन्दिर और पंजाब से सेना हटाने की मांग कर रहे हैं । (**व्यवधान**) परन्तु वे वहां लोगों को भड़का रहे हैं । जत्थे दारों का अपहरण हो रहा है और हिंसा का नंगा नाच हो रहा है । मैं विरोधी-दलों को इसका दोषी ठहराता हूं । श्री बागड़ी, यदि आपको इस मामले में सही दिलचस्पी है तो आपको अपने इन साथियों की भर्त्सना करनी चाहिए । (**व्यवधान**) यह एक गम्भीर न्यायालय है और विरोधी दलों को पूरी बात समझनी चाहिए और अकाली दल की भर्त्सना करनी चाहिए ....

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

(**व्यवधान**)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : स्वर्ण मन्दिर से सेना हटाने के बारे में......

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिकार्ड ठीक कर दिया है ....। श्री शास्त्री ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : रिकार्ड में सही बात रखने के लिए ......

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पहले ही बहुत सही है । अब श्री शास्त्री ।

प्रो० के० के० तिवारी : विरोधी दलों के नेता ......

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहां आरोप और प्रत्यारोप की कोई गुंजाइश नहीं है । श्री शास्त्री । श्री तिवारी बात खतम हो गई । आप बैठ जाइए ।

प्रो० के० के० तिवारी : वे सेना को विवाद में घसीट रहे हैं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी आप बैठ जाइये और आप सदस्यों को बोलने दीजिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरे बारे में कांग्रेस के माननीय सदस्य ने जो कहा......

अध्यक्ष महोदय : कोई कुछ नहीं कहा ।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा पार्टी की तरफ से या मेरी तरफ से, हमने सेना के काम में

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कभी दखल नहीं दिया न हमारी एन० डी० ए० की तरफ से किसी ने दिया। हमने खुल कर कहा है कि फौज को जब कोई सरकार हुकम दे दे, फिर फौज की आलोचना करना देश के साथ गद्दारी है।......(व्यवधान)......लेकिन फौजी ऐक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप अपने फौजियों की रक्षा न कर सकें। आपके मिनिस्टिर का इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, पटना साहब के पुजारी को किडनैप कर लिया है.......

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि अखबारी खबरें दो तरह की हैं।

डा० सुब्रह्मण्यण स्वामी : जत्थेदार भाई मानसिंह से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें अमृतसर में सरकार के एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए जबरदस्ती वहां ले जाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे यह पत्र आज सुबह मिला है जिसमें कहा गया है कि उन का अपहरण किया गया है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हम सभी को इस देश में लोकतंत्र कायम रखने की चिन्ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुनी-सुनाई बात है। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम देश में लोकतंत्र कायम रखना चाहते है। जम्मू और कश्मीर राज्य में लोकतंत्र की दुर्दशा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह राज्य का मामला है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधायक भी गिरफ्तार हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है इजाजत नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ई० बाला नन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैं सीमेंट के घोटाले के बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उत्तर है । आप आकर चर्चा कर सकते हैं ;

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लोकतंत्र राज्य का विषय नहीं है । जम्मू और कश्मीर में यह खतरे में है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है इसकी इजाजत नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वहां भ्रष्टाचार है, मूल्य-वृद्धि है, बेरोजगारी है । यह एक गम्भीर मामला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश, मैं आपको नहीं रोक रहा हूं ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिए । मैंने एक एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े होंगे ।

दूसरी बात यह है कि मैं कहूंगा तब बोलेंगे नहीं तो रिकार्ड पर नहीं जायेगा । मैंने आपका कोई एडजर्नमेन्ट मोशन एलाऊ नहीं किया है एडजर्नमेन्ट की उसमें कोई बात है ।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही : मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं ।

(श्री रामलाल राही सदन से बाहर चले गए ।)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, फ्रांस की हथियार बनाने वाली एक कम्पनी के द्वारा एक अधिकारी की लड़की की शादी में उपहार दिए गए हैं । आज अखबार में है कि प्रधान मन्त्री के सलाहकार के खिलाफ जांच रिपोर्ट को भी दबाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अखबार की खबरों को नहीं मानता पहले मुझे तथ्य मालूम करने होंगे उन्होंने जो सुना वह लिख दिया । वे भी इन्सान हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : आप तथ्यों को सत्यापित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मेरे पास तथ्य नहीं आयेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जिस-जिससे जानकारी मिली है वह सत्यापित नहीं है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री एन० के० शेजवलकर: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अभी इसकी इजाजत दें।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हमारे संवीधान के अनुसार कोई समुदाय, जाति या व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सुनकर सहमति से भी आगे बढ़ रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : हमारे राष्ट्रपति और सेना के जनरलों का सामाजिक बहिष्कार करने का अकाली दल का फैसला हमारे सशस्त्र बलों के विरुद्ध घृणा भड़का रहा है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। श्री मनीराम बागड़ी ने भी यही कहा है। मैं सोचता हूं कहीं सत्रहवीं और चौदहवीं सदी में तो नहीं चले गये हैं? मैं नहीं जानता कि हम वीसवीं सदी में रह रहे हैं या प्राचीन काल में रह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हम कहां हैं और किस युग में रह रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसा लगता है कि हम मध्य-युग में रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मध्य-युग भी नहीं है। यह तो उससे भी पहले का युग है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी इजाजत नहीं दी जाती है।

श्री सतीश अग्रवाल : हुक्का पानी बन्द हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा और इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि हम कौन से युग में रह रहे हैं क्या हम वीसवीं सदी में रह रहे हैं या हम सदियों पीछे चले गये हैं। मुझे पता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं इस मामले को उठाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० सेफुद्दीन सोज : ...**

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। श्री सोज मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता

**कार्यवाही में वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

डैमोक्रेसी ऐसे नहीं मर सकती है इस देश में। दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती है। डैमोक्रेसी को यह गोलियां और बन्दूक नहीं मार सकती है।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : इस सप्ताह में हमने कई वार स्थगन-प्रस्ताव दिये हैं जिसमें मांग की गई है कि सरकार को श्री लंका के संकट पर पूरी बहस करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम उस बात पर आ रहे हैं। कल जब व्यक्तव्य दिया गया था तब भी मैंने आपको आश्वासन दिया था। इस कार्य मन्त्रणा समिति में इस पर चर्चा करेंगे और हम इन पर एक-एक करके विचार करेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री के० मायातेवर : यह तो माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा जबानी दिलासा देने की कोशिश है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। बैठ जाइये। आप गैर जिम्मेदार है।

श्री के० मायातेवर : हम चाहते हैं कि वे हमारे लोगों को हस्तक्षेप द्वारा आजाद करदें।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। सरकार गैर जिम्मेदारी नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इजाजत नहीं दे रहा हूं। वह बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आपको सभी वोट मिल जायेंगे। बैठ जाइये। मैंने एक शब्द की भी इजाजत नहीं दी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अभी श्री तिवारी ने आरोप लगाया है कि विरोधी दल ....

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? इनकी किसी भी बात को सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

12.18 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

मोटरयान अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री, श्री जियाउर्रहमान अंसारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 1984, जो मार्च, 1984, के पंजाब के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 25 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 21 मार्च, 1984, के पंजाब के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 26 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 5 मई, 1984, के पंजाब के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 47 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 8552/84]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं तथा नेशनल फैडरेशन ग्राफ इन्डस्ट्रियल को आपरेटिव्स लिमिटेड नई दिल्ली के लेखा-परीक्षित लेखे तथा समीक्षा इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पट्टाभिराम राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनिय, 1955, की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1984, जो 11 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 376 (अ) में प्रकाशित हुआ था कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मेंरखी गयी देखिए संस्था एल. टी. 8553/84]

(2) उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951, की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 386 (अ) जो 17 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 526 (अ) जो 21 जुलाई, 1984, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, के प्रबंध ग्रहण अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 364 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्ज डाक्टर पाल लोहमान (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8554/84]

(4) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल कोंआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ इन्डस्ट्रियल को आपरेटिव्स लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालयों में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 8555/84]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1948, की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण), जो 8 मई, 1894, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 331 (अ), में प्रकाशित हुआ था।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 10क के अन्तर्गत जारी

की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 577 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय औषधियों का भारत में आयात निषिद्ध किया गया है।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 578 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 जुलाई, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय औषधियों के विनिर्माण और विक्रय निषिद्ध किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 8556/84]

केन्द्रीय उपाद शुल्क नियम, के अधीन अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 539 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो, 28 जुलाई, 1983, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो धातु-सूत्र के अपिशिष्ट को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 8557/84]

12.18/1/2 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 127 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 8 अगस्त, 1984 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 24 जुलाई, 1984 को पारित किये गए लेवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

12.19 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मद्रास हवाई अड्डे पर कथित बम विस्फोट, जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गये और हवाई अड्डे को क्षति पहुंची, से उत्पन्न स्थिति

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तमिलनाडु के किसी सदस्य का नाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"मद्रास हवाई अड्डे पर कथित बम विस्फोट, जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गये तथा हवाई अड्डे को क्षति पहुंची तथा सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही।"

12.20 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैंने 6 अगस्त को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने संक्षेप में उन घटनाओं का सिलसिला बताया था जिनके फलस्वरूप 2 अगस्त, 1984 की रात को मद्रास हवाई अड्डे के आगमन हाल में वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैंने सदन को यह भी बताया था कि राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई थी और सरकार ने नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा अलग से उच्चस्तरीय जांच करने के आदेश दिए थे जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(क) इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाना।

(ख) यह निर्धारित करना कि क्या बम के संबंध में चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर मद्रास हवाई अड्डे पर विभिन्न सम्बधित अभिकरणों के ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों ने निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार और स्थिति के लिए अपेक्षित तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया था।

(ग) ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं और कार्यविधियों का पर्याप्तता की जांच करना और उनकी समीक्षा करना तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उनमें सुधार करने के लिए सिफारिशें करना।

राज्य पुलिस की जांच उच्च स्तर, पर तमिलनाडु के पुलिस के महानिदेशक, सी. आई. डी. के सीधे और वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन की जा रही है।

तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अद्यतन रिर्पोटों से यह पता चलता है कि इस घटना के फलस्वरूप 29 व्यक्तियों की जानें गई और 38 व्यक्ति घायल हुए।

6 अगस्त, 1984 को दिए गए वक्तव्य के बाद मैंने विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों के जरिए स्थिति का और अधिक अध्ययन किया है। इन रिपोर्टों से यह मालूम होता है कि जो कुछ महत्वपूर्ण कार्मिक इस तरह की गंभीर स्थिति को नियंत्रण करने और उससे निपटने के लिए जिम्मेवार हो, उन्होंने अपेक्षित गंभीरता के साथ इस स्थिति में कार्रवाई नहीं की है। जहां-कहीं इस बात का प्रत्यक्षतः संकेत मिला है, अर्थात् कार्रवाइयां अपर्याप्त रही हैं और संबंधित अधिकारी उनसे अपेक्षित तेजी और दक्षता से अपने कार्य करने में असफल रहे हैं, उनके विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

जैसाकि सदस्य जानते होंगे, जब विस्फोटकों के किसी कंटेनर में होने का शक होता है या जब विस्फोटकों का पता लगता है तो उनको केवल विशेषज्ञों द्वारा ही देखना और कार्रवाई की जानी होती है। तदनुसार जब इस आशय की पहली सूचना प्राप्त हुई कि मद्रास हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दो सूट-केस रोककर रखे गये हैं, उनमें विस्फोटक पदार्थ है, तब हवाई अड्डा अधिकारी (प्रचालन) ने तत्काल टेलीफोन पर विस्फोटक के उप मुख्य नियंत्रक, श्री शिव प्रसाद को सूचना दे दी थी। यह बताया गया है कि श्री शिव प्रसाद ने हवाई अड्डे के लिए तत्काल रवाना होने की बजाय इस आधार पर ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता बतलाई कि उसके पास कोई वाहन नहीं था। हवाई अड्डा अधिकारी ने तत्काल एक वाहन का इन्तजाम किया परन्तु जब वह वाहन श्री शिव प्रसाद के निवास पर पहुंचा तो उसने उस वाहन को अपने अधीनस्थ अधिकारियों, विस्फोटक के उप नियंत्रक श्री पी० बी० येदला, और श्री जी. एम. रेड्डी के निवास पर भेज दिया और वह स्वयं हवाई अड्डे पर नहीं आया। ये दो अधीनस्थ अधिकारी, हवाई अड्डे पर केवल तभी पहुंच सके जब विस्फोट हो चुका था। प्रत्यक्षतः यह स्पष्ट है कि श्री शिव प्रसाद ने इन परिस्थितियों में अपेक्षित तेजी और तत्परता के साथ उस आवश्यकता पर कार्रवाई नहीं की। यह उसकी ओर से गंभीर अवहेलना का कार्य है इसलिए जांच होने तक उसे मुअत्तिल कर दिया गया है।

यह भी बताया गया है कि मद्रास हवाई अड्डे के महाप्रबंधक, को भी टेलीफोन पर विस्फोट की चेतावनी दे दी गई थी। यह बताया गया है कि उसके परिवार के सदस्यों ने यह सूचना उसे नहीं दी क्योंकि वह बीमार था और आराम कर रहा था। तथापि, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि कुछ समय से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसने सेवा-निवृत्ति से पहले की छुट्टी के लिए आवेदन किया था। यह महत्वपूर्ण पद है जिसमें शारीरिक और मानसिक दबाव वाली जिम्मेवारियां होती हैं। इसलिए उसे 8 अगस्त, 1984 से अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

हवाई अड्डा सुरक्षा पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में सरकार को प्राप्त रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री के ध्यान में लाई गई हैं।

नागर विमानन के महानिदेशक ने 8 अगस्त, 1984 को जांच शुरू की है। मैंने उन्हें अत्यधिक शीघ्रता के साथ इस जांच को पूरी करने के आदेश दिए हैं। सभी संबंधित अभिकरणों को भी इस जाँच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए अनुदेश दिए गए है जांच के निष्कर्षों के आधार पर अवहेलना और अकर्मण्यता के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी

अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मृत फायर आपरेटर श्री जेसुदास की पत्नी को 6 अगस्त, 1984 को 80,000/- रुपये की अनुग्रह राशि दी है। सरकार द्वारा तीन मृत सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रत्येक के परिवार को भी 50,000/- रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है। सरकार मृत अधिकारियों के निकटतम रिश्तेदार को निर्धारित नियमों के अनुसार नौकरी देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

जैसा कि मैंने सदन में पहले बताया था, हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय विमान सेवाएं बिना किसी रुकावट के लगातार चल रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं 3 अगस्त को सवेरे से बंद कर दी गई थीं वे 6 अगस्त, 1984 से फिर से शुरू कर दी गई हैं।

बम विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्र को अलग करके और यात्रियों की निकासी के लिए सीमा-शुल्क काउंटरों की व्यवस्था करने के लिए दर्शकों के क्षेत्र को मिलाकर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आगमन हाल में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके पंजीकृत सामान की व्यवस्था की गई है। इस घटना से पहले जो 24 सीमा-शुल्क काउंटर थे उनके मुकाबले 20 सीमा-शुल्क काउंटरों की व्यवस्था की गई है। दो स्वास्थ्य संबंधी काउंटरों और 3 आव्रजन काउंटरों की भी व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक शामियाना भी लगाया गया है काफी रोशनी और पंखों की भी व्यवस्था की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय सम्मिलन क्षेत्र में दर्शकों के प्रवेश को अगली सूचना तक बन्द कर दिया गया है।

इस विस्फोट के फलस्वरूप टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्राष्ट्रीय आगमन खंड में लगभग 25 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है और लगभग 620 वर्गमीटर के क्षेत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस व्यापक क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर रहा है। अगले सप्ताह में या उसके आस-पास योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मैंने भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यह निर्देश दिया है कि वह मरम्मत के काम को अत्यधिक शीघ्रता के साथ पूरा कर दें।

अंत में मैं सदस्यों से अपनी इस अपील को दोहराना चाहूंगा कि इस दुःखद घटना के पीछे उद्देश्यों के बारे में अंदाजा न लगाएं क्योंकि निश्चित तथ्यों के अभाव में लगाए जाने वाले अनुमान केवल भ्रामक ही हो सकते हैं। सरकार द्वारा जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं, इसलिए मैं सदस्यों से इस जांच और अन्वेषण के पूरे होने तक मेरे साथ धीरज बनाए रखने का अनुरोध करूंगा।

श्री रशीद मसूद : मुहतरम् डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में श्री खुर्शीद आलम खां साहब हैं और मैं जाती तौर पर उन को जानता हूं। निहायत शरीफ आदमी हैं और इस बयान को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद इन की शराफत उन पर गालिब आ गई और जो इन को इन्फार्मेशन दी गई, उस में इन्होंने इसकी फिक्र नहीं की कि यह मालूम करने की कोशिश करते कि कौन लोग हैं जो हकीकत में तमाम वाक्यात के जिम्मेवार हैं और

उनको सजा क्या दी जाए । मुझे याद आ रहा है कि अब से कुछ दिन पहले मैं श्री खुर्शीद आलम खां के पास एक आदमी की सिफारिश के लिए गया था । वह अशोका होटल का मुलाजिम था । उसने अशोका होटल के अपने से कुछ बड़े अफसर के साथ बदतमीजी की थी । मेरी दरख्वास्त पर खुर्शीद आलम खां साहब ने उस को री-इंस्टेट कर दिया लेकिन उसकी पांच इन्क्रीमेंटस रोक दी गई । एक मामूली से अफसर से मामूली सी गर्मागर्मी करने के ऊपर जिस मिनिस्टर ने पांच इन्क्रीमेंटस रोक दिये हों, आज इस मद्रास की ट्रैजडी के बाद जहां 29 आदमियों की जानें जाया हो गई, जहां उन बेगुनाह लोगों की, जिन की कोई गलती नही है सिर्फ इस वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके तहाफुज में कोई चुस्ती नहीं दिखाई, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की । उनकी जानें बच सकती थी और उनको तबाही से बचाया जा सकता था अगर हमारे एयरपोर्ट के जिम्मेवार लोग थोड़ी सी चुस्ती दिखाते लेकिन उन्होंने कोई चुस्ती नही दिखाई और बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि चुस्ती न दिखाने वाले आदमियों को सजा देने में आप ने सुस्ती दिखाई । आप के जवाब को मैंने पढ़ा । जवाब में आपने यह नहीं बताया कि शिव प्रसाद साहब को इस बात की इत्तिला किस वक्त दी ? इसके अन्दर इसका कोई जिक्र नहीं है लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पर जाऊं, मैं दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं । सब से पहले आपने खुद यह तस्लीम किया है कि 9 बजकर 15 मिनट पर आपको यह इत्तिला मिल गई थी कि वहां दो बक्से रखे है जिनके अन्दर एक्सप्लोसिव्ज हैं । लेकिन हमारी इत्तिला यह है कि आपको यह इत्तिला 9 बजकर 15 मिनट पर मिल गई थी । श्रीलंका को जहाज जाने वाला था उसके 40-45 मिनट बाद आपको यह इत्तिला मिली । लेकिन हम आपकी ही बात मान कर चलते हैं । अगर यह इत्तिला आपको 9 बजकर 15 मिनट पर मिल गई थी तब भी बमका एक्सप्लोजन 10 बज कर 57 मिनट पर हुआ । इस बीच पौने दो घंटे का टाइम आपके पास था । आप इन पौने दो घंटों के अन्दर लोगों की जानें बचा सकते थे । जो कि नहीं बचाई गई ।

यहीं नही आपको सारी बातों की इत्तिला मिल गई थी कि एयरपोर्ट पर दो बक्से रखे हुए हैं और उनके अन्दर बम है । अगर आपके स्टाफ के लोगों ने पूरी चुस्ती दिखाई होती तो भी ये जानें बच सकती थी । मैं यह तो मान सकता हूं कि अगर उनको जगह मालूम नहीं होती कि कहां पर बक्से रखे हैं और उन बक्सों की तलाशी में दो घंटे लग जाते और उसके बाद भी आप उन बक्सों को तलाश नही कर पाते । लेकिन टेलीफोन करने वाले ने सिर्फ यही नहीं बताया कि वहां दो बक्से रखे हैं, बल्कि यह भी बताया कि किस जगह पर रखे हैं, उनका रंग क्या है और उन पर जो लेबिल लगे हुए हैं उनका नम्बर क्या है । इस सारी इन्फार्मेशन के बाद मैं समझता हूं कि एक मामूली इन्सान की भी जिसके पास अक्ल होगी, वह उन बक्सों को दो-चार मिनट में तलाश करके उस जगह से हटवा सकता था । मान लिया कि उसमें एक्सप्लोसिव्ज थे और उन एक्सप्लोसिव्ज एक्सपर्टस आकर ही देखते । क्या आप से यह तवक्को नही की जा सकती कि जिन बक्सों में एक्स-प्लोसिव्ज रखे हुए हैं उन बक्सों को उस जगह से हटा दिया जाए बिना इस बात की जांच किये कि उसमें बम है या नही है, वे एक्सप्लोड होंगे और होंगे तो कब होंगे और कब नही होंगे । जब आप को यह पता चल गया कि उन बक्सों में बम है तो उन बक्सों को वहां से हटा दिया जाता । आपने उनको डिपार्चर लाउंज से लाकर अराइवल लाउंज में रख दिया । जो लोग हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले जा रहे थे उनकी जान से ज्यादा आपको इस बात की फिक्र थी कि जो लोग हिन्दुस्तान

में रह गये है या रह रहे हैं उनको मारा जाए। मुझे यह बात समझ में नही आती कि आपने उन बक्सों को डिपार्चर लार्उज से लाकर अराइवल लाउंच में क्यों रख दिया ? क्या उनकों कहीं बाहर मैदान में रखने की पोशिबिलिटी नहीं थी ? एयरपोर्ट पर इतना जंगल पड़ा रहता हैं, वहा उनको रखा जा सकता था। आपने यह नहीं किया। आपने पोने दो घंटे में सिर्फ यह किया कि शिवप्रसाद को टेलीफोन करके उसे रिर्पोर्ट कर दी।

आपमें जो शराफत है, गुस्ताफी माफ़ हो, हुकूमत इस शराफत से नही चलती है। आपने इसके बारे में यहां बयान दे दिया और जिस तरह से बयान दे दिया, उससे ऐसे मसले हल नहीं हो सकते। एंयरपोर्ट के जनरल मैनेजर को इत्तिला नहीं थी। वहां पर बम रखे हुए हैं। यह इतनी खौफनाक बात थी कि इसे जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी गई। टेलीफोन काल आपके पास आती हैं कि वहां एयरपोर्ट पर बम है और उसके कई घंटे के बाद बम फटते हैं। इतनी अहम बात को पूरी अहिमयत से नहीं लिया गया। अगर उसके बगैर एक्शन नही लिया जा सकता था तो एक गाड़ी उनको तलाश करने के लिए भेजी जा सकती थी। एक दफा घर वालों को फोन कर दिया गया और उन्होंने मैसेज कन्वे नहीं किया बस इतना ही आपने काफी समझ लिया ? हर दो मिनट के बाद मैनेजर के घर फोन किया जाना चाहिए था। क्या यह इतना इंर्पोटेंट मामला नहीं था। दो घंटे में मद्रास के किसी भी कोने से मैनेजर को ढूंढ कर लाया जा सकता उसको मौके पर पेश किया जा सकता था। और उस बम की तलाश करके हटाया जा सकता था।

आपका मैनेजर नही मिला लेकिन किसी आदमी ने तो उसको डिपार्चर लाज से हटाकर एराइवल लाज में रखा। क्या उसको यह अख्तियार नहीं था कि वह उसको मैदान में रख देता ? लेकिन आज क्या हो रहा है। आज तो हुकूमत इस तरह से चल रही है कि जो ऊपर से लिख कर के आ जाता हैं वही आपका सब कुछ होता है। वही सच है, सचके अलावा कुछ नही है। आपकी गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रन्थ साहब, सब कुछ वही है। मैम्बर आफ पार्लियामेंट कुछ कहता रहे, अवाम कुछ कहता रहे, मंत्री महोदय कुछ कहते रहे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती ; बहुत से वजीरों को हमने कहते हुए सुना है कि क्या करें, हमारी तो चलती नहीं है। इस तरह से हिन्दुस्तान की हुकूमत चलने वाली नहीं है। मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। इसको चलाने के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जहां अच्छे काम के लिए एवार्ड दिये जाते हैं वहां बुरे काम के लिए सजा भी देनी होगी। उसके घर वालों ने कन्वे नहीं किया और आपने उसको रिटायर हो जाने की इजाजत दे दी। क्या इतनी ही सजा काफी है। माता प्रसाद जी के पास आदमी जाता और कहता है कि चलिए, इस तरह से एक्सप्लोजन हो सकता है तो वे कहते हैं मेरे पास कन्वेंस नही है। जब सवारी भेजी जाती है तो वे उनको डायवर्ट कर देते हैं कि वहां जाइए। उसको आप सिर्फ ससपेंड कर देते हैं। 32 आदमियों का कातिल, उसको आप सिर्फ सस्पेंड करते हैं। एक आदमी को मामूली सा क्लर्क अशोका होटल में गाली दे देता है तो आप उसके 5 इन्क्रीमेंट काट देते हैं, लेकिन इनको आपने सस्पेशन के बाद घर में आराम देह पलंग पर सोने की इजाजत दे दी। इसके बजाय उसको जेल की सीखचों के पीछे

होना चाहिए था। इस तरह का ग्रेव सिचुएशन हो, जहां बम फटने वाला हो और एक आदमी कहे कि मैं तो नही जाऊंगा। फलां को ले जाइये। और उसको आप सस्पेंड करके आराम से बैठ जाते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया है।

दूसरा आदमी जो गुलाटी, जो सही मायने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसको तो टेली-फोन मिला था। उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं यह बात मानता हूं कि आप एक्सपर्ट के बगैर उसको हटा नहीं सकते थे। लेकिन जब बम को एराइवल लाज में ले जा सकते थे तो क्या उसको बाहर नहीं ले जा सकते थे। हो सकता है कि तब नुकसान न होता और आदमी न मरते, उसका शायद आपको बाद में अफसोस रहता। लेकिन एक काम तो आप कर सकते थे या वो भी नहीं कर सकते थे? वहां पर हर जगह अनाउसमेंट की व्यवस्था है। लाउडस्पीकर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा आप अनाउंसमेंट करते हैं कि फलां फ्लाइट जा रही है, फलां आ रही है। तो क्या आप यह ऐलान नहीं कर सकते थे कि एराइवल लाज से सब लोग हट जाएं, बाहर चले जाएं, वहां पर बम का खतरा हैं, बम फट सकता है। यह एलान क्यों नही हुआ? क्या इसकी वजह बता सकते हैं? क्या आपके यहां ऐसे कानून बने हुए हैं कि सिर्फ हवाई-जहाजों के आने-जाने की इत्तिला दी जायेगी? यह इत्तिला तो दी जायेगी कि फलां आदमी का फलां जगह पर कोई इन्तजार कर रहा है। लेकिन, 32 आदमियों की जाने बचाने के लिए कोई एलान नहीं किया जायेगा कि फलां जगह से हट जाएं और दूसरी जगह पर चले जाएं। आपको, एक नहीं चार काल मिली है। पहली, 8 बजकर 15 मिनट पर, दूसरी 9 बजकर 15 मिनट पर, तीसरी 9 बजकर 50 मिनट पर और चौथी 10 बजकर 20 मिनट पर। स्पेसिफिक सूचनाएं आपको मिलती रहीं। अगर मुझे पता हो कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पर एक डिब्बा रखा हुआ है और उस डिब्बे में फलां चीज है और फलां नम्बर लिखा हुआ है तो मुझे बता दीजिए कि यहां से घर तक ले जाने में कितनी देर लगेगी? दो मिनट में आऊंगा और फौरन वहां से उठाकर ले जाऊंगा। हर घन्टे के बाद आपको यह सूचनाएं मिलती रहीं। अखबारों में तो यह भी आया है कि 10 बजकर 40 मिनट पर भी आपको इत्तिला दी गई। इत्तिला देने वाला इस बात की बार-बार कोशिश करता रहा कि किसी तरह से बेगुनाह लोगों की जान बच जाय। लेकिन आप यह कोशिश करते रहे कि किसी तरह से यह काम आज मुकम्मल होना चाहिए। समझ में नही आता कि आप आदमियों की जान के दुश्मन क्यों हो गए हैं? कल मैं कम्युनल रॉयट्स के डिसकशन पर बोल रहा था। मैंने एक लम्बी लिस्ट दी थी कि कहां-कहां आप जान के दुश्मन हो रहे है? यह तो मेरी बदकिस्मती होगी कि मैं आपको यही गिनवाता रहूं। मेरा नाम आज इसमें न आता तो मैं न बताता कि कहां लोग मरे हैं? आपने एक इन्क्वायरी कमेटी बिठा दी है। इसकी टर्मस आफ रेफरेंस में यह नहीं है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसके पीछे कहीं फौरेन हैण्ड तो नहीं है? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर मामले में आपको फौरेन हैण्ड फौरन नजर आ जाता है। आपके पास कोई शीशा या ऐनक ऐसी है जिसके लगाते ही आपको फौरेन हैण्ड दिखाई देता है। कम्युनल रायट्स हो जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो, दिल्ली में कहां पर पानी बन्द हो जाए या रात को बिजली गायब हो जाय तो आप अपने मुलाजिमों को सजा देने की कोशिश नही करेंगे बल्कि फौरेन हैण्ड को लाने की कोशिश करते हैं। यह बता देते है कि फौरेन हैण्ड था और कहां से आया था? जब इंक्वायरी कमेटी बैठती है तो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। आखिर यह फौरन हैण्ड का करिश्मा क्या

है ? आप मुझे यह बताने की कोशिश करें कि कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात बढ़ायेंगे या नहीं कि आया फौरेन हैण्ड इसमें था या नही ? कोई कहता है इजराईल का हाथ था। कोई कहता है मुसाड का हाथ था। कोई कहता है टाइगर्स वालों का हाथ था। कोई कुछ कहता है और कुछ। आप भी तो यह बताइये कि इसमें किनका हाथ था ? फौरेन हाथ था तो कौन सा हाथ था ? वह दिखाई देता है तो कटता क्यों नहीं ? उसका कमाल क्या है ? मियां-बीवी में घर में लड़ाई हो गई तो बाहर कहने लगे कि जरूर इसमें फौरेन हैण्ड था ? आप भी इसकी जांच कराइए।

उपाध्यक्ष महोदय : पति विदेशी हो सकता है।

श्री रसीद मसूद : स्थिति इसके विपरीत हो सकती हैं।

श्री रसीद मसूद : यह एक अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये पहले ही संयुक्त जांच को अस्वीकार कर चुके हैं।

श्री रसीद मसूद : उन्होंने अस्वीकार कर दिया हैं, परन्तु कोई विरोध नहीं किया। क्या आप इसमें फौरेन हैण्ड की कोई इंक्वायरी करवायेंगे या नहीं करवायेंगे। यदि नही करवायेंगे, तो क्यों नहीं करवायेंगे। क्यों एक आदमी के बारे में यह शक किया जा रहा है, जिसका नाम मारी मुत्थु कथीरेशन है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह आदमी उस हवाई जहाज से जा रहा था अपने साथ बम के डिब्बे ले जा रहा था। इस बात को लोग मुख्तलिफ थ्योरीज से कहते हैं। एक तो वे लोग हैं जो यह कहते है कि हमारे यहां एक्ट्रीमिस्टस को ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसा आपने बताया, हो सकता है उन लोगों ने बनावटी नाम रखकर हिन्दुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की हो। ऐसा किया हो। दूसरी तरफ श्रीलंका वाले कहते हैं नहीं साहब, यही था और हम इनकी ज्वाइन्ट इंक्वायरी करना चाहते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां ज्वाइंट इन्क्वायरी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में कोई वाकया हो और दूसरे मुल्क के आदमी ज्वाइंट इंक्वायरी की बात कहें। हमें उस बात की सख्ती के साथ मजम्मत करनी चाहिए, कन्डम करना चाहिए; एतराज करना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार इसे पहले ही अस्वीकार कर चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री रसीद मसूद : आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था क्यों कि यह किसी देश के अंदरूनी मामलों, में सीधा हस्तक्षेप है। यदि नहीं तो आप मुझे बताईये, क्या है। हमारे यहां मद्रास में एक्स्पलोजन हो और श्रीलंका वाले कहें कि हम ज्वाइंट इंक्वायरी करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि यह आदमी कौन है। अगर नहीं की, तो क्यों ? क्या आप सिर्फ इतनी बात पर मुत्तमईन हो गए हैं कि बम फट गया, आदमी मर गए, आपने कम्पैनसेशन दे दिया और आपने एक आफिसर को छुट्टी दे दी जो कि रिटायर होने को था, उसको कुछ समय पहले कह दिया गया जाओ, तुम रिटायर तो हो ही रहे हो, अब जाकर आराम करो। बजाए इसके कि उसको सजा दी जाती, आपने उसे जबरी रिटायर कर दिया। क्या ये सारी

बातें करके आप मुत्तमईन हो गए कि जो कुछ हो गया, उसे भूल जाओ और आइन्दा के लिए याद रखो। क्यों कि इलैक्शन में तो आपका नारा रहता ही है कि कुछ भी बात करो उसे भूल जाओ। पहले तो आप कहते हैं, हम यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन मद्रास का एयरपोर्ट हिन्दुस्तान का इलैक्शन नहीं है। जिन 32 आदमियों की जान गई है, वह इलैक्शन का स्टन्ट नहीं हो सकता। लिहाजा, आप बताये कि क्या आपने इस आदमी के बारे में कुछ मालूमात की। क्या यह बात भी सही नही है कि आपकी रूलिंग पार्टी के एक एम एल ए ने इसके पासपोर्ट फार्म की तसदीक की थी। यदि आपको मालूम नहीं है तो आपने पता क्यों नही किया। क्या आप बतायेंगे कि वह कौन एम एल ए है जिस ने उसके पासपोर्ट फार्म की तसदीक की है। क्या आपको यह भी मालूम है कि दिल्ली की एक ट्रैवलिंग एजेंसी के जरिये उसको बनवाया गया था और उस एजेंट का नाम क्या है? अब तक आपने उससे कौन्टैक्ट किया या नहीं। यदि किया तो उसने आपको क्या बताया। उसके अनुसार क्या आपने उस आदमी को ट्रेस-आउट करने की कोशिश की, या नहीं की? यदि नहीं तो क्यों नहीं की। क्यों कि यह कोई मामूली मामला नहीं है, जिसमें 32 आदमियों की जान चली जाय और आप यह कह कर मुत्तमईन हो जाये कि अपने कम्पैन्सेशन दे दिया, बाकी सब अफसरों को फी छोड़ दिया। उनको कोई सजा नहीं दी,..

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछे।

श्री रशीद मसूद : इसलिए आखिर में, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आप हाउस को एश्योर करेंगे कि जिनको आपने रिटायर होने के लिए कहा है, उनको क्या सजा दी जाएगी। उसको रिटायरमेंट न देकर आपने छुट्टी दे दी। इसमें मामूली छोटे आदमियों को फंसा कर बड़े आदमियों को बचाने की कोशिश करेंगे, यह हमारी इत्तला है कि आप बड़े आदमियों को बचाकर छोटों को फंसाना चाहते हैं।

इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री रशीद मसूद : अपनी बात कहते हुए मैं साथ साथ प्रश्न भी पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने अंतिम प्रश्न पूछे। आप पहले ही 25 मिनट ले चुके हैं। चार भव्य माननीय सदस्यों ने बोलना है। यह आपकी सूचनार्थ है।

श्री खुर्शीद आलम खां : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने मित्र को धन्यवाद देता हूं जो मुझे अत्यन्त शिष्ट व्यक्ति मानते हैं। शायद वह ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने शिष्टाचार को त्याग दूं, परन्तु ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरे चरित्र का अंग है तथा मुझे इस पर गर्व है और इस के साथ ही मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उनसे अधिक कुशल तथा प्रभावी प्रशासक हूं।

मेरे मान्य मित्र ने जो कुछ भी कहा है वह सभी सुनी-सुनाई बातें, अथवा समाचार पत्रों में छपी खबरों पर आधारित है। उन्होंने इसके विस्तृत विवरण पर ध्यान नहीं दिया और मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

जहां तक की जा रही जांच का सम्बन्ध है, दो जांचे बैठाई गई है, एक तो नागर विमानन के महा-निदेशक द्वारा बैठाई गई थी जोकि अन्तर-विभागीय जांच है जिसका मैंने, अन्तर-विभागीय कार्यों के समन्वय के लिए, आदेश दिया था और दूसरी जांच राज्य सरकार के गुप्तचर विभाग के महा-निदेशक द्वारा बैठाई गई (व्यवधान) यह एक गम्भीर अपराध का मामला है तथा हम सभी यह स्वीकार करेंगे कि अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरन्त जांच की जानी चाहिए। मुझे राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल पाये हैं जिससे वे अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दण्ड दे सकेंगे। यह जानकारी मुझे राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

मेरे मित्र ने बताया है कि बहुत से टेलीफोन संदेश प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दो संदेश प्राप्त हुए थे। एक 9.30 पर तथा दूसरा 10.40 पर। मुझे पता चला है कि दो ही संदेश मिले थे परन्तु यदि जांच के परिणामस्वरूप यह सिद्ध हो जाता है कि दो से अधिक संदेश प्राप्त हुए थे तो मैं अपनी जानकारी को सुधार लूंगा। वह स्थिति हमें मान्य होगी, परन्तु वर्तमान जानकारी के अनुसार स्थिति यही है। इस जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया है कि पहली सूचना में यह नहीं बताया गया कि सूटकेस में पड़ा बम किस समय फटेगा माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि सीमा-शुल्क अधिकारी सूटकेसों को अपने लॉज में क्यों लेजाते हैं। वास्तव में बक्सों को अलग अलग किया गया था कस्टम कार्यालय वहां पर स्थित होने के कारण उन बक्सों को वहां पर रखा गया यह सत्य नहीं है कि उन्हें किसी अन्य कारण से वहां रखा गया था।

जैसा कि आप जानते हैं विमान में अथवा एयरपोर्ट पर बम के बारे में धमकी मिलने पर एक नियमित प्रक्रिया अपनाई है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, जिनमें सुरक्षा कर्मचारी एयर-पोर्ट मैनेजर इत्यादि सभी सम्मिलित हैं, सूचित किया जाता है।

सहायक एयरपोर्ट मैनेजर (ओपरेशनस) ने पुलिस को सूचना दे दी। मैं एक बात के बारे में सहमत हूं कि सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया। उसे मैं स्वीकार करता हूं। परन्तु तब वह क्या करता रहा। वह पुलिस वालों के पास गया जो कि सुरक्षा लॉज में खाना खा रहे थे तथा उन्हें भी मामले की जानकारी दी। दुर्भाग्य से समाचार पत्रों में छपा है कि दो से अधिक बार टेलीफोन प्राप्त हुए। परन्तु जैसा कि मैंने बताया, मामले की पुलिस के महा-निदेशक द्वारा विशेष रूप से जांच हो रही है। निश्चित ही यह पता चल जायेगा। कि क्या दो टेलीफोन संदेश प्राप्त हुए थे। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही जांच के दौरान सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जायेगा जिसमें विदेशी हाथ का होना भी सम्मिलित है।

एक सत्य बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि बम विस्फोट इस देश की धरती पर हुआ है अतः इस देश के नियमों का पालन किया जायेगा। किसी बाहरी एजेंसी के इसमें संबद्ध किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके अलावा हमारी अपनी एजेंसियां ऐसी जांच के लिए सक्षम हैं तथा वे किसी भी तरह किसी से पीछे नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, क्या जांच से पता चल सकता है कि बम भारत में बना था अथवा विदेश में?

श्री खुर्शीद आलम खां : वे इस पर भी विचार करेंगे। वे सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह विस्फोट अत्यन्त शक्तिशाली था और समय किया हुआ था। वे इस पर भी विचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बहुत कम साक्षी उपलब्ध है। इस मामले में सेना तथा अन्य लोगों ने जो कुछ भी बचा हुआ माल था, उसे ले गये है तथा वे उस पहलु की भी जांच कर रहे हैं।

कादिरसेन ऐसा यात्री है जो अपना वापसी टिकट लेने काउन्टर पर आया था। तथा उसके बैग में अनुज्ञेय भार से अधिक समान था, तथा उसे अधिक भार के लिए शुल्क जमा करने को कहा गया था। अभी इस बात का पता लगाना है कि क्या उक्त नाम सही है अथवा नहीं। इस बारे में भी जांच हो रही है क्योंकि जो पते इत्यादि उसने बताये थे, वे जाली पाये गये हैं

(व्यवधान)

"वे वहां के स्थानीय लोगों से अभी भी पूछताछ कर रहे हैं।"

(व्यवधान)

इसमें पासपोर्ट का मामला भी था। यह जांच भी की जानी है कि क्या यह पासपोर्ट जाली था या असली था। जांच करने वाले लोग मद्रास के पासपोर्ट कार्यालय के जांच अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। इसके बाद यह सत्यापित किया जायेगा कि क्या वे सारी जानकारी एकत्र कर जांचे हैं या नहीं। मेरे माननीय मित्र ने दिल्ली की उस ट्रैवल एजेंसी का उल्लेख किया है, जिसने वह टिकट बुक किया था। उन्होंने मद्रास में अपना मुख्य कार्यालय बना रखा है और दिल्ली में अपना शाखा कार्यालय। उन्होंने उसके लिए 'एयर लंका' के लिए टिकट बुक करवाया था। टिकट इस देश में बुक करवाया गया। यह बताया जाता है कि वह टिकट मूलतः उस पुलन्दे में था, जो दिल्ली कार्यालय को आवंटित किया गया था। परन्तु ऐसा लगता है—यह मेरी धारणा ही है—कि यदि मद्रास कार्यालय में उनके पास टिकटें समाप्त हो जाती हैं, तो वे दिल्ली के स्टॉक में से टिकटें ले लेते हैं।

1.00 म. प्र.

जहां तक वर्तमान जांच और जानकारी का संबंध है, ऐसा लगता है कि टिकट वास्तव में मद्रास कार्यालय से ही जारी किया गया था। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ने ये ही मुख्य प्रश्न पूछे हैं, और मैंने इनको स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे मैं बाहर से बहुत ही मृदुल दिखाई दूं, परन्तु आप मुझे भीतर से सदैव अत्यन्त कठोर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत ही संतुष्ट प्रतीत होते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मद्रास हवाई अड्डे पर 2 अगस्त को हुई बम विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को केवलमात्र एक घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता और यह मद्रास हवाई अड्डे पर हुई किसी दुर्घटना का कोई अकेला मामला भी नहीं है। यह व्यापक रूप से फैली हुई है तथा मुझे भारत और श्रीलंका, इन दोनों देशों के पारस्परिक मैत्री सम्बन्धों के और बिगड़ने की आशंका है। यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच के विगत समय के मैत्री सम्बन्धों को देखते हुए मैं इस घटना से अधिक चिंतित हूं और इसीलिए इस घटना की विशिष्ट बातों तथा ब्यौरे में जाने से पहले, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और मन्त्री द्वारा दोनों सभाओं में दिये

गये वक्तव्यों को देखते हुए मैं समूची घटना के एक पहलू पर अपना गहरा आक्रोश और दु:ख व्यक्त करना चाहता हूं।

लोग अपनी मौत मरते है। लोग दुर्घटना में मरते हैं। यहां तक कि जो लोग हमारे विरोधी होते हैं और जब वे मरते हैं तो भी हम संवेदना प्रकट करने का भाव रखते हैं। इस सभा ने ऐसे अनेक व्यक्तियों के आकस्मिक और दु:खद निधन पर संवेदना प्रकट की है जो कभी भी इस सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। हम ऐसे लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यहां दिल्ली में ऐसा कोई व्यक्ति, जो मेरा परिचित नहीं है, अर्थात, दूसरी सभा का कोई सदस्य जो मेरा परिचित नहीं है दिल्ली में मर जाता है और वह भी किसी दुर्घटना में तो स्वाभाविक है कि मैं वहां जाना चाहूंगा और मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनके अनुसार उन तीस व्यक्ति मरे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 40 व्यक्ति मरे हैं। हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। उन 29 में से 24 व्यक्ति श्रीलंका के नागरिक थे। उनका दाह-संस्कार 6 अगस्त को मद्रास में हुआ। क्या मैं यह पूछूं कि क्या आपके पास इतना भी मानव हृदभ नहीं है? क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का रह कर्त्तव्य नहीं था? श्रीलंका के 24 नागरिकों 18 महिलाएं और 6 पुरुष-जिनमें बच्चे भी शामिल थे, के दाह संस्कार के समय उपस्थित होने के लिए या तो आपको जाना चाहिए था या आपको किसी अन्य मंत्री को वहाँ भेजना चाहिये था। मुझे खेद के साथ यह करना पड़ रहा है कि न तो कोई मन्त्री जो आपको मित्र सरकार हैं उस दाह-संस्कार के समय वहां उपस्थित था।

सामान्य परिस्थितियों में, इन शवों को विमान द्वारा श्रीलंका भेजा जाना चाहिए था। यदि ये शव श्रीलंका में भेज दिये जाते तो उससे श्रीलंका के लोग में आक्रोश भड़क उठता, हिंसा की घटनाएं और अधिक होती तथा तमिल भाषी लोगों का और भी दमन किया जाता। परन्तु आपने वहां जाकर उस मौके पर भी उपस्थित होने का सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाया। आप रामवटया कोई फूल-माला भेज सकते थे या किसी को वहां फूल-माला चढ़ाने के लिए कह सकते थे। फूलमाला भी चिता तक नहीं पहुंच पाई। फिर भी आप कहते हैं कि हम कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। न तो आप गये और न ही आपको तमिलनाडु की मंत्रिपरिषद किसी सदस्य को वहां जाने तथा वहां पर महिलाओं और बच्चों, जो बेकसूर मारे गये थे, के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्देश दिया हमारे प्रशासन की यह घार लापरवाही रही है कि ऐसी दुखद घटना हुई। इस पर में बाद में बोलूंगा। परन्तु मैं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट के अभागे पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने, उनकी चिता पर फूल-माला चड़ाने, के लिए वहां पर न जाने अथवा किसी का न भेजने की चूक के लिए उनकी भर्त्सना करता हूं।

तमिलनाडु के मुख्य सचिव, श्री चार्कलिगम के द्वारा समाचारपत्रा का दी गई जानकारी के अनुसार उन्हाने बताया है,

> "श्रीलंका के लोगों का एक वर्ग जा रोजगार के लिए बेरूत जाने हेतु बम्बई और वहां से आगे की यात्रा पर कोलम्बा से 2 अगस्त का रास्ते में मद्रास पहुचा था तथा मद्रास हवाई अड्डे के यात्री आगमन कक्ष में उपस्थित था। उन्हाने 2 अगस्त का कालम्बो से 17.30 बजे आने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमान से यात्रा की थी। उनका 3 अगस्त का एयर इंडिया के विमान से 05.00बजे बेरुत के लिए रवाना होंना था। इस समूह में 25 महिला एवं 6 पुरुष यात्री थे। इस

इस समूह में हताहता की संख्या और तत्सम्बन्धी अंतिम आंकड़े इस प्रकार हैं।"

वे कुल मिलाकर 31 व्यक्ति थे, 25 महिलाएं और 6 पुरुष। रास्ते के कुल यात्री-6 पुरुष, 25 महिलाएं, 6 महिलाएं, 1 महिला और 18 महिला--कुल 24,

आपने अपने वक्तव्य में ये आंकड़े क्या छिपाये हैं? आपने इन्हें आज अथवा पहले किसी अवसर पर क्या नहीं बताया? आप दोषी क्या महसूस करते हैं? अगर आप अपने वक्तव्य में यह उल्लेख करते हैं कि 29 या 31 मृतकों में 24 श्रीलंका के नागरिक थे ता इस पर दोषी महसूस करने की क्या बात है। शायद इसके कारण बाहर कहीं शत्रुता पैदा हो जायेगी। आखिरकार हर व्यक्ति का पता है कि इस समूह में से 24 लोग श्रीलंका के थे। आप इसे छिपाने की कोशिश क्या करते हैं? इससे तो अकारण आपके इरादों को गलत समझा जाएगा कि आप का भी इस मामले में हाथ रहा है, जबकि आपका हाथ नहीं है।

इसी प्रकार इसी पत्रकार सम्मेलन में मुख्य सचिव, श्री चोकलिंगम ने निम्न बात कही है :

"श्री चोकलिंगम बम की सूचना के बारे में आये टेलीफोन को लेकर कोई अनुमान लगाने से इन्कार कर दिया। एक कथन यह था कि शीघ्र ही होने वाले विस्फोट के बारे में हवाई अड्डे को तीन टेलीफोन कालें मिली, उन्होंने कहा।"

यह विस्फोट रात्रि के 10.52 बजे हुआ। इसके अलावा पहली सूचना, पहली फोन काल रात्रि के 9.50 बजे आई। विस्फोट 10.52 पर हुआ जो एक घंटे 2 मिनट से अधिक बाद था। और इसका मतलब यह था कि हवाई अड्डा अधिकारियों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये पूरा एक घंटा था, कि इस मामले में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है और बम वहां रखा गया था, जिससे विस्फोट हो सकता था। यह वह निश्चित जानकारी हो सकती है, जो श्री लीला सिंह को 9.50 बजे दी गई थी। और उन्होंने तुरन्त श्री के. के. गुलाटी, श्री के. कासिम, श्री कलीमुल्ला खां, श्री शिवप्रसाद जी श्री तमानी को इसकी सूचनां दी। श्री लीलासिंह ने 9.50 बजे जानकारी मिलते ही अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, जो भी हो को तुरंत अविलम्ब सूचित किया। यदि यह सूचना मिलने के तुरंत बाद आवश्यक कार्यवाही की जाती, तो उस विशेष क्षेत्र में व्याप्त स्थिति को देखते हुए कोलम्बो जाने वाले तथा वहां से आने वाले श्रीलंका के विमान आदि, और वह विशिष्ट सामान पीछे छोड़ दिया जाता, जो विमान रात्रि के लगभग 8.15 बजे विमान कोलम्बो के लिए उड़ान भरता। इसके एक घंटे 15 मिनट बाद यह सूचना आई और सामान छोड़ दिया गया, एक यात्री नहीं आया और यह जानकारी मिली, और यदि यह कार्यवाही तुरंत की जाती, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को बचाया जा सकता था।

महोदय, मैसर्स जॉनसन ब्रदर्स के श्री डी. पी. जैन, जो मेरे दिल्ली निवासी मित्र हैं, "ओपन हार्ट सर्जरी' कराने के लिए हौस्टन गए। उन्होंने मुझे बताया कि वह एक होटल में ठहरे हुए थे। एक चेतावनी कॉल आई ओर जब कभी कोई चेतावनी काल आती है तो समूचे होटल को लिफ्टों की मदद के बिना पन्द्रह मिनटों के भीतर खाली करवाना होता है। समूचे होटल को पन्द्रह मिनट में खाली करवाना था। मेरे मित्र सहित सभी लोग नीचे सड़क पर आ गए। वह भी, इस आपरेशन के बाद लिफ्ट के बिना पन्द्रह मिनटों में सड़क पर आ गये बाद में यह पता चला कि इस व्यवस्था के संचालन का परीक्षण करने के लिए जानबूझ कर यह झूठी काल की गई थी कि यदि कभी आग लग जाए तो क्या सभी व्यवस्थाएं ठीक से चलतीं हैं या नहीं, प्रशासन ने उनके कार्यकरण की जांच करने के लिए जान बूझ कर झूठी चेतावनी दी थी कि क्या वास्तविक आवश्यकता होने के समय पन्द्रह मिनटों के भीतर होटल खाली करवाया जा सकता है या नहीं। इन सरकारों के लिए कहा जा सकता है कि ये कार्य करने वाली सरकारें है, इस सरकार के लिए क्या कहा जाये? आधुनिक विज्ञान और औद्योगिकी ने मानव को इतना आगे बढ़ा दिया है कि वह डेढ़ घंटे में धरती का चक्कर लगा सकता है। आप उपग्रह की सहायता से डेढ़ घंटे में एक चक्कर लगा सकते हैं, आप धरती के चारों ओर की यात्रा कर सकते हैं, परन्तु यहां हवाई अड्डे से सात किलो मीटर दूर इन्द्र नगर से जो नजदीक ही रहते हैं, अधिकारी त्वरित

कार्यवाही करने के लिए नहीं मिलते हैं। आपने एक बहाना बता दिया है कि इंडियन एक्सप्लोसिव्ज के विशेषज्ञ को मुअत्तिल कर दिया गया है और वह भी तब जब एक ध्यानाकर्षण गृहीत कर लिया गया, यह कहने के लिए कि कोई न कोई कार्यवाही तो की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला दर्ज होने के चार दिन बाद स्थगन प्रस्ताव गृहित करते हैं और मान लीजिए यदि दो सप्ताह बाद अविश्वास का प्रस्ताव गृहीत करते हैं, तो संभवतया मंत्री का विभाग ही बदल जायेगा। इस प्रकार यह सरकार कार्य करती है। पूरे एक घंटे तक कोई नहीं आया। पुलिस अधीक्षक कहां था ? हवाई अड्डे के अधिकारी क्या कर रहे थे ? आपने उनको मुअत्तिल क्यों नहीं किया ? जब आपके पास सूचना थी और आप प्रथम दृष्टया संतुष्ट थे कि वह सूचना रात्रि के 9.50 बजे प्राप्त हुई है, तो वह सूचना श्री लीला सिंह, अथवा श्री गुलाटी, श्री काली राम, श्री शिव प्रसाद और अन्य लोगों को कब दी गई ? और इस सबके बावजूद आपने केवल एक व्यक्ति को हीं मुअत्तिल किया है, जो विस्फोटक पदार्थों का प्रभारी अधिकारी था, जिसे बुलाया गया और जिसके पास परिवहन का साधन नही था इसलिये वह आ नहीं सका, उसने अपने वरिष्ठ उप-अधिकारी को पता लगाने के लिए भेजा। परन्तु वह भी नहीं आया इसके अलावा, जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, घटना स्थल पर पहुंचने वाले केवल उप-निरीक्षक थे, कोई पुलिस अधीक्षक या उपाधीक्षक नहीं था। जहां तक आपके हवाई अड्डे के कर्मचारियों का सम्बन्ध है: उन्होंने सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग करने के बजाय-जैसा कि यहां ठीक ही कहा गया है—सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली वहां विद्यमान है—, आपने यह कह कर "जी; हां, इसका उपयोग किया जा सकता था, सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली जिसका उपयोग किया जाना चाहिये था।" बहुत ही अनमना-सा उत्तर दिया है। इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया ? यदि इस प्रकार के अवसरों पर भी सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता फिर वह प्रणाली है किस उद्देश्य के लिए ? यह केवल इसीलिए नहीं है कि कुछ यात्रियों को बुलाया जाये या सुरक्षा संबंधी जांच के लिये कोई सूचना दी जाये या इस कक्ष या उस कक्ष में जाने की सूचना दी जाये। यह निश्चित जानकारी, जो हवाई अड्डा-अधिकारियों को रात्रि के 7.30 बजे या इसके आस-पास मालूम थी, इसलिये 8.5 बजे के बाद यह पता लगाया जा सकता था कि क्या श्रीलंका का विमान कोलम्बो के लिये रवाना हो गया है या नहीं। लगभग 8.50 बजे यह पता लगाया गया कि एक यात्री नहीं आया है। उसका सामान पड़ा हुआ था। विमान में उनकी पहचान नहीं की जा सकी, उनको वापस प्रस्थान कक्ष में लाया गया, उनको आगमन कक्ष में भेजा गया। और आप को यह सूचना लगभग 9 म. प. पर मिली थी। समस्त पृष्ठ भूमि तथा श्रीलंका और तमिलनाडु, में विद्यमान स्थिति के संदर्भ में मैं इस समय उस पहलू के बारे में नहीं कहना चाहता मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं कि कौन किस बात के लिए उत्तरदायी है। किन्तु उस विशेष स्थिति तथा पृष्ठ भूमि में जब आप को सूचना प्राप्त हुई थी, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला ? यदि इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर म, प. अथवा 10 बजे घोषणा कर दी जाती कि हवाई अड्डे को खाली कर दिया जाये तो मेरे विचार में फोन प्राप्त होने के पश्चात पांच मिनट के अन्दर हवाई अड्डा पूरी तरह खाली किया जा सकता था। बाहर से आने वाले यात्रियों के कक्ष को तुरन्त खाली कराने के लिये क्या पग उठाये गये ? उन्हें वहां क्यों रहने दिया गया। आप उन्हें नहीं बचा सके। यदि सार्वजनिक घोषणा की गई होती, तो इतने अधिक व्यक्तियों की मृत्यु न हुई होतीं। मद्रास हवाई अड्डे पर सुरक्षा बनाये रखने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों की और से पूरी तरह से लापरवाही बरती गया है। वे इन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिए था।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं यह नहीं कहूंगा। अब हमारे बीच श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति नहीं हैं। इस देश में वह ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था हालांकि वह उस रेलगाड़ी के चालक नहीं थे। एक रेल दुर्घटना हुई और उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली क्योंकि वह रेल विभाग के प्रभारी मंत्री थे।

यह एक दुभार्ग्यपूर्ण दुर्घटना है। इसी प्रकार की एक दुर्घटना श्रीनगर में भी हुई थी। वहां भी आप जाँच करवा रहे हैं। वहां की राज्य सरकार जांच करवा रही है। आप भी नागर विमानन के महानिदेशक के अधीन जांच करवा रहे हैं। वह क्या करेंगे वह तो आपके उसी विभाग का ही अंग हैं जो मुख्यतः इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के लिए जिम्मेदार है। आपको न केवल इसके संबंध में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करवानी चाहिए थी, बल्कि इस पर भी विचार करना चाहिए था कि हाल ही में जम्मू तथा कशमीर में भी वैसी घटना घटी है। यह भी एक भूल थी। कुछ पुलिस के सिपाहियों को निलंबित कर देने मात्र से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी हवाई अड्डों पर आपका सुरक्षा प्रबन्ध उतना कड़ा नहीं है जितना कि संसद भवन में आने वाले संसद सदस्यों के लिए है। लोग आते जाते रहते हैं। वे विमान तक जा सकते हैं। संसद सदस्य नहीं जा सकते। वहां बहुत अधिक लापरवाही है।

(व्यवधान)

आपको यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि मृतकों की संख्या 29 है अथवा आप जांच के पश्चात् इस संख्या की पुष्टि करेंगे। आपको यह भी अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि मृतकों में से कितने श्री लंका के थे, कितनी महिलायें थीं और कितने बच्चे थे। क्या मेरे पास जो आंकड़े, कि श्री लंका की 18 महिलायें और 6 पुरुष थे, सही हैं। क्या यह भी सच है कि दो सेमसोनाईट डिब्बों अथवा बक्सों को जान-बूझ कर छोड़ दिया गया था और उन पर एक लेबल मद्रास-कोलम्बो-पेरिस तथा दूसरा लेबल मद्रास-कोलम्बो-लंदन लगा था। इसका अर्थ यह है कि ये सूटकेस अथवा बक्से या बैग इस विमान द्वारा कोलम्बो जाते थे और वहां से सीधे दो विमानों को जाते थे जो पेरिस तथा लंदन से आते थे। वहां से उन्हें अलग-अलग किया जाना था एक इस विमान में और दूसरा उस विमान में। यदि यह योजनाबद्ध षडयंत्र है चाहे यह किसी ने भी किया हो, चाहे वह आपका व्यक्ति या मेरा व्यक्ति है अथवा श्री लंका का है, इस्राइल का है अथवा तामिल का है। तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के भर्तसना करूंगा कि आतंकवाद तथा हिंसा की निन्दा की जानी चाहिये। हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब तक हम इस देश में अपनी राजनैतिक विचार-धारा में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तब तक मेरे विचार में हम अपनी अपनी समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं होंगे। इस विमान की उड़ान कोलम्बो से लगभग 11 म०प० अथवा 11.15 म०प० होती थी। क्या यह सच नहीं है कि 200 सम्बन्धी तथा व्यक्ति कोलम्बो से मद्रास शवयात्रा में भाग लेने के लिये आये थे और केन्द्रीय सरकार की ओर से उन बदकिस्मत मृतकों के जिनमें बच्चे और महिलायें भी थीं, उन 200 सम्बन्धियों को सान्तवना देने के लिए कोई भी मद्रास नहीं गया ?

क्या कोई शवपरीक्षा की गयी जो सामान्यतः की जाती है ? मेरी सूचना यह है कि ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके टुकड़े-टुकड़े हो गये थे । किन्तु मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कोई शवपरीक्षा हुई थी, क्या उन मृतकों के चित्र लिये गये थे ताकि न्यायालय में कोई मामला बनाया जा सके ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल, चूंकि दो जांचों के आदेश दिये जा चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि मन्त्री महोदय उन सभी प्रश्नों के उत्तर कहां तक दे सकती हैं जिससे कि जांच पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

श्री सतीश अग्रवाल : वह कोई जांच नहीं है, यह तो केवल एक समिति है जो गठित की गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना तो यह है कि यदि सरकार द्वारा इन तथ्यों के बारे में कोई विस्तृत उत्तर दिया जाता है, तो इससे जांच पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

श्री सतीश अग्रवाल : तब तक जांच अधिकारी क्या करेगा जब तक उसे मूल सामग्री उपलब्ध नहीं की जाती ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब सरकार यह सब सूचना दे देती है तो जांच के बारे में क्या होगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : कौन सी जांच ? कोई न्यायिक जांच नहीं हो रही है, यह तो केवल एक विभागीय जांच है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं । वह सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह बात तो मन्त्री महोदय को कहनी चाहिए । उन्हें ये बातें

उपाध्यक्ष महोदय : कई ऐसे नाजुक प्रश्न है ।

श्री सतीश अग्रवाल : इन प्रश्नों में कोई नजाकत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे नहीं समझते हैं ; तो ठीक है । मैं तो आपको प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं । जब किसी जांच का आदेश दे दिया जाता है, चाहे यह विभागीय जांच हो अथवा न्यायिक जांच तो सरकार से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि सरकार उत्तर देती है अथवा वह उत्तर नहीं देती है, तो इसका जांच पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । यह तो केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए है ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या आपका अभिप्राय वह सुझाव देने का है कि जांच होने तक इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ? इसके अतिरिक्त आप के कहने का अभिप्राय यह है कि अध्यक्ष महोदय ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करके गलती की है।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय ने इस विषय के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति इस लिए दी है क्योंकि उसमें वाद-विवाद नहीं हो सकता, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। उसी कारण से ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विचारार्थ गृहीत किया गया है अन्यथा नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी जा सकती है।

श्री सतीश अग्रवाल : किन्तु एक प्रश्न पर 23 मिनट नहीं लगते।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह एक ध्यानानकर्षण प्रस्ताव है क्या मुझे यह बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए ?

श्री सतीश अग्रवाल : मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, यदि वह उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो वह यह कह सकते हैं कि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते क्योंकि तमिलनाडु में एक केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा एक उच्चस्तरीय जांच की जा रही है।

अब मैं इस व्यवस्था के बारे में कहूंगा। जब किसी को हवाई अड्डे पर फोन मिलता है, चाहे यह मद्रास हो, कलकत्ता, बम्बई अथवा दिल्ली हो; तो क्या इसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और यदि इसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, तो इसे कौन दर्ज करता है, वह क्या कार्यवाही करता है ? मेरे विचार में उन्हें इस रजिस्टर के अनुसार जानकारी मिल गई होगी।

महोदय, अब मुआवजे के बारे में क्या हुआ है ? आपकी सूचना के अनुसार फायर आपरेटर. जासुदास को 22,000 रुपये मुआवजे की स्वीकृति दी गयी है और तीन मृत सीमाशुल्क अधिकारियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में मंजूर की गयी है। यदि कोई व्यक्ति विमान यात्रा करते हुये विमान दुर्घटना में मर जाता है तो सम्भवतः उसे 100,000 रुपये अथवा 150,000 रुपये की राशि दी जाती है, किन्तु यदि वह विमान में सवार होने से पूर्व वह आपके हवाई अड्डे में होता है उसे सवार होने की अनुमति दी जाती है, उसे सवार होने का कार्ड मिल जाता है और उसने विमान में सवार होने के लिए जाना होता है, तो क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि तब क्या उसे 100,000 या 150,000 रुपये की राशि को प्राप्त करने के लिए विमान में जाना चाहिए और वहां मरना चाहिए ? यदि वह हवाई अडडे पर मरता है तो उसे एक

पाई भी नहीं मिलती है, उस स्थिति में उसके प्रति सम्बेदना भी प्रदर्शित नहीं की जाती है और उसकी ओर मन्त्री अथवा वरिष्ठ व्यक्तियों का ध्यान भी नहीं जाता है। आप एक ऐसा उपबन्ध क्यों नहीं कर देते हैं कि जब एक बार कोई यात्री हवाई अड्डे के कार्यालय में प्रवेश कर लेता है, तो उसे किसी भी क्षति हेतु बीमाकृत समझ लिया जायेगा। उस तरह करने से आपकी विभिन्न सीमाएं हो सकती हैं। आप को अवश्य ही उस का उपबन्ध करना चाहिए। आपको अवश्य ही सुझाव मांगने चाहिए और उन पर विचार करके दृढ़ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आजकल और आने वाले दिनों में इस देश में इस प्रकार के प्रशासन संचालन के होते हुये मैं अनेक और विमान अपहरण तथा अनेक और विस्फोटों की संभावना को रद्द नहीं कर सकता। अतः, आप को चाहिये कि इस बात की ओर आप ध्यान दें।

आपको नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा की जा रही जांच को बन्द करना होगा। आपके प्रयोजन के लिए विभागीय जांच ठीक हो सकती है। किन्तु इससे क्षेत्रों, उद्देश्यों, तरीकों आदि को जान लेना सम्भव नहीं होगा जब तक आप इसकी तथा अन्य दुर्घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच का आदेश नहीं दे देते हैं। विचारार्थ विषयों में यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि हवाई अड्डे की सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस-प्रकार का तंत्र होना चाहिए। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि इस चर्चा के दौरान मेरे द्वारा उठायी गयी बातों पर मन्त्री महोदय सभा में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य को इतने सारे सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि जब मामले की जांच हो रही है पब इस सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए ऐसा करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा।

मेरे पास मारे गये व्यक्तियों की संख्या है। राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार, 29 लोग मारे गए हैं और 38 घायल हुए हैं। उनकी राष्ट्रीयता के बारे में एक मत राय नहीं है। मैं दोनों राय बताऊंगा। एक 22 और 7 है तथा दूसरी 23 और 6 है अतः जब तक इसकी पुष्टी न हो जाए कि यह 22 और 7 है अथवा 23 और 6 तब तक मैं इन्तजार करना चाहूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : 23 श्री लंका वासी हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने इसका उल्लेख किया है। जहां तक दाह-संस्कार में भाग लेने के लिए आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि उनके आने से पहले ही मैंने आदेश दिया है कि श्री लंका से आने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को श्री लंका से मद्रास तथा वहां से वापसी की दो टिकटें दी जाएंगी। यदि वे यहां ठहरना चाहेंगे तो हम उन्हें 500 रुपये भी देंगे। हम उनके ठरहने की निःशुल्क व्यवस्था भी करेंगे। हमने श्री लंका

स्थित अपने कार्यालय की मार्फत उन्हें सूचित किया है । अपने वायुयान से आने के कारण उन्होंने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया । हमने हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की और उनके लिये जलपान तथा श्मशान भूमि तक जाने और वहां से वापस लौटने के लिए सवारी की व्यावस्था की । जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है हमने यह व्यवस्था भी की थी कि हमारे अधिकारी वहाँ उपस्थित रहें, लेकिन वे वहां पहुंच नहीं सके । हमने यह भी व्यवस्था की थी मंत्रालय की ओर से पुष्पांजली अर्पित की जाए । दुर्भाग्यवश, उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री खुर्शीद आलम खां : अन्दर इसकी अनुमति नहीं दी गई ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसने अनुमति नहीं दी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : वहां तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने ।

श्री सतीश अग्रवाल : तमिलनाडु सरकार द्वारा ?

श्री खुर्शीद आलम खां : वे नहीं चाहते थे ।......

(व्यवधान)

जहां तक सुरक्षा कर्मचारियों का संबंध है, जैसा कि मैं अपनें मुख्य विवरण में उल्लेख कर चुका हूं । पुलिस अधिकारी राज्य सरकार के थे, इसलिए मैं उनके निलंबन के तुरन्त आदेश नहीं दे सका । लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है और वे आवश्यक कार्रवाई के लिए सहमत हो गए हैं । हमने ये सारी कार्रवाई इसलिए नहीं की है कि यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, वस्तुतः हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है और पहले ही कार्रवाई की है ।

उस विस्फोट अधिकारी के निलंबन के बारे में, आपको मालूम है कि उक्त अधिकारी मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है । वह अधिकारी उद्योग मन्त्रालय के अधीन है और मैंने उद्योग मन्त्री को लिखा है कि उक्त अधिकारी को निलंबित करना आवश्यक है । मुझे इस पर खुशी है कि मेरे सहयोगी की तुरन्त प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने उसे निलंबित कर दिया है ।

जहां तक श्री गुलाटी का संबंध है, उसके विरुद्ध पहले ही कार्यवाही की चुकी है और मैं श्री गुलाटी को माफ करने नहीं जा रहा हूं उनके पदभार से मुक्त किए जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें अपने उत्तरदायित्व का जवाव नहीं देना पड़ेगा । उन्हें इसका जबाब देना पड़ेगा ।

जहां तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, जो 20,000 रुपये हमने ड्राइवर को दिए हैं, वह क्षतिपूर्ति नहीं है । यह अनुग्रह राशि है और क्षतिपूर्ति का दावा वे कर सकते हैं । जहां तक सीमा शुल्क अधिकारी को भुगतान किए गए 50,000 रुपये का सम्बन्ध है, सीमाशुल्क अधिकारी क्षतिपूर्ति भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिये उन्हें यह राशि दी गई है । मुझे मालूम नहीं है कि उनके मामले में आगे और कुछ किया जाएगा । लेकिन ड्राईवर के मामले में, उसे निश्चित रूप

से उपयुक्त मुआवजा मिलेगा । इतना ही नहीं, यदि उसके बच्चे रोजगार प्राप्त करने की उम्र के हैं तो उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

जहां तक यात्रियों को क्षतिपूर्ति निए जाने का संबंध है, यह वायुयान हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का भवन भी बीमाशुदा है और मैंने वायु निगम को कहा है कि वे इस मामले पर मानवीय अधार पर विचार करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे इस प्रकार करना चाहिए कि इन्हें क्षतिपूर्ति मिले। वे बीमा अधिकारियों के सम्पर्क में है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लिये सहानुभूतिपूर्वक काम किया जाएगा ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, कि की गई कार्यवाही के बारे में कतिपय नियम-कानून हैं । जब भी किसी वायुयान में अथवा हवाई अड्डे पर बम्ब रखे जाने की अफवाह होती है, इस सम्बन्ध में नियम-कानून निर्धारित किये गए हैं इसके अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना पड़ता है और तदनुसार ड्यूटी पर तैनात ने उन्हें सूचित किया और उसके पास एक टेलीफोन पुस्तिका भी है जिसमें वह उन व्यक्तियों के नाम तथा टेलीफोन नम्बर दर्ज करता है, जिन्हें सूचना दी गई है। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस घटना की जांच न केवल हमारे द्वारा बल्कि राज्य सरकार द्वारा भी गंभीरता से की जा रही है और जांच पुलिस महानिदेशक (सी० आई० डी०) के तहत चल रही है। वह एक अनुभवी अधिकारी हैं और जिस तरीके से वे जांच कार्य कर रहे हैं मैं उनसे संतुष्ट हूं । गृह सचिव तथा मुख्य सचिव को भी इस जांच कार्य में सहयोजित किया गया है । और वस्तुतः कल गृह सचिव अद्यतन स्थिति का ब्यौरा देने दिल्ली आए थे और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वे कतिपय सुराग के आधार पर जांच कार्य कर रहे हैं तथा शीघ्र वे कुछ नतीजें पर पहुंच जाएंगे । अतः, मैं आशा करता हूं । कि आप भी मेरे साथ होंगे और इससे ज्यादा इस समय कहना संभव नहीं है जो बाद में जांच में सही न पाया जाए ।

श्री सतीश अग्रवाल : आप न्यायिक जांच का आदेश क्यों नहीं देते ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस मामले में न्यायिक जांच बैठाने क्या फायदा होगा जबकि राज्य में उच्चतर स्तर पर जांच हो रही है और राज्य सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है। इसके अलावा, जहां तक विभागीय जांच अधिकारी का संबंध है, महानिदेशक नागर विमानन से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : इससे विमान-अपहरण, बम-विस्फोट तथा अन्य मामलों में सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में आपको सहायता मिलेगी। आपको कतिपय ठोस सुझाव प्राप्त होंगे ।

श्री खुर्शीद आलम खां : हम दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार महीनों से प्रत्येक सप्ताह हमारी बैठक हो रही है और सभी मुख्य मंत्रियों को

टेलेन्स भेज रहे हैं। हवाई अड्डे पर सुरक्षा राज्य पुलिस की सहायता से की जाती है। इसलिये हम सभी हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों तथा सुरक्षा कार्मिकों को सचेत रहने के लिये टेलेन्स सन्देश भेज रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए तथा सभी संभव उपाय किये जा सकें।

हमने हस्तचालित धातु खोजी यंत्र, द्वार प्रतिष्ठापित धातु खोजी यंत्र की व्यवस्था की है तथा नाजुक हवाई अड्डों पर "लेडर पाइन्ट" पर भी धातु खोजी यन्त्र की व्यवस्था की है।

उपाध्य महोदय : श्री जैनुल कशर, मैं सभी तीनों सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अधिक समय न लें, क्योंकि । घंटा का समय पहले ही समाप्त हो गया है। कृपया मुझे नया मुद्दा उठाने दें।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना जो मद्रास हवाई अड्डे पर घटी है, उससे सब लोगों की आंखें खुल जाती हैं। मैं सबसे पहले मन्त्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो आजकल वातावरण चल रहा है उग्रवादियों का, चाहे वह उत्तर में हो, चाहे वह दक्षिण में हो, चाहे पश्चिम में हो, इस वातावरण को देखते हुए क्या गृह मन्त्रालय की तरफ से या उनके विभाग ने इस सम्भावना पर विचार किया है कि एयर पोर्ट पर या हाईजैकिंग के मामले में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आखिर क्या कुछ तैयारी की गई थी या नहीं की गई थी। अगर इस प्रकार की संभावना पर विभाग ने विचार नहीं किया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर विभाग ने विचार किया और कोई कार्यवाही रोकथाम के लिए नहीं की गई तो यह अपने कर्त्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन न करना होगा।

उपाध्यक्ष जी, मद्रास एयर पोर्ट पर जो कुछ हुआ, वह लापरवाही का नतीजा है। उससे यह साबित होता है कि इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। यह घटना मद्रास एयर पोर्ट पर भी हो सकती थी, बम्बई एयर पोर्ट पर भी हो सकती थी। कलकत्ता एयर पोर्ट पर भी हो सकती थी। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था मैं समझता हूं किसी एयर पोर्ट पर नहीं थी।

मद्रास कोई छोटी जगह नहीं है। कोई छोटा सा एयर पोर्ट नहीं है। सब प्रकार की व्यवस्था वहां पर मौजूद है। सब प्रकार के विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उसके बावजूद यह घटना घट गई। जैसा कि मान्य सदस्य ने बताया है, मैं उसके डीटेल में न जाकर थोड़ी-सी बात कहूंगा। सारी सूचनाएं उपलब्ध थीं, सब कुछ था लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि वहां पर जिस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया जाना चाहिए था, उस प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया गया।

बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, इसके लिए हम सब लोग शर्मिन्दा है। सबको शर्म आनी

चाहिए । यह घटना बचाई जा सकती थी । लोगों को मरने से रोका जा सकता था थोड़ी सी भी अक्ल होती तो यह सारी कार्यवाही रुक सकती थी । अब तो हमारी आंखें खुल गई हैं और आगे से इस प्रकार की घटना किसी भी एयर पोर्ट पर न हो पाए, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कौनकौन से उपायसुझाए जा रहे है ? इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि मन्त्री जी विभागीय स्तर पर बहुत भले और एफिशियन्ट आदमी हैं । लेकिन वह अपने विभागीय स्तर पर देखें कि किस मामले में किस प्रकार से गैर-जिम्मेदारी वरती गई है ? उनके स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि "मद्रास हवाई अड्डे के महा प्रबन्धक को भी टेलीफोन पर विस्फोट की चेतावनी दे दी गई थी । यह बताया गया है कि उसके परिवार के सदस्यों ने यह सूचना उसे नहीं दी क्योंकि वह वीमार था और आराम कर रहा था । तथापि, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि कुछ समय से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसने सेवा-निवृत्ति से पहले की छुट्टी के लिए आवेदन किया था यह महत्वपूर्ण पद है जिसमें शरीरिक और मानसिक दवाव वाली जिम्मेवारियां होतीं हैं । इसलिए उसे 8 अगस्त, 1984 से अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है" । यह अधिकारी बीमार था । छुट्टी लेना चाहता था । अवेादन पत्र भी रखा था और विभाग कहता है कि यह महत्वपूर्ण पद है । उसके बावजूद भी उसकी छुट्टी पहले क्यों नहीं मजूर की गई ? पहले से ही जब वह आदमी काम करने लायक नहीं था तो इस महत्वपूर्ण पद पर उसको छुट्टी देकर किसी ठीक आदमी को रखा जा सकता था । यह छुट्टी की दरख्वास्त कहां आई थी और कौन इस पर विचार कर रहा था ? सिर्फ मद्रास एयरपोर्ट पर जो लोग बैठे हैं, उन्हीं की गलती नहीं है बल्कि उनके विभाग के जो अधिकारी यहां पर हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा । मंत्री जी यह बताएं कि क्या दिल्ली के किसी अधिकारी के पास मद्रास से कोई सूचना आई थी या नहीं ? अगर सूचना आई थी तो यहां बैठे हुए उस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यह सारी घटना आंख खोलने वाली है । मंत्री जी कहते हैं कि जांच चल रही है । मैं, इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं । बहुत छोटे-छोटे मामलों में अदालतों या सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाती है । मैं चाहता हूं कि अगर अदालती जांच संभव न हो क्यों नहीं कराई जाती ? मद्रास पुलिस ही सबसे ज्यादा दोषी है । पहले दिन के स्टेटमेंट में भी यह बताया गया था कि अधिकारियों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी आफिसर्स को तुरन्त सूचना दी । कमीश्नर और डिप्टी कमीश्नर को भी सूचना दी । लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । अगर तमिलनाडु की पुलिस जांच करेगी तो सारे समाज में यह शुबहा हो सकता है कि यह जांच निष्पक्ष नहीं थी । कोई परेशानी है, देर हो सकती है तो फिर आप सी० बी० आई० से जांच क्यों नहीं कराना चाहते । सी० बी० आई० की जांच भी इस मामले में कराई जा सकती है ।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह आंख खोलने वाली घटना हो गई है । उस घटना की फिर पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं क्योंकि यह एयरपोर्ट सीक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है । क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि राज्य सरकारों से यह जिम्मेदारी ले ली जाए । क्योंकि आये दिन हम यह सुनते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों की पुलिस की उग्रवादियों के साथ सांठ-गांठ है । पंजाब से भी हमें यही शिकायत सुनने को मिली, कश्मीर

से भी सुनने को मिली, हो सकता है तमिलनाडु में भी वैसी कुछ बात हो। आसाम से भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसलिए राज्यों की पुलिस की उग्रवादियों के साथ सांठ-गांठ की चर्चा हमें आम सुनाई दे रही है। क्या वह समय नहीं आ गया जबकि हमें एअरपोर्ट की सीक्योरिटी का कार्य राज्य सरकारों से लेकर केन्द्रीय पुलिस फोर्स को दे देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विषय पर मन्त्रालय में विचार-विमर्श हो रहा होगा। हमारे यहां कई फोर्सेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सीक्यूरिटी फोर्स है, सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और कल हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे कि नेशनल गार्डस के नाम से एक नई फोर्स बनाने जा रहे हैं, उनमें से किसी को यह काम सौंपा जा सकता है। क्योंकि जब पंजाब के आदमी लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ के आदमी कलकत्ता में रहेंगे और कलकत्ता के आदमी मद्रास में रहेंगे तो उससे हमारी एअरपोर्ट सीक्यूरिटी मजबूत हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : दक्षिण में मुझे मालूम है कि मद्रास पुलिस न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक सर्वोतम पुलिस है।

श्री जैनुल बशर : मैं यहां मद्रास पुलिस की कोई शिकायय नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह पंजाब में हो सकता है; कश्मीर में भी इसी प्रकार के इलजाम वहां की पुलिस पर लगाए गए हैं, आसाम में भी लगाए गए हैं। इसलिए हमें इस चीज को एक साथ देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि क्या अब वह समय नहीं आ गया जब कि हमें एअरपोर्ट सीक्यूरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों से लेकर किसी केन्द्रीय पुलिस फोर्सेज में से एक फोर्स के हवाले कर देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालें।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जो भी यात्री हवाई जहाजों से सफर करते हैं, उनका सीक्यूरिटी चैक तो होता ही है कि वे जो कुछ अपने हाथ में लेकर जाते हैं, उसको देखा जाता है, उसकी सुरक्षा-जांच होती है। वह तो ठीक है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो समान वे जहाज में लादने के लिए एअरपोर्ट पर छोड़ देते हैं और वह अलग से समान के कक्ष में जाता है, उसकी कोई जांच नहीं होती। यहां बड़े-बड़े एअर पोर्टस की मैं बात नहीं करता, उनके बारे में मुझे ठीक तरह से पता नहीं, लेकिन छोटे एअरपोर्टस पर कहीं भी ऐसी मशीनरी नहीं जो यह बता सके कि उस सामान-कक्ष को ले जाए जाने वाले समान में क्या है। कम-से-कम मैंने तो कहीं नहीं देखा। क्योंकि मुझे भी कई बार विभिन्न एअरपोर्टस से चढ़ना और उतरना पड़ता है, वहां कोई इस तरह की जांच मशीन नहीं है जो यह बता सके कि फलां बैग के अन्दर क्या है? हो सकता है किसी में टाइम बम रखा हो और जहाज पर जाने के बाद वह फट जाए, यहां जहाज पर चढ़ते समय फट जाए अथवा एअरपोर्ट पर ही कहीं फठ जाए। इस प्रकार की किसी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि किसी बिदेशी एअरपोर्ट पर भी इस प्रकार की मशीन की व्यवस्था है या नहीं, लेकिन हिन्दुस्तान में विभिन्न एअरपोर्टस पर हम जो समान, सामान-कक्ष में ले जाए जाने के लिए छोड़ कर आते हैं, उस की जांच का कहीं प्रबन्ध नहीं है कि कहीं उसमें एक्सप्लोसिव तो नहीं है, उसमें कहीं बम तो नहीं छिपाया हुआ है। कोई देखने की कोशिश नहीं की जाती कि बंद थैले में क्या है, सिर्फ उस पर टैग लगाकर छोड़ दिया जाता है। क्या सरकार

एअरपोर्टस पर ऐसे सामान की सुरक्षा जांच कराने के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है या करने वाली है ? यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । हर एक एअरपोर्ट पर ऐसी एक मशीन होनी चाहिए, जिसके सामने से किसी सामाल को गुजार देने पर उसके अन्दर की वस्तुओं की जानकारी मिल जाए कि कहीं उसमें एक्सप्लोसिव तो नहीं छिपाया हुआ है, कोई बम तो नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की व्यवस्था मन्त्री जी करवाने जा रहे हैं या नहीं ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की मन्त्री जी की तारीफ करना चाहता हूं और मैं उनको अच्छी तरह से जानता भी हूं जब भी उनकी नजर में कोई ऐसी बात आती है, कोई चीज उनके सामने रखी जाती है तो वह पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उस काम को करते हैं । इसमें भी उन्होंने जो कार्यकाही की है वह ठीक की है और शख्त कार्यवाही की है । उनके जैसे आदमी से हमें उम्मीद थी जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है और जवाब में भी कुछ छुपाया नहीं है, और इस प्रकार का स्टेटमेंट सरकार की तरफ से बहुत कम आता है जिसमें यह भी बात बता दी गई हो, इतनी सख्त कार्यवाही सरकार ने की हो। लेकिन उनको कार्यवाही कानून की लिमिटेशन्स में करनी होगी । मैं समझता हूं जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा मन्त्री जी उसको कभी माफ नहीं करेंगे और आगे ऐसी दुर्घटना न घटे इसके लिए तत्परता से कोशिश करेंगे और जितना भी वह कर सकते हैं जरूर करेंगे ।

श्री खुर्शीद आलम खां : उप सभापति महोदय, मैं……

उपाध्यक्षा महोदय : आप प्रारम्भ में ही गलती कर रहे है, मैं उपाध्यक्षा हूं न कि उप सभापति ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे खेद है । मैं राज्य सभा में ज्यादा होता हूं ……

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप राज्य सभा सदस्य है । इसलिए आप इस सभा की तुलना में उस सभा में ज्यादा रहते हैं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : अगली बार मैं यहां आऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप विश्वास माने कि सभी दोषी अधिकारियों-चाहे वे किसी भी विभाग के क्यों न हों—जांच के निर्णयों के अनुसार उचित सजा मिलेगी और उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जायगी ।

जहां तक हमारे द्वारा किए गए सतर्कता उपायों का सम्बन्ध है, हम आरम्भ से ही 'सतर्क प्रणाली' के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और हवाई अड्डे पर तैनात प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विभाग, प्रत्येक प्रभाग को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, विशेषकर बम्ब रखे जाने तथा विमान अपहरण के मामले में इस सम्बन्ध हमने 26 महत्त्वपूर्ण हवाई अड्डों पर एक्स-रे मशीन लगाई हैं जो हैन्ड-बैगों का एक्स-रे फिल्म लेती हैं तथा 92 द्वारा प्रतिस्ठपित धातु खोजी लगाए हैं, जिनसे धातु रखे

जाने का पता चलता है इसी प्रकार 246 हाथ मे ले जाये जाने वाले धातु संसूचक हैं जो तलाशी को समय संकुचित कर सकते हैं। हमारे पास सीढ़ियों से चढ़ते-उतरते समय पता लगाने के लिए हाथ से ले जाए जाने वाले धातु संसूचक भी हैं। हमने ये पूर्व सावधानियां बरती हैं। इसके अलावा हम डम्मी चेक्स भी करते हैं। हमारे अधिकारी लोग खुद अपने हथियार ले जाते हैं और उनकी जांच करते हैं कि उनका पता लगता है या नही। और इस तरह बहुधा हम जब डम्मी चैक्स करते हैं या हमने किए हैं तो हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत सतर्क थी।

मद्रास पुलिस के बारे में आपने जो भी कहा उससे मैं भी सहमत हूं। वह बहुत ही दक्ष पुलिस बल है। इसकी जांच सी० आई० डी० के पुलिस डायरेक्टर जनरल द्वारा की जा रही है जो एक बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। स्वभावतः यदि आवश्यकता हुई या अगर वे ऐसा समझें कि किसी दूसरे इंटेलीजेंस एजेंसी से परामर्श करना जरूरी है तो वे उनसे परामर्श करेंगे। इसमें कोई बन्धन नहीं है। जब कभी ऐसी जांच-पड़तालें की जाती हैं और खासकर ऐसी महत्वपूर्ण जाचें, सभी इन्टेलीजेंस एजेंसियां एक दूसरे की मदद करती हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं। इस लिए मेरे माननीय मित्र निश्चित रहें अगर आवश्यक हुआ तो वह निश्चित रूप से दूसरों की सहायता भी लेंगे। जहां तक पुलिस द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल का सम्बन्ध है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मैं समझता हूं उसे उचित रीति से किया जायेगा। ऐसी कोई बात कहना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा कि राज्य पुलिस सक्षम नहीं है और इस मामले को केन्द्रीय पुलिस को अन्तरित किया जाना चाहिए। अब जिस किस्म की पुलिस, विशेष पुलिस बटालियन या विशेष पुलिस कम्पनियां बनायी जा रही हैं वे वस्तुतः भिन्न किस्म की हैं। वे साम्प्रदायिक दन्गों से निपटते हैं और उनका प्रयोग साम्प्रदायिक गड़बड़ियों को दबाने के लिए किया जाता है। इस समय हमारे पास ये अधिकारी राज्य पुलिस के हैं और इसका फायदा यह है कि वे थोड़े समय के लिए आते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। वे स्थायी रूप से वहां नहीं होते हैं जिससे कि वह कोई निहित स्वार्थ विकसित कर सकें या उस स्थान पर हमेशा रहना चाहें।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम समूचे मामले के बारे में बहुत सतर्क हैं और बम-दहशत और विमान अपहरण के बारे में हम सभी आवश्यक पूर्व सावधानियां बरत रहे हैं। और राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और मैं बार-बार राज्य के मुख्य मन्त्रियों को पहले से संदेश भेजता रहा हूं और मुझे खुशी है कि मुख्य मन्त्री आशानुकूल कार्यवाही करते हैं और उनकी पत्रिक्रियाएं बहुत अनुकूल होती हैं।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने मांग की थी ......

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने सरकार से मांग की थी ?

प्रो० रूपचन्द पाल : आपसे और आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कि जब इस ध्यानोकर्षण पर वाद-विवाद हो कम से कम विदेश राज्य मन्त्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए और मुझसे यह कहा गया था कि विदेश कार्य मन्त्रालय का कम से कम एक राज्य मन्त्री यहां

उपस्थित रहेगा। लेकिन मैं यहां कोई मन्त्री नहीं देखता। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि 2 अगस्त की रात को मद्रास में जो बम-विस्फोट हुआ वह एकाकी घटना नहीं थी। इसे एक एकाकी घटना के रूप में नही देखा जाना चाहिए क्योंकि इस घटना से इस तरह की और कई घटनाएं हो सकती हैं।

1.57 म० प०

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

हमारे दिमाग में आम तौर पर कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका उत्तर दिया जा सकता है। इनमें से कुछ का उत्तर कम से कम विदेश कार्य मन्त्रालय द्वारा दिया जा सकता है।

जो वक्तव्य दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इस घटना के सम्बन्ध में कई अटकलें लगाई जा रही हैं और कभी कभी बेबुनियामें अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी-अभी एक प्रश्न विदेशी हाथ होने के बारे में उठाया गया है—मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं-और इजारायली गुप्त सेवा (मोसाद) जिसकी सेवा जयवर्द्धने सरकार ने हासिल की है की भूमिका के बारे में और अमेरिकी एजेंटों की भूमिका के बारे में जिस सम्बन्ध में लोगों ने जो हमारी सरकार में ऊंचे पदों पर भी आसीन हैं उल्लेख किया है। मैं इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप इस समूचे कांड पर विचार करें यो आपके पास जानकारी के क्या स्रोत हैं ? पहला प्रेस है जिसे केवल दूसरे दिन दोहहर 2 बजे के बाद जाने की अनुमति दी गई और जानकारी का दूसरा स्रोत तमिलनाडू के मुख्य सचिव द्वारा इस घटना के बारे में दिया गया वक्तव्य है और तीसरा स्रोत चश्मदीद गवाहों के बयान हैं और चौथा मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य है। इन सबको मिलाकर देखने पर इनका कोई मेल नहीं खाता तथा वे परस्पर विरोधी हैं। जिनसे आसानी से अटकलें उभरती हैं जिनका समाधान केवल एक बहुत ही उच्चस्तरीय न्यायिक जांच से हो सकता है। विभागीय जांच से न तो देश के लोगों का समाधान हो सकता है और न उन लोगों के रिश्तेदारों तथा नजदीकी लोगों का जो इस घटना के शिकार हुए हैं और न ही पड़ोसी देशों की सरकारों का समाधान हो सकता है। इसका एकमात्र समाधान केवल एक न्यायिक जांच से ही हो सकता है।

2.00 म०प०

मेरा पहला प्रश्न यह होगा कि यदि स्थिति का ऐसा तकाजा हो तो क्या सरकार व्यापक निर्देश पदों के साथ एक न्यायिक जांच की मांग पर विचार करेगी ? दूसरी बात यह कि कई प्रश्न उत्पादन होते हैं यथा इसे किसने किया है ? इसका उद्देश्य क्या हो सकता है ? इस सम्बन्ध में कई कहानियां कही गई हैं। जैसे नकली यात्री के बारे में, एक भूरा बेगेज के बारे में, और बेनामी टेलीफोन काल के बारे में और हवाई पत्तन के मैनेजर की बीमारी के बारे में। यह सभी बातें कही गई हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यह एक असामान्य बात थी कि शुरू में दो बेगेज देखे गये जिनका न कोई मालिक था और न यही पता था कि उनमें क्या है। क्या यह आसमान्य बात नहीं है कि 101

यात्रियों में से जिन्होंने उस विशेष उड़ान के लिए टिकट लिए थे, 96 यात्रियों की सुरक्षा संबन्धी जांच हो चुकी थी और वे जहाज में चढ़ चुके थे और यात्री प्रतीक्षा में थे और यह विभिन्न स्त्रोतों से मालूम हुआ कि एक यात्री न तो सुरक्षा सम्बन्धी जांच के लिए आया और न ही वह विमान में चढ़ा। इस रहस्यमय यात्री के नाम का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इसमें कितनी सचाई है, इस प्रश्न पर मैं नहीं जाता, लेकिन क्या यह असामान्य बात नहीं है यदि यह असामान्य नहीं है तो पिछले एक वर्ष में ऐसे असामान्य मामले कितने हुए हैं जहां यात्री सुरक्षा सम्बन्धी जांच के लिए नहीं आया बावजूद समान भेजने के बाद भी जो अन्तोगत्वा वैसे ही पड़ा रहा जिसका न कोई दावेदार था कि उसमे क्या है, यह घटना ऐसी स्थिति में हुई जब केन्द्रीय सरकार सभी हवाई अड्डे को यथा सम्भव कड़ी-से-कड़ी पूर्व सावधानियां बरतने के लिए आदेश भेजती रही है। यहां तक कि संसद सदस्यों जानकार लोगों तथा बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की तक व्यापक रूप से जांच की जा रही है। सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए यह बात ठीक है और वे केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का पालन कर रहे हैं फिर भी यह असामान्य घटना कैसे घट गई और मद्रास हवाई अड्डे के प्राधिकारियों ने इस पर गौर नहीं किया ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि निर्णय किसने किया ? मालूम हुआ है कि दो बैगेजों को एक ट्रौली में ले जाया जा रहा था। मन्त्री जी सदन का समाधान करें कि उसे हटाये जाने का निर्णय किसने किया ? उसे कैसे हटाया जा रहा था ? यह महत्व पूर्ण बात है।

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि मन्त्री जी ने सरसरी तौर पर कहा कि सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पब्लिक एड्रैस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया था, यह बात मालूम हो गई है। मन्त्री जी इसका खंडन कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बात सही न हो। वहां कई औरतें और बच्चे सो रहे थे। जो थके हुए थे और जिन्हें सुबह की उड़ान से जाना था। वे उसी हालत में मर गये। लोक घोषणा प्रणाली विद्यमान थी। लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। प्रश्न यह है क्या उन व्यक्तियों ने जिन्होंने इन बैगेजों को ट्राली में या किसी अन्य तरह से हटाये जाने का निर्णय किया था लोक घोषणा प्रणाली के जरिए घोषणाएं करने के अनुदेश भी किये थे या नहीं। यदि अनुदेश दिये थे तो क्या उनका पालन किया गया अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था ? क्या लोक घोषणा प्रणाली का प्रयोग न करने के लिए जिम्मेदारी ठहरायी गई है या इस प्रश्न को जांच निर्देश में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय : जब तक परिसर को खाली कराने का निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा नही लिया जाता तब तक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का प्रयोग कैसे किया जायेगा ?

प्रो० रूपचन्द पाल : हवाई अड्डा मैनेजर वहां नहीं था। लेकिन किसी ने उन दो बैगेजों को हटाने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसने लिया ? यदि उसने अन्य लोगों की उपस्थिति में वह निर्णय लिया था तो क्या उसने लोगों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे या सोये हुए थे आगमन कक्ष को साफ करने के लिये कहने हेतु लोक घोषणा प्रणाली का उपयोग करने के अनुदेश भी दिये थे।

मैं नहीं समझता कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को एकाकी घटना समझा जाये। मैंने अभी-अभी विदेश कार्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री की उपस्थिति के बारे में जिक्र किया था क्योंकि इससे केवल नागरिक विमानन मन्त्रालय सम्बन्धित नहीं है। क्या सम्बन्धित अधिकारी हाल में विभिन्न हवाई अड्डों तथा अन्य स्थानों पर छोटी या बड़ी घटनाओं को तथा हाल के विमान अपहरण की घटना को किसी षडयंत्र से सम्बन्धित जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वह इन सभी घटनाओं को इस परिपेक्ष में देखने के लिए तैयार हैं तो हम इसे एकाकी घटना नहीं मान सकते।

श्री खुर्शीद आलम खान : मैं फिर इस बात को दोहराउंगा कि जांच पड़ताल में इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा और स्वभावतः वे हर पहलु पर विस्तार से विचार करेंगे। जांच पड़ताल में विशेषज्ञ भी सहयोजित किये जायेंगे। और जांच जिस व्यापक रूप से की जा रही है उससे निश्चत निष्कर्ष निकलेंगे। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है जांच करने वाले लोगों के अनुसार बहुत ही लाभप्रद भेद मिले हैं और वें उनके आधार पर जांच कर रहे हैं और सही तथ्यों को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं इस बात की जिक्र करना चाहूंगा कि उस उड़ान में 97 यात्रियों ने निकट लिये थे और वस्तुतः 96 लोगों ने यात्रा की। एक यात्री जिसने इस टिकट खिड़की से टिकट लिया था, सीमा-शुल्क अथवा सुरक्षा सम्बन्धी जांच के लिये नहीं गया। प्रक्रिया यह है कि यदि कोई समान छूटा हुआ हो जिसका कोई दावेदार न हो तो सीमा-शुल्क वालों को ऐसे वेदावेदार बैगेज को अपनी अभिरक्षा में लेना होता है। अब समाचारपत्रों में कई तरह की खबरें आ रही हैं। मै एक बार माननीय सदस्यों से पुन अनुरोध करूंगा और अपने तर्क को दोहराऊंगा कि हमें समाचारपत्रों में छपी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिये जब तक कि हमारे पास कोई खास परिणाम न हो कि समाचार पत्र में जो भी प्रकाशित हुआ है, वह वस्तुतः सही तथ्यों पर आधारित है। सही बातों का पता केवल तभी चलेगा जब जांच पूरी होगी। समाचारपत्रों में दो चीजें आई हैं। एक समाचार पत्र ने लिखा है बैग्स एक ट्रोली में ले जाये जा रहे थे और दूसरे ने लिखा है उन्हें हाथ में ले जाया जा रहा था। यह विवादास्पद है और मैं अपनी राय जाहिर करना पसन्द नहीं करूंगा। मैं जांच अधिकारी के जांच परिणामों की प्रतीक्षा करूंगा। जांच चल रही है कि उन्हें ट्रोली में ले जाया जा रहा था या हाथ से।

लेकिन उन्हें ले जाने तथा हटाने का निर्णय सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया गया था क्योंकि वेदावेदार बैगेन सीमा शुल्क विभाग की अनिरक्षा के अन्तर्गत आता है। मैं लोक घोषणा प्रणाली के बारे में पहले ही कह चुका हूं और यह गलती थी और इस बात की निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा भी जांच की जा रही और जांच समिति द्वारा भी जिसे मैंने नियुक्त किया है।

जहां तक हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि उसका नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है और उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखकर, व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय होते हैं और तदनुसार अनुदेश

तथा मार्गदर्शक हिदायतें भेजी जाती हैं यहां तक की राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टेलेक्स से सन्देश भेजे जाते हैं ताकि हर आदमी सतर्क रहे और पूर्वसावधानी बरते तथा यह सुनिश्चित करे कि इन मामलों में कोई त्रुटि या गलती न हो और हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे।

मेरे लिए यह कहना कठिन है कि विभिन्न स्थानों पर छोटी-बड़ी जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं उनके पीछे कोई बड़ा षडयंत्र हैं। जांच-अधिकारी को इस मामले पर किसी निष्कर्ष या निर्णय पर आना होगा। वे अपनी जांच का दायरा बढ़ायेंगे क्योंकि राज्य सरकार की जांच का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, यदि इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया जाता है और वे महसूस करते हैं कि इसकी जांच करना भी जरूरी है तो वे निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

सभापति महोदय : उस सामान का क्या हुआ जिसका कोई दावेदार नहीं था लेकिन वास्तविक चैकिंग के बाद मालूम होने पर कि यात्री विमान में सवार हुआ ?

प्रो० रूपचन्द पाल : अग्रिम यात्रा के मामले में क्या यह बहुत सामान्य बात है कि ऐसी घटनाएं होती हैं

श्री खुर्शीद आलम खां : यात्रियों की जांच के साथ सामान की जांच की जाती है। सभी सामान कस्टम कक्ष में रखा जाता है और यात्रियों से सामान पहचानने के लिए कहा जाता है। मद्रास हवाई अड्डे पर हमने पहले ही हिदायतें जारी की हुई हैं कि समान लादने से पहले यात्रियों द्वारा हर अदद पहचाना जाना जरूरी है। चूंकि एक यात्री अपना बैगेज पहचानने नहीं आया इसलिए इस समान को अलग रख दिया गया।

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या यह एक बहुत अमान्य बात नहीं ?

श्री खुर्शीद आलम खां कुछ भी असामान्य नहीं है हर बैगेज पहचाना जाता है।

प्रो० रूपचन्द पाल चैकिंग किए जाने के बाद, इस बैगेज का कोई दावेदार नहीं था और उसे पहचाना नहीं गया और वह आदमी वहां आया नही। क्या यह सच है कि इसलिए समान को पीछे छोड़ दिया गया ?

श्री खुर्शीद आलम खां : कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में शक यह होता है कि वह सोना हो सकता है या कोई मादक वस्तु या ऐसी ही अन्य कोई चीज हो सकती है। इसलिए कस्टमस को ऐसे सामान को अपने हाथ में लेना होता है।

प्रो० रूपचन्द पाल : इसलिए सोने, चरस आदि का शक था, न कि विस्फोटक पदार्थ का।

श्री बी वी० देसाई (रामचूर) : इस विषय पर रात एक घंटा पैंतालीस मिनट से चर्चा

हो रही है और अब कहने को और कुछ नहीं रह गया है, वास्तव में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को देखते हुए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं एक या दो प्रश्न अवश्य पूछना चाहता हूं। एक तरह से ये प्रश्न विचारोत्वादक हैं जिससे मन्त्री महोदय इनका सीधे उत्तर दे सकें।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर इसी तरह से देता रहा हूं।

श्री बी० वी देसाई : मैं जानना चाहूंगा कि क्या बार-बार किए जा रहे इन विस्फोटों के बारे में दक्षिण भारतीय हवाई अड्डों के लिए इंटरपोल से कोई सूचना उपलब्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि अन्य हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबन्ध किए जा रहे हैं। ये प्रबन्ध असाधारण और व्यापक हैं। यदि हां, तो माननीय मन्त्री और विभाग को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे इनकी पुनरावृत्ति न हो। क्या उनके पास ऐसी या इस प्रकार की कोई जानकारी है?

दूसरा प्रश्न प्रतिकर के बारे में है। यह एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में मेरा सुझाव है कि मन्त्री महोदय को इस पर विस्तारपूर्वक विचार करना चाहिए जिससे हवाई अड्डों के अन्दर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को उतना ही प्रतिकर मिल सके जितना विमान दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों दिया जाता है। अन्यथा यह अनुचित होगा। मान लीजिए, कोई घटना किस व्यक्ति द्वारा टिकट के खरीदे जाने और उनकी परीक्षा लिए जाने के बाद होती है। इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा इस विषय पर विचार किए जाने तथा नियमों और विनियमों का पुनरीक्षण किए जाने पर कोइ प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह कोई प्रश्न नहीं है तथापि यह एक सुझाव है जिसे माननीय मन्त्री यहां अभी स्वीकार कर सकते हैं उन्हें कहना चाहिए कि वह इस पर विचार करेंगे।

यह ठीक है कि मुझे सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने श्री लंका सरकार के साथ मिल कर जांच करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। इन दो देशों के बीच तथा उस देश और तमिलनाडु में भारतीय राष्ट्रिकों के तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह उचित ही था कि इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया जाये।

माननीत मन्त्री जी ने सुझाव दिया है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे राजनैतिक दृष्टि से यह स्थिति और गम्भीर हो जाये।

मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। आशा है मन्त्री महोदय मेरे से सहमत होंगे और इनका उत्तर देंगे।

श्री खुर्शीद आलम खा : हमें इन्टरपोल से सीधे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हो सकता है यह किसी अन्य मन्त्रालय या एजेंसी को होती हो। हमें आसूचना ब्यूरो से जानकारी प्राप्त होती है जिसे हम चेतावनी जानकारी कहते हैं। जैसे ही हमें चेतावनी जानकारी प्राप्त होती है, हम अपने हवाई अड्डों सुरक्षा कर्मचारिवृन्द तथा राज्य सरकारों को सतर्क कर देते हैं। इसलिए आजकल सभी हवाई अड्डे सतर्कता बरत रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा है, इस सत-

कैता पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है और यह निरंत हो रहा है

प्रतिकर के बारे में मैं एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि यह दुर्घटना बहुत ही दु:खद है और हमें पूरी सहानुभूति है, मैं यथासम्भव सब कुछ करूंगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं।

एक और बात यह है कि हमने संयुक्त जांच करने के लिये किसी अन्य एजेंसी को अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका तनावपूर्ण सम्बन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि यह दुर्घटना हमारे देश में हुई है और इसलिए यह जांच हमारे देश के ही कानून के अन्तर्गत हो और हमारी एजेंसियां इस दुर्घटना के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा जांच करने के लिए योग्य है। अत: किसी बाह्य एजेंसी का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) कभी ऐसा होता है, क्या ? हमारे देश में दूसरा कैसे करेगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : इसमें टैंस होने का का कोई मतलब नहीं है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते।

2.21 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सदारियाडीह कोयला खान में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या श्रमिक सहकारी समिति या किसी अन्य कानूनी एजेंसी द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता।

श्री रीतलाल पसाद वर्मा (कोडरमा) : कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व सदारियाडीह कोयला खान का काम गैर-सरकारी तौर पर किया जा रहा था। 1983 के पश्चात् सभी नान-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीय करण कर दिया गया था। सदरियाडीह कोयला खान के कर्मचारी मधुबनी उप-क्षेत्र के अभिरक्षक से मिले और उन्हें कहा कि इस कोयला खान का अधिग्रहण करलें। अभिरक्षक ने उन्हें 'विश्वास दिलाया कि वह इस मामलें पर विचार करेंगे। 1975 में प्राइवेट मालिक ने द्वितीय उप-न्यायाधीश, धनबाद के न्यायालय में मुकदमा कर दिया और न्यायालय ने बिहार राज्य, भारत संघ और उनके एजेंटों और प्रतिनिधियों पर उक्त कोयला खान के मामले में दखल लेने पर रोक लगा दी। तत्पश्चात् विभिन्न न्यायालयों के आदेशानुसार इस कोयला खान का काम गैर-सरकारी तौर पर किया जाता रहा और कोयले की बिक्री का समस्त अभिलेख भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा रखे जा रहे थे।

जनवरी, 1980 में भारत कोकिंग कोल मिमिटेड ने इस खान का प्रबन्ध अपने हाथ में

ले लिया और आश्वासन दिया कि कर्मकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारी बन जाएंगे। कोयला तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने उठा लिया, परन्तु कर्मकारों को 3 लाख पचास हजार रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। दिसम्बर, 1980 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने पम्प लगाए और अन्य कार्यकारों की मदद से खनन कार्य आरम्भ कर दिया जबकि वास्तविक कर्मकारों को काम से वंचित कर दिया गया। इस पर कर्मकारों ने इसका विरोध किया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने खनन कार्य बन्द कर दिया।

उच्चतम न्यायालय की हिदयत के पश्चात् प्रभावित कर्मकारों ने ए० एल० सी० (सी०) आर० एल० सी० (सी) तथा सी० एल० सी० (सी) जैसे विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा मामला केन्द्रीय सरकार से उठाय, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। कालयरि कर्मचारी संघ ने अप्रैल, 1980 से लेकर अब तक की मजदूरी के भुगतान का दावा किया है। कार्यकारों के परिवारों के अनेक सदस्यों और सम्बन्धियों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा है। ऐसी विस्फोटक स्थिति में मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा उर्जा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस खान का काम इन 5000 कर्मकारों के माध्यम से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा या कर्मकार सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य कानूनी एजेंसी द्वारा आरम्भ कराया जाये जिससे इन कर्मकारों की भुखमरी से बचाया जा सके

(दो) गोवा और कुवेत के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने की मांग

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मरमुगाओ) : गोवा से खाड़ी देशों में उत्प्रवासी लम्बे समय से यह मांग करते रहे हैं कि कुवेत से गोवा के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ की जाए। खाड़ी देशों में गोवा से लगभग 50,000 उत्प्रवासी हैं और जब व घर आते हैं तो उन्हें बम्बई में रुकना पड़ता क्योंकि इण्डियन एयर लाइन्स उस समय, जब वे वहां से चलते हैं, गोवा तक की टिकटें नहीं दे पाता है। इसीलिए वे लोग काफी समय से कुवेत और दुबई सीधी विमान सेवा की मांग करते रहे हैं। ध्यान रहे कि उन सभी राज्यों जहां से काफी संख्या में लोग खाड़ी देशों में हैं, तथा उन देशों के बीच एयर इंडिया को सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, त्रिवेन्द्रम का दुबई, आबू धाबी, कुवेत, शरजाह और धारन के साथ सम्पर्क है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह गोवा और कुवेत/दुबई के बीच सीधी विमान सेवा अरंभ करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जिससे एयर इण्डिया यह सेवा शीघ्र आरंभ कर सके।

(तीन) गंगानगर रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : सभापति महोदय, मेरे निवाचन क्षेत्र गंगानगर में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ ज दो बड़े शहर हैं। ये दोनों शहर रेलवे जंक्शन भी हैं। गंगानगर जिला मुख्यालय है। गंगानगर रेलवे यार्ड के पूर्व एवं पश्चिम में रेलवे क्रासिंग भी बने हुए हैं। यह शहर पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। यहां से राजस्थान का सारा ट्रैफिक पंजाब को जाता है। इसके साथ-साथ मिलिट्री का ट्रैफिक भी सीमा पर जाने के लिये इसी शहर से गुजरता है। जब क्रासिंग के फाटक

बंद हो जाते हैं तो शहर का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इससे दुर्घटनायें बहुत होती हैं। इसी प्रकार से हनुमानगढ़ जं० में भी यार्ड के पूर्व एवं पश्चिम में क्रासिंग बने हुए हैं। यहां से चार लाइनें क्रमशः भटिण्डा, गंगानगर, बीकानेर एवं जयपुर के लिए निकलती हैं। पंजाब व हरियाणा को जाने वाला सारा ट्रैफिक यहां से गुजरता है। फाटक बंद होने पर इस शहर का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है एवं दुर्घटनायें होती हैं। अतः इन उपरोक्त स्थानों पर रेलवे पुल बनवाकर जान-माल की हिफाजत करें। आशा हैं, रेल मन्त्री तुरन्त इस पर कार्यवाही करेंगे।

(चार) पराद्वीप में अन्वेषी मतस्य-पालन परियोजना को पुनः शीघ्र करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उड़ीसा में तटवर्ती जल में मछली पकड़ने के स्थानों का सर्वेक्षण करने के लिए दो जल-यानों को चालू करने के लिए 1973 में पराद्वीप में एक अन्वेषी मतस्य-पालन परियोजना स्थापित की गई थी। भारत सरकार ने उस अड्डे को 19-1-1982 को बन्द करके उसे विशाखपटनम में स्थानांतरित कर दिया था। अन्वेषी मतस्य-पालन परियोजना के अधीन धमारा नदी के दक्षिणी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है परन्तु उस नदी के उत्तरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने अनेक शिक्षित युवकों तथा मछुआ सहकारी समितियों को पराद्वीप तथा धमारा नदी से यंत्रीकृत जल-पोतों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है उड़ीसा मतस्य विभाग ने इस परियोजना के लिए स्थान, शेडों, भूमि आदि की व्यवस्था की है। पराद्वीप पत्तन न्यास प्राधिकारी ने मकानों, कार्यालय के लिए जगह और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने संघ कृषि मंत्रालय से 28.4.1982 को इस अड्डे को पुनः चालू करने के लिए कहा था। परन्तु परियोजना का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। इस कार्य को पुनः चालू करने से उड़ीसा के तटवर्ती जल में मछली पकड़ने के स्थानों का सर्वेक्षण किया जा सकेगा। उड़ीसा से मछली के निर्यात से सरकार भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाती है। अतः पराद्वीप में एक ऐसी परियोजना स्थापित करने का औचित्य है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पराद्वीप में अन्वेषी मत्स्य-पालन परियोजना को अविलम्ब पुनः आरम्भ किया जाये।

(पांच) मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरु करने की आवश्यकता

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के तीन चौथाई हिस्से में मानसून की स्थिति भयंकर चिंताजनक है। अगर अगले हफ्ते में वर्षा नहीं हुई तो इससे प्रदेश की तीन चौथाई जनसंख्या प्रभावित होगी। यहां भयंकर सूखाग्रस्त अकाल होगा। इससे मनुष्य एवं मवेशियों के लिये पीने के पानी का भी संकट पैदा हो जाएगा। मवेशियों के चराने के लिये घास भी नहीं मिलेगी।

अतः मैं शासन से निवेदन करता हूं कि इन क्षेत्रों में तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था एवं मवेशियों के लिए घास की व्यवस्था करें। साथ ही साथ वहां के निवासियों के लिये रोजगार व्यवस्था हेतु तत्काल ही राहत कार्य खोला जाये।

(छः) भाखड़ा नहर के बन्द होने से प्रभावित हरियाणा के गांवों में पीने का शुद्ध पानी सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार): सभापति महोदय, पिछले दो महीनों में भाखड़ा नहर को चार बार आतंकवादियों ने काटा है। अभी 6 तारीख को यह चौथी वारदात हुई है जो कि अमृतसर के चुलेवक गांव के पास हुई है। आज ही अखबार में खबर है कि भाखड़ा नहर को गंगानगर के पास फिर काट दिया है। देश-द्रोहियों की इन कार्यवाहियों से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि न केवल पंजाब सरकार बल्कि कुछ हद तक मिलिटरी भी इन देशद्रोहियों को पकड़ने और इन तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को अभी तक खत्म नहीं कर सकी है।

हर बार नहर के काटे जाने से सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा और राजस्थान का होता है। वहां पर केवल फसलें ही नष्ट नहीं हुई हैं बल्कि मनुष्य तथा पशु पीने के पानी के लिए तरस गये हैं। बीमारियां फैल रही हैं और लोग उनसे मर रहे हैं। पीने का पानी अव्वल तो मिलता नहीं और अगर मिलता है तो इतना सड़ा तथा बदबूदार कि उसका मुंह को लगाना मुश्किल हो जाता है। सभापति महोदय, कल ही मैंने उस पानी की एक झलक आपको तथा माननीय सदस्यों को दिखाई थी।

मेरी सरकार से मांग है कि भाखड़ा नहर को बार-बार काटे जाने की जांच हो तथा जो नुकसान किसानों को हुआ है उसका मुआवजा तुरन्त उनको दिया जाये। हरियाणा और राजस्थान जो कि इन घटनाओं से ज्यादा प्रभावित हुए हैं और जहां के लोगों का जीना पानी के पीने से हुए हैं और जहां के लोगों का जीना पानी के बिना मुहाल हो गया है और बीमारियां फैल गई हैं तुरन्त ही वहां पर पानी टैंकरों द्वारा पहुंचाया जाये। बीमारियां जो गन्दे पानी के पीने से हुई हैं, उनके इलाज के लिए डाक्टरों के विशेष दस्ते सारे गांवों में भेजे जायें तथा यह निश्चय किया जाये कि कोई आदमी या पशु बिना पानी और बिना दवाई के न मरे। जब तक साफ पानी सारे गांवों में मुहैया न कर दिया जाये तब तक बराबर टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जाये।

जब तक भाखड़ा नहर से पूरी तरह पानी की सप्लाई नहीं होती है तब यमुना से सारे हरियाणा व राजस्थान को पानी दिया जाये। साथ हे यह भी निश्चय किया जाये जिससे कि राजस्थान व हरियाणा को और नुकसान न पहुंचे और लोगों में सरकार के खिलाफ बदअमनी न फैले। देश-द्रोहियों के खिलाफ तुरन्त मुकद्दमे चलाये जायें और फांसी की सजा दी जाये जिससे लोगों को इबरत हो और आगे से कोई ऐसा काम करने की हिम्मत न करें।

चूंकि पंजाब सरकार भाखड़ा की हिफाजत करने में फैल हो गयी है इसलिए भाखड़ा की सुरक्षा का काम हरियाणा सरकार को सौंप दिया जाये।

(सात) निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आयात के लिये अनुमति तथा आयात-शुल्क की अदायगी से छूट देना

श्री भीम सिंह (झुंझनू) : मैं भारत सरकार का ध्यान अधिसूचना संख्या 12-आई०टी०

सी० (पी० एन०) 183 दिनांक 18.4.1983 और 152/83-सीमा शुल्क दिनांक 25.5.83 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें विकलांग व्यक्ति की कारों के आयात पर सीमा-शुल्क से छूट दी गई है। कई विकलांग व्यक्तियों ने इन अधिसूचनाओं के अधीन कारों का आयात करने के लिए आवेदन किया है। किन्तु उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा प्रमाण-पत्र करने और साख-पत्र के मामले में उन्हें दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विनिर्माताओं की समस्याएं भी होती है और उपकरणों के जोड़ने में भी समय लग जाता है। अधिसूचना में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तारीख 30-4.84 रखी गई थी।

मेरा अनुरोध है कि जिन व्यक्तियों ने समय-सीमा के भीतर आवेदन कर दिया था परन्तु कारें उस तारीख तक प्राप्त नहीं हुई थी, उन्हें कारों का आयात करनें दिया जाये और इस छूट का लाभ उठाने दिया जाये।

(आठ)　तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रुम कर्मचारियों के वेतन पटना (बिहार) में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के समान करने की आवश्यकता।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : तमिलनाडु और पाण्डिचेरी के राष्ट्रीय कपड़ा निगम के 20,000 कर्मकारों में केवल 300 कर्मकार प्रदर्शन-कक्षों में नियोजित हैं। प्रदर्शन-कक्षों के इन कर्मकारों को समेकित वेतन दिया जाता है और उसमें कभी-कभी वृद्धि कर दी जाती है। इन कर्मकाएं के लिए कोई काल-वेतनमान नहीं है जैसाकि पटना प्रमंडल के राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रदर्शन कक्षों के कर्मकारों को दिया जा रहा है.। इस समय जब हम मांग कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार मद्रास में बी० एण्ड सी० मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम या अन्य ऐसे ही संगठन के अधीन अपने नियंत्रण में ले ले, तमिलनाडु का राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन कर्मकारों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा है। एक आदर्श नियोजक के रूप में, सरकार को चाहिये कि वह गैर-सरकारी उद्यमों को रास्ता दिखाये। हमारे लोक कल्याण राज्य में किसी कर्मकार को समेकित वेतन मिले, यह संविधान बनाने वालों की अपेक्षाओं के विरुद्ध है। इन परिस्थितियों मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु और पाण्डिचेरी के राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रदर्शन कक्षों में कार्यरत कर्मकारों की उचित मांगों पर विचार करें और उन्हें काल वेतनमान देकर इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटायें।

(नौ)　भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत धनबाद में बलिहारी कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच कराने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय (धनबाद) : कोयला क्षेत्र में उत्पादन से लेकर सुरक्षा तक सभी मामलों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। बी० सी० सी० एल० धनबाद के अन्तर्गत कच्ची बलीहारी कोयला खान में हाल ही में हुई दुर्घटना जिसमें एक बच्चे की मृत्यु खान में अचानक पानी भरने से हो गई थी। यह दुर्घटना से इस बात का संकेत मिलता है कि प्रबन्ध किस हद तक उपेक्षा करता है।

यह दुर्घटना 30 जुलाई को 11 बजे प्रातः भूमि के 350 नीचे हुई जबकि जल ऊपर के स्तर पर इकट्ठा हुआ और वहां से नीचे खान में भर गया। वहां विस्फोट हुआ कोयला कुछ नर्म हुआ तथा पानी को रोकने वाली रोक टूट गई। खान मजदूरों को ऐसी दुर्घटना होने की आशंका थी तथा वे संभावित खतरे के प्रति जागरूक थे इसलिए एक को छोड़कर शेष सभी मजदूर थोड़ी-बहुत चोटखाकर बच निकले। इस मामले में मजदूरों को मजबूर होकर काम करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दी गई थी जैसा कि बी० सी० सी० एल० में आजकल हूं एस० एम० ए० के अधीन की जा रही हैं। मजदूरों ने संभावित खतरे के बारे में अपने सुपरवाइजरों को बता दिया था। और ये सुपरवाइजर विस्फोट होते ही वहां से दूर चले गये थे। वहां से पानी निकालने में चार दिन लगे और तब शव निकाला जा सका। खान सुरक्षा महानिदेशक ने प्रबन्ध की सुरक्षा के बारे में इस आपराधिक लापरवाही को गम्भीर रूप से लिया है।

कोल इंडिया लिमिटेड में दुर्घटना अधिकाधिक होती जा रही हैं। 1981 में 142 खनिजों की दुर्घटना में मृत्यु हुई और 621 घायल हुए। 1982 में 148 मरे और 1208 घायल हुए। 1983 में 125 घातक दुर्घटनाएं हुई जिनमें 458 खनिक मारे गये। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि बन्द खानों और खाली स्थानों पर विभिन्न स्तरों पर पानी एकत्र हो जाने, जिससे खानों में बार-बार पानी भर जाता है, की जानकारी कोयला खान प्रबन्ध को नहीं होती, संयोग से ही इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कम होती है। क्योंकि उस मामले में खनिकों को सम्भावित दुर्घटना होने की आशंका होती है या वहां उस समय उनकी कम संख्या होती है। परन्तु यदि खान प्राधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर इकट्ठे हुए पानी के बारे में, भूमिगत सर्वेक्षण नक्शों के अभाव के कारण जानकारी नहीं होती, तो किसी भी दिन चसनाला जैसी दुर्घटना धनबाद कोयला खान में हो सकती है।

अन्त में, मैं कच्ची बलिहारी कोयला खान में हुई इस दुर्घटना के बारे में उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और साथ ही यह मांग करता हूं कि खानों के अन्दर विभिन्न स्तरों पर भूमि के नीचे इकट्ठे हुए पानी के बारे में व्यापक सर्वेक्षण करवाया जाये।

(दस) कोचीन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बदलने की आवश्यकता

श्री जेवियर अराकल (एराकुलम) : केरल राज्य में साक्षरता की दर 70 प्रतिशत सर्वाधिक है और वहां पर वस्तुतः साक्षरता 90 प्रतिशत है। जबकि अन्य राज्यों में यह 30 प्रतिशत ही है। हम अपने पूर्वजों को इस साहसपूर्ण और अग्रणी कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं।

आजकल केरल राज्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर गैर-योजना खर्च के रूप में 57 प्रतिशत खर्च करता है और यह अपने राजस्व का 47 प्रतिशत तो केवल शिक्षा पर ही खर्च करता है। यह राज्य के राजकोष पर एक बड़ा भार है।

आजकल शिक्षा की यह मांग है कि मानव जाति के उत्थान के लिए विज्ञान और प्रौद्यो-

गिकी में गहन अनुसंधान और विकास किया जाये। केरल राज्य उन्नत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे है केरल राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं।

1971 में कोचीन विश्वविद्यालय की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। यह विश्वविद्यालय व्यावहारिक विज्ञान, प्रबन्ध और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है। इस विश्वविद्यालय को कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के मामलों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है। जिनमें लेसर अनुसंधान, इलेक्ट्रानिक्स, समुन्द्री विज्ञान और प्रबन्ध विषय आदि हैं। यहां पर जहाज प्रौद्योगिकी, पोलिमर विज्ञान, रबड़ प्रौद्योगिकी, संगणक विज्ञान, व्यावहारिक रसायन शास्त्र जैसे विषयों में विशिष्ट विकसित अध्ययन की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय के प्रौद्योगिकी डिवीजन ब्यूरों तथा भारत सरकार ने इनको मान्यता प्रदान कर दी है और अपने साधनों की सीमा में रखते हुए इस विद्यालय को उदारतापूर्वक सहायता की है ; चूंकि यह केन्द्रीय विद्यालय नहीं है इसलिए इसे सहायता प्राप्त करने, विकास करने और उन्नति करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हैदराबाद को छोड़कर दक्षिणी राज्यों में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। कोचीन विश्वविद्यालय में वह आधारभूत ढांचा उपलब्ध है जिसके आधार पर उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदला जा सकता है इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए तत्काल कदम उठाये।

(ग्यारह) बारसोई और कुमेदपुर के बीच नदी के पुल को हुई क्षति के कारण उत्तरी और दक्षिणी बंगाल के बीच टूटे रेल सम्पर्क को पुनः बहाल करने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : पश्चिम बंगाल में बारसोई और कुमेदपुर के बीच नदी पुल को हुई क्षति के कारण उत्तरी बंगाल और शेष बंगाल के बीच रेल-सम्बन्ध टूट गया है जिसके कारण उत्तरी बंगाल, सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पिछले 15 दिन से बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी के कारण दार्जिलिंग मेल कंचनजंगा, नईजलपाईगुड़ी-हावड़ा यात्री गाड़ी और मालगाड़ियों का सीधा आना-जाना बन्द कर दिया गया है। इसका प्रभाव यह पड़ा है किस भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगों के लिए विशेषकर चाय उद्योग के लिए कोयला की कमी है और घरेलू खपत के लिए सोफ्ट कोक और स्टीम कोल की कमी है। वहां पर मिट्टी के तेल की भी कमी है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य क्षेत्रों के बीच रेल सेवा पुनः शुरू करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये और जब तक यह रेल सेवा प्रारम्भ नहीं हो जाती तब तक के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

(बारह) सहारनपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, गांधी जी हरिजन बस्ती में इसलिए रहते थे ताकि हरिजनों का उद्धार हो सके। सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पुराना ग्रामीण उद्योग के तौर पर 40 हजार हरिजन परिवार जंगल भाभड़ काट कर लाते हैं और उससे बान बनाकर अपना गुजारा करते हैं। यह उनका उद्योग है। छोटे व ग्रामीण उद्योग को सरकारी तौर पर मदद करनी चाहिए। मैंने सरकार से मांग की थी कि इनकी आर्थिक सहायता व छूट देकर इस धन्धे को बढ़ाने में मदद करें ताकि हरिजन परिवार पल सकें। सरकार हरिजनों को उजाड़कर नेशनल पार्क बना रही है जो कि अनुसूचित है और हरिजन कभी इस बात को नहीं मानेंगे। सरकार अपने फैसले को बदले और उनको भाभड़ काटने की रोक वापस ले ताकि वह हरिजन अपना जीवन चला सकें। सरकार से मांग है कि नेशनल पार्क न बनाए या बनाने से पहले कोई छोटे उद्योग धंधा लगाकर उनके लिए रोजी रोटी सुरक्षित करें।

आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब सभा में श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किये गये आठवें वित्त आयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : सभापति महोदय, मैं आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी समस्या का समाधान किया है जिसका इससे पहले वाले सभी वित्त आयोगों को सामना करना पड़ा था। समस्या यह थी कि विभिन्न राज्यों को मिलने वाले हिस्से में किस प्रकार के संतुलन रखा जाये, घाटे की अर्थव्यवस्था वाले या पिछड़े राज्यों के हिस्से में कैसे वृद्धि की जाये जिससे उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। सातवें वित्त आयोग ने और उससे पहले भी राज्यों के पिछड़ेपन पर विचार किया था उन्होंने भी एक पृथक सूत्र बनाया था। परन्तु इससे पहले के उद्योग वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये थे। आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है।

सभापति महोदय, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्ति-अधिकार से पूर्व केवल छः राज्य बचत वाले राज्य थे। उनके नाम थे—पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एक और राज्य था, तात्पर्य यह है कि 22 राज्यों में से केवल 6 राज्य बचत वाले राज्य थे। परन्तु आठवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार पांच और राज्य बचत वाले राज्य बन जायेंगे और मैं इस आयोग के सदस्यों को धनवाद देता हूं कि मेरा राज्य भी अब

बचत वाले राज्यों की श्रेणी में आ जायेगा। ये पांच राज्य हैं—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश। ये सभी बड़े राज्य हैं। इस प्रकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 11 राज्य बचत वाले राज्य बन जायेंगे और राजस्थान राज्य 1984-85 में तो घाटे की अर्थव्यवस्था वाला राज्य रहेगा परन्तु इसके पश्चात, श्री व्यास जी आपका राज्य राजस्थान भी बचत वाला राज्य बन जायेगा। आपके राज्य की स्थिति वास्तव में बहुत ही खराब है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : 1984-85 में तो खराब पी रही।

श्री गुलशेर अहमद : इस बारे में आपको मैं बता चुका हूं। आप इस बात पर विचार करें कि उन्होंने किस प्रकार से यह सूत्र बनाया है कि जिससे आपका राज्य 1986-87 में बचत वाला राज्य बन जायेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह बताई है कि राज्यों में उनके हिस्से के वितरण के बारे में जो सूत्र है वही सूत्र आयकर और उत्पादन शुल्क से हुई आय के वितरण के सम्बन्ध में भी होना चाहिए। इससे पहले उत्पादन शुल्क और आयकर राजस्व के बटवारे के बारे में सिद्धान्त अलग परन्तु इस आयोग ने कहा कि आयकर और उत्पादन शुल्क की प्राप्ति के बारे में पृथक सिद्धान्त न तो कोई आर्थिक आधार है और न ही कानूनी। आठवें वित्त आयोग ने यह एक नयी बात की जो पहले से चली आ रही परम्परा से पृथक है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

जहां तक उनके द्वारा बनाये गये नये सूत्र का सम्बन्ध है, वह वास्तव में बड़ा ही प्रगतिशील है और वह विश्वसनीय आंकड़ों पर तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आधारित है। उन्होंने सिफारिश की है कि राज्यों में वितरित को जाने वाजे कुल राजस्व में सेनाओं को 25 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और अन्य 25 प्रतिशत प्रति-व्यक्ति-आय के सूत्र के आधार पर प्राप्त होगा। इसके लिए उन्होंने 1976-77, 1977-78 और 1978 79 तीन वर्षों का ओसत लिया है। इस प्रकार उन्होंने राज्य की ओसत प्रति व्यक्ति आय को लिया और इसको उन्होंने राज्य की जनसंख्या से गुणा किया। इस सूत्र को आयोग ने "आय समायोजित कुल जनसंख्या का नाम दिया। इस सूत्र के अनुसार किसी राज्य विशेष का जो अनुपात आयेगा, उस अनुपात के अनुसार उस राज्य को 25 प्रतिशत दिया जायेगा। 'अन्तर' को आधार बनाते हुए भी आयोग ने ऐसा ही सूत्र बनाया है। मेरे विचार से यह सूत्र भी बहुत ही अच्छा है। 'अन्तर' सूत्र से तात्पर्य है कि राज्य की तीन वर्षों की प्रति व्यक्ति आय का ओसत लेकर उसकी सर्वाधिक बचत वाले राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय से तुलना की जायेगी। हमारे मामले में सार्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पंजाब है। बचत वाले राज्य तथा सम्बन्द्ध राज्य के बीच जो अन्तर है, उसके आधार पर विशेषज्ञों ने यह निर्धारित किया कि कितनी प्रतिशतता होने पर अमुक राज्य को कितना प्रतिशत दिया जाना चाहिए। इस प्रकार आठवें वित्त आयोग ने राज्यों में राजस्व के बंटवारे का एक नया सूत्र बनाया है। और मेरे विचार से उनके इस सूत्र से कमी वाले राज्यों को बहुत अधिक सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि आयोग ने कमी वाले राज्यों की स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया

है। उन्होंने कहा कि उत्पादन शुल्क के राजस्व में से राज्यों को 45 प्रतिशत प्राप्त होगा। इस 45% में से 5% कमी वाले राज्यों को मिलेगा। इस प्रकार कमी वाले राज्यों को अन्य राज्यों की तरह 40% मिलेगा साथ ही उन्हें उत्पादन शुल्क राजस्व का 5 प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा यह उनको किस प्रकार प्राप्त होगा ? उत्पादन शुल्क से केन्द्र को मिले कुल राजस्व का 5 प्रतिशत कमी वाले राज्यों में वितरित किया जायगा और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि किसी राज्य विशेष कमी की स्थिति क्या है ? मान लीजिए कोई राज्य 10 प्रतिशत कमी वाला है और कोई राज्य 20 प्रतिशत कमी वाला है तो वह 5 प्रतिशत राशि दोनों ही राज्यों में वितरित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आयोग ने कमी वाले राज्यों के लिए और भी कई प्रावधान किये हैं।

आयोग ने कमी वाले राज्यों के मामले में वापसी भुगतान के लिए अवधि का पुनः निर्धारण किया है। कमी वाले राज्यों को यह एक और लाभ दिया गया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : वापसी-भुगतान अवधि को पुनः निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री गुलशेर अहमद : उन्होंने यह सिफारिश की है।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री गुलशेर अहमद : इन राज्यों को एक और सुविधा यह दी गई है कि आयोग ने एक और निश्चित राशि स्वीकार की है जो ऋण के रूप में बट्टे खाते डाली जायेगी। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की है कि इन राज्यों ने जो नये ऋण लिये हैं उनका भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की है 1984-85 के लिए वचनबद्ध योजना खर्च को पूरा करने के लिए इन राज्यों को अनुदान दिया जाये।

आयोग ने एक अन्य सिफारिश यह की है कि इन राज्यों को उनके प्रशासनिक विभागों में सुधार के लिए 915 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाये।

नवम्बर मास में अपनी अन्तरिम प्रतिवेदन देते हुए आयोग ने यहा ठीक ही कहा था कि उसकी सिफारिशें अस्थायी हैं और उसके अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार उनमें घट-बढ़ की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह घट बढ़ अब क्यों नहीं की जा सकती ? मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर दिया है कि योजनाए तब तक बनाई जा चुकी थी, बजट बनाया जा चुका था और प्रतिवेदन विलम्ब से पेश किया गया।

प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाते हुए आयोग से कहा गया था कि वह अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1983 तक दे दें। राष्ट्रपति ने ऐसा आदेश दिया था कि आयोग अपना अंतिम प्रतिवेदन 19 फरवरी 1983 तक दे दें। यदि आयोग ने ऐसा कर दिया होता तो ठीक होता। जब आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ये सिफारिशें अन्तरिम हैं और अस्थायी हैं और अन्तिम प्रतिवेदन मिलने पर उनमें

समायोजन किया जा सकता है, तो आयोग को यह बात ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिवेदन फरवरी तक देना चाहिए था। परन्तु आयोग ने अपना प्रतिवेदन फरवरी में न देकर 30 अप्रैल 1984 को दिया। इस समय तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी मुझे पूरा यकीन है कि यदि वित्त अयोग ने अपना प्रतिवेदन फरवरी तक दे दिया होता तो वित्त मन्त्री ने उक्त समायोजन कर दिया होता और केन्द्रीय तथा राज्यों के बजटों में योजनागत और बजटगत प्रावधान तदनुरूप कर दिये गये होते। किसी एक विद्वान सदस्य ने कहा था कि 1969 में भी जब स्थिति वैसी ही थी जैसी अब है प्रतिवेदन बहुत देर से दिया गया था। तथा अब अगस्त में लागू किया था। किन्तु इसमें अन्तर यह है कि उस समय अन्तर्ग्रस्त धनराशि बहुत कम थी। अब अन्तर्गत धनारशि बहुत अधिक है तथा इन परिस्थितियों में चार महीने बीत जाने के बाद इस अवस्था में यह सम्भव नहीं है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समायोजन किया जाये। अतः यह कहना या वित्त मन्त्री पर यह आरोप लगाना कि वह इस वर्ष से सिफारिशों को इस लिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह पश्चिम बंगाल सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं; सही नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कहने में कोई औचित्य है।

इस आयोग ने एक और भी अच्छा काम किया है। पहले यह मत था कि राज्यों को धन की कमी को सहायता अनुदान से पूरा किया जाए किन्तु इस आयोग ने कहा कि यह अच्छी नीति नहीं है। उसने कहा कि धन की कमी को कर अथवा उत्पाद-शुल्क से पूरा किया जाना चाहिए। इसीलिए आयोग ने प्रति व्यक्ति आय का यह नया फार्मूला निकाला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से राज्यों ने, जिन्होंने आठवें वित्त आयोग के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए, कहा कि वे नहीं चाहते कि राज्यों की धन की कमी को सहायता अनुदान से पूरा किया जाए। उनका कहना है कि इसे कर अथवा उत्पाद-शुल्क से पूरा किया जाना चाहिए। अतः वित्त आयोग ने यह बहुत अच्छा काम किया है।

वित्त आयोग ने एक और भी अच्छा सुझाव दिया है। उसने कहा है कि वित्त आयोग को प्रतिवेदन का तथा पंचवर्षीय योजना का समय साथ-साथ होना चाहिए। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं तथा मुझे वित्त और अर्थव्यवस्था की पेचीदगियों का कोई ज्ञान नहीं है तथा मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यह एक अच्छा सुझाव है। वित्त मन्त्री वर्ष 1984-85 के लिए सिफारिशें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह 1985-86 के बाद के 4 वर्षों के लिए स्वीकार कर रहे हैं। 1985 से 1990 तक की अवधि के लिए सातवीं योजना भी आरम्भ होने वाली है। इन सिफारिशों को इस अवधि के लिए क्यों न लागू किया जाए। यदि इसके लिए कोई संवैधानिक कठिनाई है तो वह इस पर विचार करने के लिए एक नया आयोग बना सकते हैं यह बहुत अच्छा विचार है। पिछले आयोगों ने यह भी सुझाव दिया था कि वित्त आयोग के प्रतिवेदन का और पंचवर्षीय योजना का समय साथ-साथ होना चाहिए।

अब मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं जिन से वित्त मन्त्री किसी भी हालत में सहमत नहीं होंगे। किन्तु उनके बारे में पिछले सभी आयोगों ने कुछ न कुछ कहा है। अतः उनका उल्लेख करना

मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि मैं उनकी बातों अच्छी को तरह वकालत कर सकूं तो मेरे अपने राज्य के लिए बहुत भारी सेवा होगी। मुझे यकीन है कि वह उन्हें स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ये बातें निगम करों के बारे में हैं। राज्य काफी समय से यह मांग करते आ रहे हैं। कि निगम का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए। आयोग ने कहा है कि इस बारे में विचार विमर्श आरंभ करने के लिए आवश्यकता से अधिक समय लग चुका है यथा अब केन्द्रीय सरकार के साथ बात-चीत आरम्भ की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री निगम करों में से कुछ हिस्सा राज्यों को दें।

(व्यवधान)

एक और बात जिसके बारे में हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं तथा जिसके बारे में वित्त आयोग ने भी सिफारिश की है वह यह है कि वर्ष 1985-86 से अधिकार वापिस लिया जाना चाहिए अथवा उसे आयकर में मिला दिया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि वित्त मन्त्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस राज्य का रहने वाला हूं जिसने यह मांग की है तथा आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है जैसा कि पहले आयोगों ने भी की थी। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वह गरीब राज्यों का खास तौर पर ध्यान रखे।

मैंने जो कहना था कह दिया है तथा मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर यह सदन पहली बार चर्चा कर रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा है कि जो सरकारें भविष्य में आएंगी वे इस प्रथा को बनाये रखेंगी। कल सत्ताधारी पार्टी के एक सदस्य ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हमारे वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने इस आयोग की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करा कर एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सदन में यह रिपोर्ट रखी जानी चाहिए और इस पर चर्चा इस देश के सदन में होनी चाहिए ताकि सरकार को सत्ताधारी दल के और विरोधी दल के माननीय सदस्य इस पर क्या राय रखते हैं वह मालूम हो सके और यह बात सदर के सामने आ सके।

3.01 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है। इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान के अनुच्छेद 280 में इस प्राविधान को रखा है उसके पीछे कुछ मंशा थी। संविधान बनाने वाले जहां एक तरफ इस देश को एकात्मक और दूसरी तरफ संघात्मक प्रणाली दे रहे थे तो उस समय इस पर

बड़ी गहराई से चर्चा हुई और उन्होंने सोचा कि इस देश के संघात्मक शासन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है ताकि केन्द्र में जिस पार्टी की सरकार हो वह हिन्दुस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी मन मर्जी से, अपने तौर तरीकों से न कर सके। इसलिए संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन का एक इंडिपेंडेंट और सावरेन स्टेटस रखने का प्राविजन दिया है। जिसमें केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध और जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल हो, उनका किस प्रकार से वितरण हो इन सब बातों पर गहराई से विचार किया जा सके।

इस आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में साढ़े अड़तीस हजार करोड़ रुपया राज्यों को हस्तांतरित होगा। इस आयोग की रिपोर्ट में कुल पांच परसेंट बढ़ाकर रखा गया है। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत राज्यों को आर्थिक साधन और उनको सुख सुविधा देने की बात रखी गई थी जबकि आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में सिर्फ पांच परसेंट बढ़ाकर राज्यों को इन संसाधनों को वितरित करने का प्रावधान रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत कम है क्योंकि पिछली बार जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आई हैं और सरकार में बैठी हैं तब से अब तक मंहगाई में 55 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है और आपके वित्त आयोग ने कुल पांच परसेंट बढ़ाया है। महंगाई 55 प्रतिशत बढ़ी, प्रदेशों का हर योजना पर खर्च बढ़ा, चाहे वह अस्पताल की योजना हो, सड़कें बनाने की योजना हो जन-कल्याण की योजना हो या ब्लाक डेबलपमेंट और ग्रामीण विकास की योजना हो, सब पर खर्चा 55 प्रतिशत बढ़ गया है और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेशों को आप केवल पांच प्रतिशत बढ़ा रहे हैं।

मैं खास तौर से यह कहना चाहता हू कि आयकर का अंशदान तो इन्होंने बिलकुल ही पहले जैसा रखा है। सातवें वित्त आयोग ने जो स्थिति रखी थी वही स्थिति ज्यों की त्यों आठवें वित्त आयोग ने रखी है जबकि सरकारिया कमीशन उस पर जांच और अध्ययन कर रहा है कि केन्द्र और राज्यो के अन्दर संसाधनों का तालमेल कैसे बैठना चाहिए, मैं उस पर नहीं कहना चाहता लेकिन प्रदेशों के आर्थिक संसाधनों के बारे में चाहे वह केन्द्र शासित कांग्रेस के प्रदेश हों चाहे विरोधी पार्टियों के द्वारा शासित प्रदेश हों, बहरहाल, यह मांग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा उठाई गई है कि हमको केन्द्र की तरफ से ज्यादा साधन मिलने चाहिए, ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और ज्यादा वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन इस मामले पर केन्द्रीय सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जब वेस्ट बंगाल के चेक रिजर्व बैंक ने डिसआनर कर दिए तब यह झगड़ा भयानक रूप में आपके सामने आया। बिहार के मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र ने बराबर इस बात की मांग की थी, पंजाब के मुख्य मंत्री दरबारा सिंह ने भी बराबर मांग की थी और बंगाल के चीफ मिनिस्टर मांग करते थे और आज भी मांग कर रहे हैं कि हमारे वित्तीय अधिकार अधिक होने चाहिए, केन्द्रीय सरकार ने उनको कम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए वरना विभिन्न प्रदेशों में विकास की जो

दर है वह असमान हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार आज इस चीज को अच्छी तरह से भुगत भी रही है। पंजाब और असम उसके नतीजे हैं। असमान विकास दर होने पर लोगों में वितरित प्रवृत्ति पैदा होना स्वाभाविक है। केन्द्र ने पंजाब को ज्यादा सहायता देकर आगे बढ़ाया जिससे उनमें सुपीरियारिटी कांप्लेक्स पैदा हो गया। पंजाब में विकास की दर सबसे ज्यादा थी। केन्द्र द्वारा पंजाब को ज्यादा योजनायें और ज्यादा सहायता देने की वजह से उसकी उन्नति हुई है। दूसरी तरफ असम इस अनइक्विन डेवलपमेन्ट का दूसरा नतीजा है। अगर देश का समान डेवलपमेंट होगा तो देश के खंडित होने का खतरा नहीं रहेगा। असम में सड़कें नहीं हैं, रेलें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं और आठवें फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो फार्मूला दिया है कि जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सहायता दी जायेगी, और जो उन्होंने 38 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। इस फार्मूले के आधार पर तो जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको कम सहायता दी जायेगी और जो आगे बढ़े हुए राज्य हैं उनको ज्यादा सहायता मिल सकेगी। आठवें फाइनेंस कमीशन के इस फार्मूले के आधार पर पिछड़े हुए प्रदेश पिछड़े ही रह जायेंगे, आगे नहीं बढ़ पायेंगे। यह एक अजीब फार्मूला दिया है। राजस्थान में चूंकि घाटा कम है इसलिए उनको कम सहायता दी जायेगी—यह क्या बात है ? जो घाटा बढ़ाकर दिखाए उसको आप ज्यादा वित्तीय सहायता देंगे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आठवें फाइनेंस कमीशन ने पिछड़े हुए राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति, सूखे की स्थिति, मरुस्थल, प्राकृतिक विविदायें—इन सभी चीजों को नजर-अन्दाज कर दिया है। राजस्थान में 5-7 साल से सूखे की स्थिति है। वहां पर जो नहर बनाई जा रही थी उसकी योजना भी ठप्प है और राजस्थान में आज विकास दर सबसे कम है। जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो फार्मूला बनाया गया है उससे तो पिछड़े ही रहेंगे। उनको आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। आठवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को सरकार मान रही है उसके आधार पर पिछड़े हुए प्रदेशों को 25 प्रतिशत और सर्वाधिक बढ़े हुए प्रदेशों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। मैं समझता हूं यह किसी भी प्रकार से विवेकशील फार्मूला नहीं है। सरकार इस पर पुनः विचार करें। इस देश के जो उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं—असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालेंड, मिजोरम और राजस्थान या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं उनकी विकास दर और भी ज्यादा पिछड़ जायेगी। मैं इस फार्मूले का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश जिनमें आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है वे पिछड़े ही रह जायेंगे। राज्यों को तो पहले से ही शिकायत थी कि केन्द्र ने वित्तीय संसाधनों को सेन्ट्रलाइज कर लिया है हमारे देश की प्रधान मन्त्री बार-बार कहती हैं कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए। इसका कौन विरोध करता है ? कौन कहता है केन्द्र नहीं मजबूत होना चाहिए ? लेकिन राज्यों को कम-जोर करके, राज्यों के फाइनेंशियल रिर्सोज को छीन करके केन्द्र मजबूत नहीं हो सकता है।

केन्द्र तभी मजबूत होगा, जब राज्य मजबूत होंगे उनके फाइनेंशियल रिर्सोसज बढ़ेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो राज्य सरकार नहीं करती है। अस्पताल-जनसुविधायें, विकास की दर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज रोड्स, हर काम प्रदेश की सरकारें करती हैं। लेकिन

प्रदेश की सरकारों को वित्तीय अधिकार देने के बजाय केन्द्र अपने हाथ में अधिकार लेती जा रही है। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। जब तक राज्यों को ज्यादा वित्तीय साधन नहीं देंगे, तब तक राज्यों का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि केन्द्र राज्यों के वित्तीय साधनों को बढ़ाये। आज उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं, आज उनको नहर और पुल व सड़क सब चीजें चाहिए। इसलिए मैं इस फार्मूले का विरोध करता हूं। एक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि 1985-86 में घाटा कम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि पिछड़ा हुआ राज्य जो है, उस राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से फाइनेंशियल रिसोंसेज को फार्मूलेट करना चाहिए। विकास की दर कैसे बढ़ेगी अगले दो साल में घाटा नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले दो सालों में राजस्थान का क्या होगा ? उनका विकास कहां जाएगा, उनके इस पर केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री गहराई से विचार करें। इस देश की एकता और अखण्डता के लिए भी जरूरी है कि केन्द्र के पास वित्तीय रिसोंसेज कम हों और राज्यों के पास ज्यादा हों। केन्द्र के हाथ मजबूत करने का मतलब है, श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करना। उस हाथ में पूरी शक्ति हो, यह मनोवृत्ति इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है, मैं इसका विरोध करता हूं। केन्द्र की मजबूती के नाम पर राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर संविधान के अनुच्छेद 280 की आत्मा को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं श्री यशवंतराव चव्हाण की अध्यक्षता में बनाये गये वित्त आयोग को बधाई देता हूं क्योंकि इसने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है यह वास्तविक, निष्पक्ष तथा प्रगतिशील है। प्रतिवेदन में विभिन्न अभिकरणों द्वारा आयोग को दिए संसाधन व्यय सम्बन्धी व्यापक आंकड़ों के विश्लेषण में सहनशीलता पूर्वक और परिश्रम से किये गये प्रयासों की झलक मिलती है। प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि आयोग ने विचाराधीन पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की बदलती हुई आर्थिक दशाओं और वित्तीय अपेक्षाओं के विवेचन में बड़ी सूझबूझ से काम लिया है महोदय, इस आयोग ने पूर्व आयोगों की सिफारिशों का गहन अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें न केवल विभिन्न राज्यों की वित्तीय/आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बल्कि वितरण न्याय के स्वीकार्य सिद्धांतों को भी ध्यान में रखते हुए की गई हैं। भारत में संघीय राजनैतिक व्यवस्था है तथा वित्त आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य संघीय वित्तीय व्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना है जो उसी का एक भाग है। प्रतिवेदन की दो महत्वपूर्ण सिफारिशें आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों के बारे में है। पहले वित्त आयोग ने आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों का 55 प्रतिशत अंश राज्यों के लिए रखा था। धीरे-धीरे यह प्रतिशतता बढ़ती गई तथा सातवें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया तथा आठवें वित्त

आयोग ने भी इसे 85 प्रतिशत रहने दिया। इस 85 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत अंशदान के आधार पर वितरित किया जाएगा तथा 90 प्रतिशत राज्यों के बीच उत्पादन शुल्क के आधार पर नियत किया जाएगा संविधान के अनुसार राज्यों के बीच आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण अनिवार्य है तथा संघ उत्पाद-शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का बटवारा संसद के हाथ में है। जहां तक उत्पाद-शुल्क का संबंध है पहले कुछ ही वस्तुओं को लिया गया था तथा उनकी भी प्रतिशतता कम थी। बाद में धीरे-धीरे वस्तुओं की संख्या तथा प्रतिशतता को बढ़ाया गया। अन्ततोगत्वा चौथे वित्त आयोग ने राज्यों की इस मांग पर कि उन्हें सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क की शुद्ध प्राप्ति का अंश मिलना चाहिए विचार किया तथा उसे उचित ठहराया आठवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यों को उन उत्पाद-शुल्कों को छोड़कर जिन्हें अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एकत्रित किया जाता है सभी उत्पाद-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों तथा विशेष प्रयोजनों के लिए निर्धारित उपकरों में से अंश मिलना चाहिए।

अब, इन दो सिफारिशों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि आय-कर का राज्यों को 90 प्रतिशत भाग तथा उत्पाद-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों को 40 प्रतिशत भाग राज्यों के बीच उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वितरित किया जायेगा। यह आठवें वित्त आयोग की एक नयी सिफारिश है। यह सिफारिश सभी पूर्व वित्त आयोगों की सिफारिशों से भिन्न है। मुझे आशा है कि वह माननीय सदस्य जिन्होंने अभी अपने विचार व्यक्त किए थे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे कि यह बात नियतनों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। जितना गरीब राज्य होगा उसका नियतन उतना ही अधिक है। इस सिफारिश के पीछे यह उद्देश्य है।

इस प्रयोजन के लिए वितरण सम्बन्धी जो फार्मूला तैयार किया गया है उसके अनुसार जन संख्या को 25 प्रतिशत की प्रधानता दी जाती है क्योंकि आयोग सभी राज्यों की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए जनसंख्या को ही मूल कसौटी मानता है। किसी भी राज्य को उसका अंश सभी राज्यों की कुल जनसंख्या में उस राज्य की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार दिया जाता है। इस फार्मूले को तैयार करते समय राज्यों के पिछड़ेपन को बहुत महत्व दिया है अतः प्रति व्यक्ति आय के उत्तर को 25 प्रतिशत की प्रधानता दी जाती है। और जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यदि दो राज्य 'क' और 'ख' की जनसंख्या एक एक करोड़ है तथा 'क' राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय 100 रुपये है और 'ख' राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये है तो राज्य 'क' को राज्य 'ख' से दुगुनी रकम मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के दौरान किसी राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य, जैसे पंजाब की प्रति व्यक्ति आय के बीच के अन्तर को 50 प्रतिशत की प्रधानता दी जाती है यद्यपि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है फिर भी उसे कुछ न कुछ मिलना चाहिए। इस फार्मूले के अन्तर्गत तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अतः पंजाब को कुछ न कुछ देने के लिए प्रति व्यक्ति आय के इस

अनार को हरियाणा के अनार के समान माना गया है ताकि पंजाब को फार्मूले के इस भाग के अन्तर्गत कुछ मिल सके। यह फार्मूला उन राज्यों के अधिक पक्ष में है जो पिछड़े हुए हैं। विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास में कितना असंतुलन है इसके लिए वित्त आयोग उड़ीसा और महाराष्ट्र का उदाहरण उद्धृत करता है। आयोग का कहना है कि उड़ीसा के मामले में 1982-83 में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच प्रतिशतता 42.6 प्रतिशत थी जबकि महाराष्ट्र के मामले में यह 107.2 प्रतिशत थी। विभिन्न राज्यों की राजस्व क्षमता में इतना अधिक अन्तर था। आयोग ने राज्यों के पिछड़ेपन के स्तर एवं राजस्व प्राप्त करने की उनकी क्षमता को प्रतिबिम्बित करने के लिए किसी अन्य कसौटी की बजाय प्रति व्यक्ति आय की कसौटी को अधिक उपयुक्त कसौटी माना है। आय-कर तथा उत्पाद-शुल्क का अंश दिए जाने के बावजूद भी कुछ राज्यों के पास धन की कमी है। ऐसे राज्यों की सहायता के लिए इस आयोग ने एक नया फार्मूला तैयार किया है जो पिछले आयोगों के प्रतिवेदनों से बिल्कुल भिन्न है तथा नयी किस्म का है। आयोग कहता है कि कमी वाले राज्यों के बीच उत्पाद-शुल्क का प्रतिशत किया जाना चाहिए।

इसलिए हमने यह भी सिफारिश की है कि उत्पाद शुल्क की शुद्ध प्राप्ति का अतिरिक्त 5 प्रतिशत अलग रखा जाये और कमी वाले राज्यों में वितरित किया जाए। यह सभी करों और शुल्कों में उनके भाग को ध्यान में रखकर किया जाये जिसमें उत्पाद-शुल्क में उनके भाग और रेल यात्री किराये पर उनके कर के बदले में उनके अनुदान को शामिल किया जाये परन्तु सारदा शुल्क में उनके भाग और कृषि सम्पत्ति पर धन-कर के कारण अनुदान को शामिल किया जाये। यह वितरण प्रत्येक राज्य की कमी के सभी राज्यों की कमी की कुल राशि के अनुपात के आधार पर होगा और इस कमी का अनुमान आयोग द्वारा लगाया जायेगा। इसके बाद भी कुछ राज्यों को वित्तीय कमी का सामना करना पड़ेगा और इसलिए आयोग का कहना है और इस सिद्धांत को पिछले आयोग द्वारा भी स्वीकार किया गया था— कि हमें ऐसे सभी राज्यों को सहायता अनुदान देना चासिए। ये सहायता अनुदान इसलिए दिया जाए ताकि राज्य इस वित्तीय अन्तर को पूरा कर सकें और वांछित तरीके से वर्तमान सेवाओं को बनाये रखें और भविष्य के लिए भी राजस्व व्यय रख सकें। इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा संसाधन जुटाने और सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता और प्रबन्ध के अनुरूप व्यय में कमी करने के लिए कर वसूली के लिए किए गए प्रयासों को भी ध्यान में रखना चाहिए ; इस सिफारिश की भी आलोजना की गई है क्योंकि यदि आप राज्यों को अपनी कमियां दूर करने के लिए सहायता अनुदान देते हैं तो और अरभता को बढ़ावा दे रहे हैं। इस आपत्ति को दूर करने के लिए आयोग का कहना है कि आप तीन बातों पर विचार करने के बाद सहायता-अनुदान देते हैं उनको राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना सरकारी उद्यमों का उनका प्रबन्ध और व्यय में उनके द्वारा की गई कमी। सहायता अनुदान विकसित और कम विकसित राज्यों के बीच विभिन्न प्रशासनिक एक सामायिक सेनाओं की उपलब्धता में विषमता को दूर करने के लिए भी दिया जा सकता है। यह अनुदान उन राज्यों को भी दिया जा सकता है। जो ऐसे विशेष कार्य करती है जो राष्ट्रीय महत्व के हों। आठवें वित्त आयोग ने भी इन सिद्धांतों पर विचार किया था

और वह सातवें वित्त आयोग के विचारों से सहमत था। भारत एक विशाल देश है और विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास में बहुत भिन्नता है । कुछ राज्य अपनी सेवाएं समुचित रूप से बनाये रखने में असमर्थ हैं । इसलिए आयोग ने कहा है कि राज्यों को अपनी सेवाएं बनाये रखने के लिए सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए । इस प्रयोजनार्थ उन्होंने आठ क्षेत्र चुने हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन और जिला प्रशासन । हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में 35 प्रतिशत स्कूल एक अध्यापक वाले स्कूल हैं । 22 राज्यों में 4, 55, 023 प्राइमरी स्कूलों में से 1, 65, 848 स्कूल अर्थात् 36.5 प्रतिशय प्राइमरी स्कूल एक अध्यापक वाले स्कूल हैं । इन स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए ऐसे राज्यों को सहायता देना जरूरी है।

न्यायिक प्रशासन के मामले को लीजिए । हमारे यहां पर्याप्त न्यालय और न्याधीश नहीं है। 1983 में 31.12.81 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 90.7 लाख मुकदमे निलम्बित हैं । राज्यों को अपनी सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए आयोग ने 967 करोड़ रुपये तक के अनुदान की सिफारिश की है ।

आठवें वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों के राजस्व के करों, उत्पाद शुल्कों और सहायक अनुदान के माध्यम से 39, 452 करोड़ रुपये के स्थानान्तरण का प्रस्ताव किया है । इससे उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश को 2,896 करोड़ रुपये महाबार को 2,635 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 2,856 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 3,445 करोड़ रुपये मिले । इस प्रकार स्थानान्तरित की गई राशि सातवें वित्त आयोग द्वारा स्थानान्तरित की गई राशि से लगभग 90 प्रतिशत अधिक है । यह राशि 21,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 39,452 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार प्रतिवेदन ने राज्यों को एक बड़ी राशि दे दी है । आयोग इससे अधिक नहीं कर सकता था । सरकार के कुल संसाधन सीमित है । उन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता । केन्द्रीय सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं । रक्षा पर व्यय, खाद्य और उर्वरकों पर सहायता और व्याज की अदायगी को भी ध्यान में रखना होगा । इन तीनों मदों पर केन्द्रीय सरकार का 50 प्रतिशत राजस्व कम हो जाता है । शेष में से 37 प्रतिशत राज्यों को दिया जा रहा है । वित्त आयोग इससे अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता । हमने राज्यों के बीच क्षेत्रीय असन्तुलन को भी दूर किया है ।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए ।

श्री वाई० एस० महाजन : मैं समाप्त कर रहा हूं मैं विपक्ष द्वारा की गई आपत्तियों पर आ रहा हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : हम किसी के भाषण पर आपत्ति नहीं करते ।

श्री वाई० एस० महाजन : माननीय सदस्यों ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है विशेषकर यह कि उसमें 1984-85 का उल्लेख नहीं होना चाहिए । किन्तु यह बात नहीं समझी

गयी कि आयोग की सिफारिशें अनिवार्य नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। मुझे संविधान के उपबन्धों को पढ़कर सुनाने की अनुमति दें।

श्री सतीश अग्रवाल : आप इस बात से अप्रसन्न नहीं है कि उन्हें 1984-85 में लागू नहीं किया गया। आप तो अप्रसन नहीं दीखते।

श्री वाई० एस० महाजन : अनुच्छेद 280 (3) में कहा गया है :

"सिफारिशें करना आयोग का कर्तव्य होगा। ये केवल सिफारिशें हैं। ये संचार नहीं हैं। वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, ऐसे उदाहरण दें कि आयोग ने पांच वर्ष के लिए सिफारिशों की परन्तु तीन साल बाद सिफारिशें समाप्त कर दी गई क्योंकि यह फैसला किया गया कि तीन वर्ष तीन वार्षिक योजनायें मानी जाए। तीसरे वित्त आयोग से चार वर्षों के लिए सिफारिशें करने के लिए कहा गया दूसरे यह कहा जाता है कि चूंकि इन सिफारिशों को 1984-75 में स्वीकार नहीं किया गया इसलिए कुछ राज्यों के साथ अन्याय हुआ है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि 1984-85 के लिए सिफारिशें स्वीकार न करने से राज्यों को 14,000 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। परन्तु हमें वित्त मन्त्री द्वारा राज्यों की योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये के उपबन्ध को और आयोग की 494 करोड़ रुपये की सिफारिशों को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सिफारिशे इस वर्ष के लिए स्वीकार की गई हैं तो वित्त मन्त्री को कराधान में 1400 करोड़ रुपये का वृद्धि करनी होगी या इतनी राशि की घाटे की व्यवस्था करनी होगी परन्तु इससे मुद्रास्फीति हो जायेगी। इसलिए इस वर्ष में सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

यदि वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया गया होता तो विपक्ष की बहुत आलोचना निरर्थक हो जाती। अगले पांच वर्षों के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है हम साल के शुरू में बजट लाते हैं और तीन महीने बाद ही वित्त मन्त्री को अनुरूपक मांगें पेश करनी होती हैं यदि वित्त मन्त्री को स्थायी विवाद बना दिया जाता है तो यह प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे सकता है और यह कठिनाई दूर हो सकती है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभा इस समय माननीय वित्त मन्त्री के प्रस्ताव पर बहस कर रहीं हूं जो आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में है कल माननीय वित्त मन्त्री ने बताया था कि यह प्रतिवेदन 1983-85 से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। जो सिफारिशें 1984-85 में लागू नहीं की जा रही है मैं उनकी वैद्यता के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

कल मुझे दो प्रभावशाली भाषण सुनने को मिलें एक माननीय श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का, जो कि एक समय छठे वित्त आयोग के सभापति रहे हैं, जिसने अपने प्रतिवेदन 1973 में प्रस्तुत

किया । कई बातों में मैं उनसे सहमत हूं । उनके ओजस्वी भाषण पर मैं उन्हें बधाई देता हूं । श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी तथा श्री रंगा जैसे वरिष्ट व्यक्तियों से यही उम्मीद की जाती है कि वे बिना इस बात के विचार किये कि मन्त्री महोदय प्रसन्न होते हैं अथवा अप्रसन्न होते हैं, मामलों पर अपनी राय को सभा में दृढ़ता से व्यक्त करते हैं । श्री महाजन मन्त्री महोदय की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का विचार कर सकते हैं परन्तु श्री रंगा नहीं । मैं न तो वरिष्ठ सांसद हूं और न ही अनुभवी सांसद मैं एक तुच्छ सांसद हूं । परन्तु इस सभा में मेरा एक विशिष्ठ रवैया रहा है तथा जिन विषयों, में मैंने उचित समझा उसपर बिना इस बात पर विचार किये कि क्या सरकार इससे प्रसन्न होगी अथवा विपक्ष इससे प्रसन्न होगा, अपना मत व्यक्त करता रहा हूं । कई बार मैं अनेक मामले में ऐसा रूख अपनाता रहा हूं जो विपक्ष के मेरे मित्रों को अच्छा नहीं लगा है । किन्तु मैंने ऐसा किया है ।

जहां तक सांवैधानिक पहलू, वैधता अथवा अवैधता का सम्बन्ध है, मैं यह मामला वित्त मंत्री को सौंपता हूं । डा० अशोक मित्र उच्चतम न्यायालय में जायें वैधता अथवा अवैधता, संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता के बारे में केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय को चुनौती दें । मैं यह प्रश्न उनके लिए छोड़ता हूं ।

हम 1984 में हैं । इन वर्षों के दौरान बहुत कुछ हो चुका है । हमें इस समस्त समस्या के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना होगा । हमारा संसदीय लोकतंत्र है । हमारी संघीय व्यवस्था है । हमारे यहां राज्य हैं और केन्द्रीय सरकार है और कोई भी देशभक्त सांसद अथवा भारतीय यह नहीं चाहेगा कि केन्द्र कमजोर हो । केन्द्र मजबूत होना चाहिए । केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई उपसमिति में हमने अपने टिप्पण में जोरदार सिफारिश की थी कि सीमा शुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए । यह बड़ा सख्त निर्णय है परन्तु हमने यह निर्णय किया था । हमारी उपसमिति के प्रतिवेदन के पहले पैराग्राफ में हमने कहा है कि भारत एक है, भारत के लोग एक हैं और वे एक होने चाहिए और हमारा देश मजबूत होना चाहिए । मजबूत केन्द्र के बिना भारत मजबूत नहीं हो सकता । राज्य हमारी इकाईयां हैं और परिवार के मुखिया के रूप में उनके हितों को देखना हमारा फर्ज है । हमारे यहां अनुसूची, सूची-एक, सूची-दो और समवर्ती सूची है । हमें विकास कार्यों के लिए धन चाहिए । केन्द्र को मुख्य रूप से रक्षा, ब्याज की अदायगी और सहायता आदि पर खर्च करना होता है । परन्तु राज्यों में समस्त विकास कार्य राज्य क्षेत्र में आते हैं चाहे वह सड़क निर्माण हो या कृषि या सिंचाई या स्कूल शिक्षा या गांव में पीने का पानी आदि । अतः हमारे समाज की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की देख रेख राज्य करते हैं । इसलिए विकास कार्यों के लिए राज्य मजबूत होने चाहिए । मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं कि राज्य संसाधन जुटाने में पीछे रहे हैं और मेरे पास पहले वित्त आयोग से लेकर सातवें वित्त आयोग तक का पूरा ब्यौरा है जिसमें 1951-52 से 1983-84 तक श्रेणीवार यह बताया गया है कि हमारी कुल वसूली कितनी हुई है, कितना भाग राज्यों को दिया गया

है, राज्यों का कुल राजस्व क्या रहा है ? और केन्द्र द्वारा राज्यों को कितना धन दिया गया है। वर्ष 1951-52 में केन्द्र सरकार की कुल वसूली 506 करोड़ रुपये थी और राज्य की कुल वसूली उस वर्ष में 423 करोड़ रुपए थी। 1951-52 में यह कम थी परन्तु हर पांच वर्ष बाद यह बढ़ी है और 1979-80 में केन्द्रीय सरकार की वसूली 506 करोड़ रुपये से बढ़कर 11783 करोड़ रु० हो गई और राज्यों का राजस्व 430 करोड़ रुपये से बढ़कर 13850 करोड़ रुपये हो गया। इस इस तरह राज्य पीछे नहीं रहे हैं। 1981-82 में केन्द्र की वसूली 15364 करोड़ रुपए थी और राज्यों की वसूली 16666 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों का राजस्व भी काफी तेज गति से बढ़ा है। राज्यों ने भी अपने संसाधनों को अपेक्षित गति से बढ़ाया है। उनका दुरुपयोग एक और बात है।

जहां तक केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए गए धन का सम्बन्ध है, 1951-52 में केन्द्र ने 53 करोड़ रुपए दिए थे और अनुदान केवल 15 करोड़ रुपए था। बाद में इसमें वृद्धि होती गयी। यह केन्द्रीय सरकार की कुल वसूली का 10 प्रतिशत था 506 करोड़ रुपये में से 53 करोड़ रु० राज्यों को दिए गए जोकि केवल 10 प्रतिशत था। दूसरे वित्त आयोग के बाद ये 18 प्रतिशत हो गया। बाद में 1958-58 में यह 22 प्रतिशत, 1959-60 में 20 और 1960-61 में 20 प्रतिशत रहा। परन्तु 1966-67 में यह घटकर 15 प्रतिशत हो गया। केन्द्र की 2295 करोड़ रुपए की कुल वसूली में से 368 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गये जोकि केवल 15 प्रतिशत था। इस तरह उनका भाग कम हो गया। बाद में यह निःसन्देह बढ़ गया। सातवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद यह बढ़ गया था। आप जनता पार्टी पर बहुत से आरोप लगा सकते हैं। परन्तु आपको कभी-कभी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सातवें वित्त आयोग ने उत्पाद-शुल्क के भाग को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। जनता पार्टी ने सातवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और राज्यों का भाग 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया।

यह एक समुचित कारण है कि उस विशेष वर्ष, 1979-80, में, जबकि केन्द्रीय स्तर पर कुल 1568 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल हुए, स्थानान्तरण 1450 करोड़ रुपए अधिक का ही हुआ। अतः 1979-80 में केन्द्रीय स्तर पर जो कुछ भी वृद्धि हुई उसे लगभग समग्ररूपेण राज्यों को स्थानान्तरित कर दिया गया।

मेरा यह मत नहीं है कि पूरी केन्द्रीय वसूली राज्यों को अन्तरित कर दी जाये। परन्तु मैं उम्मीद कर रहा था कि आठवां वित्त आयोग विभाज्य पूल में, जहां तक उत्पाद-शुल्क का प्रश्न है, राज्यों के हिस्से में बढ़ोत्तरी करेगा, उसे दुगुना तो नहीं किया जायेगा जैसा कि सातवें वित्त आयोग ने, 20% से बढ़ाकर 40% किया था। मैं यह उम्मीद तो नहीं कर रहा था कि उसे 40% से बढ़ाकर 80% किया जायेगा परन्तु मुझे उम्मीद थी कि उसे 40 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

अब बताया गया है कि उसे 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया है परन्तु यह 5 प्रतिशत की वृद्धि सभी राज्यों को प्राप्त नहीं होगी। यह कतिपय राज्यों को विशेष आवंटन है। अतः व्यवहारिक रूप से यह वृद्धि नहीं है। मैं इसके लिए तक क्यों दे रहा हूं ? क्योंकि उत्पाद-शुल्क औद्योगिक क्षेत्रों से निर्मित वस्तुओं से प्राप्त होता है। उनका निर्माण विभिन्न उद्योगों द्वारा होता है। राज्यों ने ही उन्हें सस्ती दर पर भूमि, पानी, बिजली उपलब्ध करायी है। अतः औद्योगिकरण बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि वे बराबर के हिस्सेदार हैं उन्हें 50 50 दिया जाना चाहिए। उत्पाद-शुल्क में उनकी मांग 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है। अतः इस बारे में वित्त आयोग की सिफारिशों पर मुझे रोष है। उसी प्रकार सिफारिश की गई 5 प्रतिशत की वृद्धि सभी राज्यों में वितरित नहीं की जायेगी। यह मेरी दूसरी शिकायत है। तीसरे यह सिफारिशें वर्ष 1984-85 से क्रियान्वित नहीं की जा रही।

सिद्धांत के रूप में आप कह सकते हैं कि 1984-85 शुरु हो गया है तथा चार महीने व्यतीत हो गये हैं। आठ महीने अभी शेष हैं तथा आठ महीने निश्चय ही चार महीनों से अधिक होते हैं। आप राज्यों को उनके लाभों एवं संसाधनों से इसलिए वंचित रख रहे हैं क्योंकि बजट को अभी अन्तिम रूप दिया गया है। क्या आप केन्द्र के बजट में अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था नहीं कर रहे। अतः संशोधित बजट उपबन्ध किए जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि सरकार ऐसा करने को तैयार हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि राजनीतिक इच्छा हो तो वह ऐसा कर सकते थे। परन्तु दुर्भाग्य से, उपमा उतनी समान नहीं है राजस्थान सहित सभी राज्य इसी वर्ष से लेना चाहते हैं।

भले ही मैं सामान्य बातें उठा रहा हूं परन्तु मैं संक्षेप में राजस्थान का उल्लेख करना चाहूंगा। राज्य को अभी तक राजस्व अनुदानों के मामले में 34 करोड़ रुपए से वंचित रखा गया विशेष समस्या अनुदानों के मामले में 2 करोड़ रुपए, स्तर-सुधार के मामले में 8 करोड़ रुपए, आंशिक अनुदानों के मामले में 8 करोड़ रुपए, समग्र रूप से उसे 52 करोड़ रुपए से वंचित रखा गया है। उसी प्रकार ओवर-ड्राफ्टों की अदायगी तथा राहत कार्यों पर व्यय के मामले में राजस्थान को हानी रही है। क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान मुख्यतः रेगिस्तान है ? राजस्थान का 60 प्रतिशत भाग मरुस्थल है। राजस्थान गम्भीर समस्याओं वाला राज्य है। विभिन्न राज्यों में प्रति-व्यक्ति अनुदान के बारे में मेरा एक आरोप है। राजस्थान को प्रति व्यक्ति 210 रुपए मिल रहे हैं। क्यों ? उस तरह के कई राज्य हैं। आन्ध्र प्रदेश को 175 रुपए। असम को 583 रुपए, बिहार को 190 रुपए। जम्मू और काश्मीर जैसे कुछ राज्यों को 832 रुपए मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को 979 रुपए। मेघालय-निःसन्देह एक पृथक राज्य है—नागालैंड को 4000 रुपए से अधिक मिल रहे हैं। मेरा उनसे कोई दुर्भाव नहीं है। पूर्वी राज्यों को विशेष लाभ मिलने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर बहुत कम समय में बोलना

कठिन है। मैं यथा संभव अत्यन्त संक्षेप में बात कहने की चेष्ठा कर रहा हूं। (व्यवधान) अब मैं अपनी विचारधारा की कसोटी बताता हूं। आपके पास भी कसोटी है आप जनसंख्या तथा कुछ अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देने हैं। जन संख्या के आधार पर जो कुछ आप देते हैं, उस पर मैं आपके तथा सभा के विचार के लिए कहना चाहता हूं। क्या आप जन-संख्या वृद्धि के पक्ष में हैं। यदि किसी राज्य की जन संख्या में निर्धारित राष्ट्रीय मानदण्ड से अधिक वृद्धि होती है, कोई राज्य परिवार नियोजन के राष्ट्रीय मानदण्डों का प्राप्त करने में विफल रहती है तो स्वभावतः राज्य को प्रोत्साहन क्यों दिया जाये ? उसमें कटौती क्यों न की जाये। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मान दण्ड हैं कि जनसंख्या इसके लिए एकमात्र कसौटी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश क्षेत्रीय असमताएं हैं और यदि विशेष राज्य में भी क्षेत्रीय असमानताएं है— मेरे पास जन संख्या के बारे में अन्तिम आंकड़े हैं—कई राज्य में अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। ये वृद्धि अनुपात से बहुत अधिक है यथा वर्तमान सूत्र से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। वे जन संख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगा पाते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है—जनसंख्या और विकास यदि कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि होती रहती है तथा यह राज्य परिवार नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होते हैं, तो ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में देश में जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, यदि आप मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि बम-विस्फोट से भी खतरनाक है—तब वित्तीय हस्तान्तरण में यह किस प्रकार प्रकट होता है ? आप इस पर विचार करें। मेरा सुझाव है···

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : व्यवधान के लिए मुझे खेद है। आठवें वित्त आयोग की यही भूमिका है। पहले 90 प्रतिशत अन्तरण जनसंख्या के आधार पर होता था और आठवे वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि इसे 90 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया इस बात पर ध्यान दिया गया है

श्री सतीश अग्रवाल : पूरे दृष्टिकोण पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा।

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरा इरादा आपकी बात को एक दृष्टि से सुधार का है, कि उन्होंने जनसंख्या को महत्व नहीं दिया है, उन्हें पिछड़ेपन, दरी के सूत्र को महत्व दिया है। उच्चतम तथा निम्नतम प्रति व्यक्ति आय के अंतर को 50 प्रतिशत महत्व दिया गया है मैं केवल स्थिति को स्पष्ट करना चाहता था।

श्री सतीश अग्रवाल : यह पूर्णतः ठीक है। मैं जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा था। इस समय एक ही विशेष बात पर आग्रह कर रहा हूं कि यदि कोई राज्य इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है जो कि हमने स्वयं निर्धारित किये हैं उन्हें कम धन का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

वैसे ही इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पिछले 32 वर्ष में आयोजन पर

हमने 300 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान भी हम उतनी ही राशि कम कर रहे हैं। यदि कुछ राज्य योजना परियोजनाओं की क्रियान्विति पर पिछड़ी रहती हैं, तो हम धन कहा से प्राप्त करेंगे ? यदि उन विशेष लागत में 10 गुना अथवा 15 गुना वृद्धि हो जाती है, यदि सिंचाई तथा मुख्य परियोजनाएं निर्धारित अवधि में क्रियान्वित नहीं होती तो किसी तरह की नई संकल्पना शुरु करनी पड़ेगी। निःसन्देह, अपने विभिन्न राज्यों में प्रशासन के स्तर के सुधार की व्यवस्था की है। यह किया जाना चाहिए इसमें मेरा कोई विवाद नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि फालूतू धन है। तो हमारी विकास परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन करने कार्य-कुशलता लाई जानी चाहिए और इस पर भविष्य में ध्यान दिया जाना चाहिए। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छठी योजना में बीस सूत्री कार्यक्रम की मुख्य भूमिका है। सत्तारूढ़ दल के लोगों का हम पर यह आरोप सर्वथा निराधार है कि हम इस कार्यक्रम को मिथ्या कार्यक्रम मानते हैं। कांग्रेस (इ) के सदस्यों की भी शिकायतें हैं बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में शिकायतें हैं।

मैं माननीय सदस्यों को याद कराना चाहता हूं कि भजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी ने मेरे आर्थिक संकल्प पर संशोधन रखा कि अन्त में यह जोड़ा जाये कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम धोका है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैंने बताया कि 20 सूत्री कार्यक्रम छठी योजना का सार भाग है। तदानुसार इस संशोधन का अभिप्राय है छठी योजना को अस्वीकार करना, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

राज्य सरकारें मांग करती आई हैं कि इसे क्रियान्वित किया जाये। हम संविधान का संशोधन क्यों नहीं करते। आप इसे अनिवार्य कर दें कि राज्य भी अपने वित्त आयोग नियुक्त करें। इस देश के प्रशासन का कार्य केन्द्रीय सरकार, राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाया जा रहा है। स्थानीय निकाय एक तरह से बहुत खराब स्थिति में हैं। उन्हें समुचित अनुदान नहीं मिलते। आप अगले वित्त आयोग के निदेश-पदों में यह उपबन्ध करें केन्द्र से धन राज्यों को आवंटित किया जाना है तथा राज्यों से स्थानीय निकायों को आवंटित किया जाना है। राज्यों से स्थानीय निकायों को स्थानान्तरण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हमारे स्थानीय निकायों को या तो संविधान में अथवा वित्त आयोग के निदेश-पदों में विधिक मान्यता मिलनी चाहिए, जिसका मेरे माननीय साथी श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी ने उल्लेख किया है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आप उन्हें अनुमति क्यों नहीं देते।

सभापति महोदय : क्या आपका अभिप्राय है कि वह दो घंटे तक बोलें।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जिसमें हर व्यक्ति की रुचि है। अतः मैंने सोचा कि मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए।

कृपया इस बात पर विचार करें कि सहायक कर्त्तव्य तथा अतिरिक्त कर्त्तव्य उसमें सम्मिलित न किए जायें।

अधिशुल्क, निगमित करों इत्यादि पर सिफारिशों के सम्बन्ध में आप केन्द्र में हैं। आप राज्य सरकारों का गला मत घोटे। राज्य सरकार में कोई भी पार्टी हो सकती है।

3.53 म०प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

फिर भी सारा देश एक है। यह सरकार एक परिसंघ है। मैं समझता हूं कि आप आठवें वित्त आयोग पर आरोप लगा रहे हैं—उन्होंने प्रतिवेदन देरी से प्रस्तुत किया। उनका कहना है वे क्या कर सकते हैं। सरकार ने ज्ञापन ही देर से दिया।

श्री वाई० बी० चव्हाण ने अच्छा कार्य किया है। आपने कल उनकी प्रसंसा की थी। हम आज उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं। वह क्या कर सकते हैं? आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। यह कैसा मामला है। राज्यों के साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

आपने दो दिन पूर्व समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। एक लड़की अंजु की कहानी छपी है। एक स्वीटी थी तथा एक लड़का टोनी था स्वीटी ने मलहोत्रा के कहने पर अंजु की हत्या करवा दी क्योंकि स्वीटी का मल्होत्रा से प्यार था। अतः अब राज्यों को अंजु बना रखा है। आपको इसका निर्णय लेना है। उनका विकास हमारा विकास है। राज्य हमारे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। आई० आर० डी० बी० राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये सभी कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किये जाने हैं, केन्द्र द्वारा नहीं परिवार के मुखया के नाते आप राज्यों के हितों का ध्यान रखें।

अंतिम बात मैं निधि बढ़ाये जाने की बात कहूंगा। मैं श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के इस सुझाव से सहमत हूं कि पूरा विवाद कम अनुदान का है। मांगे अधिक हैं। इसका क्या समाधान हो। अनुदान बढ़ाने के लिए हमें अपने कर-प्रशासन व्यवस्था की सभी कमियों को दूर करना है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं कि हालात सुधरेंगे। उन्होंने कर-अपवंचन के आकड़े 30 से 40 प्रतिशत आंके हैं। मेरा कहना है कि बिक्री कर के मामले में कर अपवंचन 100 प्रतिशत है। सीमा-शुल्क के मामले में निःसन्देह स्थिति विकट नहीं हैं परन्तु उत्पाद-शुल्क के मामले में यह 50 से 60 प्रतिशत है। मुझे विश्वास है कि यदि हम कर। के मामले में अपवंचन को रोक पाते हैं तथा संगत कर नीति अपनाते हैं, तो हमें कोई घाटा नहीं रहेगा। हमें अतिरिक्त करों की आवश्यकता नहीं है। हमारी अर्थ-व्यवस्था काफी आत्म-निर्भर बन सकती है।

अन्त में मैं वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह इसे प्रतीष्ठाका मामला न बनायें कि वह इसे 1984-85 से लागू करेंगे । यदि इसमें कोई कठिनाई है तो आप सभा में विधिवत आश्वासन दें कि आप इसे 1984-85 से क्रियान्वित करेंगे । परन्तु जो कुछ भी 1984-85 में देय है आप राज्यों को 1985-86 और 1986-87 आदि में देंगे, और उसका समायोजन 1985-89 में किया जाये । आप कह सकते हैं कि यह आपकी बकाया है जो कि आपको दे दी जायेगी । परन्तु एक माननीय मन्त्री के नाते आप इस वर्ष राज्यों को जो कुछ देय है, अवश्य दें । आप कह सकते हैं, यह आपका देय है हम इस वर्ष नहीं दे सकते, अगले वर्ष दे देंगे । अगले वर्ष का आगामी 4 वर्षों में दे देंगे । पूरे धन का समायोजन किया जायेगा तथा आपको अतिरिक्त धन दिया जायेगा । उनकी समस्याएं हल हो जायेंगी । आपको सभा के सभी पक्षों की प्रशंसा प्राप्त होगी । अन्यथा केवल एक दो सदस्यों ने आपकी प्रशंसा की है अन्य सभी वर्गों ने आपकी आलोचना की है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, महोदय,

एक माननीय सदस्य : वह उड़ीसा के हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं समझता हूं कि आप मेरी प्रति नम्र रहेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आपको जल्दी है । मुझे इसका पता नहीं था । यदि मुझे पता होता कि आपको मेरे बाद बोलना है तो मैं कुछ पहले ही समाप्त कर देता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा विचार है कि आप 25 मिनट ले चुके हैं ।

सभापति महोदय, श्रीमान, केन्द्र-राज्य संबंधों का एक महत्वपूर्ण मसला केन्द्र-राज्यों में संसाधनों का वितरण है । इसे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इससे केन्द्र राज्यों के बीच विवाद समाप्त हो जाये तथा राज्य देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बराबर के साझीदार के रूप में कार्य कर सकें । इसलिए प्रति 5 वर्षो के लिए हम वित्त आयोग नियुक्त करते आ रहे हैं इस राष्ट्रीय उद्देश्य से कि क्षेत्रीय असमानताएं समाप्त हो जायें, क्षेत्रों के मध्य, राज्यों और राज्यों के मध्य असमानताएं दूर हो जायें इन वित्त आयोगों की नियुक्ति की जाती है । हम इस बात की चेष्टा भी करते हैं कि एक वित्त आयोग से दूसरे वित्त आयोग को संसाधनों का अन्तरण किस प्रकार किया जाता है करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बटवारा किस प्रकार है ।

यदि आप पिछले वित्त आयोगों द्वारा किए गये कार्य को देखें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने विभिन्न राज्यों और लोगों की इच्छाओं को समझने की कोशिश की हैं और उन्होंने ऐसे

पंचाट दिए हैं जिनके द्वारा पिछले वर्षों में केन्द्र की ओर से केन्द्र से राज्यों को अधिकाधिक धन दिया जाता है। जब आठवें वित्त आयोग ने उड़ीसा का दौरा किया था तो हमें ज्ञापन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस ज्ञापन में उड़ीसा के हमारे संसद सदस्यों ने सुझाव दिया था कि क्षेत्र से क्षेत्र में विशेषकर देश के पूर्वांचल में बढ़ रहे असंतुलन को ध्यान में रखते हुए जहां तक राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराये जाने का सम्बन्ध है, इसका व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि श्री वाई० बी० चव्हाण के योग्य सभापतित्व में आठवें वित्त आयोग ने एक श्रेयकर फार्मूला तैयार किया है। यह फार्मूला सातवें वित्त आयोग द्वारा किए गये फार्मूले से श्रेयकर था।

4.00 म० प०

उस फार्मूले में, जैसा कि अभी वित्त मन्त्री महोदय ने बताया है, उन्होंने जनसंख्या को प्राथमिकता नहीं दी। जनसंख्या के आधार पर यह कम होकर केवल 25 प्रतिशत रह गया है। अतः हमने आयोग के समक्ष इस बात का पक्षपोषण किया कि कम से कम पिछड़ापन और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा जाए ताकि गरीब तथा पिछड़े राज्यों को केन्द्र से अधिकाधिक संसाधन प्राप्त हो सके। अतः सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें काफी बेहतर हैं तथा केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के कुल अन्तरण को बढ़ा कर 84 प्रतिशत कर दिया गया है। यह स्वागत-योग्य कदम है। चूंकि राज्यों को उनके केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क राजस्व के अंश में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंश मिलेगा इसलिए इस वृद्धि से विशेषकर कमी वाले तथा पिछड़े राज्यों को, सहायता मिलेगी।

मैं यहां समझता हूं कि दूसरे वित्त मन्त्री महोदय मुझे गलत नहीं समझेंगे। लगभग सभी राज्य सरकारों ने वित्त मन्त्री तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आठवें वित्त के पंचार को 1984-85 से क्रियान्वित किया जायेगा। वित्त आयोग किसी न किसी कारण से अपना प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका और राज्यों के बजट तथा केन्द्रीय बजट तैयार हो चुके थे। इसलिए अब इसे 1985-86 से तैयार किया जायेगा। मैं राज्य सरकारों की भावनाओं में शरीक हूं। मैं अपने राज्य की सरकार की भावनाओं में भी शरीक हूं क्योंकि मैं अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे राज्य को लगभग 175 करोड़ रुपये की हानि होगी क्योंकि इसे 1984-85 से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने बताया है, राज्य सरकारों को लगभग 1400 करोड़ रुपये की कुल हानि होगी। जैसा कि श्री अग्रवाल ने सुझाव दिया है, जैसा कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जैसे अन्य मित्रों ने भी सुझाव दिया है कि हमें विभिन्न मार्गोपायों से राज्य सरकारों, जिनको 1400 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, की प्रतिपूर्ति, करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिये। इस 1400 करोड़ रुपये की राशि में से अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसार 460 करोड़ रुपये राज्यों को दिये जा चुके हैं। अतः केवल 1000 करोड़ रुपये बचते हैं। अतः यदि ऐसा करना अभी संभव नहीं है तो इसे 1985-90 से किया जा सकता है—जो कि पांच

वर्ष की अवधि है—क्योंकि हमें राज्य सरकारों और लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिये। ऐसी बात नहीं है कि इसे स्वीकार करना भारत सरकार के लिए असंवैधानिक है। हम वित्त मन्त्री से अपील करते हैं और राज्य सरकारों ने वित्त मन्त्री तथा भारत सरकार से अपील की है कि चूंकि प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत न किये जाने से हुई इस कमी के कारण राज्य सरकारों को काफी हानि हुई है इसलिये उनकी उपयुक्त ढ़ंग से प्रतिपूर्ति की जाये। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री, जो पिछड़े राज्यों के प्रति सदैव सहानुभूति रखते रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे तथा यह देखेंगे कि उनको कैसे लाभ पहुंचे तथा इस हानि की कमी कैसे पूरी करें।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सातवें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को केवल 1750 करोड़ रुपये दिए जाने को तुलना में आठवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय सरकार की कुल कर-आय तथा कर के अलावा होने वाली आय का 23.5 प्रतिशत दिया है। यह 38,529 करोड़ रुपये बनता है। सातवे वित्त आयोग की राशि से यह राशि बहुत अधिक है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसे स्वीकार किया है। उन्होंने इस पर उचित रूप से ध्यान दिया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे राज्य उड़ीसा तथा बिहार, मध्य प्रदेश के साथ आठवें वित्त आयोग ने बेहतर बर्ताव किया है, जब हमने इस आयोग के सभापति और सदस्यों से निवेदन और अपील की थी।

मैं अब कुछ विशेष समस्यायों पर बल दूंगा। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, हमने आयोग को एक ज्ञापन दिया है कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, दैवी विपत्तियां बारहमासी बन गई हैं। हमने एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने जो निवेदन किया है उसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं— कि 1953 और 1983 के बीच—मैं 1894 को छोड़ रहा हूं—इस 30 वर्षों की अवधि में उड़ीसा को बाढ़ों, समुद्री—तूफानों और सूखे जैसे दैवी विपत्तियों के कारण 2429 करोड़ रुपये की हानि हुई। उड़ीसा में एक और विचित्र दैवी विपत्ति यह है कि वहां आग लगने की घटनाएं होती हैं जिनसे गांव, सम्पत्ति तथा सब कुछ नष्ट हो जाता है। गांवों में प्रति वर्ष आगजनी से लगभग 50 करोड़ रुपये की हानि होती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। 30 वर्षों की अवधि में यह राशि 1500 करोड़ रुपये बनती है। हमने यह निवेदन किया है कि ज्यादा गरीब राज्यों को इस बारे में पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। हमे प्रसन्नता है कि उन्होंने इन दैवी विपत्तियों के लिए अतिरिक्त (मार्जिन) धनराशि बढ़ाई है। उन्होंने इसे 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया है।

प्रो०एन०जी० रंगा : यह प्रर्याप्त नहीं है।

श्री चिंतामणि प्राणिग्रही : जो राज्य सूखा, बाढ़ और समुद्री-तूफान जैसी देवी विपत्तियों से प्रभावित रहते हैं उन सभी के साथ यह बड़ी विचित्र समस्या है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि वे ऐसे राज्यों की मदद करें जहां बार-बार ऐसी देवी विपत्तियां आती रहती हैं। उड़ीसा

जैसे राज्य, जो भारत में लगभग 700 रुपये की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सूची में 18 वें अंक पर है, तीस वर्षों की अवधि में देवी वित्तियों से लगभग 3000 करोड़ रुपये की होने वाली हानि वहन कर सकता है। हम केन्द्रीय सरकार से अपील करेंगे कि वह हमारी मदद करे। वैसे आप समय-समय पर केन्द्रीय दल भेज कर हमारी मदद कर रहे हैं परन्तु मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि देवी विपत्तियों से होने वाली हानियां पूरी तरह से केन्द्र द्वारा वहन की जाये। यह मानव के कारण होने वाली हानियां नहीं है अपितु प्रकृति के कारण होने वाली हानियां हैं। केन्द्रीय सरकार को सभी पीड़ित राज्यों की मदद करनी चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैंने सदैव इस सभा के समक्ष रखी है और पुनः वित्त मन्त्री के समक्ष रखना चाहता हूं। यह राज्यों की ऋण-स्थिति के बारे में है। मैं केवल उड़ीसा राज्य के बारे में ही बोलूंगा। राज्य सरकारों की ओर 31 मार्च 1983 तक केन्द्रीय सरकार के 21,752 करोड़ रुपये के कुल ऋण बकाया थे।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं है उड़ीसा की ओर 31 मार्च, 1983 को कुल केन्द्रीय सरकार के 1033 करोड़ रुपये के कुल ऋण बकाया थे। इस ऋण को चुकाने सम्बन्धी अत्यधिक रोचक बात यह है कि पहली योजना अवधि के दौरान उड़ीसा ने केन्द्र को पूजी और ब्याज के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपये चुका दिये थे दिये थे। छठी योजना में उड़ीसा को केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में 155.43 करोड़ रुपये दिये गये परन्तु उड़ीसा ने इस अवधि के दौरान केन्द्र को केवल 143.03 करोड़ रुपये चुकाये। अन्य राज्य सरकारों की भी वैसी ही स्थिति है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह बहुत ही गंभीर पहलू है और हमें इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना है। वर्ष 1967-68 में केन्द्रीय ऋणों पर उड़ीसा सरकार को ब्याज देना था वह राज्य-राजस्व का 32.46 प्रतिशत था और 1873-74 में ब्याज प्रभार राज्य के राजस्वों के 45 प्रतिशत तक हो गये यह राज्य सरकारों की स्थिति है।

महोदय अब ऐसा समय आ गया है जब हमें इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है। समान्य तथा केन्द्र की ओर से राज्यों को राजस्व दिया जाना चाहिये और हम उसे समझ सकते हैं परन्तु यहां इसके विपरीत राज्यों की ओर से केन्द्र को राजस्व दिया जाता है। यह बात हमारे समझ में नहीं आती। मैंने यह हिसाब लगाया है कि अगले पांच वर्षों में उड़ीसा द्वारा केन्द्र को राज्य सरकार के राजस्व का लगभग 65 प्रतिशत भाग चुकाना पड़ेगा।

हमारा पूरा प्रयास राज्य सरकार को पूंजीगत आधार सुदृढ़ करने का होगा। वित्त आयोग सहायता क्यों दे रहा है। यह सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए दी जा रही है कि राज्य सरकारें अपने-अपने पूंजीगत आधार सुदृढ़ करे ताकि आगामी दो, तीन या चार वर्षों में राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त पूंजी हो और उनको केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़े।

केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य है और हम ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु उसके क्रियान्वयन में हमें परेशानी हो रही है।

आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा। यद्यपि यह यहां संगत नहीं हो फिर भी मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय उड़ीसा का पूंजीगत आधार पारादीप पत्तन है परन्तु आपको ज्ञात होगा कि कोरिया सरकार ने कहा है कि वह एक टन लोहा आयस्क भी नहीं उठायेगी जापान ने भी कहा है कि वह भी एक टन भी लोह अयस्क नहीं उठायेगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : ऐसा क्यों है ? क्या ऐसा इसलिये है कि आपके लोग वहां श्रमिक समस्याएं पैदा कर रहे है। सैंकड़ों श्रमिकों पर पुलीस द्वारा गोली चलाई जाती है तथा उनकी झोपड़ियां जलाई जाती हैं और उनको बंगाल की खाड़ी में फेंका जा रहा है।

श्री चितामणी पाणिग्रही : ठीक है। यह इस्पात उद्योग में मन्दी का कारण हो सकता है।

आठवें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया है कि 1984-89 के दौरान योजनेतर पूंजी अन्तर 6800 करोड़ रुपये का होगा। सातवें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया था कि 1979-84 के योजनेतर पूंजी-अन्तर केवल 3000 करोड़ रुपये होगा। हम जानना चाहेंगे कि एक वित्त आयोग और दूसरे वित्त आयोग के बीच इतना अन्तर क्यों है। अभी यह बताया गया है कि राज्य अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी उस दिन यह उल्लेख कर रहे थे कि राज्य इस कमी को किस प्रकार दिखाने में कामयाब हो जाता है। पश्चिम बंगाल का मामला लीजिए। आपको पता चलेगा कि सातवें वित्त आयोग में जो कमी लगभग 300 करोड़ रुपये की वह आठवें वित्त आयोग में 3500 करोड़ रुपये है। कमी कैसे बढ़ सकती है अतः यह महत्वपूर्ण बात है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये। राज्य सरकार को क्या रहा है ? क्या उनकी अर्थ व्यवस्था हल की जा रही है ? क्या कोई फायदा हुआ है ? हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की समूची अर्थ व्यवस्था रुग्ण है इसका उद्योग रुग्ण है और सब कुछ रुग्ण है।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : आपने मुझे निजी रूप से बताया था कि पश्चिम बंगाल में बहुत प्रगति हुई है।

श्री चितामणि प्रणिग्रही : मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार रूग्ण क्यों हो रही है ?

श्री नारायण चौधरी (मिदानपुर) : आप हमें रुग्ण कर रहे हैं।

श्री चितामणि पाणिग्रही : ऐसा क्यों हो रहा है ? यह पश्चिम बंगाल में विद्युत का विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन के कारण हो रहा है।

प्रो० रूपचन्द पाल : यह ठीक नहीं है। वामपथी मोर्चे की अवधि के दौरान विद्युत उत्पा-

दन के सम्बन्ध में उनकी उपलब्धि राष्ट्रीय औसत के बराबर थी।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : तो क्या आप केन्द्र से अधिक धनराशि लेने के लिए कमी दिखाते हैं?

सभापति महोदया (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : कृपया आपस में बात न कीजिए सभापति को संबोधित कीजिए।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदया, पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। क्या कोई यह कह सकता है कि पश्चिमी बंगाल में कोई गिरावट नहीं आई है? यह सच है।

प्रो० रूपचन्द पाल : आप पश्चिम बंगाल के बारे में ही क्यों कहते हैं। महाराष्ट्र को लीजिए। गुजरात, अहमदाबाद को लीजिए। स्वयं उड़ीसा को लीजिए।

(व्यवधान)

श्री चिंतामणि पणिग्रही : क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में भारी हानियां हो रही हैं।

सभापति महोदया : कृपया अब यह बन्द कीजिए।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : पश्चिम में बंगाल में उद्योग स्थापित करने में कोई भी उद्यमी, चाहे विदेश का हो या देश का तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : चाहे हम आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा वहां के प्रशासन, से संतुष्ट न हों, तो भी ब्रह्मानन्द रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लोगों का न कि श्री एन० टी० रामाराव की सरकार का, पक्षपोषण किया। मैं राजस्थान में श्री शिवचरण माथुर की सरकार के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हूं परन्तु मैं राजस्थान के लोगों का पक्षपोषण करता हूं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं उनकी भावनओं को समझता हूं परन्तु मैं कहता हूं कि यह भावना ठीक ढंग से व्यक्त नहीं की गई।

श्री सतीश अग्रवाल : खराब कार्य-निष्पादन के लिए आपके यहां दण्ड देने के प्रावधान है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : पश्चिम बंगाल में ताला बन्दी की घटनायें भी बहुत होती हैं। अतः इन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आठवें वित्त आयोग ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है कि कमी वालों राज्यों की किस प्रकार से मदद की जाये और यह भी सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन किया है कि ज्यादा गरीब राज्यों की किस प्रकार मदद की जायेगी। यह सुनिश्चित करने में इसने चहुमुखी प्रगति की है कि राज्यों को केन्द्र की ओर से अधिकाधिक संशाधन अन्तरित किए जायें। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय के समक्ष रखी गई सभी समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति होनी चाहिए। इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम राज्य को धनराशि इतनी अधिक दें कि वह आत्मनिर्भर हो जाये ताकि उसे केन्द्र पर निर्भर न रहना पड़े।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरे मित्र श्री चिंतामणि पाणिग्रही मेरी राज्य सरकार के विरुद्ध चाहे कितने ही अपशब्द कहें परन्तु उड़ीसा के लोगों के प्रति, एक गरीब राज्य के प्रति, हमारे ऐसे पड़ोसी के प्रति मेरी हार्दिक सद्भावना है कि श्री प्रणव मुखर्जी की आर्थिक नीतियों के माध्यम से उनको 175 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने से इन्कार करने में केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही और कुछ नहीं अपितु आर्थिक अपहरण है जिससे पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ रुपये सहित सभी राज्यों को 1506 करोड़ रुपये कम मिलेंगे। मुझे एक ही बात से संतुष्टि या आशा है कि अपहरणकर्ता अन्ततोगत्वा सफल नहीं होते हैं क्योंकि उन पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं। वे सामान्यतः आत्मसमपर्ण कर देते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : वह पश्चिम बंगाल के छापामारों के प्रति आत्मसमपर्ण नहीं करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यही ठीक-ठीक कहना चाहती हूं। यदि वह पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति आत्म-समपर्ण करने को तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं। न केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को अपितु ग्यारह राज्यों के लोगों को घाटा होगा। हमारी सरकार ये 300 करोड़ रुपये की राशि निगल नहीं जायेगी। वह राशि पश्चिम बंगाल को मिलेगी। श्री मुखर्जी जानते हैं कि अभी भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण और स्थाई मतदाता हैं। वे इस बात को न भूलें। हम पश्चिम बंगाल के समस्त लोगों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, के लिए बोलते हैं और इसी प्रकार से समूचे पूर्वी क्षेत्र जो वस्तुतः बहुत ही पिछड़ा हुआ है, के लिए बोलते हैं।

कल माननीय वित्त मन्त्री ने इस वर्ष सिफारिशों को स्वीकार न करने के लिए अपने कारण बताये। उसके पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपना विस्तृत उत्तर दिया। उसके बाद दूसरे पक्ष के श्री अहमद ने वही बात दोहरायी। मैं सम्भवतः वह बात न करूंगा जो अब मैं कहने जा रही हूं क्योंकि उन्होंने फिर कहा है कि यह कठिन होगा और इससे राज्यों तथा केन्द्र के वित्त आदि विघटित हो जायेंगे। श्री सतीश अग्रवाल द्वारा कुछ उत्तर दिया गया है। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाना चाहूंगी।

मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, किन्तु इधर उधर किये गए परिकलन के अनुसार अन्तरण के दो मुख्य अंगों, अर्थात आय कर तथा उत्पाद-शुल्क, उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त 5 प्रतिशत को इस समय छोड़कर अनुपात वही रहता है, जहां त.. की 7 वें और 8वें वित्त आयोगों का सम्बन्ध है, यह अनुपात 85 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। हमें वास्तव में ही इसका खेद है। हम भी इसे बढ़ाना चाहते हैं। इस समय तो उस पर ध्यान न देकर के हमें इसका परिकलन करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था किस से अस्त-व्यस्त हो रही है। सभी राज्यों को मिला करके आय कर के कारण कुल अन्तर जोड़ करके या घटा करके यह 7.2 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष का आयकर 1600 करोड़ रुपए है, उसका 85 प्रतिशत 1350 करोड़ रुपये हो जाता है, अर्थात इस सम्बन्ध में इस वर्ष की कुल राशि 95 करोड़ रुपये हो जाएगी। चालू वर्ष में केन्द्रीय बजट के लिए उत्पादन कर में से निचला उपकर घटा करके यह राशि लगभग 9000 करोड़ रुपये हो जाएगी। जिसमें से 40 प्रतिशत राज्यों को मिलनी होती है जोकि अब 3,600 करोड़ रुपया बनता है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार इसमें अंतर 2.6 प्रतिशत के लगभग होगा। अतः कुल अन्तर्ग्रस्त राशि 93 से 94 करोड़ रुपया हो जाएगी। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अर्थात इस वर्ष के लिए समूचे देश के लिए कुल मिलाकर यह अन्तर लगभग 12 प्रतिशत होगा। अतः यह राशि 72 करोड़ रुपया है अतः इन दोनों के सम्बन्ध में, 5 प्रतिशत को छोड़कर के जिसके बारे में मैं कहने जा रहा हूं, समूचे देश के लिए अन्तर इन 8 महीनों में केवल 262 करोड़ रुपया हो जायेगा। यदि आप यह सोचते हैं कि सब मिलाकर राज्य बजट बढ़कर 29,00 से 27,00 करोड़ रुपए हो जायेगा। तो यह 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत अथवा इसके आस-पास से अधिक नहीं होगा। अतः यह इतनी अधिक प्रतिशततः नहीं है देश की समूची अर्थव्यवस्था अथवा राज्यों के बजटों को पूरी तरह असंतुलित कर दे। मन्त्री महोदय पूछ सकते है कि यदि ऐसी बात है, तो आप इतना अधिक शोर क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि वास्तविक बात तो यह है : आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी कि उत्पादन शुल्क का अतिरिक्त 5 प्रतिशत 11 घाटे वाले राज्यों को मिलना था। वित्त आयोग ने घाटे की और ध्यान रखा है। यद्यपि राज्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में यह पूरी तरह से नई बात नहीं है, नई बात तो यह है कि इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत को जो सिफारिश की है उससे सरकार के निर्णय द्वारा राज्यों को वंचित रखा जा रहा है। सिफारिश पंचार निर्णय है या नही ; मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी।

जब संविधान में वित्त आयोग के सम्बन्ध में 'सिफारिश' का प्रयोग किया गया था, यह सांविधानिक दायित्व होता है, यदि क़ानूनी रूप से न सही तो शब्द के नैतिक भावना के रूप में यह सिफारिश अनिवार्य होनी चाहिए। मैं सिफारिश को इस रूप में मानता हूं कि इसे सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्यथा: संविधान वित्त आयोग को अपनी परिधि में लाता ही क्यों? अतः हमें इस सब को ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। अतः यह इस कारण से नहीं है कि समूची अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जयेगी, बल्कि जैसा मैंने कहा है कि वास्तविक बात तो

यह है कि यह अतिरिक्त 5 प्रतिशत राज्यों को जायेगा। अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी है जिसका श्री मुखर्जी विमान अपहरण के रूप में हक को छीनना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यहां विमान अपहरण की बात न की जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह विमान अपहरण जैसा है। पहले यह सिफारिशों में नहीं था। अब यह राशि राज्यों को मिलनी चाहिए। यह एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य को देने की बात नहीं है। यह बिल्कुल नयी बात है। यह केन्द्रीय राजकोष से देने की बात है। केन्द्रीय राजकोष का अर्थ है कि सारा कर जो हम सब मिलकर केन्द्रीय राजकोष को देते हैं। अतः केन्द्र में कोष में गड़-बड़ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं यह कह सकता हूं कि वास्तव में इन राज्यों को, अर्थात इन 11 राज्यों को वंचित करने के लिए ही केन्द्रीय सरकार ने ऐसा किया है। यह केवल पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है। यह वास्तव में ही बहुत दुखद की बात है वे घाटे वाले राज्य घाटे में रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं उड़ीसा के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं; हमारे पड़ौसी राज्य को इस सम्बन्ध में भारी घाटा रहेगा। 1984-85 में आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से अन्य राज्य भी घाटे में रहेंगे। उदाहरणार्थ बिहार को 99 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिलेगी, उत्तर प्रदेश को 119 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिलेगी और वे निर्धन राज्य हैं, हमें यह बात जान लेनी चाहिए। इसी कारण से इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और यह न केवल अतिरिक्त 5 प्रतिशत की बात ही नहीं है, बल्कि सहायता अनुदान तथा अन्य बातों के बारे में है। मैं कुछ अन्य बातों को भी उठाऊंगा।

सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और उन सभी के लिए यह वर्ष प्राकृतिक में आपदाओं का वर्ष रहा है। आयोग द्वारा एक नई बात की गई है। मैं सारी सिफारिशों का उल्लेख नहीं करूंगी। मैं अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व एक या दो बातों का उल्लेख करूंगी।

सभापति महोदया : मैं सभी सदस्यों से यथा सम्भव संक्षेप भाषण देने का अनुरोध करती हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यथा सम्भव स्पष्ट बात करने का प्रयास करूंगी। जहां तक इन प्राकृतिक आपदाओं का सम्बन्ध है पहले कुछ अधिकतम सीमा निश्चित की गई थी। और वित्त आयोग ने इस अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है और कहा है कि 50 प्रतिशत केन्द्र खर्च करेगा और 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा व्यय किया जागगा। किन्तु इस वर्ष क्या होगा, अभी भी बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। उस समय हम राव वीरेन्द्र सिंह के पास गये थे। उन्होंने तुरन्त बताया कि राज्य के पास प्राकृतिक आपदाओं के लिए 13 करोड़ या इसके लगभग रुपये अतिरिक्त धनराशि के रूप में है। और उन्होंने पूछा, 'इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? अतः समस्या यह है कि 1984-85 में वित्त मन्त्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 23.

75 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की है। उस अतिरिक्त राशि में से राज्य और केन्द्र के बीच 50-50 के अनुपात से बांटा जाएगा और यदि 50-50 के अनुपात से इसे नहीं बांटा जाता है, तो हमें वे 11.90 करोड़ रुपये वापिस करने होंगे। और ऐसी स्थिति केवल हमारी ही नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में अन्य राज्यों की स्थिति भी ऐसी होगी यह देश के लिए बहुत ही खराब वर्ष है। और इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिरिक्त राशि की अधिकतम सीमा के न बढ़ाने के इस निर्णय को कार्यान्वित करने से इंकार करके केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत बचत करके आप राज्यों को बहुत ही कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें लगभग 12 करोड़ रुपया, अर्थात् हम वर्ष के लिए आयोग की सिफारिश का आधा नहीं मिलेगा जैसा मैंने इसे कार्यान्वित न करने के उपबन्ध से सही रूप में समझा है क्या मन्त्री महोदय यह बात स्पष्ट करेंगे।

इसके अतिरिक्त ऋण की वापसी की पुनः कार्यक्रम बनाने की समस्या भी है। यह भी गम्भीर स्थिति है। हम इस वर्ष में इस उपबन्ध के कार्यान्वित न किए जाने की वजह से 24 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि हमें इस वर्ष 24 करोड़ रुपए की राहत मिली होती। मैं यहां एक और मामला श्री मुखर्जी के समक्ष रखना चाहता हूं जिसे वह नहीं जानते हैं क्योंकि वह केन्द्रीय वित्त मन्त्री है। हम से भी आपको मालूम हो जाएगा कि पश्चिमी बंगाल का विशेष मामला बनता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन से पता चलता है कि वर्ष 1983-84 में पश्चिम बंगाल के लिए ऋण वापिसी की कुल पूंजी अदायगी की प्रतिशत इतनी अधिक, अर्थात 35.18 है। और हमें इस वर्ष आयोग द्वारा सुझाये गये 24 करोड़ रुपये की ऋण राहत नहीं मिलेगी। आप कह सकते है कि आपने ऋण लिए और आपने ऋणों की वापिसी करनी है। मैं सभी राजनीतिक मतों वाली समूची सभा की सहानुभूति के लिए अपील करता हूं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को याद रखा जाए। आप कह सकते हैं कि यह वाम पंथी मोर्चे की सरकार द्वारा धन के अपव्यय किये जाने के कारण हुआ है। मैं उन्हें यह बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 1972-73 के दौरान जब वहां कांग्रेस सरकार थी, तो यह प्रतिशतता 83.26 थी, और 1973-74 में यह प्रतिशतता 46.76 थी। अतः पश्चिम बंगाल यह एक बहुत बड़ा भार रहा है जो हमें सहन करना पड़ रहा है। अतः ऋण की वापिसी के बारे में कार्यक्रम को फिर से तैयार करने के सम्बन्ध में हमारे मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि मेरे पास समय होता तो मैं यह दिखा देता कि दूसरे राज्यों की स्थिति हमारी जैसी खराब नहीं है। यह स्थिति हमारी पैदा की हुई है। यह हमें देश के विभाजन तथा अन्य विधान समस्याओं के कारण विरासत के रूप में बर्दाश्त करना पड़ा है। जब मैं 1984-85 से सिफारिशों के कार्यान्वित न करने के बारे में सरका के निर्णय की बात करता हू, तो मैं न केवल पश्चिम बंगाल के लिये प्रत्युत समूचे पूर्वी क्षेत्र के लिए करता हूं। चूंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ अपनी बात पर बल नहीं दे सकता।

नियमित करों के मामले में राज्यों के हिस्से के सम्बन्ध में आयोग की अन्य सिफारिशों

के बारे में मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। और मुझे आशा है कि सरकार इन्हें कार्यान्वित करेगी।

सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों को न बढ़ाने की आयोग की एक अन्य सिफारिश के बारे में सरकार द्वारा निश्चित किये जाने वाले मूल्यों को भविष्य में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें राज्य उनके उचित हिस्से से वंचित हो जाते हैं और उससे राज्यों का भार भी बढ़ जाता है। मन्त्री महोदय इस बारे में बताने के लिये कहूंगा। मुझे आशा है कि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि चूंकि अभी वर्ष का मध्य ही है, इसलिए हमारे पास 1984-85 से इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु, सरकार के निर्णय करने के लिए पर्याप्त समय है। घाटे वाले 11 राज्यों के विभिन्न सदस्य जो कुछ भी यहां कहने के लिए विवश हों, अपने हृदय से वे सब मेरे साथ सहमत होंगे। मैं आप से अपने निर्णय को बदलने तथा इस वर्ष से आयोग की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध करती हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मादाम वित्त आयोग की नियुक्ति वित्त में अपने हिस्से के विभिन्न दावेदारों के लिये सदैव बड़ी सन्तुष्टि की बात रही है। विरोधी पक्ष के एक मित्र द्वारा यह संकेत दिया गया है कि वित्त आयोग के केन्द्र-समर्थक प्रवृत्ति रही है। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी ओर यह वित्त आयोग ही है जिसने विभिन्न राज्यों के दावे के प्रति न्याय किया है। और यही बात पूर्व वित्त आयोगों ने भी किया है, सातवें वित्त आयोग ने काफी अधिक धनराशि के अन्तरण करने की सिफारिश की थी। अब हमारे आठवें वित्त आयोग ने 38,500 करोड़ रुपये के अन्तरण करने की सिफारिश की है। अतः यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश है क्योंकि इससे पता चलता है कि वित्त आयोग द्वारा केन्द्र के वित्त तथा राज्यों के वित्त दोनों के बारे में विचार किया गया है और किसी प्रकार का सन्तुलन रखा गया है। आठवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि उनका कार्य आसान नहीं है, यह काम उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न दावों का समन्वय करना तथा उन्हें सन्तुलित करना है। अतः यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत इन आयोगों की नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न सभापतियों के नामों से मालूम हो जायेगा कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सभापतियों तथा सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले वित्त आयोग के सभापति श्री के० सी० नियोगी थे, दूसरे आयोग का नेतृत्व श्री के० सन्थानम ने किया था तीसरे आयोग के सभापति ए० के० चन्दा थे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक थे। इसके अतिरिक्त दो न्यायाधीश भी इसकी सूची में, डा० पी० वी० राजामनार और जस्टिस शेलार जिन्होंने सातवें आयोग का नेतृत्व किया था, शामिल हैं। श्री महावीर त्यागी तथा सी० के० ब्रह्मानन्द रेड्डी भी इसमें थे। अतः श्री यशवन्तराव चव्हाण की नियुक्ति, जो पहले वित्त मन्त्री रहे हैं, भी उनके अनुभव के प्रशंसा तथा अच्छे कार्य को मान्यता भी है, जो उन्होंने आयोग के अन्य सदस्यों सहित इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में किया है।

आयोग को राज्यों द्वारा प्रस्तुत दावों पर विचार करना पड़ता है। राज्यों का मुख्य दाव। यह है कि उन्हें निगमित कर में से कुछ हिस्सा तथा आयकर पर लगाये गये अधिकार के संबंध में भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए और आखिरकार सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों में से भी कुछ मिलना चाहिये और इस वृद्धि में से राज्यों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिये···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : इसे समाप्त किया जाना है अथवा नहीं, इस आयोग ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। उसने कहा है कि यह केवल इसलिए लगाया गया है कि राजस्व को किसी न किसी तरह से वसूल किया जाना है, तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा यदि ऐसी बात नहीं है तो इसे जारी रखा जाना चाहिए। अतः मेरा विचार यह है कि राज्यों के दावों पर विचार कर लिया गया है और उन्होंने उन पर काफी ध्यान दिया है। केन्द्र के मामला पर भी ध्यान दिया गया है क्योंकि मुख्य रूप से यह केन्द्रीय सरकार का आयोग है। किन्तु मैं स्थानीय निकायों के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी की अपील का समर्थन करता हूं क्योंकि स्थानीय, निकायों अर्थात नगर पालिकाओं, नगर क्षेत्र समितियों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा पंचायतों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सातवें आयोग के समय भी यह अनुरोध किया गया था कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए किन्तु, उस समय बहुत देर हो गयी थी। मुझे यह नहीं मालूम है कि इस आयोग द्वारा इस पर विचार क्यों नहीं गया है किन्तु, मादाम मैं आपके द्वारा भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि नवें वित्त आयोग के गठन होने तक प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के दावे पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि नगर अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि 85 प्रतिशत नगरपालिकाओं, नगरक्षेत्र समितियों अधिसूचित क्षेत्र समितियों द्वारा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का स्तर गिरता जा रहा है। यही बात अधिसूचित समितियों आदि की भी है कि लोगों को दी जा रही मौलिक, सुविधाओं अर्थात सफाई, शिक्षा आदि का स्तर बहुत ही घटिया है। यदि आप किसी छोटे नगर में नगर पालिका के किसी स्कूल में जायें, तो आप वहां की हालत देखेंगे। यदि आप दिल्ली में नगरपालिका के स्कूल अथवा अस्पतालमें जायें और उसके पश्चात आप राष्ट्रीय स्कूल अथवा अस्पताल अथवा दिल्ली प्रशासन के स्कूल अथवा अस्पताल में जायें तो आप अन्तर जान जायेंगे। अतः इस बारे में पर्याप्त महत्व है।

शिक्षा के सम्बन्ध में आप स्थानीय पंचायतों और नगरपालिकाओं को भवनों के लिए धन को जुटाने के लिए कह रहे हैं। किन्तु, अनेक स्कूलों का बिल्कुल भवन ही नहीं है और उनकी सफाई की हालत भी बहुत ही खराब है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि भविष्य के लिए ग्रामीण निकायों सहित स्थानीय निकायों को धन का उचित हिस्सा देने की मांग पर विचार किया जा

सकता है। उनका दावा भी उचित है क्योंकि वे राष्ट्र की सेवा के लिये पर्याप्त धन व्यय करते हैं।

मैं प्रसन्न हूं कि आयोग ने अध्याय बारह में प्रशासन के स्तरों के दर्जे को बढ़ा दिया है और एक अच्छी सिफारिश की है। आयोग द्वारा जो 9 क्षेत्र चुने गये हैं, वह मुख्यतयः ऐसे क्षेत्र समझे गये हैं कि जिनका प्रतिवर्ष यह व्यय भार बना रहता है। विस्तार होता है व्यय का अधिक भार हो जाता है किन्तु दर्जा नहीं बढ़ता है। अब इस प्रतिवेदन के अनुसार पुलिस, शिक्षा, जेल प्रशासन, जनजातीय प्रशासन, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रशासन, जिला तथा राजस्व प्रशासन, प्रशिक्षण और राजकोष तथा लेखा प्रशासन के दर्जे को बढ़ाया गया है। 9 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें आयोग द्वारा दर्जा बढ़ाये जाने के लिए विशेष रूप से चुना गया है ताकि भविष्य में बेहतर रूप से उनकी ओर ध्यान दिया जा सके।

हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी हैं जिनमें जनजातीय आबादी नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में उन्हें मद (चार) के अन्तर्गत कोई अनुदान नहीं मिलेगा जबकि कुछ अन्य राज्यों का यह मिलेगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस सिफारिश के अनुसार हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य को पर्याप्त हिस्सा दिया है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मैं आयोग का कृतज्ञ हूं कि उसने राज्यों की उचित और अन्यावश्यक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया है। आयोग ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि पक्के भवन तथा पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उपर्युक्त योजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकता 3,247.86 करोड़ रुपये की प्रस्तुत की है।

आयोग कहता है :—

"हमें लगता है कि प्राथमिक स्कूलों के लिए पक्के भवनों का अभाव और एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों के होना शिक्षा प्रणाली में दो मौलिक कमजोरियां हो जाती हैं। इस समय 1,85,666 प्राथमिक स्कूल हैं जो सभी 22 राज्यों में कुल प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का 40.88 प्रतिशत बनता है और छपरों वाली झोंपड़ियों तथा टैंटों आदि में लगते हैं। हमने निर्णय किया है कि उन राज्यों को, जिनमें पक्के भवनों रहित प्राथमिक स्कूलों की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से बढ़ जाती है, दर्जा बढ़ाते संबंधी परिव्ययों द्वारा सहायता की जानी चाहिए ताकि ऐसे प्राथमिक स्कूलों की प्रतिशतता को कम करके अखिल भारतीय औसत के अनुसार अर्थात 40 प्रतिशत किया जा सके।"

यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि आयोग ने समस्या का गहराई से अध्ययन किया है, आवश्यकता का विश्लेषण करके अन्त में न केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित राशि की

सिफारिश की, बल्कि उन्होंने उन सभी "राज्यों में, जहां पक्का भवन तथा प्राथमिक शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं, अन्य राज्य के स्तर पर लाने के लिए 38,946 अतिरिक्त भवन बनाने हेतु 164.39 करोड़ रुपये आबंटित किये।

मुझे इस बात पर चिन्ता है कि इस सभा में हमारे कुछ मित्र सोचते हैं कि विशेष वर्गीय राज्य राष्ट्र पर एक बोझ हैं। मुझे कतिपय माननीय सदस्यों के भाषणों से पता चलता है कि राज्यों द्वारा जो भी खर्च किया जाए उसका वहन केन्द्र सरकार और विशेष वर्गीय राज्य, जिनमें सीमा पर स्थित 8 पर्वतीय राज्य शामिल हैं, की विशेष आवश्यकता है। वहां विकास की भारी संभावना है। उनकी कीमत पर मैदानी राज्य विकास किए हैं उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश की कीमत पर विकास किए हैं। इसी प्रकार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय ने असम तथा बंगाल के विकास में योगदान किया है। इस तर्क पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिए कि विशेष वर्गीय राज्य केन्द्र का ध्यान अधिक आकर्षित करती हैं और बेहतर यह है कि वे अपनी देखभाल स्वयं करें। ये राज्य प्रकृति तथा भौगोलिक कारण से प्रतिकूल परिस्थिति में हैं तथा प्रारम्भ से ही उनका विकास नहीं हो रहा है। ब्रितानी तथा अन्य लोग उन्हें आनन्द स्थल तथा स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान के रूप में देखा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा का दोहन नहीं किया जा सका और कुछ किया भी गया तो इसका लाभ अन्य नगरों में स्थित बाजारों के लिए किया गया। अतः, मैदानी राज्यों के शहरों तथा नगरों की प्रगति पहाड़ी राज्यों की कीमत की कीमत पर हुई और यही कारण है कि पहाड़ी राज्य पिछड़ गए। इसी कारण हमारे मुख्य मन्त्री ने आयोग के समक्ष उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में हमारा भाग अपर्याप्त होने के बारे में तर्क पेश किया। उन्होंने इन राज्यों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त दिए जाने की मांग की। यद्यपि उनकी मांग नहीं मानी गई है, तथापि कतिपय क्षेत्रों में उदाहरणार्थ शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान की राशि में 30 प्रतिशत अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में भवन निर्माण की लागत ज्यादा होती है।"

मैं एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा, जिस पर आयोग ने विचार नहीं किया है। अखिल भारतीय पर्वतीयजन कल्याण के तत्वाधान में पहाड़ी क्षेत्रों के संसद सदस्य आयोग से पिछले वर्ष मिले थे और एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने लघु प्रशासनिक इकाईयां बनाने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश से मेरे मित्र श्री रावत और श्री जोशी तथा अन्य राज्यों से कुछ अन्य मित्र भी मेरे साथ वहां गये थे और हमने अनुरोध किया था कि हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर, या नागालैंड या त्रिपुरा तथा मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश जैसे संघ शासित क्षेत्रों अथवा जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकास खंडों का आकार छोटा होना चाहिए क्योंकि वहां विकास उसी गति से नहीं किया जा सकता जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि संचार के साधन सरल हैं। अतः हमने सोचा कि हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में प्रखंडों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार का रुख क्या

है ? केन्द्रीय सरकार कहती है कि प्रखंडों की संख्या बढ़ाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रखंडों की सहायता बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन पर होने वाला प्रारम्भिक व्यव राज्य सरकारों को वहन करना होगा। अर्थात प्रखंडों की स्थापना तथा प्रशासन पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा जो राज्यों के लिए बड़ा भारी बोझ होगा, इसलिए हमने सुझाव दिया कि आयोग इस बात पर गौर करे कि तहसील, तालुका और जिला एवं सामुदायिक विकास प्रखंड जैसी प्रशासनिक इकाइयां छोटे हों तथा मैदानी राज्यों की तुलना में इनकी संख्या पहाड़ी राज्यों में अधिक हों, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और हिमाचल प्रदेश में 69 प्रखंड के स्थान पर 100 प्रखंड स्थापित किये जाएं। लेकिन आयोग ने इस दावे पर विचार नहीं किया है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन का प्रबंध तब तक ठीक नहीं होगा, जब तक इसका आकार प्रबंधनीय नहीं होगा हमने देखा है कि छोटे राज्यों ने जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा तथा नागालैंड, उन्नति की है, क्योंकि ये छोटे राज्य हैं। यदि इन राज्यों को बड़े राज्यों के साथ मिला दिया जाता तो ये बहुत ही पिछड़े होते। इसलिए मैं न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों बड़ी संख्या में छोटे-छोटे सामुदायिक प्रखंडों की स्थाहना की मांग कर रहा हूं कि कार्यपालिका को इन राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अनेक समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं पर भी सतत ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे वह हिम-पात हो या तूफान, सूखा या बाढ़ राहत का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है। चाहे वह हिमाचल प्रदेश में हो या मैदानी या उत्तर प्रदेश की बाढ़ हो, या आन्ध्र या केरल के तूफान हों, यह राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपदा को निपटाने के लिए राज्य सरकारों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि राज्यों के पास सीमित साधन हैं। वे तुरन्त राहत नहीं पहुंचा सकते। हम मांग कर रहे हैं कि वहां एक केन्द्रीय दल भेजे जाने के बजाए, जो बाढ़ तथा अन्य आपदाओं का मूल्यांकन करने में बहुत समय लेता है, क्यों न हम एक स्थायी व्यवस्था नहीं करें जो तुरन्त कार्यवाही शुरु कर दें यह कहा जाता है कि राज्यों के पास उपान्त धन होता है जिस। वह तुरन्त राहत कार्य शुरु कर सकते हैं। लेकिन उपान्त धन बहुत ही कम होता है। उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेश के लिए उपान्त धन की राशि केवल 8,75,000 रुपये हैं। अतः इस राशि से हम क्या कर सकते हैं। इस उपान्त धनराशि से कुछ भी नहीं हो सकता। केन्द्रीय दल का दौरा किए जाने में बहुत समय लगता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि आयोग अपने स्वविवेक से इस पर गौर करे और यदि आयोग इसे नहीं करेगा तो केन्द्रीय सरकार स्वयं हिमपात, वर्षा, बाढ़, तूफान अथवा इस प्रकार की अन्य आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों से एक स्थायी व्यवस्था करे, ताकि राहत कार्य तुरन्त आरम्भ किया जा सके।

20-सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख करना भारत के भाग्य के लिए कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख करना है, क्योंकि बैंककारी मन्त्री यहां उपस्थित हैं और मैं उनसे मुखातिब हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने का मानदंड अलग होना चाहिए, उन्हें दूरी से नहीं जोड़ना चाहिए। अर्थात 8 कि० मी० के क्षेत्र के अन्तर्गत दूसरा बैंक न खोले जाने का मानदंड नहीं होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 8 कि० मी० की दूरी बहुत होती है, इसके बीच पहाड़ अथवा झरना हो सकता

है, और इ ा जनसंख्या से भी नहीं जोड़ना चाहिए । अत: उदारतापूर्वत बैंकों की शाखाएं खोलने से 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सहायता मिलेगी । लेकिन रिजर्व बैंक की नीति में बड़ी रुकावट है और जहां तक पहाड़ी राज्यों का संबंध है, कार्यक्रमों को कार्यान्वियन करने में यह एक बड़ी रुकावट है. क्योंकि बैंकों की शाखाएं उन स्थानों पर नहीं खोले जाने से, जहां लोग आसानी से आ जा सकते हैं, बहुत कठिनाई हो रही है । यदि आप इस योजना या 20-सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं तो दूर-दराज के क्षेत्रों में, चाहे वह मैदानी इलाकों में हो या पहाड़ी इलाकों में, बैंक खोलने होंगे, क्योंकि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी है । हमारे यहां लीड बैंक की-व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले को एक बैंक के अन्तर्गत कर दिया जाता है और वह लीड बैंक कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है । एक राज्य राज्य सरकार ने प्रखंड आधार पर विकास का सुझाव दिया था । मैं समझता हूं कि शायद महाराष्ट्र सरकार या कोई अन्य राज्य ने ऐसा सुझाव दिया था । उन्होंने सुझाव दिया था कि विकास की इकाई प्रखंड होना चाहिए न कि जिला मेरा भी सुझाव है कि प्रत्येक प्रखंड के आधार पर लीड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए न कि जिला के आधार पर, क्योंकि जिला का आकार बड़ा होता है तथा कोई एक बैंक इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा ।

मेरा सुझाव है.कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में जिले के लीड बैंक की शाखा होनी चाहिए और हमें जिले के आधार पर लीड बैंक की व्यवस्था करने की नीति के स्थान पर प्रखंड के आधार पर लीड बैंक स्थापित करने की नीति स्वीकार करनी चहिए ।

पी० सी० ओ० तथा डाक-घर जैसी संचार सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा से आधार भूत सुविधाओं-चाहे वह रेल लाइन हो अथवा सड़क, की कमी रही है । डा० परमार कहा करते थे कि हिमाचल प्रदेश में पहली प्राथमिकता सड़कों की है । सड़क-पुलों तथा रेल लाइनों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए । पन बिजली तैयार करने के लिए भी पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आय का यह एक प्रमुख साधन है । इसे हमारे विकास का मूलभूत साधन माना जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त आयोग द्वारा किए गए, अच्छे काम की सराहना करता हूं और मैं उस आलोचना का कोई औचित्य नहीं समझता कि आयोग की सिफारिशें इस वर्ष लागू नहीं की गई उसे अगले वर्ष बेहतर गति तथा कुशलता से लागू की जा सकती है ।

सभापति महोदय (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी डा० कुलनदेई वेलु) :

***डा० वी०कुलनदेई वेलु** (चिदम्बरम) : मैं अपनी पार्टी द्राविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से वे वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा उस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने वाले वित्त मन्त्री के व्याख्यात्मक ज्ञापन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मुझे यह कहना पड़ रहा है

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद ।

कि इस चर्चा से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि केन्द्र में शासक दल के सदस्यों में भी नैराश्य की भावना व्याप्त है । वित्त मंत्री की घोषणा वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्ष के लिए लागू नहीं की जाएंगी, जो एक सांविधानिक जिम्मेदारी है, से शासक दल में निराशा हुई है वित्त मन्त्री के इस विचार से कि सिफारिशों को 1985-86 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 4 वर्षों के लिए लागू की जाएंगी, और निराशा हुई है मैं वित्त मन्त्री के इस दृष्टिकोण पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। शासक दल के एक वरिष्ठ सम्मनीय सदस्य श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने मांग की है कि 8 वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1984-85 वर्ष से लागू की जाएं । वे अपनी मांग के कारणों के प्रति पूर्णतः आश्व आशवस्त होंगे क्योंकि वे 7व वित्त आयोग के चेयरमेन थे । निःसन्देह अपने वरिष्ठ साथी श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी की मांग से वित्त मन्त्री विचलित हो गए होंगे ।

वित्त मन्त्री के अभूतपूर्ण निर्णय से राज्यों को 1500 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ेगा यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्यों के साथ एक बहुत बड़ा छल है। दूसरा तथा पांचवांवित्त आयोग के प्रतिवेदन 30 अप्रैल से, जिस तारीख को 8 वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, बहुत बाद में प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन उनकी सिफारिशें पहली अप्रैल से 5 वर्ष तक के लिए लागू की गई । पहली अप्रैल, 1984 से 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों को न लागू किए जाने में वित्त मन्त्री को क्या कठिनाई है ।

मैं वित्त मन्त्री के विचारार्थ एक और सुझाव देना चाहता हूं । 7वीं पंच वर्षीय योजना 1985-86 से प्रारम्भ होगी और पांच वर्षों तक चलेगी । इस देश में ऐसी मांग की जाती रही है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को पंचवर्षीय योजना केसाथ-साथ लागू किया जाए । वित्त आयोग की सिफारिशें 1984-85 से लागू नहीं की जाती तो इसे 1985-86 से पांच वर्षों के लिए 7 वीं पंचवर्षीय योजना के साथ लागू की जाए। दोनों 1990-91 में समाप्त होंगी। इससे राज्यों द्वारा योजना स्कीमों का सफलता पूर्वक कार्यान्वयन हेतु निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा ।

महोदय, 8 वें वित्त आयोग द्वारा किये गये एक अन्य नवीन सिफारिश का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

4.56 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बचत वाले राज्यों तथा घाटे वाले राज्यों में फर्क किया गया है । मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने मांग की है कि पहाड़ी राज्यों को विशेष रियायत देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के अन्य राज्यों में हुए विकास के अनुरूप विकास नहीं किया है । यदि शासक दल के सदस्य स्वयं यह स्वीकार करते है कि पहाड़ी राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां आजादी के 37 वर्ष के बावजूद विकास नहीं कर पाए हैं तो इससे साफ पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार पहाड़ी

राज्यों में योजना कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रही है यदि इन पहाड़ी राज्यों में बेहतर प्रशासन होता, यदि इन वर्षों में योजना कार्यक्रमों को दृढ़तापूर्वक लागू किया तथा उन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती तो इन पहाड़ी राज्यो में प्रशंसकीय प्रगति हुई होती। शासक दल के सदस्य की इस मांग से कि घाटे वाले राज्यों अर्थात पहाड़ी राज्यों के साथ विशेष रियायत की जाए, साफ पता चलता है कि पहाड़ी राज्यों के साथ विकास में केन्द्रीय सरकार असफल रही है।

मैं तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहता हूं। डा० के० करुणानिधि के मुख्य मन्त्रीत्व में तमिलनाडु में डी० एम० के० शासन के दौरान तमिलनाडु में हुई प्रगति दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायक था। डी० एम० के० मुख्यमन्त्री ने तमिलनाडु को औद्योगिक प्रगति में दूसरा स्थान दिलाया। तमिलनाडु ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति की। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे जोर-शोर से स्वास्थ्य स्कीमें लागू की गई। तमिल के सभी गांवों में पीने का साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। प्रशासनिक कुशलता, कर वसूली की दृढ़ता बरतकर गैर-योजना व्यय में कटौती करके तथा उचित वित्तीय प्रबन्ध द्वारा डा० करुणानिधि ने तमिलनाडु को एक बचतवाला राज्य में बहुत दिया। यदि 8 वें वित्त आयोग ने तमिलनाडु को बचत वाला राज्य घोषित किया है तो इसका श्रेय डा० करुणानिधि को जाता है। ऐसे बचत वाले राज्यों को प्रोत्साहन के बजाए, उन्हें वित्तीय आवंटन में वाजिब हिस्सा से भी वंचित किया जा रहा है। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि वित्तीय कुव्यवस्था तक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अन्यथा, ऐसे घाटे वाले राज्यों के लिए इतना अधिक वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से वित्तीय भेद-भाव भी हो सकता है विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को बचत वाला राज्य घोषित किया जा सकता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय आवंटन से उन्हें वंचित किया जा सकता है। इसी प्रकार, केन्द्र में शासक दल वाले राज्यों के अन्तर्गत कांग्रेस दल द्वारा शासित राज्यों को अधिक धन दे सकती है। देश की औद्योगिक प्रगति के लिए यह हितकर नहीं हैं।

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने भाषण की गति तेज करें ताकि अधिक-अधिक से मुद्दे उठा सकें।

डा० वी कुलनदेई वेलु : मुझे अपनी बात स्पष्टरूप से कहनी चाहिए। स्वभाव से ही मैं थोड़ा सुस्त हूं। शासक दल के माननीय सदस्य श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने वित्त मन्त्री की स्वीकृति के लिए कतिपय प्रशंसनीय सुझाव दिए हैं।

मुझे यह कहने में खेद होता है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिश माननीय प्रधान द्वारा व्यक्त किए जा रहे विचारों के प्रतिकूल है। हमारी प्रधान मन्त्री महोदया जनसंख्या नियंत्रण पर

बहुत जोर देनी आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि उन राज्यों को अधिक प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये जो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए परिवार कल्याण योजनाओं को उत्साह से क्रियान्वित कर रहे हैं। किन्तु आठवें वित्त आयोग ने जनसंख्या के आधार पर वित्तीय आवंटन करने की सिफारिश की है जिसका अर्थ है उन राज्यों को जिनकी जनसंख्या घटती है, कम धन मिलेगा। उदाहरणार्थ परिवार कल्याण योजनाओं की प्रभावपूर्ण क्रियान्विति के फलस्वरूप तमिलनाडु को जिसकी 41 लोक सभा सीटें थीं, केवल 39 लोक-सभा सीटें मिली हैं। अब तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन भी कम होगा, क्या यह राज्य के प्रति न्याय है? इसका उल्लेख करने से मेरा आशय यह नहीं है कि मैं परिवार नियंत्रण योजनाओं के खिलाफ हूं। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो राज्य हमारी प्रधान मंत्री जी की इच्छाओं के अनुकूल परिवार कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करते हैं उन्हें केन्द्रीय राजस्व में उनके अंश से किसी भी तरह वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मैं यह मांग करूंगा कि निगम कर को विभाज्य श्रेणी के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और राज्यों को निगम कर में उनका अंश दिया जाना चाहिए। तभी राज्य मजबूत और केन्द्र शक्तिशाली बन सकता है। इसीलिए डा० के० करुणानिधि ने राज्य स्वायत्तता की मांग की थी। हमें मालूम नहीं कि सरकारिया आयोग ने काम करना शुरु कर दिया है अथवा नहीं शक्तियों के प्रत्यायोजन के बिना निधियों का वास्तविक हस्तान्तरण नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 15 मिनट ले चुके हैं। अब समाप्त करिए।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वह बहुत मधुर वाणी में मधुर भाषण कर रहे हैं। उन्हें कुछ देर और बोलने दीजिए।

डा० वी० कुलनदेई वेलू : तारीफ के लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट और लीजिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए; चेतावनी के रूप में मैं घंटी बजाता हूं कि आप समाप्त करें।

डा०वी०कुलनदईवेलू : दैवी आपदाओं के लिए वार्षिक योजना में केवल 5% का आवंटन किया गया है तमिलनाडु लगातार सूखे के कारण 3-4 वर्ष तक उसका शिकार बना रहा इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद हो गये। भीषण सूखे के बाद अभूतपूर्व बाढ़ें आयीं जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ करोड़ों रुपए की बर्बादी हो गई। उर्वरक भूमि के कई भारी क्षेत्रों में पानी जमा हो गया। 1916 करोड़ रु० के वार्षिक योजना आवंटन में से दैवी आपदाओं के लिए पांच प्रतिशत रकम 46 करोड़ रूपया बैठती है। क्या सूखे और बाढ़ों के कारण जो नुकसान हुआ उसे पूरा करने के लिए वह पर्याप्त है? प्राकृतिक संकटों का निवारक करने के लिए यह राशि बहुत कम है। दैवी आपदाओं के लिये और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। जहां तक तमिलनाडु का

सम्बन्ध है, राज्य के सामने श्रीलंका से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की भी समस्या है। वे तमिलनाडु में आ रहे हैं। तमिलनाडु में श्रीलंका से आ रहे शारणर्थियों के पुनर्वास के लिए धन का पृथक आवंटन किया जाना चाहिये। यह मेरी मांग है। धन के अभाव के कारण इन शरणार्थियों की दशा भिखारियों की है वित्त मन्त्री को तमिलनाडु की इस विशेष समस्या पर विचार करना चाहिये और अधिक धन आबंटित करना चाहिये। इसी प्रकार राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली दर से मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। यह एक सुसंगत मांग है। इसके लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिया जाना चाहिये। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूंगा इस बात पर बल देने के लिये की वहां तटवर्ती क्षेत्रों में सड़कें तथा उप सड़कें नहीं हैं जिनका निर्माण किया जाना आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। वहां सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक है। वहां सड़कों के निर्माण के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिये जो आर्थिक विकास के मुख्य साधन हैं। मुझसे पूर्व जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि पर्वती क्षेत्रों में डाक संचार की सुविधा अधिक दी जानी चाहिये डाक विभाग को डाकखाने तथा टेलीफोन आफिस खोलने के लिए आबादी को आधार नहीं मानना चाहिये। लोगों की बुनियादी आवश्यकता यह कि डाकखाने, तार घर तथा टेलीफोन कार्यालयों को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के लिये विचार किया जाना चाहिये। तभी ग्रामीण क्षेत्रों को डाक संचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। वित्त आयोग ने ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण विकास को अपनी सिफारिश का आधार नहीं माना है। मेरा सुझाव है कि देश में ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से वित्त मन्त्री महोदय को आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों में फेर-बदल करने में सकोच नहीं करना चाहिये। जब राज्य का विकास होगा तभी केन्द्र में स्थिरता आ सकती है और वह मजबूत होगा। केन्द्र द्वारा वित्तीय आबंटन का यही आधार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौडगढ़) माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करती हूं। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने उत्पादन शुल्क में राज्यों का पांच प्रतिशत भाग बढ़ाया है। सातवें वित्तआयोग में राज्यो का हिस्सा चालीस प्रतिशत था जबकि अब बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। हमारे देश के विद्वान जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने बड़े सोच-समझकर के संविधान के अनुच्छेद 280 में इस बात का प्रावधान किया कि एक स्वतंत्र वित्त आयोग होगा और उसकी सिफारिशें लागू की जायेंगी। इसीलिए, वित्त आयोग के माध्यम से हम राज्यों के बीच वित्तीय सामंजस्य बनाते हैं। इस रिपोर्ट में जो भी बात कही गई है, उसे साथ ही इस रिपोर्ट की सिफारिशों को आप 1984-85 में नहीं मान रहे हैं। इससे एक बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है। राज्यों का आर्थिक असंतुलन बन जाता है। खासतौर से राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। राजस्थान-वासियों को इस आठवें वित्त आयोग से बहुत अधिक आशाएं थीं। वे, बड़ी ही बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे कि आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। उन्हें राजस्थान की

प्यासी धरती, जहां पर कि निरन्तर अकाल रहता है, इस वित्त आयोग से एक विशेष प्रकार की राहत मिलेगी पर आप रिपोर्ट को 1884-85 से लागू नहीं कर रहे हैं। इससे राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्य को बहुत अधिक आर्थिक कमी होगी और 45 करोड़ रुपये राजस्थान को कम मिलेंगे। इस प्रकार 34.25 करोड़ रेवेन्यु से कम हो जायेंगे। दो करोड़ स्पेशल प्रावलम के कम हो जायेंगे। इसी तरह 8.375 करोड़ मार्जिन मनी के कम हो जायेंगे। इस प्रकार 45 करोड़ रुपये कम होने से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बड़ा ही आघात लगेगा आपने 9 राज्यों को 495.83 करोड़ रुपये ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दिये हैं। और वे सभी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह कि हमारा राजस्थान भी उसी तरह स्पेश्यल प्रोब्लम्स रखने वाला राज्य है। राजस्थान की जमीन साढ़े तीन लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है, यहां देश के क्षेत्रफल की लगभग 10 प्रतिशत भूमि है और देश में सबसे बड़ा थार का रेगिस्तान यहां है। ऐसी समस्याओं वाले राज्य के लिए आप जो वित्तीय सहायता दे रहे हैं, वह बहुत ही कम है। जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों के लिए, खासतौर से नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा वगैरह के लिए, जो हिली एरियाज हैं, आह सहायता देते हैं, मेरा निवेदन है कि राजस्थान को भी, जहां 60 प्रतिशत भाग में रेगिस्तान फैला है, दी जाने वाली सहायता पर फिर से विचार किया जाये।

अब मैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में थोड़ा-सा निवेदन करना चाहती हूं। यहां की अरावली पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में होने वाली बारिश का बहुत कम भाग राजस्थान को मिल पाता है और यह अधिकतर सूखा ही रहता है। पीने के पानी की यहां भयंकर समस्या बनी रहती है। वहां आज भी कई ऐसे गांव हैं, जहां कोसों दूर से पानी लाना पड़ता है। यहां तक कि रेगिस्तानी इलाके के लोग अपनी बेटी को भी ऐसे स्थान पर देना पसन्द करते हैं, जहां रेगिस्तान न हो। परन्तु मान्यवर इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वित्तीय सहायता देते समय आप राजस्थान के बारे में फिर से विचार कीजिए। डैजर्ट एरियाज को भी हिली एरियाज की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए।

आपने जो उत्पादन शुल्क में वृद्धि की है, स्वागत योग्य है। मैं भी मानती हूं कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, आयकर और राजस्व के अन्य साधन राज्यों को मिलने चाहिए। आपने उनको दिए भी हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों में विकास पर अपने बजट का अधिक प्रतिशत खर्च किया जाता है और जो राज्य विकास कार्यों पर अपने बजट का कम प्रतिशत खर्च करते है, उन दोनों को आपने एक ही कैटेगरी में रख दिया है, जो कि मान्यवर उचित नहीं है। आप पश्चिमी बंगाल की राजस्थान से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि विकास की दर को देखते हुए यद्यपि राजस्थान को विरासत में बहुत बिगड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था मिली है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, आपको राजस्थान की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं मानती हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार के सामने भी कुछ सीमाएं हैं, वित्तीय कठिनाइयां है, परन्तु राज्यों की कठिनाइयां

उनसे कहीं अधिक हैं । क्योंकि राज्यों को विकास कार्य के लिए काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है । इसके अलावा राज्यों को कुछ ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों पर करना पड़ता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के वैल्फेयर की स्कीम हैं, जिनसे कोई राजस्व प्राप्ति नहीं होती । मान्यवर राजस्थान को 136.95 करोड़ रुपये की धनराशि दी है, जिसमें से 62.08 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गए हैं जो कि बहुत ही कम हैं । राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं, जहां अभी तक कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुला है । ऐसे इलाकों में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध में नहीं है । कई स्थानों पर प्राइमरी स्कूल नहीं है, और यदि कहीं हैं भी तो यहां पर सिर्फ एक ही टीचर हैं । इसलिए राजस्थान की पिछड़ी हुई अवस्था को देखते हुए मैं समझती हूं कि यह बहुत ही कम राशि है और बढ़ाने की आवश्यकता है ।

इसके अलावा आपने स्पेश्यल प्रोब्लम्स, प्राकृतिक आपदाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि राजस्थान के लिए मंजूर की है । जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूं ऐसे पिछड़े हुए राज्य के लिए, जहां किसी प्रकार की सुविधा लोगों को उपबन्ध न हो, जिसके बहुत बड़े भू-भाग में रेगिस्तान हो, जहां पिछले चार वर्षों से भयंकर अकाल रहा हो आज भी वर्षा का प्रतिशत, रेनफाल इतना कम है कि शायद ऐसी परिस्थितियां आ जायेंगी कि वहां पर लोगों को काम जुटाने के लिए अकाल राहत के काम खोलने पड़ेंगे । इसलिए 10 करोड़ की राशि समुद्र में बूंद डालने के समान है । ऐसे पिछड़े हुए के राज्य लिए इतनी कम धनराशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए

देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है । गांव के लिए शुरू किए गये 29-सूत्री कार्यक्रम से काफी अधिक राहत मिली है, परन्तु इन्हें केवल आप राज्यों पर छोड़ दें, यह ठीक नहीं है । राज्यों के वित्तीय साधन सीमित हैं, वह उनके लिए विशेष प्रकार से प्रावधान करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते । इसके लिए वित्त आयोग का विशेष प्रावधान करना चाहिए । तभी हम बहुसंख्यक लोगों की प्यास बुझा सकेंगे, बीमारी से छुटकारा दिला सकेंगे और खेतों में हरियाली की कल्पना कर सकेंगे । 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आपको विशेष ध्यान देकर इन कामों को हाथ में लेना होगा ।

राजस्थान में हमेशा ओवर-ड्राफ्ट रहा है । अन-प्रोडक्टिव लोन्स को राइट-आफ कर देना चाहिए क्योंकि बराबर ओवर-ड्राफ्ट रहने से राजस्थान में बहुत ही विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं । राज्यों की आयके साधन सीमित हैं, केवल उन्हें बिक्री-कर और उत्पादन-शुल्क से ही धनराशि मिलती है । ऐसी स्थिति में ओवर-ड्राफ्ट चलते रहने से उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है । जैसे-जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है । राजस्थान सरकार को भी अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा है । उसके परिणाम स्वरूप आपने जो कटौती की है उससे वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी असंतुलित हो गई है । आपको विकसित राज्यों की तुलना अविकसित राज्यों से नहीं करनी चाहिए जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु,

कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह की तुलना राजस्थान से यदि आप करें तो यह सम्भव नहीं होगा। इसके लिए विशेष बात आपको सोचनी होगी।

राजस्थान में सिंचाई के लिए और निर्माण-कार्यों के लिए भी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती हैं। वहां बहुत सारे सिंचाई के काम अधूरे पड़े हुए हैं। आपको अन-प्रोडक्टिव लोंस को राइट-आफ कर ही देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त वित्त आयोग के चेयरमैन ने स्माल सेविंग्ज लोन्स की भी सिफारिश की थी। इसके कारण राजस्थान को 23.47 करोड़ रुपया मिलता, लेकिन उस सिफारिश को प्रशासन ने नहीं माना इससे राजस्थान को 23.47 करोड़ की हानि हुई हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस सिफारिश को तो जरूर ही माना जाना चाहिए।

आज आप वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को 4.43 प्रतिशत देंगे। जबकि सारे देश के भूभाग को देखा जाये तो राजस्थान का भूभाग उसका 10 प्रतिशत है। जनसंख्या का कम होना कोई खराब बात नहीं है। भूभाग के हिसाब से जिस प्रान्त का जितना क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से ही उसको वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इस तरह से राजस्थान का वित्तीय सहायता का हिस्सा स्वभाविक रूप से बढ़ जायेगा।

आप हिल एरिया को जिस प्रकार से सहायता देने के लिए पिछड़ा हुआ मानते हैं, उसी तरह से राजस्थान के रेगिस्तान को भी ध्यान में रखते हुए इसे पिछड़ा हुआ मानकर आप इसके बारे में पुनर्विचार करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अप्रत्याशित चर्चा हुई है। आयोग की सिफारिशों के अलावा सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है तथा किस प्रकार कि संवैधानिक उतरदायित्व वाले वित्त आयोग में किस तरह सिफारिशें की हैं। जिससे कि उसने खुद संवैधानिक उपबन्धों का हनन किया है।

जब संविधान सभा में-मुझे खुशी है कि प्रो० रंगा भी यहां मौजूद है—राजस्व के वितरण के लिए संघीय वित्त सम्बन्धी उपबन्धों पर वाद-विवाद हुआ था, तो उसका प्रयास एक सहकारी संघीय ढांचे का निर्माण करना था जिसमें वित्त आयोग जैसा निकाय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। संविधान सभा ने वित्तीय उपबन्धों सम्बन्धी एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की हुई थी और इस समिति ने आशा की थी कि विभाजित करों की समस्या को ऐसे वित्त आयोग के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। इसीलिये श्री बी० एन० आर० राव ने अपनी पुस्तक "इन्डिया कंस्टीट्यूशन मेकिंग" में कहा है कि संविधान सभा में कतिपय उपबन्धों की व्यवस्था करने की मांग की गयी थी क्योंकि उस समय ऐसी शंकायें उत्पन्न होने लग गयी थीं कि क्या राज्यों के हित की रक्षा की जायेगी। उस समय स्वर्गीय पी० सी० घोष तथा ए० एन० सिन्हा जो बिहार के वित्त मन्त्री थे जैसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने खुले तौर पर संविधान सभा में

यह मांग की थी और प्रारूप समिति के सामने तर्क दिये थे कि इस सम्बन्ध में उपबंधों की व्यवस्था की जानी चाहिये। उनको उत्तर देते हुए स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने कहा कि आप संघ से न्यायपूर्ण बर्ताव की उम्मीद कर सकते हैं और संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध न्यायपूर्ण बने रहेंगे। किन्तु कब "न्यायपूर्ण" एक मान्य शब्द था और हमेशा न्याय दिया जाता था। लेकिन अब मेरे माननीय मित्र, वित्त मन्त्री महोदय जो मेरे गहरे मित्र हैं, की शब्दावली में मैं नहीं समझता कि उनका अर्थ शायद बदल गया है। वित्त आयोग को एक संवैधानिक स्थिति प्राप्त है जिसे राज्यों के वित्तीय संसाधनों तथा आवश्यकताओं की जांच करने के लिए कतिपय संवैधानिक अधिकार सौंपे गये हैं मैं इस समय यह तर्क नहीं करता कि कोई अन्य आयोग गठित किया जाना चाहिए था। श्रीनगर कनक्लेदों जिसमें गैर-कांग्रेस (आई) राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा प्रतिपक्षी नेताओं की बातें हुई थी, ने मांग की थी कि इस दिन केन्द्र वित्त के प्रश्न पर विचार करने के लिए ऐसा ही एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। किन्तु व्यवहारिक रूप से वित्त आयोग संघ का ही एक अंग बन गया है वह उसे केवल निर्देश पद ही नहीं देते अपितु उसको रंगा साहिब अब यह बात सांफ है कि, कर्मचारी और सचिवालय भी प्रदान करती है जिससे उसकी स्वतन्त्रता का हनन होता है। इस व्यवस्था में ही एक त्रुटि थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, गोविन्द बल्लभ पन्त ने राष्ट्रीय नेताओं की ओर से संविधान सभा में विश्वास दिलाया था कि न्यायपूर्ण समाधान निकाला जाएगा और राज्यों के साथ न्यायानुकूल व्यवहार किया जायेगा। सन्देह तो प्रथम वित्त आयोग में ही उत्पन्न होने शुरू हो गए थे।

> "कमजोर राज्यों की नींव पर एक मजबूत केन्द्र बनाने का प्रयास वैसा ही है जैसे बालू रेत की नींव पर एक मजदूत इमारत खड़ी करने का प्रयास। इस संदर्भ में शक्ति से अभिप्रेत है प्रत्येक को सौंपे गए कर्तव्यों का पर्याप्त रूप से एवं समुचित रूप से पालन करने की योग्यता।"

इस समय मैं बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु या उनके काफी बदनाम वित्त मन्त्री के कथन का उद्धरण नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रथम वित्त आयोग को पश्चिम बंगल के द्वितीय मुख्य मन्त्री डा० बी० सी० राय द्वारा दिए गए ज्ञापन में से उद्धरित कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि हमारे वित्त मन्त्री की भी उनके प्रति अभी तक काफी श्रद्धा होगी।

संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसने संघ कार्यपालिका को वित्त आयोग की सिफारिशों पर मनमाना निर्णय लेने की शक्ति या प्राधिकार प्रदान किया हो। यदि आप ऐसा मानते हैं कि संघ को वह शक्ति प्राप्त है तो वह संविधान के अनुच्छेद 268 और 281 के संवैधानिक उपबन्धों की मजाक उड़ानी होगी और इन अनुच्छेदों की आज अवहेलना की गई है।

ऐसा पहली बार हुआ है जबकि एक वित्त आयोग की, वह भी जिसके अध्यक्ष भी चह्वाण जैसे सुविख्यात व्यक्ति रहे हैं जो स्वयं एक वित्त मन्त्री रह चुके हैं। सिफारिशों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के इस तर्क पर कि इससे, अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुंचेगी जैसा कि वित्त मन्त्री ने अपने कार्यवाही-ज्ञापन में दावा किया है, विचार करना जरुरी है।

जब उन्होंने इस वर्ष अपना बजट 29 फरवरी 1984 को प्रस्तुत किया तो उन्हें आयोगों का पता था क्योंकि आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट नवम्बर में आ चुकी थी और आयोग ने साफ तौर पर कहा था मैं उनके बजट भाषण पृष्ट 19, पैरा 58 में से उद्धारण देता हूं जिसमें उन्होंने कहा है :—

"तथापि कुछ वृद्धया आवश्यक तथा अपारिहार्य थी । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारों से प्राप्तियों तथा उनकी संदायों के प्राक्कलनों में आठवें वित्त आयोग के अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है । मैं इस बारे में सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं । आयोग की अन्तिम रिपोर्ट अप्रैल, 1984 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।"

इसलिए, 29 फरवरी 1984 को जब उन्होंने बजट पेश किया था और अपना भाषण दिया था वह पूरी तरह अवगत थे ।

पहली बार ऐसा हुआ है जब कि किसी वित्त मंत्री ने ऐसा स्पष्टीकरण दिया है । पाचवें वित्त आयोग ने अक्तूबर, 1968 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी थी और जुलाई, 1969 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट दी थी । लेकिन आप उनका सिफारिशों को पढ़े और उन मुख्यर सिफारिशों पर गौर करें जिन्हें स्वीकार किया गया था जबकि स्थिति काफी बदतर थी ।

इस मामले में आठवें वित्त आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 14 नवम्बर, 1983 को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी थी और 30 अप्रैल, 1984 के अन्तिम रिपोर्ट दे दी ।

मैं कल भी ब्रह्मानन्द रेड्डी का, जो कई प्रतिठिष्त पदों पर आसीन रहने के अलावा राष्टीय भवन में भी जिनको स्थान प्राप्त है और जो इससे पूर्व एक वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाषण सुन रहा था । उन्होंने जो कहा दिलचस्प था । उन्होंने एक सदस्य की अल्यमत राय का उल्लेख किया जिसे स्वीकार किया जा रहा है । "यह चाटुकारिता की बात नहीं है" कि हर आदमी को अपना कोट दूसरे के कन्धे पर टांकने की कोशिश करनी चाहिए, वह भी शिराणी जैसे आदमी के कन्धे पर जिनके प्रति मुझे भारी श्रद्धा है । आयोग में उनके दृष्टिकोण पर विचार किया गया है जिसे बहुमत द्वारा अस्वीकार किया गया और उन्होंने पुनः कहा कि —

"हमारी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह ध्यान में रखकर 1984-85 से लागू की जानी जाहिए ।"

आठवें वित्त आयोग के अन्तरिम रिपोर्ट में 1984-85 के दौरान राजस्व लेखा में घाटा पूरा करने के लिए सहायक अनुदान के रूप में 494.83 करोड़ रुपए दिये हैं । आयोग ने एक विशिष्ट विचार व्यक्त किया था ।

"1 अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अन्तरिम सिफारिश देते हुए हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि ये सिफारिशें अस्थायी हैं और अन्तरिम स्वरूप की हैं और उनमें ऐसा पुनर्समायोजन किया जा सकता है जो हमारी अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक हो।"

"इसलिए, इस रिपोर्ट में की गई अन्तिम सिफारिशों को ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वे हमारे अन्तिम दृष्टिकोण या सिफारिशें हैं या करों; शुल्कों के अवमूल्यन के सिद्धान्तों या संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन सहायक अनुदान के बारे में हम कोई संकेत दे रहे हैं।"

और अन्तिम रिपोर्ट में उसने अन्ततोगत्वा चालू वर्ष 1984-85 में राज्यों को 2,000 करोड़ रुपए की राशि अन्तरित कर दी।

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को संवैधानिक रूप से नैतिक रूप से और कर्त्तव्य की दृष्टि से 1984-85 के लिए इन सभी राज्य को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1506 करोड़ रुपये की राशि देनी चाहिए। संसद 10 मई तक सत्र में थी। वित्त मन्त्री ने फरवरी 29 से 10 मई तक की अवधि में यह उचित नहीं समझा कि वह 20 अप्रैल को आयोग की सिफारिशें सभा पटल पर रखे जाने के बाद किसी भी दिन आकर सभा को यह बताते हैं कि उनके सामने अमुक कठिनाई है अतः स्पष्ट है कि यह तर्क उनकी समझ में बाद में आया। इसके बाद 24 जुलाई को व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जो अधिकांश राज्यों के लिए वज्रपात के रूप में आया। इसमें अर्थव्यवस्था में भारी होने का उल्लेख किया गया है। इस व्याख्यात्मक ज्ञापनमें या वित्त मंत्री के कल के भाषण में ऐसा विश्वसनीय बात नहीं बनाई गयी है कि इसके कुछ असाधारण कारण थे या अर्थव्यवस्था समग्र रूप से अस्तव्यस्त हो गई थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक उपबंधो पर सीधा आक्रमण किया गया है और संवैधनिक संस्था के रूप में वित्त आयोग की वैधता को ही चुनौती दे दी गई है। अतः 1984-85 में सरकार ने इन सिफारिशों की संवैधनिकत्व, वैधता की पूर्णतः अवहेलना, करके तत्सम्बन्धी उपबंधों को ही व्यर्थ सिद्ध कर दिया है।

सातवें वित्त आयोग की राज्यों में परस्पर वितरण पद्धति सम्बन्धी सिफारिशों को बदल दिया गया है, और आठवें वित्त आयोग ने आयकर से होने वाले शुद्ध राजस्व का 85 प्रतिशत राज्यों के लिए निर्धारित किया हैं। इस सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र राज्य को लगभग 40 करोड़ रुपये का घाटा, पश्चिम बंगाल को लगभग 95 करोड़ का घाटा और केरल राज्य को लगभग 25 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अब घाटे की अर्थव्यवस्था वाले राज्यों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है। यदि आप माननीय वित्त मन्त्री के गत बजट भाषण को देखे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने राज्यों की घाटे की स्थिति, उनकी ओवरड्राफ्ट की स्थिति को स्पष्ट किया है। सभी बातों का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया।

वर्ष 1984-85 के उत्पादन शुल्क के 9000 करोड़ रुपये के कुल राजस्व में से वित्त आयोग ने प्रतिशत अर्थात् 450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के वितरण की सिफारिश की है। चूंकि इस राशि को वितरित किये जाने से इंकार कर दिया गया है और इससे राज्यों को भारी घाटा हुआ है।

जहां तक सहायतानुदान का सम्बन्ध है आयोग ने 1984-85 से 1988-89 की अवधि के लिए कुल 2200 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है जिसमें से 1984-85 के लिए 644 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सहायतानुदान सम्बन्धी इस निर्णय को लागू न करके, जिसका संबिधान में स्पष्ट उल्लेख है, केन्द्रीय सरकार ने, वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई कुल राशि में से 28 प्रतिशत कम कर दिया है।

जहां तक राज्यों के विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और विशेष समस्याओं का समबन्ध है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रत्येक राज्य अपनी विशेष समस्याओं के बारे में अपने ढंग से तर्क दे सकता है। 17 राज्यों को 976 रुपये मिलने थे किन्तु उन्हें केवल 150 करोड़ रुपये ही मिल पाये हैं।

जहां तक रेलवे यात्रीकिराये आदि राहत खर्च तथा केन्द्र द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि का सम्बन्ध है, केवल इससे ही 120 करोड़ रुपये वापस ले लिये गये हैं। इस प्रकार 1500 करोड़ रुपये की राशि, जो राज्य को प्राप्त होनी चाहिए थी, केन्द्रीय सरकार ने रोक ली है। क्या यह दिन दहाड़े डाका डालना नहीं है। उस निर्णय से कई ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं जो संवैधानिक दृष्टि से महत्तवपूर्ण है और जिनका केन्द्र राज्य सम्बन्धों से सीधा सम्बन्ध है।

मैं वित्त मन्त्री से सहमत हूं कि राज्यों का कार्य निष्पादन बहुत-अच्छा नहीं है। राज्यों को ऐसा लाइसैंस नहीं दिया जा सकता जिस पर कोई भी शर्त न लगी हो। यह बात दूसरी है कि यदि आप अमुक दल द्वारा शासित कुछ राज्यों को एक मानदंड से किसी अन्य दल द्वारा शासित अन्य देखें और राज्यों को दूसरे मनदंड से। सामान्यत: यह सुविदित है कि राज्य सरकारों के सामने वित्तीय संकट है। राज्य सरकारों पर कोई भी वित्तीय अनुशासन नहीं है। उस दल द्वारा जिससे वित्त मन्त्री सम्बन्धित है, शासित राज्यों पर भी वित्तीय अनुशासन नहीं लगाया गया है हालांकि घाटे की अर्थव्यवस्था निरन्तर बनी हुई है। अब जबकि उनमें से कुछ राज्यों का लगभग दीवाला निकलने वाला है तब मन्त्री महोदय ने यह कठोर कदम उठाया है जो संविधान के सिद्धान्तों के बिरूद्ध है।

जहां तक केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का सवाल है, इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं उस पर आज अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ एक महत्तवपूर्ण मुद्दे का जिक्र करना चाहता हूं। राज्यों की समस्या के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि इसे कुछ लोग असंगत बतायेंगे। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 1982-83 में प्रति

व्यक्ति योजना परिव्यय 626 रुपये था जबकि पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में औसतन यह 80 रुपये से 200 रुपये तक था । इस प्रकार आप दिल्ली में प्रति व्यक्ति 926 रुपये खर्च करते है जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जहां कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक गरीबी व्याप्त है तथा छोटे की अर्थव्यवस्था, लगातार बनी हुई है और वहां आप प्रति व्यक्ति 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, और 200 रुपये खर्च कर रहे हैं । व्याख्यात्मक ज्ञापन और इससे सत्ताधारी दल के माननीय वित्त मन्त्री के दृष्टिकोण का पता लगाना है ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) । उपाध्यक्ष महोदय, आठवें वित्त आयोग कि सिफारिशों के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अन्तरण करने के लिए वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण तंत्र है और यह आयोग विकसित और पिछड़े हुए राज्यों के बीच वित्तीय संवलन बनाये रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है । केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों को शीघ्र स्वीकार करके सभा-पटल पर रख दिया है इसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं ।

वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की भी मैं उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा करता हूं । मेरे विचार से इस प्रतिवेदन और उसकी सिफारिशों के आधार पर पिछड़े और वित्तीय दृष्टि से कमजोर राज्यों को उनका आवश्यकता के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन देने का ठोस प्रयास किया गया है । कुछ महीने पूर्व सरकार को प्रस्तुत की गई आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उड़ीसा जैसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों के लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई थी, परन्तु उसकी अन्तिम रिपोर्ट न्यायसम्मत है और व्यावहारिक है । वित्त आयोग ने ऐसे राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि की सिफारिश की है । वित्त आयोग ने इसके लिए प्रति व्यक्ति परिव्यय, कुल जनसंख्या, अन्तर आदि बातों पर आधारित एक पृथक सूत्र बनाया है । वित्त आयोग ने कहा है कि घाटे को सहायता अनुदान से पूरा नहीं करना चाहिए बल्कि कर तथा शुल्क लगाकर यह पूरा किया जाना चाहिए । राज्यों के हिस्से में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की आय में से 5% की वृद्धि की गई है । आयकर अधिकार में तथा सविधान के अनुच्छेद 268 और 289 के अधीन शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि करके राज्यों में वितरित होने वाली कर आय राशि में वृद्धि की गई है ।

केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के समस्तरीय अन्तरण के साथ-साथ विभिन्न राज्यों को संसाधनों के प्रस्तावित सर्वस्तरीय अन्तरीय अन्तरण सम्बन्धी सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हैं । आयकर के 85 प्रतिशत और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 45 प्रतिशत से एक संयुक्त विभाजीय राशि बनेगी जिसमें से 90 प्रतिशत का वितरण जनसंख्या व विकास-स्तर के मानदंड के आधार पर किया जायेगा । यह सूत्र कम विकसित राज्यों के लिए बनाया गया है ।

उत्पादन शुल्क में से 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि घाटे वाले राज्यों को दी जायेगी ऐसा नया तथा साहसपूर्ण सूत्र पहली बार तैयार किया गया है । यह ऐसे राज्यों की सहायता के लिए

तैयार किया गया है जिनमें वित्तीय संकट हमेशा बना रहता है। यह तो ठीक है कि लाभ की स्थिति वाले विकसित राज्यों के लिए सिफारिश अनुकूल नहीं है। परन्तु राज्यों के बीच राष्ट्रीय संसाधनों के वितरण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए न कि राज्य विशेष को हुए लाभ या हानि की दृष्टि से। इस दृष्टि से यह सिफारिश बहुत ही निष्पक्ष है।

आयोग ने राज्यों की घाटे या लाभ की स्थिति, उनकी आवश्यकताओं और कमजोरियों का गहन अध्ययन-विश्लेषण किया है। प्रशासन-स्तर में सुधार करने विशेष समस्याओं के लिए वित्तीय सहायता देने और राहत खर्च के लिए वित्तीय सहायता देने और राहत खर्च के लिए और ऊंची सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी सिफारिशें बहुत ही सामयिक और आवश्यकता पर आधारित हैं।

अब मैं अपने राज्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे राज्य के एक सदस्य यह पहले ही बता चुके हैं कि गत्त 30 वर्षों में उड़ीसा को दैविक आपदाओं से कितना अधिक नुकसान हुआ है। आर्थिक दृष्टि से यह हानि 30,000 करोड़ रुपये तक बैठती है। मेरा अनुरोध है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल हानि को केन्द्र द्वारा पूरा किया जाये।

केन्द्रीय ऋण भार और ब्याज के भुगतान के लिए पर्याप्त सहायता दी गई है। परन्तु आयोग ने उस अतिरिक्त भार का गणना नहीं की है जो 1984-85 में योजनागत कार्यों को पूरा यथावत बनाये रखने के सम्बन्ध में बचनबद्ध खर्च के कारण 1985-86 से राज्यों पर आ पड़ा है। मुझे आशा है कि सरकार योजना के अधीन पैदा हुए नये दायित्वों को पूरा करने के परिणामस्वरूप राज्यों के घाटे को सहायतानुदान देकर पूरा करेगी ?

आयोग ने एक निश्चित तिथि से बाद सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को राज्यों के राजस्व खर्च में नहीं गिना हैं जबकि यह सुविदित तथ्य है कि राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के रूप में 1984-85 के बीच बहुत बड़ी राशि देनी पड़ेगी। घाटे की स्थिति वाले राज्यों पर इससे बहुत अधिक वित्तीय भार पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह एक ऐसा सूत्र तैयार करें जिससे घाटे की स्थिति वाले राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उतनी राशि स्वतः प्राप्त हो जाये, जितनी उन्हें मूल्य सूचकांक बढ़ जाने पर और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता बढ़ने पर, अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के रूप में देनी पड़ेगी।

मैं माननीय वित्त मन्त्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होने आयोग की सिफारिशों को उनकी भाषा एवं भावना के अनुसार इस बात के बावजूद माना है कि उससे केन्द्र पर वित्तीय भार बढ़ा है। वस्तुतः इस निर्णय से विपक्ष की यह आलोचना निराधार हो जाती है कि केन्द्र राज्यों की कीमत पर अमीर बनता जा रहा है। विपक्ष की यही शिकायत है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं, हालांकि वित्त मन्त्री जी उस पर निर्णय ले

चुके हैं, किन्तु उस पर वे पुनः विचार करें। बात यह है कि सिफारिशें 1985-86 से लागू की जाये न कि 1984-85 से । वित्त आयोग की सिफारिशें पंचवर्षीय योजना के साथ मेल खानी चाहिए, अन्यथा राज्यों को, विशेषरूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों को लगभग 1700 करोड़ रुपये का घाटा होगा और वह भी योजना के अन्तिम वर्ष में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

श्री सतीश अग्रवाल : आप जो कह रहे हैं क्या उसे आपके मुख्य मंत्री का समर्थन भी प्राप्त है ?

श्रीमती जयन्ती पटनायक : राज्य सरकार की भी यही राय है। उसने भी इसी आशय का सुझाव दिया है। (व्यवधान) इसके कारण उड़ीसा जैसे सतत घाटे की स्थिति वाले राज्य को भी 100 करोड़ रुपये का घाटा होगा। और आर्थिक दृष्टि से पुष्ट राज्यों के पुरानी व्यवस्था के अनुसार अधिक धन प्राप्त होगा। यदि निर्णयों के लागू करने से केन्द्रीय बजट में, जो पहले ही बनाया जा चुका है, संशोधन करना पड़ेगा तो कम से कम वित्तीय दृष्टि से कमजोर राज्यों की कमी आगामी कुछ वर्षों में पूरी हो जायेगी। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस पर विचार करें।

महोदय, मैं पुनः वित्त आयोग को उसकी निष्पक्ष और उचित सिफारिशों के लिए तथा सरकार को उन्हें स्वीकार करने में तत्परता दिखाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती।

श्री चित बसु (बारसात) : महोदय, मैं सर्वप्रथम वित्त आयोग की सराहना करता हूं। आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ने से मालूम होता है कि इस बार राज्यों की समस्याओं पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। आयोग ने न केवल उनकी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाने पर भी बल दिया है। यहां मैं प्रतिवेदन से एक उद्धरण देना चाहूंगा :

> "हम राज्यों की आवश्यकता के प्रति सहानुभूति रखते हैं किन्तु जिन सीमाओं में हमें कार्य करना है वे भी स्पष्ट हैं। हमें जो कुछ उपलब्ध था उसके भीतर रहते हुए हमने अपना भरसक प्रयास किया है।"

यहां श्री चव्हाण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रश्न उठाया था। चूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उपरोक्त टिप्पणी का आशय यह है कि केन्द्र- राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में हमारे संविधान में आमूल संशोधन करने की आवश्यकता है।

जहां तक सरकार के इस निर्णय की संवैधानिकता, राजनीतिक नैतिकता और औचित्य का सम्बन्ध है जिसके अनुसार इस आयोग की सिफारिशों को पांच वर्ष के स्थान चार वर्षों की अवधि के लिए सीमित कर दिया गया है, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इन आरोपों सिद्ध करने के लिए पहले ही बहुत से तर्क दिए जा चुके हैं।

यह तर्क मेरे प्रिय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिये गये थे तथा श्री उत्ती कृष्णन नेउन्हें दोहराया। अतः मैं उस विशेष पहलू पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी दृढ़ राय है कि अर्थ-व्यवस्था के विघटन के आधार पर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अतर्कयुक्त अन्यायपूर्ण तथा अलोकतंत्रीय है। यदि इससे संविधान के अनुच्छेद 280 का उल्लंघन नहीं हुआ तो भी इससे संविधान की भावना का अतिक्रमण हुआ है। इस बारे में मैं एक तर्क दे सकता हू। यह आयोग निष्पक्ष होता है तथा इसकी संकलपना केन्द्र राज्यों के मध्य विभाज्य राजस्व का विभाजन करना है। जहां तक विभाज्य पूल के संसाधनों के बटवारे का संबन्ध है। राज्य एक पक्ष है तथा केन्द्र दूसरा पक्ष है। मेरा तर्क यह है कि जबकि केन्द्रीय सरकार एक पक्ष है, उन्हें एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार कैसे मिल सकता है। वे निर्णायक का दायित्व नहीं निभा सकते। यह दायित्व संविधान द्वारा वित्त आयोग पर सौंपा गया है। वित्त आयोग ही इस मामले में निर्णायक का है। केन्द्रीय सरकार एक पक्ष है तथा राज्य सरकारें दूसरा पक्ष हैं। जहां वित्त मन्त्री ने निर्णायक का दायित्व हथ्या लिया है तथा अपनी कार्यकारिणी शक्ति से एक तरफा निर्णय लिया है। अतः यह अन्याय पूर्ण है अस्वीकार्य अतर्कयुक्त एवं संविधान की भावना का तथा वित्त आयोग की मूल संकलपना का उल्लंघन करता है। इसमें मैं विशेषण नहीं जोड़ रहा हूं।

मेरे आदरणीय वरिष्ठ सदस्य श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने दावा किया कि केन्द्र से राज्य को अधिक मात्रा में संसाधनों का स्थानान्तरण हुआ है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि सातवें वित्त आयोग द्वारा 21000 करोड़ के आबंटन के स्थान पर आठवें वित्त आयोग तक 38500 रुपये का हो गया है। गणित की दृष्टि से यह अधिक है। इस पर मैं विवाद नहीं करता। परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह वृद्धि 83.3% की है। क्या आपने 1979 से 1984 के बीच हुए मूल्य वृद्धि पर ध्यान दिया है? मेरी जारकारी के अनुसार मूल्य वृद्धि 50% से कम नहीं हैं। इसलिए यदि आप आटवन में 83.3% की वृद्धि करते हैं तथा मूल्य वृद्धि 80 प्रतिशत है तब वास्तविक वृद्धि नाम मात्र की है।

फिर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, राज्यों को स्थानान्तरण केन्द्र के केन्द्र राजस्व की वृद्धि के साथ मेल नहीं खाता। वितरण पूर्व राजस्व कर 1979-80 में 12,000 करोड़ से इस वर्ष 23,000 अर्थात लगभग दुगुना हो गया है तथा कर उत्तर राजस्व उसी अवधि में 8568 करोड़ से बढ़कर 17225 करोड़ हो गया है। अतः केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि 100% है जबकि राज्यों के आवंटन में वृद्धि 83.3% से अधिक नहीं है प्रो० रंगा को इससे प्रसन्नता नहीं होगी परन्तु यह कठोर सच्चादि है। और इसीलिए मैंने कहा है कि अधिक स्थानान्तरण आवश्यक है। मुझें दो बातें और कहनी है। (व्यवधान) बढ़ी हुई आय में 5,000 करोड़ रुपए की प्रशासित मूल्य भी सम्मिलित हैं जोकि हमें प्रतिवर्ष करने होते हैं। अतः आपको राजस्व की अतिरिक्त आय होती है जिसे आपने संसाधनों को राज्यों के स्थानान्तरण के समय ध्यान में नहीं रखा, जबकि राज्य दृढ़ तथा एकात्मक राज्य की आधार शिला है।

अब राज्य क्या चाहते हैं? जैसा की श्री चव्हाण ने बताया राज्य अधिक हिस्सा नहीं

चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें संसाधन जुटाने की अधिक शक्ति दी जाये। अतः हम कर में अधिक भाग नहीं चाहते अपितु कर लगाने के अतिरिक्त शक्ति चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं पश्चिम बंगाल सरकार वित्त के पेश किए गए ज्ञापन का एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं।

"इसमें हम खैरात नहीं मांग रहे। हम केवल निगमित क्षेत्र के विकास में राज्य के कर्तव्यों को मान्यता की बात कर रहे हैं (तथा उनके द्वारा किये गये व्ययों)"

श्री सतीश अग्रवाल ने ठीक कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री चित्त बसु : मैं क्या कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं घंटी बजाकर आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। अब आप समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : अतः अधिक हस्तान्तरण नहीं चाहते अपितु संसाधन जुटाने की अधिक शक्ति चाहते हैं।

महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान अदायगियों के भार की ओर दिलाना चाहता हूं। 31 मार्च, 1984 को देनदारी 27058 करोड़ रुपये है। सभी राज्यों की कुल देनदारी 1984-85 के दौरान 8688 करोड़ रुपये हैं। आयोग ने ऋण मुक्ति के नाम पर 2285.39 करोड़ रुपए दिए हैं। इस सिफारिश के बाद भी ऋण वापसी के नाम पर 4 000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। इस बारे में मैं एक बात कहता चाहता हूं। रिर्जव बैंक द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार ऋण की वापसी के खाते कुल धन आबंटन का 19% व्यय करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल का हिस्सा 35% के लगभग है।

ओवर ड्राफ्ट के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। कृपया समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : मेरा एक निवेदन है। यदि आप इस तरह रोक लगायेंगे तो मैं विषय के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपको समाप्त करने को कह रहा हूं।

श्री चित्त बसु : वित्त मन्त्री ने ओवर ड्राफ्टों के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। चूंकि आप

मुझे समय नहीं देंगे, अतः मैं केवल एक बात कहूंगा । मेरे पास एक नोट है जिससे यह प्रकट होता है । केन्द्रीय सरकार भी 15% घाटे के बजट पर चलती है, अब यदि राज्य सरकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर चलती हैं । जिनका दायित्व अधिक है, तब सरकार एवं वित्त आयोग भी अनेक विरूद्ध कैसे कठोर आरोप लगा सकते हैं कि राज्य सरकारें ओवर ड्राफ्ट ले रही हैं, जोकि अर्थ-व्यस्थाकुप्रबन्ध का द्योतक है । यदि राज्यों के ओवर ड्राफ्ट की समस्या का समाधान किया जाना है, तो कुछ संरचनात्मक मामलों को हल करना पड़ेगा । जब तक संरचनात्मक मामलों का समाधान नहीं हो जाता, जोकि ओवर ड्राफ्टों के लिए उत्तरदायी हैं इसके लिए कितनी भी डांट-फटकार दी जाए । इससे देश में एकता स्थापित नहीं की जा सकेगी और न ही इससे पूरे देश की समृद्धि हो सकेगी ।

फिर घाटे की अर्थ-व्यवस्था वाले 11 राज्यों में से 9 राज्य पूर्वीय क्षेत्र के हैं । यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि घाटे वाले 11 राज्यों में से 9 पूर्वीय क्षेत्र के हैं । उसका एक मूलभूत कारण यह है कि उन्होंने नीति जारी की है, कि भाडे में एकरूपता लाई जाए तथा मूल्यों में एकरूपता लाई जाए इससे पूर्वीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गहरा धक्का लगा है तथा उन्हें इन क्षेत्रों के स्थानीय संसाधनों के लाभों से वंचित रखा गया है । इन हालात में जब तक मूल मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा कुछ मूलभूत वित्तीय उपाय नहीं बरते जाते तब तक राज्यों की समृद्धि मृगतृष्णा बनी रहेगी और उनका आर्थिक विकास भी न हो सकेगा, इतना ही नहीं इससे पूरे देश का विनाश हो सकता है ।

निष्कर्ष स्वरूप मैं कह सकता हूं और उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री वित्त आयोग की सिफारिशों को पांच के स्थान पर चार वर्ष के लिए सीमित करने के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे । उन्हें कठोर दृष्टिकोण त्याग पर लचकीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । विकल्प के रूपमें मैं अपने प्रिय मित्र श्री सतीश अग्रवाल के इस सुझाव कि 1984-85 में देय राशि राज्यों को आगामी चार वर्षों में वितरित कर दी जाए, ताकि राज्य अपने वैध अधिकार से वंचित न रहें । जोकि उन्हें एक निष्पक्ष निकाय वित्त आयोग, जोकि संविधान द्वारा पैदा किया गया निकाय है तथा जिसे किसी के निर्देशों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, द्वारा दिये गये पंचाट से वंचित नहीं करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, हमने विपक्ष के सभी सदस्यों को समय दिया है । मैंने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को न बोलने के लिए निवेदन किया है । वे इतने कृपालु हैं कि उन्होंने अपने नाम वापस ले लिये हैं । मैं अपने दूर दक्षिण के मित्र श्री जक्कायन को बोलने से वंचित नहीं रखना चाहता । उनके बाद मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे ।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं अपनी पार्टी

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अणाद्रमुक की ओर से आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के वाद-विवाद में भाग लेना चाहता हूं। उस पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, आठवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कुछ नई बातें शुरू की हैं। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु—इन छः राज्यों को राजस्व की दृष्टि से लाभ वाले राष्ट्र घोषित किया गया है। इन राज्यों ने व्यर्थ एवं अनावश्यक योजना ऐतर व्ययों पर रोक लगाने के लिये कठोर उपाय बरते हैं। इन्होंने अपनी कर-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। वे विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय प्रयोग में लाये हैं। उनकी प्रशासनिक कार्य-कुशलता ने उनकी लगी पूंजी पर अच्छे लाभ दिये हैं। इसी से वे बाहुल्य वाले राज्य बने हैं। इन बाहुल्य वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर उन्हें कम वित्तीय आवंटन करके उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। प्रशासनिक अकुशलता वाले राज्यों का बहुत सारे अनुदानों द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह आर्थिक संवर्धन के लिए समुचित नहीं है।

उदाहरण के तौर पर वित्तीय आबंटन जन संख्या के आधार पर किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य ने प्रधान मन्त्री के निदेश पर जनसंख्या घटाने में अनथक प्रयत्न किया है, तथा उसे कम वित्तीय आबंटन मिलने की संभावना है। यह बहुत अनुचित बात है। जैसा कि तमिलनाडु के वित्त मन्त्री श्री नेडूंटोजीयान ने बताया है तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बच्चों की भलाई के लिए, जो कि देश की धरोहर हैं, पोषाहार योजना लागू की है। इसके कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घट गई है तथा ग्रामीण शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है। हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम. जी. आर. ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रान्ति पैदा कर दी है। वंशानुगत निहित स्वार्थ ग्रामीण मुनसफों को समाप्त करके उन्होंने ग्रामीण अधिकारियों के रूप में नये रक्त का संचार किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई करने की योजना तैयार की हैं। इस योजना पर राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय करेगी तथा पोषाहार योजना पर 100 करोड़ रुपए वार्षिक। इस योजना के अधीन परियोजना माना जाना चाहिए तथा आबंटन किए जाने चाहिए। फिर भी यह राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं हैं। आप के वित्त आयोग ने इन योजनाओं को महत्व नहीं दिया है। मेरा सुझाव है कि वित्त मन्त्री महोदय अपने स्व-विवेक का उपयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य को इनके लिए आबंटन करें।

सत्तारूढ़ दल के बहुत से सदस्यों ने आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें केवल 4 वर्ष के लिए क्रियान्वित करने के वित्त मन्त्री के तर्क पर प्रश्न उठाया है। वित्त मन्त्री के निर्णय से राज्यों सरकारों को 1500 करोड़ रुपये की हानि हुई है जिससे राज्यों के वित्तीय संसाधनों को और आघात लगेगा। वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के कारण भी राज्य सरकारों को 495 रुपये की हानि हुई है। यह बात नहीं है कि केवल विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के इस पर आपत्ति की है। कांग्रेस शासित राज्य, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के माध्यम से अपने केन्द्रीय वित्त मन्त्री सुझाव को स्वीकार नहीं किया ने यह भी जानते हैं कि यदि राज्य कमजोर होते हैं तो

केन्द्र का महत्व घटता है । दूसरे वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1950 में पेश किया था और अपना अन्तिम प्रतिवेदन सितम्बर, 1957 में । उसी प्रकार 5 वें वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट अक्टूबर, 1968 में और अन्तिम रिपोर्ट जुलाई 1969 में पेश हुई थी तो भी उसे 1 अप्रेल 1969 से लागू किया गया था । आठवें वित्त आयोग के मामले में भिन्न नीति अपनायी गई है । एक अप्रैल, 1984 से रिपोर्ट के क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं, शासक दल के श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने जो कि सातवें 7 वें आयोग के अध्यक्ष थे ने भी मांग है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रेल से लागू की जाए । मेरा सुझाव है कि वित मन्त्री महोदय अपने वरिष्ठ सहयोगी के परामर्श को स्वीकार करते हुए 8 वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 1984 से पांच वर्षों के लिए क्रियान्वित करें ।

वित्त मन्त्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया है, कि केन्द्रीय बजट का 70 प्रतिशत तीन प्रमुख मदों के रक्षा, ब्याज की अदायगी और अनुदानों के अन्तर्गत गैर-योजना व्ययों, में चला जाता है । राज्यों का वित्तीय विवरण भी कोई भिन्न नहीं है । उन्हें भी लगभग उतनी ही राशि केन्द्रीय ऋण तथा उसके ब्याज की अदायगी में देनी पड़ती है । अतः मेरी मांग है कि नियमित कर विभाज्य-पूल में लाया जाए ताकि राज्यों को कुछ अधिक धन मिल पाये । अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं खेद पूर्वक कहना चाहता हूं कि आठवें वित्त आयोग के चेयर मैन ने जो विरोधात्मक टिप्पणी दी है उससे सिफारिशों का महत्व घट गया है । मैं समझता हूं किसी तरह एकमत्य लाया जाना चाहिए था तथा चेयरमैन की विरोधात्मक टिप्पणी से बचा जा सकता था ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करना है ।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना-अपना योगदान दिया है ।

कल मेरे, मित्र श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने बोलते समय एक टिप्पणी की थी, "मेरा विकेट कमजोर है ।" मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं परन्तु मैं निश्चय ही इतना अवश्य कहूंगा कि 'विकेट' तो मजबूत था और अभी भी काफी मजबूत है परन्तु 'पिच' को बिगाड़ने की कोशिशें की गई और मैं 'पिच' को बिगाड़ने नहीं दूंगा । मैं माननीय सदस्यों के समय उचित ढंग से तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार को आठवें वित्त आयोग की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार करने में किन-किन बातों से प्रेरणा मिली । ऐसी बात नहीं है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से कोई बड़ा मसाला उठा नहीं या, यूं कहिये, उठाया नहीं गया । ऐसा ही मसला कल अनेक माननीय सदस्यों ने उठाया और वह था कि करों के एक भाग को निर्धारित करने का निर्णय जो समान्य तथा अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत लाये जाने के लिए सहायतानुदान के

अधीन राज्यों की कमी पूरी करने हेतु विभाज्य मूल में जाता है। निस्संदेह यह एक नई बात है। शायद आपने यह बताते समय कि सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है व्याख्यात्मक ज्ञापन में ध्यान दिया होगा, यह बताया गया है कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में न लिया जाए। यह एक ऐसा मामला है जहां दो मत हो सकते हैं। परन्तु सरकार ने वित्त आयोग की अधिकतर सिफारिशों में दर्शाये गये मत को स्वीकार कर लिया है क्योंकि हमने सोचा कि जब वित्त आयोग जैसे निकाय विशेषकर इतने बड़े व्यक्ति की अध्यक्षता वाले निकाय ने अपनी सिफारिशें की हैं तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे जो मुद्दा उत्पन्न होता है उस पर स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे थोड़ा बाद में अनुमति दी जाए।

राजस्व की कमी वाले राज्यों की कमी पूरी करने के लिए अनुच्छेद 275 और कुछ अन्य उपबन्धों के अधीन एक फार्मूले के अन्तर्गत संविधान में एक उपबन्ध है। परन्तु जहां तक विभाज्य मूल में सामान्यतया जाने वाले करों का सम्बन्ध है, वित्त आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले फार्मूले के अनुसार सभी 22 राज्यो का अपना-अपना अंश होना चाहिए। यही तर्क है, यहां क्या हुआ है कि सभी 22 राज्यों को पांच प्रतिशत नहीं मिल रहा है, यह पांच प्रतिशत ग्यारह राज्यों को उन ग्यारह राज्यों की मांगें पूरी करने के लिए मिल रहा है। वे इस सहायतानुदान बढ़ा कर पूरा कर सकते थे। परन्तु वित्त आयोग ने ठीक ही सोचा कि उस स्थिति में वित्तीय अर्थों में क्या स्थिति होती। हम केवल हवा में बात नहीं कर सकते। ये सही वास्तविकताएं हैं। संसाधन वितरित करने होते हैं। वित्त आयोग ने हिसाब लगाया है—मैं ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं बता रहा हूं पर अनुमानित आंकड़े बता रहा हूं—कि उन ग्यारह राज्यों की कमी अनुमानतः 4000 करोड़ रुपये होगी और उन्होंने सोचा कि यदि सहायनुदान के माध्यम से उसे 4000 करोड़ रुपयों की पूर्ति की गई तो, अगर इस दृष्टिकोण से धनराशि नियत की गई तो केन्द्र का उत्तरदायित्व और जवाब देही और अधिक हो जायेगी। उसके परिणाम स्वरूप यह सिफारिश की गई है कि उस 4000 करोड़ रुपये की राशि में से 2500 करोड़ रुपये की राशि सहायतानुदान के माध्यम से पूरी की जाये और इसके माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये पूरे किये जायें। मैंने वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं जहां कहीं कुछ सुझाव या कुछ सिफारिशें हैं, उनको मैंने स्वीकार कर लिया है। सदस्यों ने कहा है कि मैं वित्त आयोग पर आक्षेप लगा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। न ही कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है। न ही मैंने वित्त आयोग की सिफारिशों को सरसरी तौर से लिया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि वित्त आयोग जैसे स्वतन्त्र निकायों के विरोधी ही यह कर रहे हैं कि सरकार को 1984-85 के दौरान सिफारिशें क्रियान्वित करके उनको स्वीकार करना चाहिए था। उस पर मैं बाद में बोलूंगा—परन्तु एक राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने तो यहां तक कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठित निकायों के सदस्य अधीनस्थ और अवसरवादी हैं। मैं इन दो शब्दों, अधीनस्थ और अवसरवादी, का प्रयोग कर रहा हूं। मुझे उनके व्याख्यानों से यह सीखना है कि मुझे वित्त आयोग की सिफारिशों को सरसरी तौर पर नहीं लेना चाहिए? हमने वित्त आयोग की सिफारिशों को

कभी भी सरसरी तौर पर नहीं लिया है। परन्तु साथ ही मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि वित्त आयोग की सिफारिशें पंचार हैं जिन पर सरकार कभी भी विचार नहीं कर सकती और उनके परिवर्तन नहीं कर सकती। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। एक अवसर पर ही नहीं अपितु तीन अवसरों पर वित्त आयोग की सिफारिशों को बदला गया है।

मैं आपका ध्यान उस विशेष मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। तीसरे वित्त आयोग ने—मैं समझता हूं कि उसकी अध्यक्षता श्री ए० के० चन्दा ने की थी—सिफारिश की थी कि सहायता-नुदान के अन्तर्गत योजनागत व्यय के राजस्व संघटक का 75 प्रतिशत आना चाहिए। यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि उस समय वित्त मन्त्री कौन थे। उस समय कोई और न होकर श्री टी० टी० कृष्णाचारी वित्त मन्त्री थे।

यह बताया गया है कि यह संवैधानिक निकाय है और उस दिन श्री सोमनाथ चटर्जी—वह यहां उपस्थित नहीं हैं और मैं समझता हूं कि मुझे उनकी अनुपस्थिति में उनकी कुछ बातों के उत्तर दे देने चाहिए—ने श्री टी० टी० कृष्णयाचारी का उल्लेख किया था। उनके लिए पहला भाग उद्धृत करना सुविधाजनक था क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेस वक्तव्य का पहला भाग ही किया था। मैं भी उसी खंड में से उद्धृत कर रहा हूं उसी पृष्ठ से नहीं बल्कि अगले पृष्ठ से उन्होंने संविधान सभा में वित्त आयोग के कार्य,क्षेत्र, भूकिमा और कृत्यों का निर्धारण करने वाले इस विशेष अनुच्छेद पर संकल्प का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा—

"संसद को विभिन्न प्रान्तों के बीच वितरण के पुनीत कतव्य को कार्यपालिका पर छोड़ना चाहिए।"

यह टिप्पणी का पहला भाग है। दूसरा भाग यह है :

"वित्त आयोग यद्यपि संविधान के अनुच्छेद द्वारा बनाया जाएगा तथापि यह प्रशासनिक तंत्र के लिए सहायता मात्र होगा और इसकी सिफारिशें कार्यपालिका द्वारा निर्णीत की जानी चाहिए।"

इसी भाषण का तीसरा भाग यह है :

"कार्यपालिका उसकी सिफारिशों को, यदि वे व्यवहार्य और वांछनीय हों तो, स्वीकार कर सकती है।"

(संविधान सभा वाद-विवाद खंड 9, 1984, पृष्ठ 326)

अतः यदि कोई मुझ पर या भारत सरकार पर यह आरोप लगाये कि एक विशेष सिफारिश का स्वीकार न करके मैंने दिन-दहाड़े डकैती डाली है, मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था का अपहरण किया या मैंने वित्त आयोग को सरसरी तौर पर लिया है, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये काफी कड़े शब्द हैं। इस पक्ष या उस पक्ष का कोई प्रश्न नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जब हम राज्यों

और केन्द्र के बीच, संघ और इसकी संघात्मक इकाइयों के बीच संसाधनों के वितरण पर चर्चा करते हैं तो उन्मुक्त चर्चा होनी चाहिए और यह परिणाम रहा है कि उन्मुक्त चर्चा हुई है। सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और ऐसा करना वांछनीय भी है। आखिर लोग और हर व्यक्ति थोड़ी-सी ज्यादा राशि लेना ही चाहते हैं।

कल मुझे उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रो० मधु दण्डवते ने कहा कि प्रतिशतता के संदर्भ में पश्चिम बंगाल का अंश कम हो रहा है जबकि प्रतिशतता के संदर्भ में आंध्र प्रदेश का अंश बढ़ रहा है। जब आप प्रतिशतता की बात करते है तो आपको उसे सौ में वितरित करना होगा, आप 100 में से 100 वितरित नहीं कर सकते। मैं यहां बहुत ही रोचक आंकड़े बताता हूं जो विशेषकर उन सदस्यों ने दिए हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों के दृष्टिकोणों पर काफी जोर दिया। निरंतर यही प्रक्रिया रही है कि यदि एक राज्य को एक वित्त आयोग में प्रतिशतता के संदर्भ में ज्यादा राशि मिलती है तो अगले वित्त आयोग में उनको कम मिलती है और फिर वह बढ़ जाती है। मैं इसे एक-दो राज्यों के संदर्भ में बताऊंगा।

आंध्र प्रदेश का मामला लीजिए। पांचवें वित्त आयोग में इसे 7.8 प्रतिशत मिला-छठे वित्त आयोग में इसे 8.08 प्रतिशत मिला, सातवें वित्त आयोग में इसका अंश कम होकर 7.31 प्रतिशत हो गया ; यह अब बढ़कर 7.34 प्रतिशत हो गया। ऐसा ही मामला तमिलनाडु का है। यह 6.97 प्रतिशत था, यह कम 5.60 प्रतिशत हो गया, यह बढ़कर 7.21 प्रतिशत हो गया और फिर कम होकर 6.25 प्रतिशत हो गया इसके बाद मैं एक सर्वाधिक विकसित राज्य में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में बोल रहा हूं—पंजाब को लेता हूं, इसका अंश 2.13, 1.76, 2.01 और 1.64 प्रतिशत था। इसके बाद सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार—इसके सम्बंध में भी आप यही प्रवृत्ति देखेंगे। यह 9.57, 8.79 10.62 10.70 प्रतिशत है। अतः यह नितांत सामान्य बात है और ऐसा होना अवश्यम्भावी है क्योंकि प्रत्येक वित्त आयोग को राज्यों द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियों को ध्यान में रखना होता है। वे किसी मानदंड कसौटी का निर्धारण करते हैं, वे उस कसौटी को लागू करते हैं और जब पांच वर्षों की अवधि में संसाधनों के अंतरण के परिणामस्वरूप राज्य की स्थिति में मामूली सुधार होता है तो अगले वित्त आयोग में उनका अंश कम हो जाएगा। ऐसा जानबूझ कर नहीं किया जाता है।

कल जब मैं अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियां कर रहा था तो मैंने पिछड़ेपन की स्थिति तथा वित्त आयोग द्वारा बहुत कार्य करके और विभिन्न नमूनों के साथ प्रयोग करके तैयार किए गए नए फार्मूले को दिए गए महत्व का स्वागत किया तथा हमने उस पर अपनी सराहना व्यक्त की। इससे अनेकों राज्यों, विशेषकर गरीबी से प्रभावित राज्यों को लाभ मिला है।

दूसरी बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं वह यह है कि 'मनमाने ढंगसे' वितरण करने का रवैया अपनाने का प्रयास किया गया है। आप ऐसा रवैया नहीं अपना सकते। आप यह नहीं कह सकते कि जहां तक अन्तरण का संबंध है वह बिल्कुल ठीक है और जहां तक

सहायतानुदान का सम्बन्ध है, वह गलत है, ऋण-राहत इतना आकर्षक नहीं है, औवर-ड्राफ्ट स्वीकार्य नहीं है। आप ऐसी स्थिति नहीं रख सकते। जब वित्त आयोग कोई सिफारिश करता है तो वह उसे एक मुश्त प्रदान करता है और मैंने इसे एक मुश्त स्वीकार किया है।

ऐसे आरोप लगाए हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशें संघ समर्थक, केन्द्र-समर्थक हैं और वह आरोप श्री उन्नीकृष्णन तथा श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा लगाए गए हैं मैं आयकर सहायतानुदान आदि में नहीं जा सकता परन्तु मैं प्रतिवेदन के ही पृष्ठ 46-47 पर उत्पाद शुल्क के बारे में बोल रहा हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बहुत सी अन्य बातों के बारे में बोलना है परन्तु मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि प्रत्येक वित्त आयोग ने उत्पाद शुल्क के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया है। जब पहला वित्त आयोग गठित किया गया था तो उसने इन मदों पर विभाज्य मूल में उत्पाद-शुल्क शामिल किया। ये मदें थीं—सिगरेट और सिगरेट सहित तम्बाकू माचिसें और वनस्पति उत्पाद। केवल तीन मदें। दूसरे वित्त आयोग ने इस सूची में चीनी, चाय, काफी, कागज और वनस्पति गैर-आवश्यक तेल को शामिल किया और उन्होंने अंश को 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया। तीसरा वित्त आयोग एक कदम और आगे बढ़ा तथा, उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर उत्पाद-शुल्क 50 लाख रुपए से कम था, उत्पाद-शुल्क लगने वाली सभी वस्तुओं का सुझाव दिया। उसे छोड़कर, उत्पाद-शुल्क लगने वाली सभी श्रेणी की वस्तुओं को शामिल किया। चौथा वित्त आयोग एक कदम और आगे बढ़ा और उसने कहा कि 50 लाख रुपए की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी प्रत्येक मद जो उत्पाद शुल्क के वर्गीकरण में आती है, को विभाज्य मूल के अंतर्गत लाना चाहिए। छठे वित्त आयोग ने विशेष उत्पाद-शुल्क को भी शामिल किया है जो पहले संघ सरकार के एकान्तिक क्षेत्राधिकार में था। सातवें वित्त आयोग ने अंश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया। आठवें वित्त आयोग ने अंश 40 से 45 प्रतिशत बढ़ा दिया है। उस 5 प्रतिशत को सभी राज्यों में वितरित नहीं किया जा सकता पर कुछ भी हो, यह केन्द्र की ओर से राज्यों के पास जा रहा है और केन्द्र का अंश 60 प्रतिशत से कम होकर 55 प्रतिशत हो रहा है और राज्यों का शेयर 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत बढ़ रहा है।

आज कुल राजस्व में उत्पाद-शुल्क का कितना अंश है ? 23,000 करोड़ रुपए के कर राजस्व में से 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले उत्पाद-शुल्क से मिल रहा है अतः कोई यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है कि वित्त आयोग की सिफारिशें संघ समर्थक हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) कितनी वस्तुएं बिक्री कर से निकाली गई हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : केवल तीन।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी हां। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने इसका अध्ययन किया है। उत्पाद-शुल्क की वृद्धि गहन रूप से

200 प्रतिशत से अधिक है और यह इन सभी वस्तुओं सहित समग्र रूप से बढ़ रही है। इस मामले पर कमलापति त्रिपाठी द्वारा प्रतिवेदन में पहले ही विचार किया जा चुका है और इसलिए हम इस विषय को पुनः न उठायें। विक्रय कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क से उनको कितना अतिरिक्त लाभ हो रहा है और यदि यह विक्रय-कर रहता तो, कोई यह हिसाब लगा सकता है कि कोई इससे क्या वसूल करता है। मैं एक मैं ठोस उदाहरण दे सकता हूं। प्रति वर्ष बिजली पर उत्पाद-शुल्क वसूल कर रहा था परन्तु इस वर्ष के बजट में मैंने इसे अन्तरित कर दिया है और राज्यों को 120 करोड़ रुपए दिए हैं और मैं यह देखना चाहूंगा कि राज्य 1986-87 में कितना वसूल करेंगे। अतः हम उस पहलू पर न जायें। अतः मेरा तर्क यह है कि जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, वे न तो केन्द्र समर्थक हैं और न ही राज्य-समर्थक। वस्तुतः राज्य-समर्थक हैं। सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है जो आलोचना की गई अगर वह नहीं की जाती तो मैं उदाहरण नहीं देता परन्तु चूंकि आलोचना की गई है इसलिए मैं उदाहरण दूंगा। यह कहा गहा है कि वित्त आयोग की सिफारिशें अनिवार्य हैं या यदि मैं 'अनिवार्य' शब्द का प्रयोग न करूं, परन्तु फिर भी सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशें तैयार करनी चाहिए। मैंने भी ये सिफारिशें स्वीकार की हैं।

महोदय, अब यह प्रश्न उठता है कि "आपने वर्ष 1984-85 से सिफारिशें क्रियान्वित क्यों की ?" यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर मैं माननीय सदस्यों के निष्कर्षों का विश्लेषण करूं तो उन्होंने मुझे बताया है—

(क) यदि मैंने इसका समायोजन किया होता, तो यह बहुत ही कम होता,

(ख) मेरे पास समायोजन के लिए पर्याप्त समय था,

(ग) यह समायोजन भी सम्भव है।

महोदय, मैंने कल अपनी एक बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया था कि वित्त आयोग किसी संसाधन का सृजन नहीं करता है। वित्त आयोग वर्तमान संसाधनों, कर राजस्वों तथा उनके वितरित किए जाने के बारे में सिफारिशें करता है। इसलिए वित्त आयोग की सिफारिश मात्र से ही किसी नये संसाधन का सृजन नहीं हो रहा है। हमें एक ऐसा दृष्टिकोण, एक काल्पनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि यदि हमें नवम्बर, 1983 के महीने में, जब हम बजट बना रहा थे, वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध कर दी गई होती तो क्या हो गया होता ? यदि मैं अपने कर को न बढ़ाना चाहता तो मेरा उत्पाद-शुल्क 11,000 करोड़ रुपये ही रहा होता। मेरा घाटा 1762 करोड़ रुपए का होता। पूंजी प्राप्ति, जिसकी गणना और परिकलन मैंने कई साधनों से की थी, लगभग 38,000 करोड़ रुपए से 39,000 करोड़ रुपए तक रही होती। मैंने किया यह होता कि मैंने हिसाब लगाया होता कि 45% उत्पाद-शुल्क की दर से राज्यों को वितरित कर देने के बाद और अनुदान सहायता दे देने के बाद केन्द्र में मेरे पास कुल कितनी धनराशि रह जायेगी सभी वायदों

की पूर्ति के पश्चात ज्ञात हो जाता कि योजना सहायता के रूप में राज्यों को देने के लिए मेरे पास इतनी इतनी धनराशि उपलब्ध है। और उसके बाद मैंने अपने बजट को बनाया होता। मैंने इस वर्ष क्या किया है? मैंने योजना सहायता को 10 प्रतिशत, जो 500 करोड़ रुपये से अधिक है, बढ़ा दिया है। मैंने राज्यों को ओवर ड्राफ्ट के समायोजन हेतु 469 करोड़ रुपए तक दिया है। (व्यवधान)। यह 1,000 करोड़ रुपया है। मैंने 1,000 करोड़ रुपये की राशि आपको दी है। उसके लिए मुझे वित्त आयोग अथवा किसी अन्य की सिफारिशों की आवश्यकता नहीं है। किसी ने भी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ऐसा कोई सांविधानिक दायित्व नहीं है कि मुझे आपको और 500 करोड़ रुपया देना होगा। जब मैंने देखा कि मैं राज्यों को और धन दे सकता हूं, तो मैंने योजना मन्त्री को बताया। "जब भी योजना संबंधी चर्चा हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इस वर्ष मैं उन्हें 500 करोड़ रु० तक 10% अधिक दे सकता हूं।" जब मैंने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात यह देखा कि वे अपने ओवर-ड्राफ्ट की जिम्मेदारी को पूरी तरह पूरा नहीं कर सकते हैं; तो मैंने उन्हें बताया। "आंशिक रूप से आप उनकी पूर्ति करें, आंशिक रूप से मैं इसकी पूर्ति करूंगा।" उस सीमा तक मैंने उन्हें 500 करोड़ रुपया दिया है। यदि वित्त आयोग से मुझे सिफारिश नवम्बर, 1983 में मिल गयी होती, तो ऐसा करने की बजाय मैंने इसे सामान्य तरीके के माध्यम से किया होता।

अतः, यह प्रश्न ही कहां उठता है कि मैंने दिन दहाड़े डाका डाला और मैंने अपने पास कुछ रख लिया? आप ये धारणायें कहां से ग्रहण कर रहे हैं? यह इस समस्या को देखने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। कौन धन बचा रहा है? संसाधन समान है। कोष भी समान है। इसका वितरण किया जा चुका है। वित्त आयोग के माध्यम से वितरित किए जाने की बजाय इसे योजना के माध्यम से वितरित किया गया है। इसका वितरण ओवर ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया है। और वही राशि आप प्राप्त कर चुके हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसे समझने के लिए छोटा सा प्रश्न है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, अनेक राज्यों में योजना सहायता 70% तथा 30% अनुदान के रूप में है, जहां यह 10 प्रतिशत ऋण तथा 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में है। इसलिए इसकी वापसी किसी अवधि के भीतर करनी होती है। बेशक आप समायोजन करते हैं ताकि राज्य अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि मामला भिन्न है, तो मुख्यतः यह अन्तरण करने का मामला रहा होगा और कुछ सीमा तक ऋण की वापिसी के बारे में पुनः कार्यक्रम को तैयार करने की बात रही होगी उदाहरण के तौर पर इस 1,400 करोड़ रुपये अथवा 1,500 करोड़ रुपये में से भी 350 रुपये की राशि ऋणों की वापसी के लिए पुनः कार्यक्रम के रूप में भी 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है।

श्री प्रणव मुखर्जी : बिल्कुल यही स्थिति है। ठीक ठीक वही मैं आपको बताने जा रहा था, अर्थात आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इस वर्ष आपके लिए 42,000 करोड़ रुपया उपलब्ध है। वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप यह राशि अधिक हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह किसी का भी मामला नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह मामला है। अन्यथा, आप वह बात कैसे कह सकते हैं ? आपने भाषणों को नहीं सुना है कि मैंने धन निकाल लिया है। आपने भाषणों को नहीं सुना है किन्तु मैंने सुना है। आपने कहा है। वित्त मन्त्री ने ऐसा कहा है। यह मत कहिए। किसी ने भी इसे नहीं लिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमारे दृष्टिकोण से, राज्यों के दृष्टिकोण से, आपने यह धन ले लिया है। आप अपने दृष्टिकोण से उस पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इसे नहीं मानता हूं। मैं यह बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि वित्त आयोग की सिफारिशें मुझे उपलब्ध कर दी जाती, तो मैंने योजना सहायता में वृद्धि न करता और मैंने ओवर ड्राफ्टों को समायोजित न किया होता। मैंने वित्त आयोग के द्वारा सामान्य रूप से धनराशि दे दी होती जैसाकि मैं आगामी वर्ष करने जा रहा हूं और कोई भी वित्त मन्त्री आगामी वर्ष से ऐसा करेगा। इसलिए किसी प्रकार कमीशन लेने का प्रश्न नहीं उठता है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने यह कह करके हमें एक उदाहरण दिया है कि प्रत्येक राज्य के लिए समायोजन बहुत ही सरल होगा और 22 राज्यों के लिए उनके बजट फिर से बनाये जाने चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका आयकर का हिस्सा भिन्न न हो। वे अपने बजटों को 31 मार्च, 1984 से पूर्व पेश कर चुके हैं और जहां तक आयकर और उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है, यदि मैं इस समय वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करता हूं तो केन्द्र से उनकी देय राशि में परिवर्तन हो जायेगा। किसी को अधिक धन मिलेगा और किसी को कम मिलेगा, किन्तु एक भी ऐसा मामला नहीं होगा जिसमें राशि वही रहेगी। अतः, ऐसे राज्य, जिन्हें अधिक धन मिल रहा है, इसे अधिक आसानी से खर्च कर सकते हैं, उनके खर्च करने की कोई समस्या नहीं हैं। (**व्यवधान**)। यदि आपने इसे नहीं समझा है, तो मैं यहां आपको समझा नहीं पाऊंगा। समस्या यह कि वित्त आयोग ने आयकर और उत्पाद शुल्क के अन्तरण के लिए एक नया फार्मूला बनाया है जिसमें जनसंख्या की बजाये पिछड़े पन पर जोर दिया है। 7वें वित्त आयोग के अनुसार आयकर का वितरण वसूली के 10 प्रतिशत तथा जनसंख्या के संबंध में 90 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। अब वित्त आयोग ने सिफारिश की है अंशदान वसूली पर (जैसाकि निर्धारण द्वारा आंका गया है। 10 प्रतिशत होना चहिए, 90 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर, 25 प्रतिशत विपरीत प्रति-व्यक्ति आय के आधार पर और 50 प्रतिशत उच्चतम प्रति-व्यक्ति आप की दूरी से निम्नतम प्रति व्यक्ति आय तक दिया जाना चाहिए। अतः, यह धनराशि, जो उन्हें आयकर की 1600 करोड़ रुपये में से मिलेगी, भिन्न-भिन्न होगी। और उन्हें अपने बजटों को फिर से बनाना पड़ेगा।

श्री सुनिल मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह अतिरिक्त राशि ही होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : अतिरिक्त राशि के समायोजन का कोई प्रश्न ही नहीं है। मुझे यह स्वीकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। इन अन्तरों में थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। क्या आपने उन राज्यों से विचार विमर्श किया है जिनके लिए आप अब बात कर रहे हो ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बहुत ही विचित्र बात है। मुझे नहीं मालूम है कि मैं अपने भाषण को कैसे जारी रखूं। ये सज्जन कल्पना की दुनिया में रहने के अभयस्त हैं और जब इनके सामने तथ्य रखे जाते हैं तो वे इस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आपके समक्ष तथ्य रख रहा हूं। वस सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि यह राशि थोड़ी भी है, तो भी मेरे लिए यह बात असंगत है। प्रत्येक राज्य के बजट को फिर से बनाना होगा। यह मेरी साधारण सी बात है। यदि मैं आज इसे स्वीकार कर लेता हूं कि मैं इसे कार्यान्वित कर दूंगा, तो हमें कहां से संसाधन प्राप्त होगे ? क्या संसद मुझसे सिफारिश करेगी कि 1400 करोड़ रुपये के कर लगा दीजिये, ये 1400 करोड़ रुपये अतिरिक्त घाटे की अर्थ व्यवस्था के रूप में होंगे ? मैं यह प्रश्न स्पष्ट रूप से संसद सदस्यों से पूछ रहा हूं। और किससे ? पश्चिम बंगाल के बारे में एक बहुत मामले के रूप में बहुत कुछ कहा गया है जैसाकि यदि उन्हें इतनी और धनराशि मिल जाती तो वे चमत्कार करके दिखा देते। कल श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक पत्रकार सम्मेलन में मेरे द्वारा दिये गये इस प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है कि पश्चिम बंगाल का संसाधन सग्रहण प्रशसनीय नहीं हैं। मैंने कहा है कि उनके पास अधिक धन होता है, उन्होंने संसाधन संग्रहण का अपना लक्ष्य निर्धारित किया होता है। जब योजना को अन्तिम रूप दिया गया था, उस समय क्या स्थिति थी ? छठी योजना के आरम्भ में यह निर्णय किया गया था कि पश्चिम बंगाल की योजना 3500 करोड़ रुपये की होगी राज्य विद्युत बोर्ड तथा सड़क परिवहन निगम की कमी को कटौती करने के प्रस्तात वर्तमान राजस्व से उनकी शेष राशि 699 करोड़ रुपये से अधिक होगी और उसने कहा है कि वह 512 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों को जुटा लेगी। अतः वह 699 करोड़ रुपये + 512 करोड़ रुपये तथा 1212 करोड़ रुपये की राशि योजना में लगायेगी। जहां तक 800 करोड़ रुपये का सम्बन्ध है राज्य ने जो अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण किया है, वह वास्तव में ही बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं कि उसने 512 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 799 करोड़ रुपया अधिक है जो उसने अतिरिक्त संसाधन

जुटाया है। किन्तु वर्तमान राजस्व से शेष के बारे में क्या स्थिति है? उसे 699 करोड़ रुपये से अधिक देना है और वह 957 करोड़ रुपये कम दे रहे हैं और 1212 करोड़ से अधिक आरक्षित में रखने की बजाये राज्य ने 188 करोड़ रुपये से कम रखा है। निस्संदेह यह बहुत ही असाधारण कार्यनिष्पादन है।

अब राज्य योजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में, जैसाकि मैं ऊपर कह चुका हूं, यह निर्णय किया गया था कि पश्चिम बंगाल की योजना के लिए 3500 करोड़ रुपया होगा। उसकी योजना के प्रथम वर्ष 575 करोड़ रुपये को अन्तिम रूप दिया गया था। वास्तव में यह राशि 420 करोड़ रुपये की थी। श्री नारायण चौबे को इस आंकड़े को नोट कर लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अकेले श्री नारायण चौबे को ही क्यों इसे नोट कर लेना चाहिए?

श्री प्रणव मुखर्जी : वह इसका उल्लेख कर रहे थे।

मुख्य चार शीर्षों राज्य का अपना अंशदान 73 करोड़ रुपये का है इसके अतिरिक्त केन्द्र का अंशदान है सीधी केन्द्रीय सहायता, बाजार से ऋण ले करके, भारतीय रिसर्व बैंक के साथ घाटे की व्यवस्था करके, 1980-81 में 420 करोड़ रुपये की वास्तविक योजना में से सब मिला करके उसका अपना अंशदान 73 करोड़ रुपये का है और केन्द्र का अंशदान 347 करोड़ रुपये का है।

1981-82 में वास्तविक परिव्यय 454 करोड़ रुपया है, अर्थात स्वीकृत परिव्यय है, वास्तविक निष्पत्ति 454 करोड़ रुपया है, राज्य अंशदान से 4 करोड़ रुपये घटा करके और केन्द्र का अंशदान 458 करोड़ रुपये का है।

1982-83 में स्वीकृत परिव्यय 49 करोड़ रुपया का था, वास्तविक निष्पत्ति 448 करोड़ रुपये की हुई है, राज्य के अंशदान में 36 करोड़ रुपया घटा करके केन्द्र का अंशदान 484 करोड़ रुपया है।

1983-84 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। और मुझे उनकी बात सुननी होगी कि हम पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रहे हैं और दिनदहाड़े डाका डाला गया है। मैं इसे सभा के निष्कर्ष पर छोड़ता हूं, कि उस राज्य द्वारा कितना अदभुत कार्य करके दिखाया जा रहा है।

इसके सम्बन्ध में अगला प्रश्न यह उठाया गया है कि हम योजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं। प्रो० मधु दण्डवते द्वारा अद्भुत तर्क प्रस्तुत किये गये है। इसे किसने भंग किया है? क्या मैंने इसे भंग किया था? जनता सरकार द्वारा इसे भंग किया गया था। मैं बता रहा हूं क्यों समकालिकता नहीं हुई सातवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के उपलब्ध हो जाने के बाद जब वे एक अद्भुत धारणा अर्थात निरन्तर योजना की धारणा को लाये थे हमने विघटन शुरू कर दिया था। मैं इस स्थिति में छोड़ दिया गया है। इस स्थिति को बताया गया है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि

इस देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को कुछ वर्षों तक सीमित कर दिया गया है। वह आसानी से भूल गये है कि राजामनार आयोग की सिफारिशों को तीन वर्षों के लिए सीमिति किया गया था। इसलिए इस मामले में आठवें वित्त आयोग के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है कि इसके बारे में कभी भी नहीं सुना गया है जो कभी भी नहीं हुआ है। मैं वकील नहीं हूं। मैं इसके कानूनी पहलुओं का उल्लेख नहीं करूंगा। यदि आप इतने विश्वस्त हैं, तो आप को न्यायालय में जाने से कौन रोकता है? आप को ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा है। यदि आप सोचते है कि यह असंवैधानिक अथवा यह संविधान की भावना के विरुद्ध है संविधान की भावना क्या है? यदि सविधान की भावना यह है कि आयोग को इस पर बिचार करना चाहिए और उन्हें अपनी सिफारिशें करनी चाहिये और यदि बित्त आयोग श्री सतीश अग्रवाल से निर्देश प्राप्त करता है कि प्रत्येक आयोग उत्पादन शुल्क के अन्तरण के मामले में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देगा। इस के अभिप्राय यह है कि आगामी वित्त आयोग में 60 प्रतिशत, तथा आदि और कुछ पांच वित्त आयोगों के बाद केन्द्र के पास कुछ नहीं रह जायेगा। यह बिल्कुल तर्कसंगत बात है कि यदि सातवें वित्त आयोग इस 20 से बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर देता है आठवां आयोग इसे और 10 प्रतिशत बढ़ा देता है, नौवां आयोग इसे आयोग और 10 प्रतिशत बढ़ा देता है, तो आखिरकार आप एक ऐसे आंकड़े पर पहुंच जायेंगे जहां कुछ भी शेष नहीं रहेगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर): आप नियमित कर और सीमा कर आदि को शामिल करेंगे? आप इसे बहुत आगे ले जा रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं उत्पादन शुल्क की बात कर रहा हूं, उस तरह की स्थिति में, जो कोई भी वित्त मन्त्री होगा, उसे खेद व्यक्त करना होगा, वह यह नहीं कर सकता। यह शब्दों के वितरण का प्रश्न ही नहीं है। जब धन के वितरण का प्रश्न होता है, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग इसके उपलब्ध होने का होता किन्तु आप ऐसी रेलगाड़ी में सवार होने का प्रयास कर रहे हैं जो पहुंची ही नहीं है। आप संसाधनों के वितरण की बात कर रहे हैं किन्तु संसाधन दिखाई नहीं दे रहे हैं यदि संसाधन दिखायी दिये होते और मैं पूरी तरह इस बात को जानते हुये स्वीकार कर सकता था कि मेरा हिस्सा कम होकर 50 प्रतिशत हो जायेगा और अनुदान सहायता के रूप में मुझे और अधिकायित्व को पूरा नहीं करना है, तो मुझे कोई हिचकिचाहट न हुई होती। आप की योजना सहायता को बढ़ाने और ओवर ड्राफ्ट के द्वारा आपको देने तथा आपके साथ निरन्तर अनबन बनाये रखने की बजाये मैं ऐसाकर सकता था। किन्तु मध्य में ऐसा करना सम्भव से नहीं है।

श्री उन्नीकृष्णन तथा श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि आपने इस प्रतिवेदन को 30 अप्रैल को प्राप्त किया था और संसद का सत्र 10 मई तक होना था, तो आपने इसे क्यों नहीं किया। वास्तव में मुझे यह प्रतिवेदन 4 मई को प्राप्त हुआ क्योंकि राष्ट्रपति मैक्सिको गये हुये थे और आयोग को प्रतिवेदन पेश किया जाना चाहिये। और मैं इसे राष्ट्रपति से वापिस

नहीं ले सकता हूं । उनकी अनुपुस्थिति में भी इसे उनके कार्यालय में पेश किया जा सकता है । यदि मुझे यह 30 अप्रैल को भी प्राप्त हो जाता, आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि 10 दिन के भीतर साथ-साथ ही इस पर निर्णय ले लेना चाहिए, श्री सोमनाथ चटर्जी ने उच्चतम न्यायालय को उद्धत करते हुये मुझे परामर्श दिया है कि मुझे अवश्य ही इस की ओर ध्यान देना चाहिए और विवेक ढंग से इस ओर ध्यान देना चाहिए और यह सारी प्रक्रिया 10 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए । इसी कारण से, जैसा कि आप को याद होगा 4, 5 और 6 तारीख को, लगभग उसी समय, मैंने उपयुक्त विधानों के माध्यम से अन्तरिम प्रतिवेदन को सिफारिशों के लिए एक आदेश दिया था । अतः यह तर्क नया नहीं है और कि हमने संसद को विश्वास में नहीं लिया है । मैंने संसद को को बता दिया था । अतः मेरी धारणा यह है कि यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि हमने वित्त आयोग की सिफारिशों को अनदेखा कर दिया है अथवा हमने उन्हें इतना अपेक्षापूर्ण ढंग से लिया है ।

एक और बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मुझे खेद है कि हममें भी मुझे पश्चिम बंगाल का उल्लेख करना है । क्या हम अधिकाधिक घाटा दिखाने वाले तथा घाटे को प्रोत्साहन देने वाले राज्यों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं ? वित्त आयोग ने क्या किय- है ? उसने कटु सत्यता को ध्यान में रखा है । मैं उसकी सराहना करता हूं कि उसके पास यथार्थ वादी होने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था । लेकिन आप इसे उचित कैसे बतायेंगे । मेघालय या मणिपुर को हर एक समझ सकता है । किन्तु आप एक विकसित बड़े राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से पांचवे स्थान पर है औचित्य कैसे ठहरा सकते है ? मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए पृष्ट 158 का फिर से उल्लेख करता हूं जहां 76-79 के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत एस० डी० पी० दी गई है और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पांचवें स्थान पर है और उसकी प्रति व्यक्ति आय 1249 रुपये है । और बिहार की सबसे कम अर्थात् 755 रुपये है । बिहार सहायक अनुदान की सूची में नहीं है । तब पश्चिम बंगाल ने, जिसका स्थान सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय में पांचवा स्थान है सहायक अनु- दान क्यों प्राप्त किया और उस धन से उन्होंने क्या किया है ? 22 राज्यों में से पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जो सामान्यतया योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है । वे राज्य को सहायक अनुदान की सूची में ले जा रहे हैं । केन्द्र ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है । यदि उनका खाद्यान उत्पापदन 90 लाख टन से घटकर 56 लाख हो जाता है तो केन्द्र जिम्मेदार है । इसलिए, इन सब बातों को सुनते-सुनते हम थक गए हैं.........

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सारी बात सदन को गुमराह करने वाली हैं । वह अपनी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं मेरे पास खाद्यान्न सम्बन्धी आंकड़े हैं । वह सभा को गुमराह करने में प्रवीण हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : राज्य एक ऐसे स्तर पर आ गया है...**(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको इतने अधिक नीचे स्तर तक नहीं जाना चाहिए······

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं ··········(**व्यवधान**) । मुझे यह बात कहते हुए खेद होता है कि राज्य शायद इस हद तक पहुंच गया है कि··········

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य या मन्त्री बोलता है तो सभा के किसी अन्य सदस्य को उठकर मन्त्री से यह पूछना जरूरी है कि वह बीच में रुककर उसे कुछ बोलने का मौका देंगे ? यदि वह इसके लिए तैयार न हों, तो फिर उन्हें कुछ नहीं पूछना चाहिए । आप सरकार का उत्तर सुनिये ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरी आखिरी बात केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में है··········

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा कर रहे हैं । प्रश्न है···

(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं अभी बोल रहा हूं वह बोल सकते हैं परन्तु······

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन यदि हर बात पर हर सदस्य खड़ा हो जायेगा तो मैं कैसे कार्यवाही चलाऊंगा ? बहुत सी बातें आपके लिए रुचिकर नहीं होंगी परन्तु उन्हें भी आपको सुनना होगा और सरकार की पूरी बात सुननी होगी ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मेरी बात एक दम सरल है······

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये । प्रक्रिया सभी के लिए एक है······

(**व्यवधान**)

प्रो० रूपचन्द पाल : वह आक्षेप कर रहे हैं······

(**व्यवधान**)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं उससे उनकी संस्कृति का पता चलता है······

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदस्य चाहते हैं कि मन्त्री महोदय उत्तर न दें तो मैं उनको रोक सकता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें उत्तर देना चाहिए परन्तु वे अनावश्यक रूप से एक राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उन्हें सिफारिशों पर टिके रहना चाहिए······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उस तरह नहीं बोल सकते जैसा आप चाहते हैं। आप सब बैठ जाइये। यदि विपक्ष नहीं चाहता कि मन्त्री उत्तर दें तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो उत्तर न दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही सही ढ़ंग से नहीं चलाई जा सकती है मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे बैठ जाए।······

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम चुनाव के भाषण नहीं सुनना चाहते। उन्हें सिफारिशों के बारे में बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल सकते हैं। उन्हें भी बोलने की आजादी है। यदि आप उन्हें पसन्द नहीं करते तो उन्हें स्वीकार मत कीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आपको बचन देता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि वह ठीक नहीं हो सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह भी चुनाव भाषण की ही बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे राजी हो गये हैं। आप नहीं चाहते कि वे पश्चिम बंगाल की बात करें। वे नहीं करेंगे······

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे एक डूबते जहाज में सवार हैं। इसलिए सोचते हैं कि हर जहाज डूब रहा है। सिफारिशों की बात ही करनी चाहिए।······

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गये और प्रत्येक व्यक्ति यह भी जानता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बाहर आये तथा प्रो॰ चक्रवर्ती और उनके मित्रों की भविष्यवाणियां झूठी सिद्ध हुई। (व्यवधान) मुझे खेद है कि आप ही ने मुझे यह कहने के लिए उत्तेजित किया। एक और मजेदार बात है। मैं जानता हूं कि एक

राज्य के, जिसका नाम में नहीं लेना चाहता, उप मुख्य मन्त्री ने 1967 में, जबकि श्री चह्वाण गृह मन्त्री के रूप में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे, यह निर्णय किया था कि वह विश्व बैंक के प्रेजीडेंट श्री मेकनमारा से उनकी भारत माता के दौरान मिलेंगे। मुझे यह जानकर आश्चर्य और कुछ हद तक प्रसन्नता हुई कि वह सज्जन विश्व बैंक के प्रेजीडेंट से मिलने तो गये विश्व बैंक के एक बहुत ही कनिष्ठ अधिकारी से मिल पाये······(व्यवधान) मैं इस बात को अच्छा मानता हूं कि परिवर्तन होता रहता है·········

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित कर सकते हैं······

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : ये सभी प्रश्न भड़काने वाले हैं और यदि आप मुझे उकसाते जायेंगे तो मुझे उनका नाम भी बताना पड़ेगा। वैसे तो मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता······

(व्यवधान)

अब मैं अन्तिम बात को लेता हूं और वह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न है। वस्तुत: यह विषय वित्त आयोग के विचारधीन नहीं है और इस पर हमे भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वित्त आयोग को संवैधानिक उपबन्धों के अधीन और अपने विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत कार्य करना होता है। इस अवसर पर जबकि एक अन्य उच्च शक्ति प्राप्त आयोग इस प्रश्न पर विचार-विमर्श कर रहा है, मेरे विचार से केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों पर वित्त आयोग को विचार नहीं करना चाहिए था। फिर भी हमने वित्त आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

मैं इसे 1984-85 से स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा कर सकता तो मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि तब इतना हल्ला-गुल्ला न होता। किन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं था यह पहले ही कहा जा चुका है उससे पहले आयोग ने ऐसा किया था। उस समय यह राशि 41 करोड़ की थी। इस बार यह राशि 1400 करोड़ रुपये है······ (व्यवधान) मै आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि प्रो० चक्रवर्ती शाम को मेरे पास आते हैं और मुझ से 10 रुपये मांगते है तो मैं 10 रुपये तत्काल दे दूंगा। किन्तु यदि वह रात्रि के समय मुझसे 1000 रुपये मांगते हैं तो इतनी राशि मैं उन्हें उसी समय न दे सकूंगा और इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह भी ऐसा ही मामला है।

यदि यह राशि कम होती और उससे अर्थव्यवस्था में अस्तव्यस्तता नहीं आती तो वैसा किया जा सकता था। परन्तु उससे प्रत्येक राज्य पर प्रभाव पड़ता और कुछ को अधिक मिलता और कुछ को कम। आप अपने आपको महाराष्ट्र जैसे राज्य की स्थिति में रखकर देखियेगा जिसे सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार वर्ष 1984-85 के लिए अमुक राशि प्राप्त होती और यदि अगस्त के महीने में मैं उसे यह बताता हूं कि अब उसे पहले की अपेक्षा 61 करोड़

रुपए कम मिलेंगे तो उस राज्य के सामने वास्तव में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। मैं धन स्वंय तो नहीं बना सकता। यह बात में मैं स्पष्ट कर चूका हूं। आज मुद्रास्फीति बहुत बढ़ी हुई है और इस विषय पर हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आप मेरे पर यह आरोप अवश्य ही लगाओगे कि नोटों के रूप में धन का परिचालन बढ़ गया है। ऐसी स्थिति से मैं समझता हूं कि आप यह सिफारिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि 1700 करोड़ रुपए की राशि में 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि और कर दी जाए। इस समय प्रशासित मूल्य से या कर लगाकर धन एकत्र करना सम्भव नहीं है।

फिर धन कहां से आयेगा ? यह आकाश से तो बरसेगा नही। हमारे भाषणों सद्भावनाओं आदि से तो धन पैदा नहीं होगा। इसलिए उपलब्ध धन को वितरित करना है यही कारण है कि मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता कि वित्त आयोग की सिफारिशें। अप्रैल 1984 से लागू की जाये।

जहां तक ओवर ड्राफ्ट का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए अन्यथा यहां पुनः गर्मा-गर्मी हो जायेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपकी जानकारी के लिए ओवरड्राफ्ट के मामले में पश्चिम बंगाल का स्थान सबसे ऊपर है और अब पश्चिम बंगाल को कम राशि मिल रही है।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : और ऐसा इसके बावजूद है कि मैं सामान्य सहायता और अर्थोपाय अग्रिम राशि पहले ही दे चुका हूं। इन राशि का भुगतान मैंने इसलिए किया था कि··· (व्यवधान) का मामला साफ हो जाये। प्रो० चक्रवर्ती जी सुनिये और उत्तेजित न होइये परम्परा के अनुसार 1 जुलाई को ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए 30 जून को जो राज्य जमा से अधिक राशि बैंक से निकाल लेते हैं, उन राज्यों के ओवरड्राफ्ट को पूरा करने के लिए हम राज्य सरकारों की ओर से रिजर्व बैंक के भुगतान करते हैं। इस प्रक्रिया में कभी करों के हिस्से को या अर्थोपाय अग्रिम राशि को समय से पूर्व ही देना पड़ता है। आपके राज्य के मामलों में दोनों प्रकार की राशियां पहले ही दे दी गई हैं। यह बात अलग है और मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मैं सभा का ध्यान एक बात की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में इस वित्त आयोग ने भी टिप्पणी की है और पांचवें वित्त आयोग ने भी कड़े शब्दों में प्रतिकूल टिप्पणी की थी और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यह तो संविधान के अनुच्छेद 193 का व्यवाहारिक रूप से उल्लंघन है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे मन्त्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि वह आन्ध्र-प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में भी कुछ प्रकाश डालें।

श्री प्रणब मुखर्जी : मेरा सादर निवेदन है कि मेरा किसी राज्य के विरुद्ध बिल्कुल कोई मामला नहीं है क्योंकि आखिरकार, यदि आयोजन किसी राज्य में असफल रहता है तो उसका कुप्रभाव हम पर पड़ता है। इसके साथ-साथ मैं यह नहीं चाहता हूं कि मुझे अनावश्यक रूप से दोषी ठहराया जाये। यदि आप मुझे अनावश्यक रूप से दोषी नहीं ठहराते, यदि आप यह न कहते कि यह राहजनी है, यदि आप वित्त आयोग के सदस्यों को नौकर-चाकर और अवसरवादी न कहते, तो कभी कोई प्रति क्रिया न होती। परन्तु मुझे खेद है कि आपने हमें प्रत्याक्रमण के लिए मजबूर कर दिया है। हम समस्या को हल करना चाहते है और सहयोग देना चाहते हैं, परन्तु आपने सोचा कि आप मुझे मजबूर कर सकते हैं और इसी रवैये के कारण ही यह समस्या इस प्रकार उत्पन्न हो गई है। अन्यथा इसके क्या कारण हैं? आयोग, जिसने प्रत्येक राज्य की समस्याओं को ध्यान में रखा है, आज कटघरे में है क्योंकि आप मनमानी करना चाहते हैं। राष्ट्रपति को पेश किये गये ज्ञापन में आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि धनराशि के बटवारे तथा सहातार्थ अनुदान के बारे में वित्त आयोग की सिफारिबें होती हैं परन्तु बैंक से अधिक राशि निकालने के बारे में उनकी सिफारिशें बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं हैं। क्या आप यह रुख अपना सकते हैं? क्या आप मनमानी कर सकते हैं? फिर मैं भी मनमानी कर सकता हू। अन्य व्यक्ति भी मनमानी कर सकता है। हम यह रवैया नहीं अपना सकते हैं। यह बात थी, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अतः मुझे पूर्ण आशा है कि हम राज्यों की समस्याओं को काफी हद तक हल कर सकेंगे।

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री अग्रवाल तथा अन्यों ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है कि राशि धीरे-धीरे 20,000करोड़ रुपये से बढ़कर 39,000 करोड़ रुपये हो गई है। यदि आप दी गई धनराशि को देखना चाहें तो आपको करों, लोगों से लिए गए उधार सहायतार्थ अनुदान, ऋण की समय-सीमा को पुनः निश्चित करने के लिए दी गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर तथा इसकी प्रतिशत धनराशि में वृद्धि हुई है। 1960 में यह राशि 21 प्रतिशत थी जब कि आज यह बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। आशा है राज्य अपनी समस्याओं को हल कर सकेंगे और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार किसी राज्य की उपेक्षा नहीं करना चाहती। यथा सम्भव सब कुछ किया जा रहा है। परन्तु कभी आप ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे पास कोई छिपे हुए ससाधन हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ आपकी बाधाएं हैं। हमारी भी बाधाएं है और जैसा कि मैंने जिक्र किया है, मेरी शक्तियां भी सीमित हैं। यह सच है कि विवाद परियोजनाओं की अधिकांश जिम्मेवारियां राज्यों की हैं, परन्तु उसके साथ-साथ यह भी सच है कि यदि केन्द्रीय सरकार कोई परियोजना अर्थात् विद्युत परियोजना या कोयला खनन या कोई बड़ी औद्योगिक परियोजना आरम्भ करती है, तो वह भी किसी राज्य में ही स्थित होती है। राज्य केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं से भी लाभांवित होते हैं। केन्द्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी राज्य से बाहर हो। चाहे वह कोई भी राज्य हो, परियोजना तो किसी राज्य में आरम्भ की जाता है।

जहां तक केन्द्र का विकास से भिन्न कार्यों पर खर्च का सम्बन्ध है, हम इसे कम करने का

प्रयत्न कर रहे हैं। वित्त आयोग ने बहुत ही अधिक निष्पक्षता बरती है। मैं यह श्री चव्हाण की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह निष्पक्षता संघ की कीमत पर बरती है क्योंकि न ही उन्होंने मेरी बात मानी है और न ही राज्यों की। उन्होंने आय और खर्च को आंकने के लिए एक समान मापदंड अपनाया है। वित्त मन्त्री के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि वह प्रतिरक्षा खर्च और राजकीय सहायता के बारे में वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए गये मानदण्ड का पालन कैसे कर सकता है। परन्तु चूंकि यह एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग है, यह एक विशेषज्ञ निकाय है, इसने यह निर्णय बुद्धिमता पूर्वक सोच विचार करके किया है। हमने उसके प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि चूंकि प्रतिवेदन का कोई भाग हमारे लिए असुविधाजनक है इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिए उनके प्रति पुनः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन पेश किए हैं। मैं वे सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वित्त मन्त्री ने कुछ कहा है। मैं वित्त मन्त्री को कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि वह हम पर दया करें। हम चाहते हैं कि वह किया जाए जो उचित और ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा 24 जुलाई, 1984 को सभा पटल पर रखे गये आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले ज्ञापन पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हम परसों भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विधेयक नहीं ले सके। मन्त्री महोदय को उत्तर देना है और हमें उसे मतदान के लिए रखना है। हमें इसे अन्तिम रूप देना है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन पेश किए हैं। उन संशोधन पर वाद-विवाद के दौरान

चर्चा भी की गई थी। जिन सदस्यों ने ये संशोधन पेश किये उन्होंने इसमें मुख्यतया भाग लिया है। उन्होंने जो मुख्य बात बताई वह यह थी कि हम उन 50,000 अधीनस्थ पशु चिकित्सा कमिकों की सेवाएं नहीं ले रहे हैं जो इस समय देश में छोटी-मोटी पशु चिकित्सा सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात यह उठाई गई थी कि 20,000 पशु चिकित्सकों में से 10.000 प्रसासनिक कार्य में व्यक्त हैं। और इसलिए गांवों में केवल 10,000 पशु चिकित्सकों की सेवाएं ही उपलब्ध हैं। उन्होंने जो तीसरी बात बताई वह यह है कि खन्ड 3) (ख) पर्याप्त नहीं है। माननीय सदस्यों के ये सभी तर्क और आशंकाएं उचित नहीं हैं।

13;600 पशु चिकित्सालय तथा पशु-औषधालय हैं और लगभग 16,500 पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र हैं जो इन चिकित्सालयों तथा ओषधालयों से सम्बद्ध हैं। इन चिकित्सालयों और औषधालयों में पशु चिकित्सकों के पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन 'स्टाक मैन' कार्य कर रहे हैं। इन चिकित्सालयों और औषधालयों के ये 'स्टाक मैन' पशु चिकित्सा में अवर स्नातक होते हैं तथा वे स्वतन्त्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। सहायता केन्द्रों में भी यह स्वाभाविक ही है कि वे यह कार्य पशु चिकित्सकों के मार्ग दर्शन और पर्यवेक्षण में ही करते हैं।

माननीय सदस्यों ने जो एक बात और उठाई वह 'स्टाक मैनों' के कर्त्तव्यों के बारे में विधेयक के खंड 30 (ख) से सम्बन्धित है। राज्य सरकारों के अधिनियम में, जैसा कि मैंने विधेयक पुर: स्थापित करते समय अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था कि 11 राज्य ऐसे हैं। जिन्होंमे अधिनियम पारित किया है और उनका अलग पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम है परन्तु उनमें से किसी भी राज्य ने इन पशुचिकित्सा कर्मिकों को, जो स्नातक नहीं हैं, स्वतन्त्र व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में पशु चिकित्सा 'कम्पांउडर', 'वेंक्सीनेटर तथा 'स्टाक मैन' का पाठ्य् क्रम भिन्न-भिन्न है। जहां तक 'वैक्सी नैटरों' का सम्बन्ध है, उनको केवल 'वैक्सीनेशन' कार्य के लिए तीन महीने का प्रशीक्षण करना पड़ता है। हम इन व्यक्तियों, जिन्होंने केवल तीन महीनों का प्रशिक्षण किया है, को उन स्नातकों के बराबर कैसे रख सकते है जिन्होंने यह कार्य चार-पांच वर्षों तक किया है? जहां तक कम्पांउडरों का सम्बन्ध है, यह पाठ्य् क्रम तीन से नौ महीने तक का है। 'ड्रेसर' तो चतुर्थ श्रेणी के पक्षों से पदोन्नत किये जाते हैं। वे अनुभव के आधार पर 'ड्रेसिंग' कार्य करते हैं। 'स्टाक मैन' या 'स्टाक एसिस्टेंट' के लिए नौ महीनों से एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्य क्रम है। अतः हमने उनको खन्ड 30 (ख) के अन्तर्गत पशु की मामूली चिकित्सा करने और मामूली रोगों की दवा देने की अनुमति दी है। इसलिए हम उनको स्नातको के बराबर नहीं कर सकते और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि 'स्टाक मैनों' 'कम्पाउडरों' और 'ड्रेसरों' को पशु चिकित्सकों की श्रेणी में पंजीकृत किया जाए।

माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान ये मुख्य बातें उठाई और मैंने उनके समक्ष इनको स्पष्ट कर दिया है। मुझे आशा है, वे संतुष्ट होंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि पशु-चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् और राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना और पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 14

उपाध्यक्ष महोदय : जिन मानानीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं वे यहां उपस्थिति नहीं है। अतः खंड 2 से खंड 14 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं।

मैं खंड 2 से 14 को एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 14 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

खंड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 15 से 29

अध्यक्ष महोदय : खंड 15 से 29 के लिये कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 से 29 विधेयक को अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 30 से 67

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं वे सभा में उपस्ति नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 से 67 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 67 विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, विधेयक के नाम तथा

प्रस्ताव विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय श्री योगेन्द्र मकवाना द्वारा प्रस्तुत भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिये मैं आपका धन्यबाद करता हूं यह विधेयक बहुत देरी से लाया गया है। परन्तु जैसी कि कहावत हैं न, होने से होना देर से बेहतर है । उन्होंने कम से कम इस सत्र की समाप्ति से पहले यह विधेयक पेश कर दिया है ।

प्रथम अनुसूची में उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों अथवा पशुचिकित्सा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हताओं का उल्लेख किया है । अनुसूची के पृष्ठ 26 को देखते समय मैंने पाया कि मान्यता-प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता के सम्बन्ध में पंजाब पशु-चिकित्सा कालेज द्वारा लाइसेंस प्राप्त पशु-चिकित्सक को चिकित्सक के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई है । साथ ही अन्य लाइव-स्टाक इंस्पेक्टरों और अन्य गैर-स्नातमक व्यवसायियों के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं दी गई है । दूसरी ओर उन्नहोंने पंजाब में लाइसेंसप्राप्त पशु-चिकित्सक कों चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी है जबकि उन्होंने गैर-स्नातकों को पशु-चिकित्साकों के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं दी है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विधेयक में कुछ कमियां हैं । लगभग 50 हजार गैर-स्नातमक व्यवाघयिों को छोड़ दिया गया हैं तथा उनको भारतीय पशुचिकित्सा परिषद विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाया गया है । मैं मन्त्री महोदय की सूचना पर विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई कुछ बातों के बारे में बताना चाहूंगा । यहां तक की जापान में भी मध्यम स्तर कें तकनीशियन हैं । जैसा की हरियाणा कृषि विश्वविधालय के पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेज के डीन, डा० टी०पी०एस० त्यागी ने बताया है कि जापान में मध्य स्तर के ऐसे ही तकनीशियन हैं ।

सेवा निवृत पशुपालन निदेशक (उड़ीसा) चण्डीगढ़ डा० जी० बी० सिंह ने भी यह सुझाव दिया है कि गैर-स्नातक पशु-चिकित्सकों के कार्य-कलापों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पंजीयन हेतु एक पूरक पंजिका बनाई जाए ।

महाराष्ट्र सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव श्री जान इन्नोसेन्ट ने कहा है ;

"अपने स्टाकमैन को हम नीम-हकीम नहीं कहेंगे।"

मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के सचिव श्री ए० एस० दास का कहना है :

"इस कानून के द्वारा यदि हम इलाज करने पर रोक लगा दें, तो पशुओं और उनकी चिकित्सा का क्या होगा ? वास्तव में अधिकतर ऐसे लोगों द्वारा ही इलाज किया जाता है जिनके पास डिग्री नहीं है......थोड़े में कहें तो, हमें रोक नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा इसका हल उस बीमारी से भी बुरा होगा। जिसे दूर करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।"

आपको पशु चिकित्सकों तथा अन्य अर्ध-चिकित्सकों के सम्बन्ध में भी कोई कानून बनाना चाहिए, जिससे वे अपना काम करते रहें।

कृत्रिम गर्भाधान का विधेयक में कोई जिक्र नही किया गया है।

"इस विधेयक में कृत्रिम गर्भाधान का कोई उल्लेख नहीं है, जो विश्व भर में पशु-चिकित्सा का एक अविभाज्य अंग है। राष्ट्रीय सम्पन्नता के लिए पशुओं की वृद्धि करने हेतु भारत में पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का एक प्रमुख विषय है।"

कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक पशु के बहुत ही नाजुक अंग से सम्बन्धित है, और इस कारण कोई भी चूक पशु की जान के लिए खतरा हो सकता है।

एक स्टाफ नर्स को मात्र इसलिए डाक्टर नहीं कह सकते कि वह हृदय शल्य चिकित्सा में सहायक रही है। इसी प्रकार पशु निरीक्षकों और गैर-स्नातक लोगों को भी पशु चिकित्सक नहीं कहा जा सकता। मैं मन्त्री महोदय की इस बात से सहमत हूं। परन्तु कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए क्योंकि यदि आप इन्हें एक दम समाप्त, विशेषकर गावों में, समाप्त कर देते हैं तो क्या स्थिति होगी ? ये लोग वहां बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अतः इस विधेयक को लाते समय मन्त्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें। पशु-चिकित्सकों के कार्य में कोई व्यवधान पैदा किए बिना इन लोगों को अपना काम करते रहने के लिए कोई व्यवस्था विधेयक में की जानी चाहिए। कुछ समय पहले एल० एम० पी० नामक एक व्यवस्था चिकित्सा क्षेत्र में थी। बाद में एलोपैथिक पद्धति में उन्हें संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ा। उसके बाद वे डाक्टर हो गये। इसी प्रकार इन गैर-स्नातक अथवा लाइसेंस शुदा चिकित्सकों के लिए एक संक्षिप्त पशु-चिकित्सा विज्ञान का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे वे भी पंजीकृत पशु-चिकित्सक के रूप में पंजीयन करा सकें और उनकी सेवाओं का उपयोग भी पंजीकृत पशु-चिकित्सकों के साथ-साथ गांवों में किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। सरकार इस पर विचार कर सकती है।

डा० ए० कलानिधि : मैं मन्त्री महोदय से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा ताकि पशु शल्य चिकित्सकों की सेवाओं का अच्छा उपयोग हो सके, पर साथ ही हमें पशु-निरीक्षकों अथवा गैर-स्नातक चिकित्सकों की सेवाओं को भी नहीं भुलाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्य ने बताया है कि हमने अनुसूची संख्या में लाइसेंस प्राप्त पशु-चिकित्सक व्यवसायों को सम्मिलित किया। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि गैर-स्नातकों को पंजीकृत क्यों नहीं किया जाता जबकि वे विद्यमान है। यह लाइसेंस प्राप्त पशु-चिकित्सा स्नातकों के समकक्ष हैं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : क्या वे स्नातक हैं अथवा केवल प्राप्त पशु-चिकित्सा स्नातक हैं। क्या वे डिप्लोमा प्राप्त हैं अथवा स्नातक हैं।

श्री योगेंद्र मकवाना : वे डिप्लोमा प्राप्त नहीं हैं। परन्तु यह डिग्री के बराबर है। उन दिनों में उन्हें लाइसेंस प्राप्त पशु-चिकित्सा व्यवसायी कहा जाता था। अतः हमें इस नामावली को सम्मिलित करना पड़ा। अन्यथा उनके द्वारा व्यवसाय करने पर रोक लग जाती यह एक बात है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताई है। कृत्रिम गर्भाधान का कार्य पशु-पालन विभाग द्वारा देखा जाता है। उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक का सम्बन्ध भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से है जोकि पशु-चिकित्सकों का स्वयं पंजीकरण कर सकती है। तथा उन्हें कतिपय सुविधाएं दे सकती है। वे औषधि निर्धारित कर सकते हैं। विधिक चिकित्सा सम्बन्धी मामलों में साक्षी हो सकते हैं। उनका अन्य विदेशी डिग्रियों के साथ समीकरण किया जाएगा। बाहर के देशों में भी उन्हें सन्मान प्राप्त होगा। इस कारण से मैं सभा में पर विधेयक लाया हूं। माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसे स्वीकार करने का कोई तर्क नहीं है। मुझे खेद है कि मैं उनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकता।

डा० ए० कलानिधि : लाइसेंस-प्राप्त चिकित्सा अधिकारी एम० बी० बी० एस० संक्षिप्त कोर्स करके डाक्टर बन सकते हैं। उसी प्रकार पशु चिकित्सा विज्ञान में गैर-स्नातकों को पशु-चिकित्सा में संक्षिप्त कोर्स करने की अनुमति दी जा सकती है। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भारतीय पशु-चिकित्सा परषिद् की स्थापना के बारे में है। अतः इस विधेयक का माननीय सदस्य की बात से कोई संबंध नहीं है।

डा० ए० कलानिधि : मेरा अभिप्राय यह है। व्यवसायिक पंजीकरण के लिए आपने कुछ

अर्हताएं निर्धारित की हैं आपने उल्लेख किया है कि उन्हें पशु-चिकित्सा विज्ञान का स्नातक होना चाहिए। यदि वे स्नातक नहीं हैं तो क्या आप उन्हें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की तरह संक्षिप्त कोर्स करके स्नातक बनकर पंजीकरण के पात्र बनाया जा सकता है। मेरा यही अभिप्राय है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कोई भी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति डिग्री कोर्स कर सकता है तथा अपना पंजीकरण करा सकता है। अन्यथा हमारे लिये उनका पंजीकरण करना अत्यन्तकठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे तक स्थगित होती है।

7.32 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 10 अगस्त, 1984/19 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित